हर घर जल
जल जीवन मिशन

सुजलाम् भारत

प्रचालन दिशा-निर्देश

जल जीवन मिशन 2.0

हर घर जल

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन

2026

हर घर जल
जल जीवन मिशन

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन

प्रचालन दिशा-निर्देश

जल जीवन मिशन 2.0

हर घर जल

आपो हिष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन।
महे रणाय चक्षसे।।1।।
यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः।
उशतीरिव मातरः।।2।।
(ऋग्वेद संहिता-10.9.1-2)

जल आनंद का स्त्रोत है, ऊर्जा का भंडार है।
कल्याणकारी है।।
पवित्र करने वाला है।
और माँ की तरह पोषक तथा जीवनदाता है।।

Water is the source of
happiness, energy, health and piety,
and is life giving as mother!

***...जल जीवन मिशन** पूरे भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए सतत एवं विश्वसनीय नल जलापूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह मिशन केवल अवसंरचना निर्माण तक सीमित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर सशक्त स्थानीय शासन और डिजिटल निगरानी के माध्यम से नागरिक-केंद्रित सेवा प्रदाय व्यवस्था पर बल देता है।*

इस कदम से जल सुरक्षा सुदृढ़ होगी, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होगा और ग्रामीण समुदाय, विशेष रूप से हमारी नारी शक्ति सशक्त बनेगी।

श्री नरेन्द्र मोदी

भारत के प्रधानमंत्री

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
Prime Minister

संदेश

हमारे शास्त्रों में जल को जीवन का आधार माना गया है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, "शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये" - अर्थात् दिव्य जल हमें कल्याण और पोषण प्रदान करे।

जल जीवन मिशन ने सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कर, करोड़ों ग्रामीण परिवारों के जीवन में व्यापक सकारात्मक बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रत्येक घर तक नल से जल पहुंचाने की इस पहल ने जीवन स्तर और जनस्वास्थ्य में सुधार के साथ महिलाओं को दूर-दराज़ के इलाकों से पानी लाने की कठिन जिम्मेदारी से छुटकारा दिला कर, उनके सशक्तिकरण को भी नई गति दी है।

जल जीवन मिशन 2.0 इस सुदृढ़ नींव पर आधारित अगली पहल है, जो इस अभियान को नए स्तर पर ले जाती है। इसके माध्यम से पेयजल प्रबंधन के लिए एक सशक्त संस्थागत ढांचा विकसित किया जा रहा है, जिसे ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियों के डिजिटल डेटा प्रबंधन से और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। यह चरण पारदर्शिता बढ़ाने, संस्थानों को सुदृढ़ करने और सेवा प्रदायगी को बेहतर बनाने में सहायक होगा। साथ ही, इन सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए व्यापक क्षमताओं का विकास भी सुनिश्चित किया गया है।

जमीनी लोकतंत्र की सच्ची भावना के अनुरूप ग्राम पंचायतों को इस पहल के केंद्र में रखा गया है। जलापूर्ति प्रणालियों के प्रबंधन और संचालन में उनकी प्रमुख भूमिका सुनिश्चित की गई है। 'सुजल गाँव' जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म इन प्रणालियों की निगरानी, प्रबंधन और रखरखाव को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। ग्राम स्तर की व्यवस्थाओं को व्यापक जलापूर्ति तंत्र से जोड़ने और जल स्रोत से लेकर प्रत्येक घर तक जलापूर्ति में जवाबदेही एवं पारदर्शिता लाने में भी यह प्रयास कारगर सिद्ध होगा।

अमृत काल में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में जल जीवन मिशन 2.0 एक महत्वपूर्ण कदम है। जल की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण के साथ ही, यह मिशन विश्वसनीय और सतत सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में भी एक ठोस कदम है। प्रत्येक परिवार को नियमित जलापूर्ति, गुणवत्तायुक्त पेयजल, जल स्रोतों के संरक्षण तथा जलापूर्ति प्रणालियों के प्रभावी प्रबंधन के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता इसी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है।

जनभागीदारी और सभी हितधारकों की सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ, जल जीवन मिशन 2.0 हर घर तक सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने के राष्ट्रीय संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।

(नरेंद्र मोदी)

नई दिल्ली
चैत्र 19, शक संवत् 1948
09 अप्रैल, 2026

सत्यमेव जयते

सी आर पाटिल

C R Paatil

जल शक्ति मंत्री
भारत सरकार
Minister of Jal Shakti
Government of India

संदेश

22 मार्च, 2026

सुरक्षित एवं विश्वसनीय पेयजल एक स्वस्थ, सम्मानजनक और समृद्ध समाज की आधारशिला है। जल जीवन मिशन के माध्यम से भारत ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े परिवर्तनकारी प्रयासों में से एक को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है, जिससे करोड़ों परिवारों तक नल जल की सुविधा पहुँची है और लाखों लोगों, विशेषकर महिलाओं एवं बालिकाओं के जीवन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

जल जीवन मिशन 2.0 की ओर अग्रसर होते हुए, हम एक ऐसे नए युग में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित पेयजल की पहुँच एक वास्तविकता बन रही है। यह केवल आधारभूत संरचना के निर्माण का विषय नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने से जुड़ा है।

इस चरण में, हमारा केंद्रबिंदु सेवा प्रदायगी की विश्वसनीयता तथा ग्राम पंचायतों/ ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) की सहभागिता के माध्यम से जन भागीदारी को सुदृढ़ करने पर होना चाहिए। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को आश्वासित गुणवत्ता उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी मानकों एवं प्रोटोकॉल के अनुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। सभी स्तरों पर कार्यों की नियमित एवं सख्त निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि जलापूर्ति प्रणालियाँ दीर्घकाल तक टिकाऊ रहें तथा समय के साथ कुशलतापूर्वक कार्य करती रहें।

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) प्रभावी कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। साथ ही, राज्य सरकारों को पर्यवेक्षण, सत्यापन तथा अनुपालन के लिए सुदृढ़ व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करनी होंगी। निर्धारित गुणवत्ता मानकों से किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा विचलन के प्रति शून्य सहनशीलता का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण इसी पर निर्भर करता है।

जल उत्सव की शुरुआत और जल अर्पण के तहत गांव में अवसंरचना को सौंपने से पहले 15 दिन की अनिवार्य परीक्षण अवधि, जवाबदेही तथा कार्य-निष्पादन के प्रति इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह सुनिश्चित करता है कि समुदायों को सौंपे जाने से पहले जलापूर्ति योजनाओं का परीक्षण हो, वे निर्धारित सेवा मानकों के अनुरूप हों तथा विश्वसनीय जलापूर्ति प्रदान करने में सक्षम हों।

इससे जल संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने में जल संचय, जनभागीदारी और कैच द रेन अभियान के दृष्टिकोण को और मजबूती मिली है। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे मनरेगा/ वीबी-जी राम-जी और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के सामंजस्य में वर्षा जल संचयन, बोरवेल रिचार्ज और ग्रेवाटर के पुन: उपयोग सहित भूजल पुनर्भरण उपाय करें। इन प्रयासों से मिशन के तहत पेयजल स्रोतों की दीर्घकालिक स्थिरता और नल कनेक्शन के लिए पानी की विश्वसनीय उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

साथ ही, नागरिक जवाबदेही जेजेएम 2.0 का मुख्य आधार है। जल सेवा आंकलन के माध्यम से, समुदाय सेवा प्रदायगी का आंकलन करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ये आंकलन जिलों और राज्यों को लक्षित सेवा सुधार आयोजनाएं तैयार करने में मार्गदर्शन करेंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष रूप से जमीनी स्तर पर नीति और कार्यान्वयन को आकार दे। इस प्रकार, जेजेएम 2.0 पारदर्शिता, भागीदारी और निरंतर सुधार पर निर्मित सुदृढ़ ग्रामीण पेयजल अभिशासन की आधारशिला रखता है।

सी. आर. पाटिल

(सी. आर. पाटिल)

सत्यमेव जयते

केंद्रीय राज्य मंत्री (MoS)
जल शक्ति एवं रेल मंत्रालय
भारत सरकार
Union Minister for States (MoS)
Ministry of Jal Shakti and Railways
Government of India

वी. सोमन्ना
V. Somanna

संदेश

22 मार्च, 2026

एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण उसके नागरिकों के कल्याण पर आधारित होता है, और सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तक पहुँच इस लक्ष्य की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण आधार है। जल हमेशा से ही भारत की सभ्यता का एक अभिन्न अंग रहा है। यह हमारे जीवन, आजीविका और परंपराओं को आकार देता है। हमारे यहां जल का सम्मान, संरक्षण किया जाता है तथा इसका उत्सव भी मनाया जाता है।

हालाँकि, लंबे समय तक ग्रामीण भारत में सुरक्षित पेयजल की नियमित एवं सुनिश्चित उपलब्धता एक बड़ी चुनौती रही, विशेषकर महिलाओं के लिए, जिन्हें गाँव से दूर स्थित जल स्रोतों से पानी लाना पड़ता था।

जल जीवन मिशन का शुभारंभ इस चुनौती से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। बहुत कम समय में, मिशन ने महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है, अधिकांश ग्रामीण परिवारों तक पहुंच बनाई है और राज्यों, स्थानीय संस्थाओं तथा समुदायों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया है। इसका प्रभाव पूरे ग्रामीण भारत में दिखाई दे रहा है, कठिन श्रम में कमी आई है, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार हुआ है और सामुदायिक स्वामित्व सुदृढ़ बना है।

मिशन के अगले चरण में प्रवेश करते हुए, हमारा ध्यान अब तक प्राप्त उपलब्धियों को बनाए रखने और उन्हें सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। जल जीवन मिशन 2.0 अवसंरचना निर्माण से विश्वसनीय सेवा प्रदायगी की ओर एक बदलाव का प्रतीक है, जिसके केंद्र में ग्राम पंचायतें और समुदाय हैं।

जल अर्पण और जल उत्सव जैसी पहल सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देकर जनभागीदारी को गहरा कर रही हैं, जबकि सुजलाम भारत पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम और नागरिक-केंद्रित जल अभिशासन की अवधारणा को दर्शाता है।

जल जीवन मिशन 2.0 के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देश संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने, जवाबदेही बढ़ाने और ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट ढांचा प्रदान करता है, जिनमें प्रभावी संचालन और रखरखाव के लिए प्रमुख संरचनात्मक सुधार भी निहित हैं।

ये दिशानिर्देश विकसित भारत @2047 की दिशा में भारत की यात्रा में समावेशी विकास के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में जल सुरक्षा को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सुरक्षित पेयजल तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करके, भारत सतत विकास लक्ष्य 6 में योगदान दे रहा है और यह प्रदर्शित कर रहा है कि कैसे संपूर्ण सरकार तथा संपूर्ण-समाज की अवधारणा से समर्थित लोगों के नेतृत्व वाला विकास, दीर्घकालिक परिणाम दे सकता है।

इसके साथ ही, मैं सभी हितधारकों से, राज्यों, जिलों, ग्राम पंचायतों और नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे साझा जिम्मेदारी के साथ मिलकर कार्य करें। जनभागीदारी के माध्यम से, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर गांव में न केवल पानी उपलब्ध हो, बल्कि भविष्य के लिए इस उपलब्धता को बनाए भी रखा जाए।

जय हिंद!

V. Somanna

(वी. सोमण्णा)

सत्यमेव जयते

सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
Secretary
Department of Drinking Water & Sanitation

अशोक के. के. मीना
Ashok K. K. Meena

संदेश

22 मार्च, 2026

जल जीवन मिशन ने देशभर में नल जल की पहुँच का विस्तार करके ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है। जैसे-जैसे हम अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं, जल जीवन मिशन 2.0 का उद्देश्य सततता, दक्षता तथा जवाबदेह सेवा प्रदायगी पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन उपलब्धियों को और सुदृढ़ करना है।

इस चरण में सभी स्तरों पर पेयजल अभिशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए संस्थागत सुधारों पर बल दिया गया है। प्रभावी सेवा प्रदायगी के लिए स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ, राष्ट्रीय से ग्राम पंचायत स्तर तक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए एक स्पष्ट संस्थागत ढांचे की रूपरेखा तैयार की गई है। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) तथा जिला तकनीकी इकाई (DTU) योजनाओं की गुणवत्ता एवं कार्यान्वयन पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत अपनी जल एवं स्वच्छता संबंधी स्थायी समिति, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) के माध्यम से सेवा प्रदायगी के केंद्र में स्थित है। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) ग्राम पंचायत की कार्यकारी इकाई के रूप में कार्य करेगी तथा जलापूर्ति प्रणालियों के दैनिक प्रबंधन, निगरानी और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगी। इन स्थायी समितियों को सुदृढ़ बनाना जमीनी स्तर पर सेवाओं के प्रति स्वामित्व की भावना, जवाबदेही तथा सततता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इन सुधारों का एक प्रमुख तत्व सामुदायिक सहभागिता को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। स्वयं सहायता समूह (SHGs) तथा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) जैसे सामुदायिक-आधारित संगठन, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) के मार्गदर्शन में संचालन एवं प्रबंधन (O&M), निगरानी तथा स्थानीय प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाएँगे। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य अपनत्व एवं उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करना, जवाबदेही को बढ़ावा देना तथा जलापूर्ति प्रणालियों की दीर्घकालिक सततता सुनिश्चित करना है।

दिशानिर्देशों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं पंचायत स्तर पर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के उपयोग के माध्यम से डिजिटल अभिशासन तथा डेटा-आधारित निगरानी पर भी विशेष बल दिया गया है। 'मेरी पंचायत' मोबाइल एप्लिकेशन जैसे नागरिक इंटरफेस प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकरण से वास्तविक समय में फीडबैक, शिकायत निवारण तथा सहभागी निगरानी संभव होगी, जिससे सेवा प्रदायगी में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को और सुदृढ़ किया जा सकेगा।

ये रिफोर्म्स तकनीकी मानकों को सुदृढ़ करने, परिचालन दक्षता में सुधार लाने तथा जल सेवाओं की गुणवत्ता और निरंतरता सुनिश्चित करने पर भी केंद्रित हैं। कुल मिलाकर, सभी उपायों का उद्देश्य इस क्षेत्र में योजना-आधारित अवसंरचना के निर्माण वाली अवधारणा को ग्रामीण भारत में सेवा-उन्मुख, जीवनचक्र-आधारित नियमित जल आपूर्ति प्रणालियों की अवधारणा में परिवर्तित करना है।

जल जीवन मिशन 2.0 सुदृढ़ संस्थानों, सशक्त समुदायों तथा प्रभावी अभिशासन तंत्रों के माध्यम से अनुकूल एवं सतत ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियों के निर्माण का एक व्यापक प्रयास है। मुझे विश्वास है कि ये दिशानिर्देश राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति तथा प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए विश्वसनीय पेयजल सेवाएँ सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होंगे।

अशोक

(अशोक के. के. मीना)

सत्यमेव जयते

कमल किशोर सोन
Kamal Kishore Soan

अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एनजेजेएम)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
Additional Secretary & Mission Director (NJJM)
Department of Drinking Water & Sanitation

संदेश

22 मार्च, 2026

जल जीवन मिशन ने नल जल को घरों तक पहुँचाकर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार किया है। जल जीवन मिशन 2.0 में अब ध्यान अवसंरचना निर्माण से आगे बढ़कर विश्वसनीय एवं सतत जल सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। मंत्रिमंडल ने सेवा-प्रदायगी उन्मुख दृष्टिकोण को स्वीकृति प्रदान की है और ये दिशानिर्देश उसी दिशा को प्रतिबिंबित करते हैं। जल जीवन मिशन 2.0 का प्रमुख आधार 'सुजलाम भारत' डिजिटल फ्रेमवर्क के माध्यम से सुदृढ़ डिजिटल अभिशासन है। प्रत्येक गाँव को एक विशिष्ट 'सुजल गाँव आईडी' प्रदान की जा रही है, जिसके माध्यम से स्रोत से लेकर नल तक संपूर्ण जलापूर्ति प्रणाली की मैपिंग की जा रही है। इससे पारदर्शिता सुदृढ़ होती है, कार्यों की अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचाव होता है तथा बेहतर निगरानी में सहायता मिलती है। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड तथा लगभग वास्तविक समय में उपलब्ध सूचनाएँ समस्याओं की समय रहते पहचान तथा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कमांड एवं सपोर्ट सेंटर यह सुनिश्चित करेंगे कि परियोजनाओं का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप हो तथा वे योजना के अनुसार कार्य करें। जेजेएम 2.0 में सुदृढ़ कार्यान्वयन प्रणालियों और संरचनात्मक सुधारों को महत्व दिया गया है। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को योजना को पूरा करने, ग्राम पंचायतों को सौंपने और उन्हें कार्यशील बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यों के रोड मैप का दस्तावेजीकरण करने हेतु समग्र कार्यान्वयन एवं सुधार योजना (CIRP) तैयार करनी हैं और उनका अनुपालन करना है।

तकनीकी अनुपालन एक प्रमुख आवश्यकता बनी हुई है। सीपीएचईईओ (CPHEEO) मानदंडों के अनुपालन में और सटीक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश निर्माण की गुणवत्ता, निधियों के उचित उपयोग तथा दीर्घकालिक सततता बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) भूजल की स्थिति, योजना-स्तरीय डेटा और फील्ड अवलोकनों को एकीकृत करेगी ताकि DWSM को बेहतर योजना बनाने तथा तेजी से कार्य करने में मदद मिल सके, जिससे अंततः बेहतर कार्यशीलता हासिल करने में सहायता मिले। जिलों को जिला तकनीकी इकाई (DTU) के माध्यम से ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करनी है, प्रगति की निगरानी करनी है और संचालन और प्रबंधन कार्यों में मार्गदर्शन करना है। पिछले एक वर्ष के दौरान जिला कलेक्टरों के साथ आयोजित 700 से अधिक संवादों ने जिला-स्तरीय नेतृत्व की भूमिका को और सुदृढ़ किया है। इन संवादों ने विशेष रूप से जवाबदेही एवं निगरानी की दिशा में किए गए संरचनात्मक सुधारों को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 'पेयजल संवाद' जैसी पहलों ने इस संदेश को और मजबूत किया है कि जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक समाधान विकसित करने, निवारक रखरखाव को सुदृढ़ करने तथा लागत-प्रभावी कार्यप्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, 'सुजल ग्राम संवाद' जैसे ग्राम-स्तरीय संवादों ने समुदायों को जलापूर्ति प्रणालियों को कार्यशील बनाए रखने तथा सेवा संबंधी कमियों की सूचना देने में अपनी भूमिका को समझने में सहायता प्रदान की है। चूंकि जेजेएम 2.0 में ग्राम पंचायतों को सेवा प्रदायगी के केंद्र में रखा गया है, इसलिए जनभागीदारी के माध्यम से संचालन एवं रखरखाव पारिस्थिति की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 15 दिनों के परीक्षण और सत्यापन के बाद जल अर्पण के माध्यम से योजनाएं सौंपी जाएंगी। पेयजल के प्रति प्रतिबद्धता को बनाएं रखने के लिए वार्षिक जल उत्सव में गाँव के लोग एक साथ मिलकर भाग लेंगे।

जल जीवन मिशन 2.0 अधिक सुदृढ़, पारदर्शी तथा समुदाय के स्वामित्व एवं प्रबंधन पर आधारित ग्रामीण जल सेवा ढाँचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस चरण की शुरुआत के साथ हमारा लक्ष्य स्पष्ट है-एक ऐसी जलापूर्ति व्यवस्था का निर्माण करना जो सेवा-उन्मुख, जवाबदेह तथा समुदाय-नेतृत्व वाली हो। ये दिशानिर्देश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित संरचनात्मक सुधारों को प्रतिबिंबित करते हैं तथा यह रेखांकित करते हैं कि राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश, जिले तथा ग्राम पंचायतें मिलकर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस प्रकार कार्य कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि सामूहिक प्रयासों, तकनीकी मानकों के प्रति सतत प्रतिबद्धता CIRP के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष के प्रत्येक दिन विश्वसनीय पेयजल सेवा उपलब्ध होगी।

कमल किशोर सोन

(कमल किशोर सोन)

विषय सूची

संक्षिप्ताक्षर 7

परिभाषाएं 11

खण्ड 1 पृष्ठभूमि..17

अध्याय 1.1. परिचय..18

1.1.1. भारत में ग्रामीण जल आपूर्ति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

1.1.2. जल जीवन मिशन: एक दृष्टिकोणगत बदलाव

1.1.3. नियोजित अवसंरचना का पैमाना

1.1.4. कार्यशीलता मूल्यांकन

1.1.5. जेजेएम के संभावित सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

अध्याय 1.2. जल जीवन मिशन 2.0..26

1.2.1. प्रस्तावना

1.2.2. विजन

1.2.3. उद्देश्य

1.2.4. जेजेएम के कार्यान्वयन का आंकलन (2019-24)

1.2.5. संरचनात्मक सुधार-सहबद्ध कार्यान्वयन रणनीति

1.2.6. योजनाओं की सततता

1.2.7. परिणाम

खण्ड 2 संरचनात्मक सुधारों का रोडमैप..31

अध्याय 2.1. पेयजल अभिशासन के लिए संस्थागत संरचना की स्थापना..32

2.1.1. पेयजल अभिशासन

2.1.2. पेयजल अभिशासन के प्रमुख आयाम

2.1.3. संस्थागत तंत्र

2.1.4. ग्रामीण पेयजल का नियामक ढांचा

अध्याय 2.2. पेयजल सेवा प्रदायगी हेतु सेवा प्रदाय निकाय (यूटिलिटी) आधारित दृष्टिकोण..40

2.2.1. पृष्ठभूमि

2.2.2. द्विस्तरीय सेवा प्रदाय निकाय संस्थागत ढांचा

2.2.3. ग्राम स्तरीय लघु सेवा प्रदाय निकाय (माईक्रो यूटिलिटी)

2.2.4. राज्य/ क्षेत्र स्तरीय वृहद सेवा प्रदाय निकाय (मैक्रो यूटिलिटी)

2.2.5. लघु और वृहद जल सेवा प्रदाय नियोजन के बीच समन्वय

2.2.6. जल सेवा प्रदाय निकायों (यूटिलिटी) की बेंचमार्किंग

2.2.7. राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुकूल और चरणबद्ध कार्यान्वयन

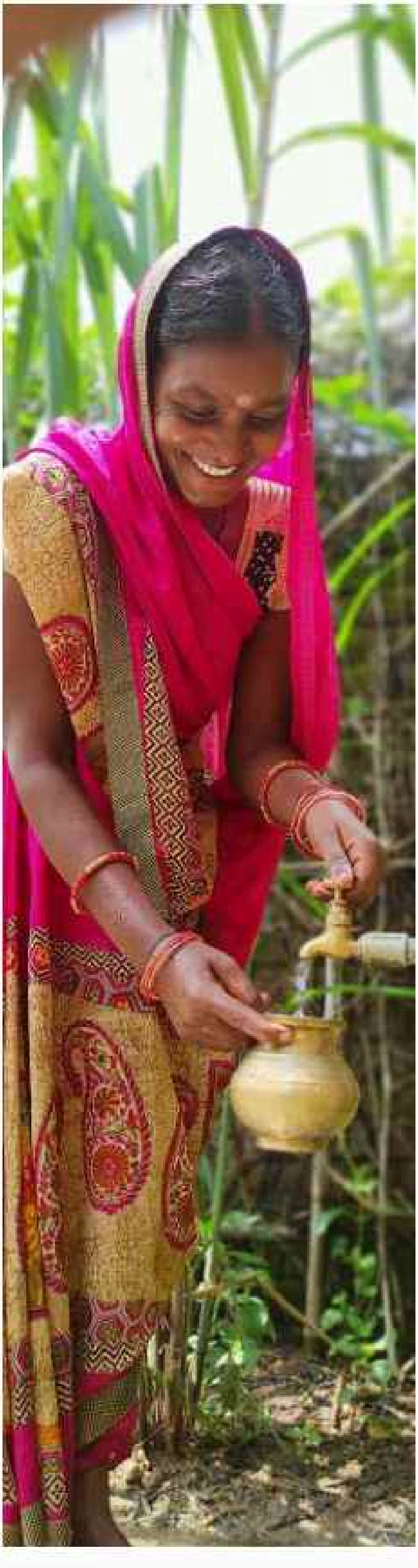

अध्याय 2.3. ग्राम पंचायतों हेतु तकनीकी सहायता ढांचे की स्थापना 45
2.3.1. जिला तकनीकी इकाई (डीटीयू) - संस्थागत ढांचा
2.3.2. कार्य संचालन प्रारंभ करने (कमीशनिंग) और हस्तांतरण संबंधी प्रोटोकॉल
2.3.3. ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं का हस्तांतरण संबंधी प्रोटोकॉल
अध्याय 2.4. नागरिक-केंद्रित जल गुणवत्ता अभिशासन की स्थापना 51
2.4.1. डब्लूक्यूएमएंडएस रूपरेखा की मुख्य विशेषताएं
2.4.2. निगरानी और मूल्यांकन रूपरेखा
2.4.3. डब्लूक्यूएमएंडएस कोष का उपयोग
2.4.4. पारदर्शिता और नागरिक सूचना
2.4.5. डब्लूक्यूएमएंडएस को मजबूत करने का रोडमैप
2.4.6. आपातकाल और आपदाओं के दौरान डब्लूक्यूएमएंडएस
अध्याय 2.5. स्रोत सततता और जल सुरक्षा फ्रेमवर्क 57
2.5.1. स्रोत सततता की मुख्य विशेषताएं
2.5.2. संस्थागत ढांचा (फ्रेमवर्क)
2.5.3. भूजलभृत (एक्वीफर) आधारित योजना
2.5.4. सततता कार्य योजना
2.5.5. योजना शुरू करना (कमीशनिंग), हस्तांतरण एवं पेयजल स्रोतों का वार्षिक रखरखाव
2.5.6. स्रोत सुरक्षा और संदूषण निवारण उपाय
2.5.7. जल बजट निर्माण
2.5.8. ग्रेवाटर प्रबंधन
2.5.9. सरकारी योजनाओं/ अनुदानों के साथ अभिसरण
अध्याय 2.6. ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों में डिजिटल डेटा अभिशासन की स्थापना 62
2.6.1. ग्रामीण पेयजल क्षेत्र हेतु सुजलाम भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई)
2.6.2. निर्णय सहायता/ समर्थन प्रणाली (डीएसएस)
2.6.3. सेवा प्रदाय निकायों द्वारा डिजिटल लेन-देन संबंधी आंकड़ों का अभिलेखीकरण
2.6.4. नागरिक भागीदारी और प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्रणाली
2.6.5. एआई-सक्षम जल प्रबंधन प्रणालियों की दिशा में विकास
अध्याय 2.7. जनभागीदारी के माध्यम से सहभागी अभिशासन की स्थापना 73
2.7.1. जेजेएम के अनुरूप सहभागी अभिशासन
2.7.2. सहभागी अभिशासन के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) फ्रेमवर्क
2.7.3. प्रमुख अभिशासन साधनों के साथ आईईसी रूपरेखा का एकीकरण
2.7.4. सहभागी अभिशासन के लिए डिजिटल साधनों का लाभ उठाना
2.7.5. सहभागी अभिशासन को बढ़ावा देने के लिए समुदाय के नेतृत्व वाले आईईसी को सुदृढ़ करने हेतु समन्वय
2.7.6. सहभागी अभिशासन में एसआरएलएम और अन्य समान कार्यक्रमों के साथ सहयोग
2.7.7. विकास भागीदारों (डेवलपमेंट पार्टनर) और ग्रामीण वॉश पार्टनर्स फोरम (आरडब्ल्यूपीएफ) के साथ भागीदारी
2.7.8. परिणाम मापन और कार्य-निष्पादन संकेतक
2.7.9. सपोर्ट निधि के उपयोग हेतु वार्षिक कार्ययोजना/ सीआईआरपी के साथ एकीकरण

अध्याय 2.8.	**निरंतर सेवा सुधार हेतु क्षमता निर्माण रूपरेखा**	**81**
2.8.1.	परिचय	
2.8.2.	विजन और मार्गदर्शी रूपरेखा	
2.8.3.	प्रमुख हितधारक	
2.8.4.	क्षमता निर्माण रणनीति	
2.8.5.	हब और स्पोक मॉडल का क्रियान्वयन	
2.8.6.	प्रशिक्षण चक्र और मूल्यांकन	
2.8.7.	प्रमुख निगरानी बिंदु	
अध्याय 2.9.	**मानव संसाधन कौशल तंत्र की स्थापना**	**85**
2.9.1.	परिचय एवं उद्देश्य	
2.9.2.	बहु स्तरीय मानव संसाधन रूपरेखा	
2.9.3.	नल जल मित्र कार्यक्रम (एनजेएमपी)	
2.9.4.	बहु कौशल तकनीशियन प्रशिक्षण/ ऑपरेटर डिप्लोमा कार्यक्रम	
2.9.5.	जल आपूर्ति अवसंरचना प्रबंधन पर इंजीनियरिंग ऐच्छिक विषय	
2.9.6.	डब्ल्यूक्यूएमएंडएसके लिए सुजलाम शक्ति समूहों का लघु कौशल प्रशिक्षण (माईक्रो स्किलिंग)	
2.9.7.	संस्थागत व्यवस्था	
2.9.8.	प्रशिक्षण बुनियादी अवसंरचना	
2.9.9.	वित्तपोषण	
2.9.10.	पाठ्यक्रम अपनाना और प्रमाणन	
2.9.11.	निगरानी और रिपोर्टिंग	
2.9.12.	राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रमुख कार्य बिंदु	
अध्याय 2.10.	**जल आपूर्ति योजनाओं की संचालन एवं वित्तीय सततता बजटिंग प्रक्रिया**	**89**
2.10.1.	कुशल वित्तीय प्रबंधन	
2.10.2.	संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) बजट प्रक्रिया	
2.10.3.	वित्तीय सततता के लिए क्रॉस-सब्सिडी वाली फंडिंग	
2.10.4.	कुशल संचालन प्रबंधन	
2.10.5.	निवारक रखरखाव	
2.10.6.	राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मुख्य कार्य बिंदु	
अध्याय 2.11.	**क्रॉस सब्सिडी आधारित फंडिंग**	**93**
2.11.1.	उद्देश्य	
2.11.2.	नवाचारों के लिए संस्थागत ढांचा	
2.11.3.	जल क्षेत्र प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास	
2.11.4.	जल प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन	
2.11.5.	नवाचार आधारित प्रौद्योगिकियों का पायलट परीक्षण एवं विस्तार	
2.11.6.	सहयोगात्मक अनुसंधान और ज्ञान मंच	
2.11.7.	क्रॉस लर्निंग और फील्ड असेसमेंट	
2.11.8.	अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों के लिए परिणाम-आधारित वित्तपोषण	

2.11.9. राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रमुख कार्य बिंदु

खण्ड 3 कार्यक्रम संबंधी कार्यान्वयन 101

अध्याय 3.1. डीडीडब्ल्यूएस और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) 102

3.1.1. उद्देश्य

3.1.2. डीडीडब्ल्यूएस की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

3.1.3. राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

3.1.4. वित्त और लागत

3.1.5. समीक्षा

3.1.6. विविध

अध्याय 3.2. व्यापक कार्यान्वयन और सुधार योजना (सीआईआरपी) 106

3.2.1. व्यापक कार्यान्वयन और सुधार नियोजन (सीआईआरपी) संबंधी ढांचा

3.2.2. योजना कार्यान्वयन मैट्रिक्स

3.2.3. सुधार कार्यान्वयन मैट्रिक्स

3.2.4. सीआईआरपी: कार्यान्वयन, वित्तपोषण और निगरानी ढांचा

3.2.5. हर घर जल प्रमाणन

3.2.6. निष्कर्ष

अध्याय 3.3. वित्तीय नियोजन और वित्तपोषण 117

3.3.1. प्रस्तावित व्यय

3.3.2. वित्तीय निर्गम कार्यनीति

3.3.3. केंद्रीय सहायता के निर्गम हेतु वित्तीय संरक्षण उपाय

3.3.4. निधि का आवंटन

3.3.5. जेजेएम 2.0 के तहत भुगतान के तरीके

3.3.6. कार्यक्रम निधि का उपयोग

3.3.7. राज्यों द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति

3.3.8. निधियों को साझा करने की पद्धति

3.3.9. अन्य निधियन शर्तें

3.3.10. एसएनए-स्पर्श फ्रेमवर्क और भुगतान तंत्र भुगतान प्रक्रिया

3.3.11. जेजेएम के तहत सामुदायिक योगदान और प्रोत्साहन

3.3.12. राष्ट्रीय जल जीवन कोश (आरजेजेके)

3.3.13. लेखा-परीक्षा

3.3.14. विभाग स्तर की गतिविधियां

3.3.15. अस्वीकृत व्यय

अध्याय 3.4. समग्र शासन दृष्टिकोण 124

3.4.1. राष्ट्रीय स्तर

3.4.2. राज्य स्तर

3.4.3. जिला स्तर

3.4.4. ग्राम पंचायत स्तर

अध्याय 3.5. कार्यक्रम की निगरानी 126

3.5.1. परिचय

3.5.2. योजना कार्यान्वयन निगरानी

3.5.3. सेवा प्रदायगी निगरानी

3.5.4. संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) चरण के लिए निरंतर निगरानी संरचना की स्थापना

अध्याय 3.6. मूल्यांकन और प्रभाव आंकलन 129

3.6.1. जल सेवा आंकलन

3.6.2. तृतीय-पक्ष मूल्यांकन तंत्र

3.6.3. जल जीवन मिशन का प्रभाव आंकलन

3.6.4. निष्कर्ष

अनुबंध-I: विस्तृत सततता मैट्रिक्स 134

अनुबंध-II: ग्रामीण जल आपूर्ति योजना को चालू करने के लिए जांचसूची 135

अनुबंध-III: सुजलाम शक्ति समूह 137

अनुबंध-IV: उन योजनाओं की सांकेतिक सूची जिनके तहत गांवों की सततता में सुधार लाने के लिए गतिविधि/ निधि अभिसरण को प्राथमिकता दी जा सकती है 139

अनुबंध-V: दक्षता और क्षमता निर्माण क्षेत्र-समुदाय स्तर 140

अनुबंध-VI: दक्षता और क्षमता निर्माण क्षेत्र-जिला स्तर 142

अनुबंध-VII: लेखा परीक्षक का अवलोकन 144

अनुबंध-VIII: अभिशरण के प्रमुख क्षेत्र 145

अनुबंध-IX: निगरानी फ्रेमवर्क 148

अनुबंध-X: जिला स्तरीय प्रभाव मूल्यांकन मैट्रिक्स (सांकेतिक) 173

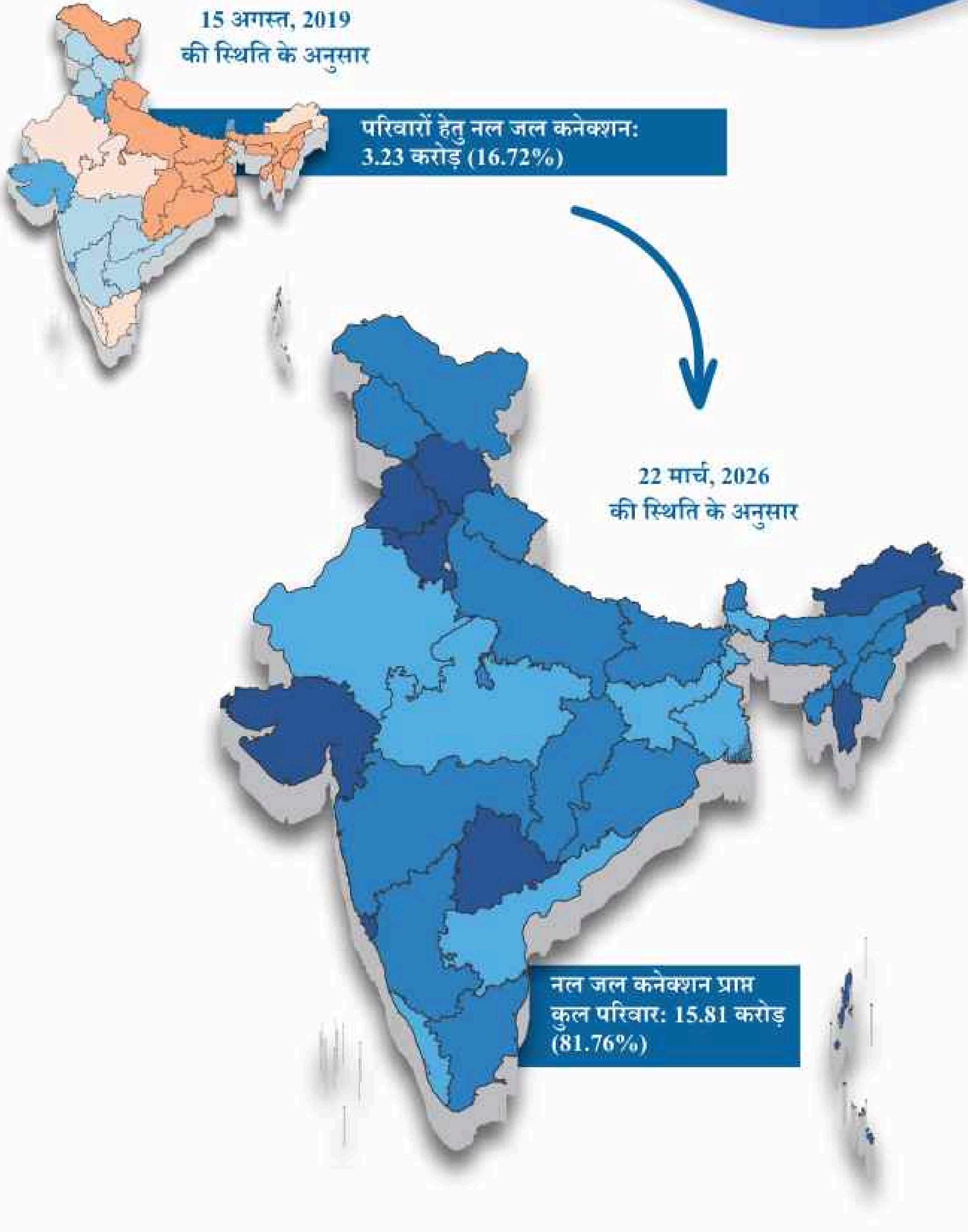
15 अगस्त, 2019
की स्थिति के अनुसार
परिवारों हेतु नल जल कनेक्शन:
3.23 करोड़ (16.72%)
22 मार्च, 2026
की स्थिति के अनुसार
नल जल कनेक्शन प्राप्त
कुल परिवार: 15.81 करोड़
(81.76%)
0%-10%
11%-25%
26%-50%
51%-75%
76%-100%
100%

संक्षिप्ताक्षर

एएपी	वार्षिक कार्य योजना
एसीएस	अपर मुख्य सचिव
एआई	कृत्रिम बुद्धिमता
एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
अमृत	अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन
एएनएम	सहायक नर्स मिडवाइफ
एएनआरएफ	अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन
एपीआई	एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस
आशा	मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
एटीआर	एक्शन टेकेन रिपोर्ट
एडब्ल्यूएस	स्वचालित मौसम स्टेशन
एडब्ल्यूडब्ल्यू	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
बीसीसी	व्यवहार परिवर्तन संचार
बीआईएस	भारतीय मानक ब्यूरो
बीडब्ल्यूएस	बल्क जलापूर्ति योजना
बीडब्ल्यूटी	बल्क जलापूर्ति अंतरण
सीएजी	भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक
सीए	सनदी लेखाकार
सीबीओ	समुदाय आधारित संगठन
कैपेक्स	पूंजीगत व्यय
सीईओ-जेडपी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी-जिला परिषद
सीजीडब्ल्यूबी	केंद्रीय भूजल बोर्ड
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीआईआरपी	व्यापक कार्यान्वयन और सुधार योजना
सीएलएफ	क्लस्टर स्तरीय संघ
सीपीएचईईओ	केंद्रीय जन स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन
सीपीओ	केंद्रीय प्रभारी अधिकारी
सीएसआईआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीएसआर	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
सीडब्ल्यूपीपी	सामुदायिक जल शोधन संयंत्र
दा-जेजीयूए	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
डीसी/डीएम	जिला कलेक्टर/उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट
डीसीएससी	जिला कमांड और सहायता केंद्र
डीडीडब्ल्यूएस	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
डीआईपी	जिला सुधार योजना
डीएलआई	संवितरण सहबद्ध सूचकांक
डीएमएफ	जिला खनिज विकास निधि
डीपीआई	डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
डीपीआईआईटी	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
डीपीएमयू	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीएसएस	निर्णय सहायता प्रणाली
डीएसएसएपी	जिला स्रोत सततता कार्य योजना
डीएसटी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
डीटीयू	जिला तकनीकी इकाई
डीडब्ल्यूएसएम	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
ईएसआर	एलिवेटेड स्टोरेज जलाशय
एफएचटीसी	कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन
एफआईसीसीआई	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
एफआरसी	मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन
एफटीके	फील्ड टेस्ट किट
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीपी	ग्राम पंचायत
जीपीडीपी	ग्राम पंचायत विकास योजना
एचजीजे	हर घर जल
आईए	कार्यान्वयन एजेंसी
आईएडब्ल्यू	आंतरिक लेखा परीक्षा विंग
आईडीएसपी	एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम
आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार
आईएफएमआईएस	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईएमडी	भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईएमआईएस	एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली
आईएनजीआरईएस	भारत-भूजल संसाधन आंकलन प्रणाली
आईओटी	इंटरनेट ऑफ थिंग्स
आईएस	भारतीय मानक
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
इसरो	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
आईटीडीए	एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी
आईटीडीपी	एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम
आईटीआई	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आईडब्ल्यूएमपी	एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम
जेजेएम	जल जीवन मिशन
जेजेएम-आईएमआईएस	जल जीवन मिशन-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली
जेएसए	जल सेवा आंकलन
जेएसआईसी	जल शक्ति नवाचार केंद्र
एलएमएस	शिक्षण प्रबंधन प्रणाली

एलपीसीडी	लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
एमएएचए	उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन
एमबीआर	मास्टर संतुलन जलाशय
एमईआईटीवाई	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएल	मशीन लर्निंग
एमओईएफसीसी	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओएचएफ-डब्ल्यू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एमओएचयूए	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
एमओजेएस	जल शक्ति मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओडब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एमपीएलएडी	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास
एमएसडीई	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
एमवीएस	बहु ग्राम योजना
एनसीवीईटी	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद
एनडीडब्ल्यूएम	राष्ट्रीय पेयजल मिशन
एनएफएचएस	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
एनएक्यूयूआईएम	राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन
एनएचएम	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
एनआईआरडी और पीआर	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
नीति आयोग	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग
एनजेजेएम	राष्ट्रीय जल जीवन मिशन
एनजेएम	नल जल मित्र
एनजेएमपी	नल जल मित्र कार्यक्रम
एनपीएमयू	राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई
एनआरडीडब्ल्यूपी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनआरडब्ल्यू	गैर-राजस्व जल
एनएसक्यूएफ	राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क
एनटीसी	राष्ट्रीय तकनीकी समिति
एनडब्ल्यूई	राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञ
ओ एंड एम	संचालन और रखरखाव
ओबीएफ	परिणाम आधारित वित्तपोषण
ओएचएसआर	ओवरहेड सेवा जलाशय प्रणाली
ओपेक्स	परिचालन व्यय
ओटीपी	वन टाइम पासवर्ड
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली
पीएचई	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी
पीएचईडी	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
पीआईए	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी
पीएम-जनमन	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान
पीएमकेएसवाई	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
पीएमकेवीवाई	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
पीपीपी	सरकारी-निजी भागीदारी
पीआरए	सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन
पीआरआई	पंचायती राज संस्था
पीएस	प्रमुख सचिव
पीएसए	प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार
पीएसयू	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम
पीडब्ल्यूएस	पाइपगत जल आपूर्ति
क्यूए	गुणवत्ता आश्वासन
क्यूसी	गुणवत्ता नियंत्रण
क्यूसीआई	भारतीय गुणवत्ता परिषद
आरएण्डडी	अनुसंधान एवं विकास
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरडी	ग्रामीण विकास
आरडीडब्ल्यू एसडी	ग्रामीण पेयजल आपूर्ति विभाग
आरजेजेके	राष्ट्रीय जल जीवन कोष
आरकेवीवाई	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
आरएलबी	ग्रामीण स्थानीय निकाय
आरपीएल	पूर्व शिक्षण मान्यता
आरपीडब्ल्यू एसएस	ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजना
आरएसईटीआई	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
आरडब्ल्यूएच	वर्षा जल संचयन
आरडब्ल्यूपीएफ	ग्रामीण वॉश पार्टनर्स फोरम
आरडब्ल्यूएस	ग्रामीण जल आपूर्ति
एसबीएम-जी	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
एससीएडीए	पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण
एससीईआरटी	राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एससीएससी	राज्य कमांड और सहायता केंद्र

एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसआईडीएच	स्किल इंडिया डिजिटल हब
एसआईपी	सेवा सुधार योजना
एसआईआरडी	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान
एसएलए	सेवा स्तर करार
एसएलबी	सेवा स्तर बेंचमार्क
एसएलएस	राज्य सहबद्ध योजना
एसएनए	एकल नोडल खाता
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
एसपीएम-निवास	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान
एसपीएमयू	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई
एसपीवी	विशेष प्रयोजन वाहन
एसआरएलएम	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
एसएससी	स्रोत सततता समिति
एसएसडीएम	राज्य कौशल विकास मिशन
एसटीसी	राज्य तकनीकी समिति
एसटीटी	अल्पकालिक प्रशिक्षण
एसवीएस	एकल ग्राम योजना
एसडब्ल्यूआईसी	राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र
एसडब्ल्यूएसएम	राज्य जल और स्वच्छता मिशन
टीएटी	प्रक्रिया अवधि
टीओआर	अधिकार क्षेत्र
टीओटी	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
टीपीआईए	तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी
यूडीआईएसई	एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूटी	केंद्र शासित प्रदेश
वीएपी	ग्राम कार्य योजना
वीबी-जी राम जी	विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)
वीईपी	गांव प्रवेश स्थल
वीजीएफ	व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण
वीएचएसएनसी	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति
वीएसएससी	ग्राम स्रोत सततता समिति
वीडब्ल्यूएससी	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति
डब्ल्यूआर आईएस	जल संसाधन सूचना प्रणाली
वॉश	जल, स्वच्छता और साफ-सफाई

डब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास
डब्ल्यूडीसी	वाटरशेड विकास घटक
डब्ल्यूएमपीएससी	जल प्रबंधन और नलसाजी कौशल परिषद
डब्ल्यूक्यूएम एंड एस	जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण
डब्ल्यूक्यूएमआईएस	जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली
डब्ल्यूएसओ	जल आपूर्ति ऑपरेटर
डब्ल्यूटीपी	जल शोधन संयंत्र
जेडबीआर	आंचलिक संतुलन जलाशय
जेडपी	जिला परिषद/ जिला पंचायत

परिभाषाएं

वार्षिक कार्य योजना (एएपी): CIRP रूपरेखा के अंतर्गत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तैयार किया जाने वाला एक वर्षीय परिचालन कार्यक्रम।

जलभृत-आधारित नियोजन: जलभृत (Aquifier) मानचित्रों एवं साधनों (जैसे NAQUIM, India-WRIS), भूजल आंकलन आँकड़ों तथा जलभृत की विशेषताओं (प्रकार, गहराई, मौसमी व्यवहार, पुनर्भरण क्षमता एवं दोहन स्तर) का उपयोग करते हुए भूजल आधारित जलापूर्ति योजनाओं के अभिकल्पन एवं प्रबंधन की जलभूवैज्ञानिक पद्धति। इसका उपयोग नलकूपों के स्थान चयन, पुनर्भरण संरचनाओं (जैसे चेक डैम, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शाफ्ट) की योजना तथा सततता कार्ययोजनाओं के निर्माण हेतु किया जाता है।

बीआईएस आईएस : 10500: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा जारी विनिर्देशन IS:10500 (नवीनतम संस्करण एवं संशोधनों सहित), जो भारत में पेयजल के भौतिक, रासायनिक, जीवाणुविज्ञानी एवं विकिरण संबंधी मापदण्डों की अनुमेय सीमाएँ निर्धारित करता है। JJM के अंतर्गत सभी ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाएँ यह सुनिश्चित करेंगी कि घरों तक आपूर्ति किया जाने वाला जल वितरण बिंदु पर BIS IS:10500 मानकों के अनुरूप हो।

बल्क जल आपूर्ति (बीडब्ल्यूएस): जल ग्रहण बिंदु (Intake Point) से जल शोधन संयंत्र (WTP) तक संचरण पाइपलाइनों के माध्यम से कच्चे (raw) जल के अंतरण को बल्क जलापूर्ति कहा जाता है।

सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी): उपयोग स्थल (Point-of-Use) अथवा सामुदायिक स्तर की ऐसी जल शोधन इकाई, जिसे कच्चे (raw) जल से विशिष्ट रासायनिक प्रदूषकों (जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड, लौह, नाइट्रेट आदि) अथवा सूक्ष्मजीवीय संदूषण को हटाकर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु स्थापित किया जाता है। पाइप जलापूर्ति प्रणाली स्थापित होने तक गुणवत्ता-प्रभावित बसावटों में अंतरिम व्यवस्था के रूप में CWPP का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 8-10 लीटर पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

व्यापक कार्यान्वयन और सुधार नियोजन(सीआईआरपी): प्रत्येक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश द्वारा JJM 2.0 मिशन अवधि के लिए तैयार की जाने वाली एक रणनीतिक एवं समयबद्ध परिचालन योजना, जिसमें योजना-वार पूर्णता समय-सीमाएँ, वित्तीय आवंटन, सुधार संबंधी प्रतिबद्धताएँ तथा अभिशासन लक्ष्यों को रेखांकित किया गया है।

निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस)-स्रोत सततता: स्रोत सततता: जेजेएम-आईएमआईएस ढाँचे के साथ एकीकृत एक डिजिटल नियोजन एवं विश्लेषणात्मक मंच, जो भू-स्थानिक परतों, जलभूवैज्ञानिक मापदण्डों, CGWB के भूजल स्थिति आँकड़ों, वर्षा संबंधी आँकड़ों, जलभृत मानचित्रों तथा पेयजल स्रोत संबंधी डेटासेट का समेकन करता है, ताकि जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक स्रोत सततता उपायों के साक्ष्य-आधारित नियोजन, निगरानी एवं प्राथमिकता निर्धारण में सहायता प्रदान की जा सके।

डिजाइन क्षमता: वह अधिकतम जलगतिकीय (Hydraulic) या शोधन क्षमता, जिसके लिए कोई जल शोधन संयंत्र, पाइपलाइन, या जलाशय डिजाइन किया जाता है। अपेक्षित मांग के अनुसार तैयार करने के लिए इसे आमतौर पर प्रति दिन मिलियन लीटर (एमएलडी) या इसी तरह की इकाइयों में उल्लिखित किया जाता है।

संरचनाओं का डिजाइन जीवन: वह अवधि जिसके लिए जल आपूर्ति योजना संरचना या परिसंपत्ति को मरम्मत/ पुनर्निर्माण के बिना अपने निर्धारित कार्य को करने के लिए डिजाइन किया गया है।

नामित कार्यान्वयन एजेंसी (डीआईए): सुजलाम भारत पीएम गतिशक्ति ऐप पर पंजीकृत राज्य अधिकृत एजेंसी, जिसे जीआईएस परिसंपत्ति मानचित्रण का कार्य सौंपा गया है।

डिजिटल ट्विन: किसी भौतिक जलापूर्ति प्रणाली का एक गतिशील आभासी प्रतिरूप, जिसमें जल स्रोत, जल शोधन संयंत्र, भंडारण संरचनाएँ, संचरण एवं वितरण नेटवर्क तथा सेवा क्षेत्र शामिल होते हैं। यह प्रणाली के प्रदर्शन का अनुकरण, निगरानी एवं अनुकूलन करने हेतु वास्तविक समय तथा ऐतिहासिक आँकड़ों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। इसमें सेंसरों, SCADA प्रणालियों, GIS प्लेटफॉर्मों तथा परिचालन अभिलेखों से प्राप्त आँकड़ों का एकीकरण किया जाता है।

जिला कमांड और सहायता केंद्र (डीसीएससी): डीडब्ल्यूएसएम के तहत स्थापित केंद्रीय परिचालन केंद्र जो जिले भर में ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए योजना की कार्यशीलता, जल गुणवत्ता अलर्ट, शिकायत ट्रैकिंग और समन्वित सुधारात्मक प्रतिक्रिया की वास्तविक समय की निगरानी का प्रावधान करता है। डीसीएससी को राज्य और राष्ट्रीय केंद्रों के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि समेकित निगरानी, उन्नत डेटा विश्लेषण और सूचित निर्णय लेने के लिए सूचना के दो-तरफा साझाकरण को सक्षम बनाया जा सके।

जिला तकनीकी इकाई (डीटीयू): ग्राम पंचायत एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति स्तर की लघु जल सेवा प्रदाय इकाईयों (Micro Utilities) को निरंतर तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु DWSM के अंतर्गत गठित एक तकनीकी समिति। DTU लघु जल सेवा प्रदाय संस्थाओं (ग्राम-स्तरीय अवसंरचना) तथा वृहद जल सेवा प्रदाय संस्थाओं (बल्क/ ग्राम-बाह्य अवसंरचना) के मध्य समन्वय स्थापित करती है, योजनाओं के कमीशनिंग एवं हस्तांतरण की निगरानी करती है, परिसंपत्ति अभिलेखों का प्रबंधन करती है, स्रोत सततता नियोजन करती है तथा जिला कमांड एवं सहायता केंद्रों का संचालन करती है।

घरेलू मांग: पेयजल, भोजन पकाने, व्यक्तिगत स्नान, घरेलू स्वच्छता आदि के लिए आवश्यक जल की मात्रा। घरेलू मांग में पशुओं, अर्ध-वाणिज्यिक, वाणिज्यिक, संस्थागत अथवा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक जल की मात्रा शामिल नहीं होती है।

फील्ड टेस्ट किट (एफटीके): प्रारंभिक स्क्रीनिंग के रूप में भौतिक-रासायनिक संदूषण की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली एक पोर्टेबल मल्टी-पैरामीटर किट।

मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन (एफआरसी): मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन, क्लोरीन की वह निम्न-स्तरीय मात्रा (बीआईएस 10500 के अनुसार 0.2 मिलीग्राम/ लीटर) जो इसके प्रारंभिक अनुप्रयोग के पश्चात एक निश्चित अवधि या संपर्क समय के बाद पानी में शेष रह जाती है। यह शोधन के बाद के माइक्रोबियल संदूषण के जोखिम के विरूद्ध एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है - जो जन स्वास्थ्य के लिए एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण लाभ है।

कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी): ऐसा पारिवारिक नल कनेक्शन जो सेवा प्रदायगी स्थल पर नियमित रूप से निर्धारित गुणवत्ता (BIS IS:10500 के अनुरूप) का पेयजल तथा पर्याप्त मात्रा में जल (न्यूनतम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन) उपलब्ध कराता हो।

कार्यशीलता मूल्यांकन: यह निर्धारित करने के लिए एक आवधिक संरचित मूल्यांकन कि क्या ग्राम जल आपूर्ति योजना पूर्व-निर्धारित सेवा स्तर मापदंडों: आपूर्ति की पर्याप्तता ($\geq$ 55 एलपीसीडी), गुणवत्ता अनुपालन (BIS IS:10500 के अनुरूप), आपूर्ति की नियमितता को पूरा करने वाली सेवाएं प्रदान कर रही है।

जीआईएस-आधारित परिसंपत्ति मैपिंग: सुजलाम भारत प्लेटफॉर्म पर उनकी एसेट आईडी, स्कीम आईडी और सुजल गांव आईडी से सहबद्ध जीपीएस-सक्षम मोबाइल एप्लिकेशन और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके सभी ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति अवसंरचना परिसंपत्तियों (स्रोत, डब्ल्यूटीपी, पंपिंग स्टेशन, एमबीआरएस, जेडबीआर, ओएचटी, संवितरण पाइपलाइन और पारिवारिक कनेक्शन) की जियो-टैगिंग या जियो-रेफरेंसिंग करना।

ग्रेवाटर प्रबंधन: घरेलू गतिविधियों (रसोई, स्नान, कपड़े धोने आदि) से उत्पन्न अपशिष्ट जल, जिसमें शौचालय अपशिष्ट (ब्लैक-वाटर) शामिल नहीं होता, के संग्रहण, शोधन तथा सुरक्षित पुनः उपयोग की प्रक्रिया।

हर घर जल (एचजीजे) प्रमाणन: किसी ग्राम पंचायत या गांव को दिया जाने वाला ऐसा औपचारिक प्रमाणन, जहां प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर बीआईएस आईएस: 10500 के अनुरूप गुणवत्ता वाला न्यूनतम 55 एलपीसीडी की दर से पीने योग्य जल आपूर्ति करने हेतु कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किया गया है।

ग्राम-अवस्थित अवसंरचना: इससे तात्पर्य ओवरहेड भंडारण जलाशय (ओएचएसआर) से गांव में अलग-अलग घरों में शोधित जल के संवितरण से है। इसमें आंतरिक संवितरण नेटवर्क, सेवा कनेक्शन और अंतिम उपयोगकर्ताओं को पीने योग्य जल की अंतिम स्थल तक प्रदायगी की सुविधा प्रदान करने वाले सभी घटक शामिल हैं।

अस्वीकार्य व्यय (जेजेएम केंद्रीय शेयर के तहत): व्यय की श्रेणियां जो जेजेएम के तहत केंद्रीय हिस्से से प्रभारित नहीं की जा सकती हैं।

जल अर्पण: औपचारिक कमीशनिंग एवं सामुदायिक हस्तांतरण समारोह/ प्रोटोकॉल, जिसके अंतर्गत पूर्ण की गई ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना को (न्यूनतम 15 दिनों के सफल परीक्षण संचालन के उपरांत) कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा दीर्घकालिक स्वामित्व, संचालन एवं रखरखाव हेतु औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जाता है।

जल सेवा आंकलन (जेएसए): ग्राम स्तर पर ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की कार्यशीलता, पर्याप्तता, गुणवत्ता अनुपालन, संस्थागत तत्परता और वित्तीय सततता के मूल्यांकन के लिए ग्राम पंचायत/ ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के नेतृत्व वाला एक डिजिटल स्व-मूल्यांकन साधन और तंत्र।

जल सेवा अध्ययन: जल सेवा अध्ययन जेजेएम 2.0 के तहत एक ऐसा कार्यक्रम है, जहां अभियांत्रिकी के छात्र, प्राध्यापक मार्गदर्शन के तहत, ग्रामीण जल आपूर्ति अवसंरचना विकास के बारे में जानने के लिए गांवों का दौरा करते हैं, ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं का क्षेत्र-आधारित मूल्यांकन करते हैं, जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी का आंकलन करते हैं और पारदर्शिता तथा प्रणाली के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने में सहायता करने के लिए अपने निष्कर्षों को डिजिटल रूप से साझा करते हैं।

जेजेएम-आईएमआईएस (एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली): जल जीवन मिशन का राष्ट्रीय वेब-आधारित सूचना प्रबंधन मंच, जहां सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में योजना मंजूरी, वित्तीय विमोचन, भौतिक प्रगति, कवर किए गए परिवारों, जल गुणवत्ता निगरानी (WQMIS), कार्यशीलता मूल्यांकन, शिकायतों और प्रशिक्षण गतिविधियों संबंधी डेटा को एकीकृत किया जाता है।

प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतक (केपीआई): एक मापन योग्य एवं समयबद्ध संकेतक, जिसका उपयोग किसी जल सेवा प्रदाय संस्था, योजना अथवा संस्थागत निकाय के प्रदर्शन का निर्धारित सेवा मानकों के सापेक्ष मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।

जीवन चक्र लागत (एलसीसी) मूल्यांकन: एक आर्थिक मूल्यांकन पद्धति जिसमें किसी प्रणाली के पूरे डिजाइन काल में जल आपूर्ति घटक से संबंधी सभी लागतों पर विचार किया जाता है। इसमें पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), परिचालन व्यय (ओपेक्स), बहाली और प्रतिस्थापन लागत तथा अवशिष्ट मूल्य शामिल हैं।

वृहद सेवा प्रदाय निकाय (मैक्रो यूटिलिटी): किसी राज्य, केंद्र शासित राज्य या क्षेत्रीय स्तर का ऐसा व्यावसायिक निकाय (पैरास्टेटल एजेंसी, पीएचईडी, जल निगम, या विशेष यूटिलिटी) जो सतही जल अन्तर्ग्रहण संरचनाओं, जल शोधन संयंत्रों, थोक अंतरण प्रणाली, मास्टर संतुलन जलाशयों (MBR) और बहु-ग्राम/ बल्क जल आपूर्ति योजना नेटवर्क सहित गांव के बाहर अवस्थित जल आपूर्ति परिसंपत्तियों की नियोजन, विकास, प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होता है।

लघु सेवा प्रदाय निकाय (माईक्रो यूटिलिटी): ग्राम स्तर की विकेन्द्रीकृत जल सेवा प्रदाय निकाय, जिसमें VWSC (ग्राम पंचायत की स्थायी समिति) को सेवा प्रदाता के रूप में नामित किया जाता है। यह गाँव के भीतर पेयजल वितरण, सेवा प्रदायगी शुल्कों के संग्रहण, ग्राम-स्तरीय अवसंरचना के प्रबंधन, लघु मरम्मत एवं रखरखाव, जल गुणवत्ता निगरानी तथा वित्तीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होती है।

मूल स्वीकृति (मदर सेंक्शन) : यह पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा किसी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश को पीएफएमएस (PFMS) के माध्यम से प्रारंभिक संचयी वित्तीय अनुमोदन की एसएनए स्पर्श (S N A SPARSH) में मूल स्वीकृति है। इसमें किसी तय वित्त वर्ष के लिए अधिकृत व्यय सीमा निर्धारित की जाती है।

बहु-ग्राम योजना (एमवीएस): सामूहिक रूप से कई गांवों या ग्राम पंचायतों को अवसंरचना और सेवाएं प्रदान करने वाली व्यापक जल आपूर्ति योजना (MVS), आमतौर पर इसका उपयोग क्षेत्रीय जल संसाधनों का सर्वोत्तम लाभ लेने और किफायत के लिए किया जाता है।

नल जल मित्र (एनजेएम)/ जल वितरण संचालक: स्थानीय रूप से प्रशिक्षित और एनसीवीईटी-प्रमाणित बहु-कौशल निपुण संचालन और रखरखाव करने वाला व्यक्ति (एनएसक्यूएफ स्तर -4, कार्य का स्वरूप: जल संवितरण संचालक) जो गांव में जल आपूर्ति योजना के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, जिसमें पंप संचालन, बुनियादी प्लंबिंग मरम्मत, नियमित रखरखाव, नेटवर्क रखरखाव, जल गुणवत्ता रिपोर्टिंग और शिकायत प्रबंधन कार्य शामिल हैं।

गैर-पाइपगत जल आपूर्ति (गैर-पीडब्ल्यूएस) योजना: ऐसी जल आपूर्ति व्यवस्था जो उन स्थितियों में सामुदायिक पहुंच स्थलों (स्टैंड पोस्ट, हैंडपंप, सामुदायिक जल शोधन संयंत्र) के माध्यम से सुरक्षित पेयजल प्रदान करती है, जहां दुर्गम क्षेत्र, जलवायु परिस्थितियों या अलग-थलग बसी हुई बसावटों के कारण पारिवारिक पाइपगत कनेक्शन तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं होता है।

गैर-राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू): संवितरण प्रणाली में प्रयोग किए गए शोधित जल की मात्रा और उपभोक्ताओं को बिल किए गए या हिसाब किए गए जल की मात्रा के बीच का अंतर। एनआरडब्ल्यू में वास्तविक नुकसान (पाइपगत, जोड़ों और भंडारण संरचनाओं से जल रिसाव), प्रत्यक्ष हानियां (मीटर की अशुद्धियां, अनधिकृत कनेक्शन) तथा बिना बिल वाली अधिकृत उपभोग शामिल हैं।

एनएसक्यूएफ (राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा): राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत योग्यता-आधारित ढांचा जिसमें ज्ञान, कौशल और योग्यता के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार योग्यता का निर्धारण किया जाता है ताकि व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण तथा सामान्य शिक्षा प्रणालियों में मानकीकरण, मेधा और प्रगति को दर्ज किया जा सके।

ग्राम-बाह्य अवसंरचना: ग्राम-बाह्य अवसंरचना में जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) से मास्टर संतुलन जलाशय (एमबीआर) और मास्टर संतुलन जलाशय से ओवरहेड टैंक (ओएचटी) में सभी संबद्ध ट्रांसमिशन लाइनों सहित शोधित जल का अंतरण शामिल है।

निवारक रखरखाव: ग्रामीण पाइप जलापूर्ति प्रणालियों के घटकों का नियोजित एवं आवधिक निरीक्षण, सर्विसिंग, परीक्षण तथा समय पर मरम्मत अथवा प्रतिस्थापन, जो प्रणाली की विफलताओं को रोकने, जल गुणवत्ता एवं कार्यशीलता सुनिश्चित करने, सेवा व्यवधानों को कम करने तथा समय के साथ पेयजल सेवाओं की विश्वसनीय आपूर्ति बनाए रखने के लिए किया जाता है।

परियोजना प्रबंधन यूनिट (पीएमयू): राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर स्थापित तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता यूनिट, जिसमें तकनीकी, प्रबंधन और आईटी विशेषज्ञ शामिल हैं, जो योजना कार्यान्वयन, संरचनात्मक सुधार और डेटा प्रबंधन में सहायता करते हैं, जिसमें कमांड तथा सहायता केंद्रों के माध्यम से कार्यशीलता निगरानी और तकनीकी सहायता भी शामिल है। इसमें आईईसी, क्षमता निर्माण और प्रभाव मूल्यांकन के विशेषज्ञ भी शामिल हो सकते हैं।

पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल): एक प्रमाणन मार्ग जिसके माध्यम से जल आपूर्ति या संबंधित कार्यक्षेत्र के संचालन एवं रखरखाव में पूर्व अनौपचारिक कार्य का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके तहत एक संरचित 120 घंटे के कार्यक्रम के माध्यम से कौशल उन्नयन प्रदान किया जाता है और 510 घंटे के पूर्ण अल्प-कालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) से गुजरे बिना राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एनएसक्यूएफ स्तर-4 जल वितरण संचालक प्रमाणन से सम्मानित किया जाता है।

स्वच्छता निरीक्षण/ स्वच्छता सर्वेक्षण: स्वच्छता निरीक्षण जल आपूर्ति सुविधा का एक ऑन-साइट निरीक्षण है जिसमें भौतिक संरचना और प्रणाली के संचालन तथा बाहरी पर्यावरणीय कारकों (जैसे शौचालय स्थान) के मूल्यांकन सूक्ष्मजीवीय संदूषण के वास्तविक एवं संभावित स्रोतों की पहचान की जाती है।

SCADA (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण): एक स्वचालित नियंत्रण और निगरानी प्रणाली जिसका उपयोग संवितरित जल आपूर्ति अवसंरचना के विभिन्न घटकों जैसे पंप, वाल्व, प्रवाह मीटर, प्रेशर ट्रांसमिटर्स और शोधन यूनिटों से परिचालन डेटा की निगरानी, नियंत्रण और अधिग्रहण के लिए किया जाता है।

सेवा क्षेत्र: अनुमोदित तकनीकी डिजाइन, स्रोत, शोधन, भंडारण और संवितरण अवसंरचना के अनुसार, योजना द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए नियोजित सभी गांवों, बसावटों, परिवारों और संस्थाओं को शामिल करते हुए परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र।

सेवा सुधार योजना (एसआईपी): जल सेवा आंकलन के निष्कर्षों के आधार पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा तैयार की जाने वाली एक संरचित सुधारात्मक कार्ययोजना, जिसमें सेवा प्रदायगी में मौजूद कमियों (अवसंरचनात्मक, परिचालन, वित्तीय एवं संस्थागत) की पहचान की जाती है तथा जलापूर्ति सेवाओं की बहाली अथवा सुधार के लिए समयबद्ध सुधारात्मक उपाय, उत्तरदायी संस्थाएं एवं आवश्यक संसाधनों को परिभाषित किया जाता है।

सेवा स्तर समझौता (एसएलए): सेवा प्रदाता और संविदाकार प्राधिकरण के बीच एक समझौता, जिसमें स्पष्ट रूप से सेवा प्रदायगी मानकों, उत्तरदायित्वों और मापनीय कार्य-निष्पादन संकेतकों को परिभाषित किया गया हो।

सेवा स्तर बेंचमार्क (एसएलबी): जल आपूर्ति सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यदक्षता को मापने के लिए विनियामक या कार्यक्रम प्राधिकरणों द्वारा परिभाषित मात्रात्मक कार्य-निष्पादन संकेतक।

सेवा स्तर मानदंड (55 एलपीसीडी): जल की निर्धारित न्यूनतम मात्रा अर्थात निर्धारित गुणवत्ता यानी बीआईएस: 10500 मानकों की पुष्टि करते हुए नियमित आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाला कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) जल। निर्धारित मात्रा में पेय, खाना पकाने, व्यक्तिगत स्वच्छता और घरेलू साफ-सफाई की आवश्यकताओं आदि के लिए जल शामिल है।

एकल ग्राम योजना (एसवीएस): जल आपूर्ति योजना जिसमें ग्राम पंचायत के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के तहत स्थानीय स्रोत, शोधित या शोधन रहित जल का भंडारण शामिल है।

SNA SPARSH (एसएनए-स्पर्श): एकीकृत वित्तीय प्रबंधन और भुगतान तंत्र जो जेजेएम-आईएमआईएस को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), राज्य एकीकृत वित्त प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) और भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म से जोड़ता है ताकि योजना-वार, समय-समय पर भुगतान, लगभग शून्य अव्ययित शेष राशि और केंद्रीय तथा राज्य निधि जारी करने के लिए स्वचालित समाधान को सक्षम बनाया जा सके।

स्रोत संरक्षण क्षेत्र: पेयजल के स्रोत (बोरवेल, ट्यूबवेल, स्प्रिंग, या सतही जल अंतर्ग्रहण) के आसपास एक परिभाषित भू-स्थानिक क्षेत्र जिसके भीतर भूमि उपयोग को विनियमित किया जाता है और पेयजल स्रोत के संदूषण को रोकने के लिए कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है।

स्रोत सततता: ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के पूर्ण जीवनचक्र के दौरान पेयजल स्रोतों की दीर्घकालिक विश्वसनीयता, पर्याप्तता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता।

स्रोत सततता समिति (एसएससी): जेजेएम संस्थागत संरचना के भीतर राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तरों पर गठित एक बहु-स्तरीय समिति, जो स्रोत सततता उपायों का नियोजन, कार्यान्वयन, निगरानी तथा समन्वय के लिए उत्तरदायी है।

सुजल गांव आईडी: सुजलाम भारत डीपीआई रुपरेखा/ ढांचा के भीतर प्रत्येक सेवा क्षेत्र (बसावट) को प्रदान की गई प्रणाली-सृजित एक विशिष्ट अक्षरांक (अल्फा-नूमेरिक) पहचान संख्या, जो ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति प्रणालियों के स्रोत-से-टैप तक पूर्णतया डिजिटल मैपिंग को सक्षम बनाती है।

सुजल गांव यूटिलिटी ऐप: यह मोबाइल एप्लिकेशन जेजेएम के तहत ग्राम-स्तरीय संचालन और रखरखाव के लिए मानकीकृत कार्यसंबंधी डेटा-कैप्चर प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती है, जिसमें दैनिक पंपिंग संचालन, जल गुणवत्ता, एफटीके/ प्रयोगशाला परीक्षण परिणामों, क्लोरीनीकरण लॉग, निवारक रखरखाव गतिविधियों, सेवा प्रदायगी शुल्क संग्रह तथा शिकायतों की डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है।

सुजलाम भारत (डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर-डीपीआई): भारत के ग्रामीण पेयजल क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय स्तर की संघीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं (RPWSS) के जीआईएस-आधारित परिसंपत्ति मानचित्रण, निगरानी और जीवनचक्र प्रबंधन के लिए डिजिटल आधार के रूप में विकसित की गई है। यह प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए विशिष्ट सुजल गांव आईडी प्रदान करती है, अंतर-परिचालनयोग्य डिजिटल रजिस्ट्री, लेनदेन प्लेटफॉर्म और निर्णय-समर्थन प्रणालियों को एकीकृत करती है तथा ओपन एपीआई के माध्यम से कई क्रॉस-सेक्टोरल हितधारकों को लोकतांत्रिक डेटा पहुंच प्रदान करती है।

सुजलाम शक्ति: सामुदायिक-आधारित जल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्विलांस व्यवस्था, जिसका गठन SRLM अथवा अन्य समान कार्यक्रमों के अंतर्गत SHGs, PACS, LAMPS आदि से किया जाता है तथा जिसके सदस्यों को बुनियादी जल गुणवत्ता परीक्षण एवं निगरानी में NSQF स्तर-1 के अनुरूप प्रशिक्षित एवं प्रमाणित किया जाता है।

तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी (टीपीआईए): ग्रामीण जल आपूर्ति योजना निर्माण गतिविधियों के गुणवत्ता आश्वासन संबंधी निरीक्षण करने के लिए पैनलबद्ध कोई स्वतंत्र तकनीकी एजेंसी।

शोधित पेयजल: ऐसा जल, जिसने जल शोधन संयंत्र (Water Treatment Plant - WTP), निस्पंदन इकाइयों (Filtration Units) अथवा सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (CWPP) में सभी आवश्यक उपचार प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो तथा जो BIS IS:10500 के अनुसार स्वीकृत पेयजल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप मानव उपभोग के लिए उपयुक्त हो।

ग्राम जल और स्वच्छता समिति (VWSC)/पानी समिति: ग्राम पंचायत की ग्राम-स्तरीय स्थायी समिति जिसका गठन गांव में ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति प्रणालियों की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन और देखरेख के लिए किया गया हो।

जल बजटीकरण: किसी परिभाषित सेवा क्षेत्र के भीतर कुल जल उपलब्धता (वर्षा, भूजल पुनर्भरण, अपवाह, सतही भंडारण तथा ग्रे-वाटर के पुनः उपयोग से प्राप्त जल) तथा कुल जल मांग (घरेलू, पशुधन, सिंचाई एवं अन्य उपयोगों) का आंकलन करने हेतु किया जाने वाला एक संरचित एवं डेटा-आधारित आंकलन एवं नियोजन अभ्यास।

*****

खण्ड 1
पृष्ठभूमि

अध्याय 1.1

परिचय

जल जीवन मिशन 81% से अधिक परिवारों को सुरक्षित और विश्वसनीय नल जल की पहुंच सुनिश्चित करके ग्रामीण भारत में एक परिवर्तनकारी बदलाव लाया है। इसने उन महिलाओं और बच्चों के कठिन श्रम को काफी कम कर दिया है, जो पहले पानी भरकर लाने में घंटों बिताते थे, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने से जन स्वास्थ्य में सुधार आया है और गांवों में जीवन की गरिमा और गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। अवसंरचना के अलावा, जेजेएम ने सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया है, ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्थानीय अभिशासन को सुदृढ़ बनाया है और स्थायी जल प्रबंधन व्यवहारों को बढ़ावा दिया है। इस समग्र दृष्टिकोण से न केवल सेवा प्रदायगी में सुधार आया है, बल्कि पूरे ग्रामीण भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास में भी योगदान मिला है।

1.1.1. भारत में ग्रामीण जल आपूर्ति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

ग्रामीण भारत में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंच हमेशा से एक महत्वपूर्ण विकासात्मक आवश्यकता रही है क्योंकि यह स्वास्थ्य, दैनिक जीवन और आजीविका को प्रभावित करती है। कई वर्षों तक, गांवों में लोग उन स्रोतों पर निर्भर थे जो विश्वसनीय या सुरक्षित नहीं थे, जिससे जल आपूर्ति क्षेत्र में नियोजित और नीति-आधारित कार्यवाही की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

नीचे दी गई समयरेखा भारत में ग्रामीण पेयजल पहल के ऐतिहासिक विकास को प्रस्तुत करती है, जो आपूर्ति-संचालित जन स्वास्थ्य हस्तक्षेपों से समुदाय-आधारित प्रबंधन और सेवा-स्तरीय प्रदायगी ढांचे के क्रमिक परिवर्तन को दर्शाती है।

पहला बड़ा कदम 1972 में उठाया गया। यह त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) था। इसका उद्देश्य राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करना था, विशेष रूप से जल की कमी वाले क्षेत्रों और जल जनित बीमारियों वाले स्थानिक क्षेत्रों में। हालांकि इससे पहुंच में तो सुधार आया, परंतु इसका दृष्टिकोण मुख्य रूप से आपूर्ति संचालित था और दीर्घकालिक स्रोत सततता या सामुदायिक स्वामित्व पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं किया गया था। बाद के कार्यक्रमों जैसे प्रौद्योगिकी मिशन (1986)/ राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन ने बेहतर प्रौद्योगिकी, जल गुणवत्ता परीक्षण और संस्थागत प्रणालियों को जोड़ा, लेकिन कई चुनौतियां फिर भी बनी रहीं।

स्वजलधारा कार्यक्रम (2002) से एक बड़ा बदलाव आया, जिसने समुदाय के नेतृत्व वाले दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। इसने ग्राम पंचायतों को संचालन और रखरखाव सहित अपनी योजनाओं के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि इससे स्वामित्व में सुधार हुआ और लागत कम हो गई, फिर भी कई गांवों को सीमित तकनीकी कौशल, वित्तीय समस्याओं और दीर्घकालिक सहायता

चित्र 1: भारत में ग्रामीण पेयजल पहल का ऐतिहासिक विकास

चित्र 2: पारिवारिक कनेक्शन के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी और जेजेएम पीडब्ल्यूएस कवरेज अनुमान

परिदृश्य विश्लेषण से संकेत मिलता है कि यदि ग्रामीण पाइप्ड पेयजल आपूर्ति का विस्तार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के ऐतिहासिक कार्यान्वयन की गति और निवेश स्तर के अनुरूप जारी रहता, तो सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने में जल जीवन मिशन (JJM) की तुलना में लगभग 17 वर्ष अतिरिक्त लगते। जहाँ NRDWP अपेक्षाकृत क्रमिक एवं संसाधन-सीमित दृष्टिकोण पर आधारित था, वहीं जल जीवन मिशन एक मिशन मोड में संचालित राष्ट्रीय पहल के रूप में लागू किया गया, जिसमें उल्लेखनीय रूप से अधिक सार्वजनिक निवेश तथा तीव्र कार्यान्वयन को अपनाया गया।

प्रणालियों की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी, 2009) ने सततता, विकेन्द्रीकृत नियोजन और सेवा प्रदायगी को एक साथ लाने का प्रयास किया। हालांकि, कार्यशीलता, स्रोत सुरक्षा और सेवा स्तर से संबंधित समस्याएं बनी रहीं।

जल जीवन मिशन (2019) से ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में सबसे महत्वाकांक्षी सुधार आया है। यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्पष्ट सेवा मानकों, डिजिटल निगरानी और सुदृढ़ संस्थाओं के साथ एक कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन प्रदान करने पर केंद्रित है। जेजेएम सभी ग्रामीण परिवारों के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और सतत पेयजल सुनिश्चित करने के लिए पूर्व अनुभवों की सीख पर आधारित है।

1.1.2. जल जीवन मिशन: एक दृष्टिकोणगत बदलाव

जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करना है, जिससे सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित हो सके। मिशन ने गुणवत्ता, मात्रा और विश्वसनीयता के लिए परिभाषित मानकों के साथ अवसंरचना केंद्रित दृष्टिकोण से सेवा प्रदायगी ढांचे में एक आदर्श बदलाव को चिह्नित किया। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी से कार्यान्वित, जेजेएम ने वर्धित निवेश, सुदृढ़ संस्थागत ढांचे, सामुदायिक भागीदारी और सततता उपायों के माध्यम से ग्रामीण जल आपूर्ति कवरेज का काफी विस्तार किया है। इस परिवर्तन से जन स्वास्थ्य, गरिमा और जीवन को आसान बनाने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे मिशन के अगले चरण के लिए एक मजबूत नींव रखी गई है।

क. जेजेएम के तहत प्रमुख परिणाम

जेजेएम के तहत हासिल किए गए प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं, जो देश भर में ग्रामीण पेयजल सेवा प्रदायगी में महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाते हैं:

i. **पारिवारिक नल कनेक्शन का सार्वभौमीकरण:** बसावट स्तर की पहुंच से पारिवारिक स्तर पर सेवा प्रदायगी में बदलाव ने ग्रामीण परिवारों के लिए नल जल व्यवस्था को सक्षम बनाया है, नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाला पेयजल सुनिश्चित हुआ है, जिससे सुलभता और गरिमा में वृद्धि हुई है;

चित्र 3: एनआरडीडब्ल्यूपी चुनौतियों के लिए जेजेएम समाधान

एनआरडीडब्ल्यूपी चुनौतियां	जेजेएम समाधान
गैर-कार्यशील योजनाएं	आयोजना, निष्पादन और पीडब्ल्यूएसएस के ओ एंड एम में स्थानीय समुदायों को शामिल करके जल आपूर्ति योजनाओं की कार्यशीलता सुनिश्चित करना।
सीमित पाइपगत जल कवरेज	इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन प्रदान करना है, जिससे पाइपगत जल कवरेज का काफी विस्तार होगा।
कवरेज में वापस-कमी आना	कवरेज स्थिति के प्रत्यावर्तन को रोकने और कवरेज को बनाए रखने के लिए सामुदायिक प्रबंधन और नियमित निगरानी पर ध्यान केंद्रित करना।
भूजल निर्भरता	भूजल निर्भरता को कम करने के लिए जल स्रोतों के संयुक्त उपयोग के माध्यम से सतही जल और अन्य स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना।
भूजल संदूषण	संदूषण के मुद्दों को हल करने के लिए व्यापक जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण कार्यक्रमों को शामिल करना।
फील्ड टेस्ट किट का अल्प उपयोग	फील्ड टेस्ट किट के उपयोग को अनिवार्य बनाया गया है और नियमित निगरानी के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण ढांचे को मजबूत किया गया है।
स्थिरता के उपायों की अनुपस्थिति	अनुकूलित जल आपूर्ति प्रणाली तैयार करने के उद्देश्य से मुख्य घटक के रूप में सततता को शामिल करना।
हाइड्रो-जिओ मोर्फो लॉजिकल मानचित्रों की उपेक्षा की गई	जल स्रोतों की सूचना-आधारित आयोजना और प्रबंधन के लिए हाइड्रो भू-आकृति विज्ञान मानचित्रों और अन्य साधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

ii. **न्यूनतम सेवा स्तर मानकों का आश्वासन:** 55 एलपीसीडी के न्यूनतम सेवा मानदंड के संस्थागतकरण ने जल आपूर्ति में एकरूपता, पर्याप्तता और बेहतर विश्वसनीयता सुनिश्चित की है, जो सुनिश्चित सेवा प्रदायगी की दिशा में एक बदलाव को चिह्नित करता है;

iii. **कवरेज का तेजी से बढ़ना:** नल जल का कवरेज 2019 में लगभग 17% से बढ़कर मार्च 2024 तक लगभग 75% पहुंच गया है, जिससे 11.39 करोड़ से अतिरिक्त और परिवार जलापूर्ति से जुड़ गए हैं। यह सुदृढ़ केंद्र-राज्य भागीदारी और प्रभावी कार्यान्वयन को दर्शाता है;

iv. **जल गुणवत्ता प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना:** जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में कमी तथा एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं और समुदाय आधारित निगरानी के माध्यम से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों के सार्वभौमिक कवरेज से जन स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों और नल जल के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई है;

v. **महिलाओं के नेतृत्व वाला जल अभिशासन:** वीडब्ल्यूएससी में महिलाओं का कम से कम 50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और जल प्रबंधन में उनकी सक्रिय भूमिका ने समावेशिता, उत्तरदायित्व और स्थानीय स्वामित्व को दृढ़ किया है;

vi. **स्रोत सततता का एकीकरण:** भूजल पुनर्भरण सहित स्रोत सततता को मुख्यधारा में लाने से जल स्रोतों के अनुकूलता में सुधार आया है और दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित हुई है;

vii. **ओ एंड एम के लिए कुशल पारिस्थितिकी तंत्र:** क्षमता निर्माण और नल जल मित्र कार्यक्रम जैसी पहलों से सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए संचालन, रखरखाव और मामूली मरम्मत के लिए एक स्थानीय कुशल कार्यबल तैयार हुआ है;

viii. **संस्थाओं में पहुंच का विस्तार:** स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी संस्थाओं में नल जल पहुंच में वृद्धि से विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के लिए स्वच्छता, स्वास्थ्य परिणामों तथा गरिमा में सुधार हुआ है;

ix. **सतही जल आधारित योजनाओं में बदलाव:** जेजेएम के तहत, ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को पूरे वर्ष कार्यशील बने रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके लिए पूर्ववर्ती एनआरडीडब्ल्यूपी की कमियों से भी सबक लिया गया है, जहां 12वीं योजना अवधि के अंत में कार्य-निष्पादन लेखापरीक्षा में इस बात का उल्लेख किया गया था कि 88% पाइपगत जल योजनाएं भूजल स्रोतों पर निर्भर थीं, जिससे दीर्घकालिक सततता और सुरक्षा प्रभावित होती थी तथा इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2012-2017 के दौरान 4.76 लाख बसावटों में आपूर्ति में कमी आई। यह कमी अत्यधिक भूजल निष्कर्षण, जल गुणवत्ता के पहलुओं पर अपर्याप्त ध्यान, जल स्रोतों की अपर्याप्त सततता और मौजूदा प्रणालियों के अपर्याप्त रखरखाव के कारण आई, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां कृषि करने के लिए जल की खपत के कारण भूजल की तेजी से कमी हुई, जिससे योजनाएं अपनी डिज़ाइन अवधि से पहले ही विफल हो

चित्र 4: जेजेएम-ग्रामीण जल पहुंच में परिवर्तनकारी

** 20 मार्च 2026 तक के आंकड़े*

चित्र 5: योजना-वार सतही जल और भूजल अनुपात

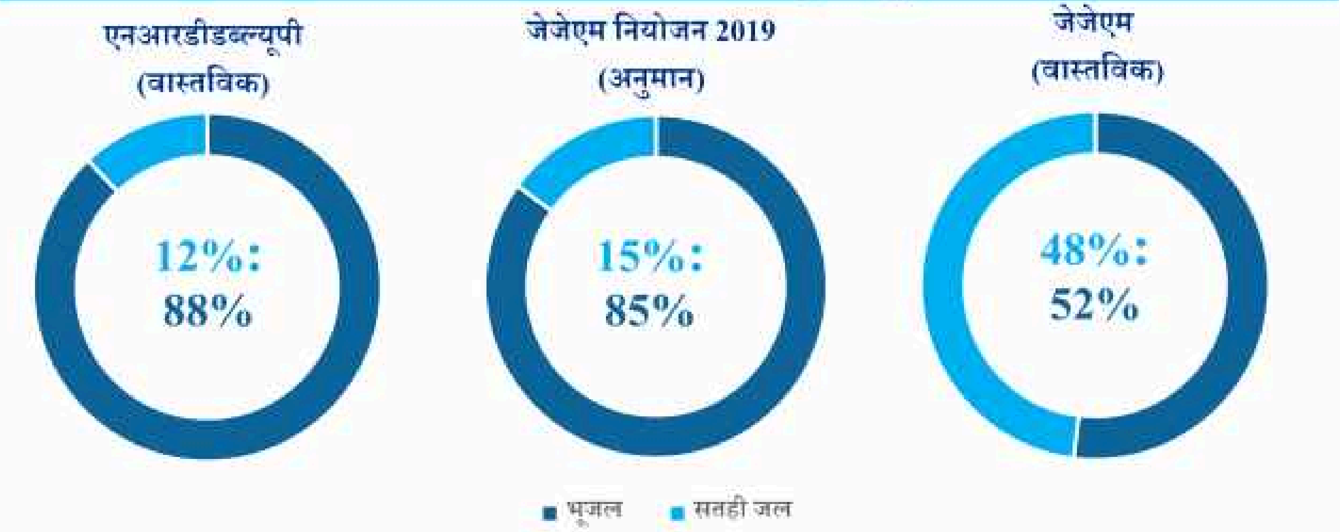

गई। तदनुसार, राज्यों ने जेजेएम के तहत योजनाएं तैयार कीं, जिसमें सतत-सक्षम स्रोतों का चयन किया गया, जिससे भूजल से सतही जल-आधारित योजनाओं में एक दृष्टिकोणगत बदलाव हुआ। इस प्रकार, सतही जल और भूजल अनुपात 15:85 (जैसा कि जेजेएम के प्रारंभिक चरण में योजना बनाई गई थी) को 48:52 (जैसा कि मिशन अवधि के दौरान अनुमोदित किया गया था) में बदल दिया गया था।

1.1.3. नियोजित अवसंरचना का पैमाना

जल जीवन मिशन (जेजेएम) ने पूरे भारत में ग्रामीण पेयजल अवसंरचना के परिवर्तनकारी विस्तार को प्रेरित किया है। 2019 में नल जल कनेक्शन वाले 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों (लगभग 17%) की बेसलाइन से, मिशन ने 12.58 करोड़ से अतिरिक्त और परिवारों को नल जल कनेक्शन प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। परिणामस्वरूप, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अभिचिह्नित 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.81 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों (81.73%) के पास वर्तमान में पारिवारिक नल जल कनेक्शन हैं।

नए कनेक्शनों के प्रावधान के अलावा, मौजूदा जल आपूर्ति योजनाओं को उन्नत और संवर्धित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। कई परिवार जो पहले केंद्र प्रायोजित या राज्य वित्त पोषित योजनाओं के तहत कवर

चित्र 6: ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए किए गए निवेश

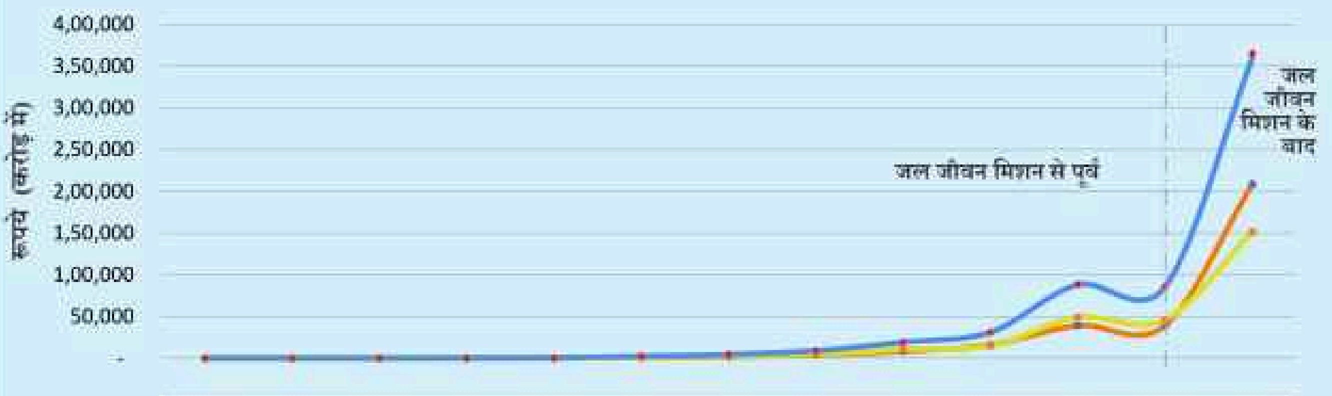

	1951-56	1956-61	1961-66	1969-74	1974-79	1980-85	1985-90	1992-97	1997-02	2002-07	2007-12	2012-19	2019-24
Centre	-	-	-	34	157	895	1,906	4,140	8,455	16,254	39,191	39,501	2,08,652
State	3	30	48	208	348	1,530	2,472	5,084	10,773	15,102	49,000	46,265	1,51,348
Total	3	30	48	242	505	2,425	4,378	9,224	19,228	31,356	88,191	85,766	3,60,000

Centre State Total

किए गए थे, वहां पाया गया कि जेजेएम सेवा मानकों का अनुपालन नहीं हो रहा है। बाद में इन परिवारों को निर्धारित सेवा बेंचमार्क उपलब्ध कराने के लिए जल स्रोतों, शोधन सुविधाओं, भंडारण और प्रदायगी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के माध्यम से जेजेएम में शामिल किया गया।

जेजेएम के तहत, कुल 6,83,144 स्कीमों की योजना बनाई गई, जिनमें 5,78,463 एकल ग्राम स्कीमें (एसवीएस), 80,417 बहु ग्राम स्कीमें (एमवीएस), 2,590 बल्क जल आपूर्ति स्कीमें (बीडब्ल्यूएस) और 21,674 गैर-पीडब्ल्यूएस स्कीमें शामिल हैं, जो वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े ग्रामीण जल अवसंरचना के विस्तार दर्शाती हैं। हालांकि जल भूवैज्ञानिक स्थितियों, भू-भाग और लागत संरचनाओं में अंतर को ध्यान में रखते हुए स्कीम के डिजाइन विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होते हैं, फिर भी उनमें देश भर में एक समान पारिवारिक स्तर की सेवा प्रदायगी मानदंडों का अनुपालन किया जाता है।

जेजेएम के तहत पाइपगत जलापूर्ति (पीडब्ल्यूएस) योजना की परिकल्पना एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली के रूप में की गई है ताकि स्रोत से घर तक सुरक्षित, शोधित और विश्वसनीय पेयजल पहुंचे। ऐसी योजनाओं में स्रोत दोहन संरचनाएं, पंपिंग प्रणाली, पारेषण नेटवर्क, जल शोधन सुविधाएं, भंडारण जलाशय और अंतिम छोर तक संवितरण नेटवर्क सहित अंतर-समन्वित अवसंरचना शामिल है। इन घटकों को विविध स्थानीय परिस्थितियों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आवश्यकतानुसार अक्सर लंबी दूरी की ढुलाई, मल्टी स्टेज पंपिंग और उन्नत शोधन उपचार प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। अवसंरचना को आम तौर पर थोक दोहन, शोधन और पारेषण के लिए ग्राम प्रणालियों के रूप में और भंडारण, संवितरण और घरेलू स्तर की सेवा प्रदायगी के लिए ग्राम प्रणालियों में संगठित किया जाता है, जिससे संपूर्ण रूप में एक उन्नत अभियांत्रिकी और सेवा प्रदायगी ढांचे का निर्माण होता है।

मिशन के कार्यान्वयन में पूरे ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर अवसंरचना का निर्माण शामिल है, जिसमें व्यापक ग्रामीण संवितरण नेटवर्क, जल शोधन क्षमता में पंद्रह गुना से अधिक की वृद्धि और नियोजित तथा कार्यान्वित जल आपूर्ति योजनाओं में नौ गुना से अधिक की वृद्धि शामिल है। जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए समानांतर निवेश किए गए हैं, जिसमें जल शोधन संयंत्रों के परिसर में अवस्थित 685 प्रयोगशालाओं सहित 2,874 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें से 1,709 प्रत्यायित या मान्यता प्राप्त हैं। सामुदायिक स्तर पर, जल आपूर्ति प्रणालियों की आयोजना, कार्यान्वयन और संचालन तथा रखरखाव में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने के लिए लगभग 5.28 लाख ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी)/ पानी समितियों का गठन किया गया है।

मिशन के विज़न को साकार करने के लिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभूतपूर्व पैमाने पर अवसंरचना की योजना बनाई, जिसमें जल की कमी, गुणवत्ता की कमी और दुर्गम क्षेत्रों जैसी चुनौतियों के अनुकूल एकल ग्राम स्कीमों से लेकर बहु-ग्राम और बड़े क्षेत्रीय बल्क जल अंतरण प्रणालियों (बल्क वाटर ट्रांसफर) तक समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित की गई। इन योजनाओं में दीर्घकालिक सततता और

चित्र 7: जल आपूर्ति परिसंपत्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि			
परिसंपत्तियां	**मापन इकाई**	**जेजेएम-पूर्व**	**जेजेएम-के बाद***
जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं	संख्या	2,071 *(619 मान्यता प्राप्त)*	2,874 *(1,709 मान्यता प्राप्त)*
भंडारण टैंक और जलाशय	एमएलडी	1,200	34,000
जल संवितरण नेटवर्क के लिए पाइपलाइन (पारेषण और संवितरण)	किलोमीटर	~ 5 लाख	~ 70 लाख
जल शोधन	एमएलडी	2,000	36,000
पीडब्ल्यूएस योजनाएं	संख्या	72,837	6,83,144
पीडब्ल्यूएस द्वारा कवर की गई आबादी	%	38%	100%

**उपरोक्त अनुमोदित योजनाओं पर आधारित अनुमानित आंकड़े हैं जो जेजेएम 2.0 की मिशन अवधि के अंतिम मूल्यांकन के अधीन हैं*

कार्यशीलता सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से अपर्याप्त या अविश्वसनीय स्थानीय जल स्रोतों वाले क्षेत्रों में व्यापक जल अंतरण नेटवर्क, शोधन संयंत्र और क्षेत्रीय भंडारण अवसंरचना को शामिल किया गया है। ग्रामीण स्तर की स्कीमों को सहायता प्रदान करने और उनको कार्यशील बनाए रखने के लिए बल्क जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना बनाई गई थी, जिससे सेवा प्रदायगी की सततता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।

पहली बार, ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश देखा गया है, जिसमें 2019-24 की अवधि में कुल आवंटन तेजी से बढ़कर लगभग 3.60 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। यह अत्यधिक वृद्धि ऐतिहासिक रूप से मामूली निधियन स्तरों (मॉडेस्ट फंडिंग लेवल्स) से एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है, जिससे बड़े पैमाने पर अवसंरचना के निर्माण और सतत सेवा प्रदायगी सक्षम बनती है।

1.1.4. कार्यशीलता मूल्यांकन

मापदंडों के अनुपालन का आंकलन करने के लिए, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) ने 2021, 2022 और 2024 में तृतीय पक्ष की एजेंसी द्वारा नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से कार्यशीलता का आंकलन किया है। इन आंकलनों में आपूर्ति की पर्याप्तता, गुणवत्ता अनुपालन, सेवा की नियमितता और स्रोत तथा प्रणाली की सततता सहित प्रमुख सेवा स्तर संकेतकों की जांच की गई। प्रतिनिधित्वशीलता और भौगोलिक प्रसार में सुधार लाने के लिए समय के साथ सर्वेक्षणों का दायरा उत्तरोत्तर विस्तारित हुआ है।

नीति आयोग ने 12 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के 34 जिलों में एक स्वतंत्र सर्वेक्षण (2025) भी किया। आंकलन के निष्कर्षों से पता चला है कि 87% परिवारों के पास पेयजल तक पर्याप्त पहुंच उपलब्ध है, और जहां कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, 82% परिवार नल जल गुणवत्ता से संतुष्ट हैं।

तालिका 1: कार्यशीलता मूल्यांकन सर्वेक्षणों का कवरेज			
मापदंड	**2020-21**	**2022**	**2024**
कवर किए गए राज्य	31	33	34
कवर किए गए जिले	704	712	761
कवर किए गए गांवों की संख्या	6,992	13,299	22,812*
कवर किए गए परिवारों की संख्या	87,123	3,01,389	2,73,295

**इनमें से 19,812 एचजीजे (हर घर जल) गांव हैं*

तालिका 2: कार्यशीलता आंकलन के परिणाम

मापदंड	2021	2022*	2024*
कार्यशील नल कनेक्शन (सर्वेक्षण के दिन कार्य करते हुए पाए गए)	94%	91%	87%
पर्याप्त मात्रा (अर्थात 55 एलपीसीडी)	84%	84%	84%
कवर किए गए परिवारों की संख्या	61%	88%	80%
पूर्ण नियमित आपूर्ति (% परिवार) (घोषित आपूर्ति अनुसूची के अनुसार)	87%	90%	76%
समग्र कार्यशीलता	48%	69%	76%

*हर घर जल गांवों के लिए सर्वेक्षण के परिणाम

चित्र 8: जेजेएम के संभावित प्रभाव

स्वास्थ्य

4 लाख
(0.4 मिलियन)
डायरिया रोग से होने वाली मौतों को सुरक्षित पेयजल से टाला जा सकता है

30%
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर में संभावित कमी

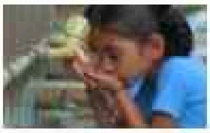

1.36 लाख
(0.136 मिलियन)
बच्चों की मौत को टाला जा सका

आर्थिक

2.8 करोड़ (28 मिलियन) व्यक्ति-वर्ष का रोजगार सृजित किया जा सकता है

13.3 लाख (1.33 मिलियन)
व्यक्ति-वर्ष का रोजगार सृजित किया जा सकता है

सामाजिक-आर्थिक

5.5 करोड़ घंटे
(55 मिलियन)
ग्रामीण भारत में हर दिन 75 % महिलाओं द्वारा समय की बचत

1.4 crore
(14 मिलियन)
डायरिया से होने वाली मौतों को टालकर विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (डीएएलवाईएस) बचाए जा सकते हैं।

₹ 8.50 लाख करोड़ रुपये
(101 बिलियन डॉलर)
डायरिया से होने वाली मौतों को रोकने से संभावित आर्थिक बचत

मूल्यांकन के परिणामों का उपयोग मिशन के तहत सेवा अंतराल (सर्विस गैप) की पहचान करने, उपचारात्मक कार्यों की प्राथमिकता और संचालन तथा रखरखाव फ्रेमवर्क को दृढ़ बनाने के लिए किया गया है।

1.1.5. जेजेएम के संभावित सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

पारिवारिक स्तर पर नल जल के सेवा विस्तार के अलावा, मिशन से ग्रामीण समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे उनके समग्र जीवन स्तर में काफी सुधार हो रहा है। सुरक्षित और विश्वसनीय पेयजल तक पहुंच ने जन स्वास्थ्य और स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार, बीमारी में होने वाले खर्च में कमी, उत्पादकता में वृद्धि और स्थानीय आजीविका को दृढ़ बनाने में योगदान दिया है। अनुसंधान अध्ययनों और क्षेत्रीय मूल्यांकनों के साक्ष्य इन परिणामों की पुष्टि करते हैं और ग्रामीण जीवन स्तर पर मिशन के परिवर्तनकारी प्रभाव का उल्लेख करते हैं।

तालिका 3: राष्ट्रीय पहल और परिकल्पित प्रभाव		
क्र. सं.	राष्ट्रीय पहल	प्रभाव
1.	एसबीएम (जी)	पाइपगत जल की उपलब्धता स्वच्छता और अपशिष्ट जल प्रबंधन को बढ़ावा देती है।
2.	मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0	सुरक्षित पेयजल से बच्चों के पोषण में सुधार होता है और कुपोषण में कमी आती है। घरों में पेयजल की पहुंच से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के श्रम में कमी आती है और आंगनवाड़ी केंद्रों में बाल पोषण तथा स्वच्छता व्यवहारों को बेहतर बनाती है।
3.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन . (एनएचएम)	जल जनित रोगों में कमी से स्वास्थ्य देखभाल की लागत में कमी आती है।
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण (एनआरएलएम) आजीविका मिशन	जल परीक्षण, ओ एंड एम आदि में एसएचजी की भागीदारी से उद्यमिता के अवसर सृजित होंगे।
5.	वीबी-जी राम जी	जेजेएम वीबी-जी राम जी के तालमेल में जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और स्रोत सततता को बढ़ावा मिलता है।
6.	राष्ट्रीय जल मिशन और अटल भूजल योजना	स्रोत सततता और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा।
7.	डिजिटल इंडिया	अवसंरचना संचालन और कार्यदक्षता की डिजिटल निगरानी ग्रामीण भारत को डिजिटल इंडिया से जुड़ने में सक्षम बनाएगी।
8.	स्किल इंडिया	नल जल मित्र कार्यक्रम (एनजेएमपी) के तहत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
9.	पीएम गतिशक्ति	सभी पाइपगत जल आपूर्ति लाइनों और पाइपगत जलापूर्ति स्कीमों की परिसंपत्ति की जीआईएस मैपिंग।
10.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-पीएमएवाई (जी)	पीएमएवाई (जी) के तहत प्रदान किए गए सभी घरों में जल आपूर्ति प्रदान करना।
11.	पीएम-जनमन और डीए-जेजीयूए	पीवीटीजी जैसे समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए जल को सुलभ बनाना।

*****

अध्याय 1.2
जल जीवन मिशन 2.0

1.2.1. प्रस्तावना

वर्ष 2019 से अब तक 15.81 करोड़ ग्रामीण परिवारों, अर्थात् भारत के 81 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों को, पेयजल युक्त नल कनेक्शन की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। शत-प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस विस्तारित अवधि में मिशन का कार्यान्वयन पुनर्गठित स्वरूप में किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में संरचनात्मक रिफॉर्म्स पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

सरकार द्वारा कुल परिव्यय को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये करने को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें 2019-20 में अनुमोदित 2.08 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को बढ़ाकर कुल 3.59 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है अर्थात् इसमें 1.51 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय राशि है।

जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत जन भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं की अवसंरचना गुणवत्ता तथा संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए मिशन के कार्यान्वयन को अवसंरचना निर्माण से आगे बढ़ाकर सेवा प्रदायगी-केंद्रित बनाया जाएगा। यह प्रयास पेयजल सुशासन एवं सुदृढ़ संस्थागत व्यवस्था पर आधारित होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सतत पाइप आधारित पेयजल सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। समयबद्ध कार्यान्वयन, सततता तथा नागरिक-केंद्रित जल सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने हेतु राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पृथक समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

1.2.2. विजन

पिछले चरण के विजन को आगे बढ़ाते हुए तथा कार्यक्रम को नई दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से, जल जीवन मिशन 2.0 का लक्ष्य है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जन भागीदारी के माध्यम से निर्धारित गुणवत्ता का पर्याप्त मात्रा में पेयजल नियमित रूप से उपलब्ध हो। इसके साथ ही, ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियों के सतत संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) हेतु संरचनात्मक रिफॉर्म्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में समग्र सुधार सुनिश्चित हो सके।

1.2.3. उद्देश्य

सार्वभौमिक एवं समावेशी कवरेज के उद्देश्य से, जेजेएम 2.0 देश के सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराकर सभी ग्राम पंचायतों को 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित किए जाने की दिशा में कार्य करेगा। जेजेएम 2.0 का उद्देश्य पेयजल सुशासन के माध्यम से परिकल्पित संरचनात्मक रिफॉर्म्स को अपनाकर संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ बनाना भी है, ताकि देशभर में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की कार्यक्षमता एवं दीर्घकालिक सततता सुनिश्चित की जा सके।

1.2.4. जेजेएम के कार्यान्वयन का आंकलन (2019-24)

जेजेएम (2019-2024) के पहले चरण के बाद, कार्यान्वयन कमियों को दूर करने और संचालन के लिए टिकाऊ प्रणालियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्यान्वयन कार्यक्रम मूल्यांकन किया गया था। इस तरह के व्यापक ग्रामीण जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ, दीर्घकालिक कार्यशीलता और सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत और सतत संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) पारिस्थिति की तंत्र की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो जाती है । इसे स्वीकार करते हुए, संरचनात्मक सुधार (रिफोर्म्स) के माध्यम से स्थायी संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक संस्थागत अभिशासन और सामुदायिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

1.2.5. संरचनात्मक सुधार-सहबद्ध कार्यान्वयन रणनीति

जल जीवन मिशन 2.0 एक सुधार (रिफोर्म)- संबद्ध कार्यक्रम है, जिसमें राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति पारिस्थिति की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए गए संरचनात्मक रिफॉर्म्स के साथ जोड़ा जाएगा। मिशन का उद्देश्य एक नागरिक-केंद्रित, सेवा प्रदायगी-आधारित प्रणाली की ओर प्रस्थान करना है, जो ग्राम-स्तरीय संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ पेशे के अनुकूल प्रबंधित जल उपयोगी सुविधाओं पर आधारित है । इन सुधारों का उद्देश्य एक मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा स्थापित करना है, जिसके साथ जवाबदेह प्रणालियाँ विकसित की जाएँ, ताकि पेयजल सेवाओं के प्रति नागरिकों का विश्वास सुदृढ़ हो सके।

साथ ही, मिशन समुदायों और भविष्य की पीढ़ियों के बीच प्रमुख प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी के माध्यम से स्वामित्व की एक मजबूत भावना को बढ़ावा देने पर जोर देता है, जैसे जल आपूर्ति प्रणालियों का कार्य-संचालन और प्रबंधन। जल अर्पण, जल उत्सव और जल सेवा आंकलन जैसी पहलों के माध्यम से सहभागी अभिशासन को और मजबूत किया जाता है, जो सामुदायिक सहभागिता, पारदर्शिता और सेवा प्रदायगी में निरंतर सुधार को संस्थागत बनाते हैं।

इसके अलावा, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप स्थायी,

चित्र 9: संरचनात्मक सुधारों के स्तंभ

1. पेयजल अभिशासन के लिए संस्थागत संरचना की स्थापना
2. पेयजल सेवा प्रदायगी के लिए यूटिलिटी आधारित दृष्टिकोण: दोहरी यूटिलिटी ढांचा
3. ग्राम पंचायतों के लिए तकनीकी सहायता संबंधी ढांचे को मजबूत करना
4. नागरिक केंद्रित जल गुणवत्ता अभिशासन की स्थापना
5. स्रोत सततता और जल सुरक्षा संबंधी ढांचा
6. ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों में डिजिटल डेटा गवर्नेंस की स्थापना
7. 'जन भागीदारी' के माध्यम से सहभागी अभिशासन की स्थापना
8. सतत सेवा सुधार के लिए क्षमता निर्माण संबंधी ढांचा
9. मानव संसाधन कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना
10. जल आपूर्ति योजनाओं की संचालनात्मक और वित्तीय सततता
11. अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र

जलवायु अनुकूल और लागत प्रभावी ग्रामीण जल सेवा प्रदायगी प्रणालियों के लिए अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान पारिस्थिति की तंत्र की स्थापना के साथ-साथ वास्तविक समय की निगरानी और जवाबदेही के लिए डिजिटल डेटा गवर्नेंस को भी एकीकृत किया गया है। संरचनात्मक सुधारों के प्रमुख स्तंभों को उपरोक्त चित्र में दर्शाया गया है।

2024-26 के दौरान विभाग द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलें, जिसका उद्देश्य सेवा प्रदायगी प्रणालियों को मजबूत करना, जवाबदेही बढ़ाना, स्थानीय संस्थागत क्षमताओं में सुधार करना और जनभागीदारी के माध्यम से ग्रामीण जल आपूर्ति व्यवस्था की दीर्घकालिक वित्तीय और परिचालन सततता सुनिश्चित करके परिकल्पित संरचनात्मक सुधार करना है, इस प्रकार हैं:

i. **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के रूप में सुजलाम भारत मॉड्यूल का विकास:** एक राष्ट्रीय डिजिटल संरचना बनाया गया है जिसमें ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजना के प्रत्येक सेवा क्षेत्र को एक अद्वितीय सुजल गांव आईडी सौंपी गई है, जो स्रोत से पारिवारिक नल कनेक्शन तक जल आपूर्ति प्रणाली की पूरी तरह से एंड-टू-एंड डिजिटल मैपिंग को सक्षम बनाती है;

ii. **राज्य, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड का शुभारंभ:** वास्तविक समय आधारित निगरानी को सुदृढ़ करने, स्थानीय स्तर पर सक्रिय जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा डेटा-आधारित पर्यवेक्षण हेतु कमांड एवं सहायता केंद्रों की स्थापना के लिए राज्य, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाए किए गए हैं।

iii. **स्रोत सततता के लिए निर्णय समर्थन/सहायता प्रणाली का शुभारंभ:** एक निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) को केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) से भूजल स्थिति डेटा के साथ एकीकृत किया गया है ताकि वैज्ञानिक योजना और स्रोत सततता उपायों को मजबूत करने को सुगम बनाया जा सके, विशेष रूप से जिला स्तर पर भूजल आधारित योजनाओं के लिए;

iv. **कार्यशीलता मूल्यांकन के लिए डिजिटल जल सेवा आंकलन का शुभारंभ:** जल सेवा आंकलन को एक डिजिटल उपकरण के रूप में पेश किया गया है ताकि ग्राम सभाओं को सेवा प्रदायगी प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाया जा सके, जो हर घर जल गांवों में कार्यशीलता के उद्देश्यपरक मूल्यांकन करने में मदद करता है;

v. **मानकीकृत कार्य-संचालन और हैंडओवर प्रोटोकॉल जारी किए गए:** जल अर्पण प्रक्रिया के माध्यम से कार्य-संचालन और औपचारिक हैंडओवर प्रोटोकॉल स्थापित किए गए हैं, जिसमें ग्राम पंचायतों और ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) की सक्रिय भागीदारी के साथ अनिवार्य 15-दिवसीय ट्रायल रन शामिल है;

vi. **जल सेवा अध्ययन के माध्यम से स्वतंत्र मूल्यांकन शुरू किया गया:** जल सेवा अध्ययन के माध्यम से जेजेएम के बुनियादी ढांचे और इसके कार्यान्वयन का आंकलन किया जा रहा है। इसमें स्वतंत्र अंतदृष्टि प्रदान करने और पारदर्शिता तथा जवाबदेही को मजबूत करने के लिए इंजीनिरिंग के छात्र शामिल किए गए।

vii. **मासिक संयुक्त निरीक्षण:** प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों द्वारा मासिक संयुक्त निरीक्षण को संस्थागत रूप दिया गया है;

viii. **टीपीआईए के लिए संशोधित विचारार्थ-विषय जारी किए गए:** तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) के लिए संशोधित विचारार्थ-विषय जारी किए गए, योजना के कार्य-निष्पादन में उच्च गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टरों/ जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा अनिवार्य तकनीकी परीक्षण और प्रशासनिक निरीक्षण में वृद्धि की गई;

ix. **राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञों और केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों (सीपीओ) के माध्यम से नियमित कार्यक्रम मूल्यांकन:** राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञों और आकांक्षी जिला कार्यक्रम/ आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों के माध्यम से व्यवस्थित कार्यक्रम मूल्यांकन के लिए एक संरचित तंत्र स्थापित किया गया है;

x. **केन्द्रीय नोडल अधिकारियों (सीएनओ) के माध्यम से कार्यक्रम मूल्यांकन:** केन्द्रीय नोडल अधिकारियों (सीएनओ) द्वारा की गई समीक्षाओं के माध्यम से एक संरचित कार्यक्रम मूल्यांकन तंत्र स्थापित किया गया है। विभाग ने सीएनओ रिपोर्टों का विश्लेषण किया है और राज्यों को इन आंकलनों के दौरान पहचाने गए महत्वपूर्ण अवलोकनों और कार्यान्वयन कमियों को दूर करने के निर्देश जारी किए हैं, जिससे जवाबदेही मजबूत हो सके और क्षेत्र-स्तर के कार्य-निष्पादन में सुधार हो सके;

xi. **राज्यों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें:** विभाग प्रगति की समीक्षा करने और सीएनओ द्वारा उठाए गए कार्यान्वयन मुद्दों को हल करने के लिए राज्य मिशन निदेशकों के साथ मासिक बैठकें करता है;

xii. **जिला कलेक्टरों/ मजिस्ट्रेटों को एडवायजरी:** राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में सभी डीसी/ डीएम को स्रोत सततता योजना तैयार करने, जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे की रक्षा करने, कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करने और सभी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के लिए पीएम गति शक्ति-आधारित संपत्ति मानचित्रण सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत एडवायजरी जारी की गई है;

xiii. **ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के साथ एकीकरण:** जेजेएम पोर्टल को ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्मित चित्र अपलोड करें और मानकीकृत कार्य-संचालन और हैंडओवर प्रोटोकॉल का पालन करें, प्रक्रिया के दौरान ग्राम पंचायतों की उपस्थिति को अनिवार्य करें;

xiv. **वीडब्ल्यूएससीएस और जिला तकनीकी इकाइयों (डीटीयू) के माध्यम से स्थानीय संस्थानों का सुदृढ़ीकरण:** ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की आयोजना, कार्यान्वयन और निरीक्षण में उनकी सांविधिक भूमिका सुनिश्चित करने के लिए वीडब्ल्यूएससी को ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियों के हिस्से के रूप में एकीकृत किया जाना है। इसके अलावा, डीडब्ल्यूएसएम के माध्यम से ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करने, इंजीनियरी क्षमताओं को बढ़ाने और क्षेत्र-स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए जिला तकनीकी इकाइयों (डीटीयू) की स्थापना की जा रही है;

xv. **जनभागीदारी से हर घर जल के तहत समुदायिक नेतृत्व वाले समारोह:** स्वामित्व और दीर्घकालिक सेवा प्रदायगी परिणामों को सुदृढ़ करने के लिए समुदायिक नेतृत्व वाले कार्यक्रमों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। इनमें जल अर्पण (योजनाओं को औपचारिक रूप से हस्तांतरण), जल उत्सव (सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समारोह), जल बंधन (परिसंपत्ति रखरखाव के लिए सामुदायिक प्रतिबद्धता) और जल संकल्प (सेवा स्तरों को बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रतिज्ञा) शामिल हैं;

xvi. **सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन एवं जन-जागरूकता हेतु सामुदायिक रेडियो:** जागरूकता बढ़ाने, सामुदायिक भागीदारी में सुधार करने और जल सेवा प्रदायगी और सततता पर प्रासंगिक संचार को बढ़ावा देने के लिए 25 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों, 89 जिलों और 100 रेडियो स्टेशनों (पायलट चरण) में 13 भाषाओं और 34 बोलियों में एक समर्पित सामुदायिक रेडियो पहल शुरू की गई है;

xvii. **डीसी/ डीएम के साथ प्रत्यक्ष संवाद:** ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियों के अंतिम छोर तक प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने, कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं का समाधान करने तथा क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा 700 से अधिक डीसी/ डीएम के साथ 29 प्रत्यक्ष संवाद आयोजित किए गए हैं।

xviii. **पेयजल संवाद – राज्यों एवं जिलों के साथ मासिक संवाद:** डीसी/ डीएम और राज्य मिशन निदेशक के साथ हर महीने नियमित पेयजल संवाद सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य जिले के नेतृत्व वाले अभिशासन को मजबूत करना, नवाचार, अनुभवों के आदान-प्रदान (क्रॉस-शेयरिंग) और जिलों के बीच सहकर्मी सहकर्मी अधिगम (Peer Learning) को बढ़ावा देना है;

xix. **सुजल ग्राम संवाद-लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद:** विभाग सुजल ग्राम संवाद, ग्राम पंचायत लाभार्थियों के साथ उनकी क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों में सीधी बातचीत करने, सामुदायिक स्वामित्व को प्रोत्साहित करने, फीडबैक एकत्र करने और योजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता को मजबूत करने की सुविधा प्रदान करता है;

xx. **क्यूसीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरपंच संवाद:** सरपंच संवाद के तहत भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा नियोजन एक राष्ट्रव्यापी संवाद मंच शुरू किया गया है, जो 1 लाख से अधिक सरपंचों को जल सेवा प्रदायगी अभिशासन और सामुदायिक निरीक्षण में सुधार पर चर्चा में भाग लेने में सक्षम बनाता है;

xxi. **स्कूली पाठ्यक्रम में जल, स्वच्छता और साफ-सफाई (वॉश) को शामिल करना:** कक्षा 1 से 8 के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में जल, स्वच्छता और साफ-सफाई घटकों को शामिल किया गया है। दीर्घकालिक सततता प्रयासों के हिस्से के रूप में स्कूली बच्चों के बीच प्रारंभिक जागरूकता और व्यवहारवादी परिवर्तन को बढ़ावा दिया गया है;

xxii. **सतत संचालन और रखरखाव पर उच्च स्तरीय नीतिगत संवाद:** ग्रामीण पेयजल सेवाओं के सतत संचालन और रखरखाव के प्रति समझ और प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए राज्य के मंत्रियों और पीएचई/ आरडब्ल्यूएस और पंचायती राज विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नीतिगत संवाद आयोजित किया गया। इन संवादों ने विश्वसनीय सेवा प्रदायगी के लिए आवश्यक संस्थागत तैयारियों, दीर्घकालिक वित्तपोषण और अभिशासन सुधारों के महत्व को मजबूत किया है;

xxiii. **19 आवश्यक घटकों पर आधारित ओ एंड एम नीतिगत रुपरेखा:** ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति प्रणालियों को बनाए रखने हेतु उनकी तत्परता का आंकलन करने के लिए सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक व्यापक ओ एंड एम नीति के 19 आवश्यक घटकों के साथ एक मॉडल रुपरेखा साझा किया गया है। राज्यों को अपनी व्यवस्थाओं को दीर्घकालिक सततता संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रारूप नीतिगत रूपरेखा एवं निदान मैट्रिक्स (डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स) उपलब्ध कराया गया है।

1.2.6. योजनाओं की सततता

जेजेएम 2.0 के अंतर्गत योजनाओं की दीर्घकालिक सततता सुनिश्चित करने हेतु एक पेयजल सततता रूपरेखा की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है।

ग्रामीण पेयजल क्षेत्र के लिए सततता रूपरेखा, सततता को इस रूप में परिभाषित करती है कि कोई ग्रामीण जलापूर्ति प्रणाली समय के साथ सुरक्षित, पर्याप्त एवं विश्वसनीय पेयजल सेवाएँ निरंतर प्रदान करने में सक्षम हो तथा इसके लिए ऐसी व्यवस्थाएँ स्थापित हों जो निम्नलिखित सुनिश्चित करें:

i. परिसंपत्ति का प्रभावी संचालन और रखरखाव;

ii. नियमित और प्रमुख लागतों के लिए पर्याप्त वित्तपोषण;

iii. जल स्रोतों का दीर्घकालिक संरक्षण और प्रबंधन;

iv. अत्यधिक नागरिक-केंद्रित सेवा आश्वासन के साथ जवाबदेही संस्थाएं।

यह चार मुख्य सततता स्तंभों द्वारा संरचित है, अर्थात् संस्थागत और सेवा प्रदायगी सततता, वित्तीय सततता, बुनियादी अवसंरचना सततता और स्रोत सततता। यह सेवा निष्पादन, पारदर्शिता, जवाबदेही और निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए अभिशासन, डिजिटल सिस्टम, सामुदायिक भागीदारी और नागरिक संपर्क जैसे चार सहायक स्तंभों पर आधारित है।

चित्र 10: ओ एंड एम नीति- आवश्यक घटक

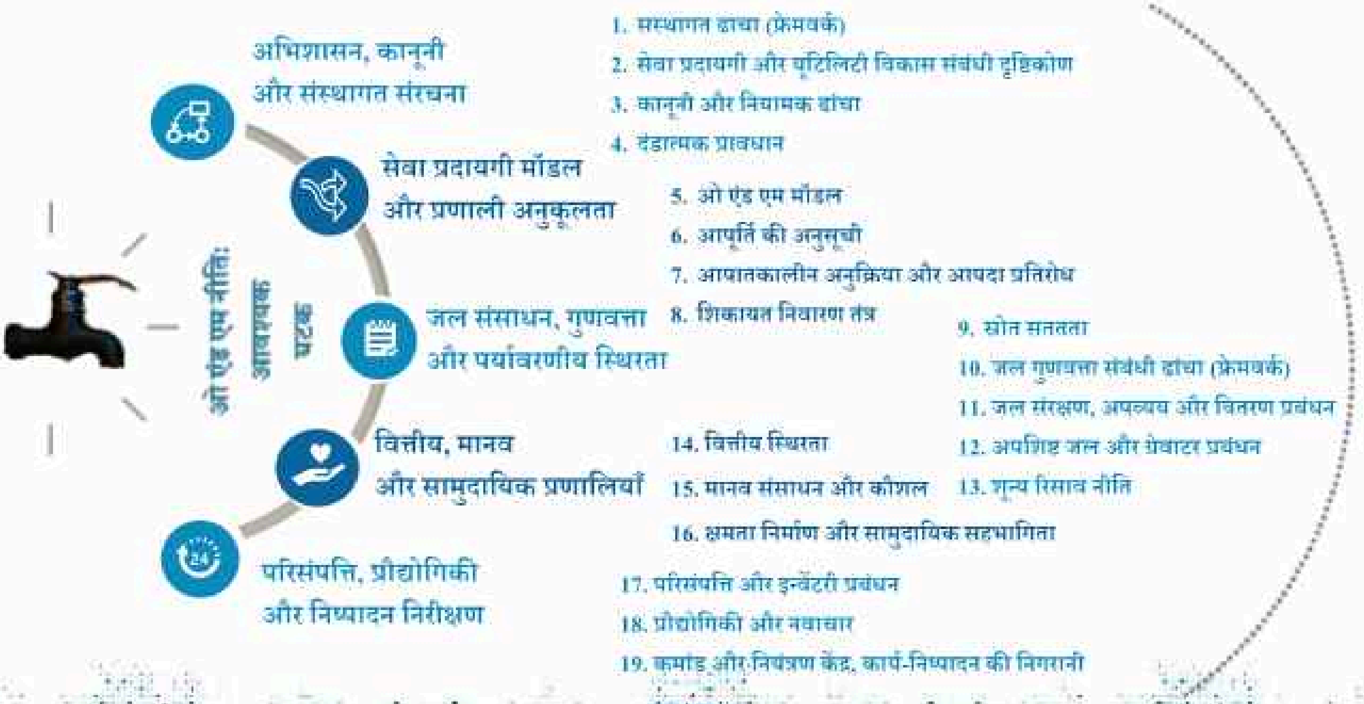

चित्र:11 सततता के स्तंभों के लिए मैट्रिक्स

सहायक पहल→ / सततता स्तंभ ↓	अभिशासन	डिजिटल सिस्टम	सामुदायिक भागीदारी	सिटीजन कनेक्ट
संस्थागत और सेवा प्रदायगी सततता	• भूमिका स्पष्टता • एसएलबी • सेवाजल सेवा प्रदाय निकाय • क्षमता निर्माण	• डैशबोर्ड • एकीकृत परिसंपत्ति रजिस्ट्री • रियल टाइम अलर्ट	• ग्राम स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी • एसएचजी/ पैक्स • नल जल मित्र	• जीआरएम • संतुष्टि सर्वेक्षण • नागरिक चार्टर/ अधिनियम
वित्तीय सततता	• पंचायत द्वारा सेवा प्रदायगी प्रभार लगाया जाता है। • प्रोत्साहन/ वीजीएफ	• डिजिटल बिलिंग • वॉल्यूमेट्रिक मीटरिंग • ऊर्जा ट्रैकिंग	• सेवा प्रदायगी प्रभार जागरूकता • बजट बैठकें • सीबीओ-राजस्व संग्रह	• फीडबैक सर्वेक्षण • कार्यशीलता आंकलन • सार्वजनिक प्रकटीकरण
बुनियादी ढांचे की सततता	• परिसंपत्ति प्रबंधन योजनाएं • निवारक रखरखाव • एसओपी	• स्काडा • सेंसर • ओ एंड एम डिजिटल लॉग्स	• लीक रिपोर्टिंग • सामुदायिक निगरानी	• सर्विस रेटिंग • डाउनटाइम डैशबोर्ड
स्रोत सततता	• स्रोत संरक्षण • जल सुरक्षा • जल लेखापरीक्षा	• डीएसएस • डब्ल्यूक्यूएमएस • जीआईएस जलभृत मानचित्रण	• जल बजटीकरण • जल उत्सव • स्कूल इको-क्लब	• संदूषण पर रिपोर्ट • स्रोत अपडेट

विस्तृत सततता मैट्रिक्स अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

1.2.7. परिणाम

जल जीवन मिशन के विस्तार और ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में बढ़े हुए परिव्यय तथा संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से एक पुनर्गठित कार्यान्वयन ढांचे के साथ, परिकल्पित परिणाम इस प्रकार हैं:

i. दिसंबर 2028 तक देश भर के सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन के प्रावधान के साथ सभी ग्राम पंचायतों को हर घर जल के रूप में प्रमाणित किया गया है;

ii. योजना सततता ढांचे की स्थापना परिकल्पित संरचनात्मक सुधारों को अपनाने के माध्यम से की जाती है, जिसमें ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के लिए अभिशासन, डिजिटल प्रणालियों, सामुदायिक भागीदारी और नागरिक-केंद्रित सेवा आश्वासन द्वारा समर्थित संस्थागत, वित्तीय बुनियादी ढांचे और स्रोत सततता के माध्यम से सुरक्षित, पर्याप्त और विश्वसनीय पेयजल की निरंतर प्रदायगी सुनिश्चित की जाती है।

*****

खण्ड 2

संरचनात्मक सुधारों का रोडमैप

अध्याय 2.1
पेयजल अभिशासन के लिए संस्थागत संरचना की स्थापना

सुधार (रिफॉर्म) के उद्देश्य:

- अभिशासन, विनियमन और सेवा प्रदायगी में स्पष्ट भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को स्थापित करना, अतिव्यापी जनादेश को बदलना;
- खंडित जिम्मेदारियों से एकीकृत, अभिशासन संचालित पेयजल सेवा प्रदायगी में परिवर्तन;
- कार्यान्वयन पर ध्यान को बुनियादी अवसंरचना के निर्माण के दृष्टिकोण से हटाकर समग्र परिणाम-आधारित सेवा प्रदायगी पर केंद्रित करना;
- ग्राम स्तर पर संस्थागत संरचना की स्थापना करना और नागरिक सहभागिता को सक्षम बनाना;
- एक व्यापक कानूनी ढांचे के माध्यम से नियामक निगरानी को मजबूत करना।

2.1.1 पेयजल अभिशासन

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II-राज्य सूची की प्रविष्टि 17 के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति सहित जल राज्य का विषय है, जिसमें ग्रामीण पेयजल के अभिशासन और प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 ने अनुच्छेद 243G तथा ग्यारहवीं अनुसूची के माध्यम से राज्यों को पेयजल संबंधी कार्यों का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण करने का अधिकार प्रदान किया। इससे ग्राम पंचायतों को राज्य कानूनों के अनुरूप स्थानीय जलापूर्ति प्रणालियों की योजना, कार्यान्वयन, संचालन एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाने के लिए सशक्त बनाया गया। यह संवैधानिक व्यवस्था ग्रामीण पेयजल सेवाओं के विकेन्द्रीकृत तथा समुदाय-केंद्रित प्रबंधन की आधारशिला प्रदान करती है।

जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ग्रामीण पेयजल अवसंरचना का एक व्यापक एवं जटिल तंत्र विकसित हुआ है, जिसमें पाइप आधारित जलापूर्ति प्रणालियों के माध्यम से परिवारों तक नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं तथा साझा परिसंपत्तियों पर आधारित क्षेत्रीय बल्क जलापूर्ति योजनायें भी शामिल हैं। यद्यपि ये प्रणालियाँ भौगोलिक रूप से विभिन्न स्थानों पर विस्तृत हैं, तथापि कार्यात्मक रूप से एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये प्रायः अनेक बसावटों एवं प्रशासनिक इकाइयों को सेवा प्रदान करती हैं, इसलिए इनके लिए समन्वित योजना, संचालन एवं प्रबंधन की आवश्यकता होती है।

सतत पेयजल सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए विभाग-केंद्रित एवं परिसंपत्ति निर्माण आधारित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर नागरिकों के प्रति उत्तरदायी, अभिशासन-आधारित व्यवस्था अपनाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, पेयजल अभिशासन से आशय उन संस्थाओं, नियमों एवं प्रणालियों से है जिन्हें जलापूर्ति सेवाओं की योजना, संचालन, निगरानी एवं प्रबंधन के लिए व्यवस्थित किया जाता है। इसमें स्पष्ट भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व, हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय, जवाबदेही, सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन तथा नियमित निगरानी शामिल हैं, ताकि विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायगी सुनिश्चित की जा सके।

2.1.2. पेयजल अभिशासन के प्रमुख आयाम

i. **संस्थागत संरचना एवं भूमिकाओं की स्पष्टता:** राज्य, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तरों पर स्पष्ट रूप से परिभाषित दायित्वों, उत्तरदायित्वों तथा जवाबदेही के साथ एक सुसंगत बहु-स्तरीय संस्थागत ढाँचा स्थापित करना, जिससे नीति-निर्माण, विनियमन तथा सेवा प्रदायगी से संबंधित कार्यों के बीच समुचित समन्वय और सामंजस्य सुनिश्चित हो सके।

ii. **सेवा प्रदाता एवं सेवा प्रदायगी उत्तरदायित्व का निर्धारण:** बल्क जलापूर्ति तथा ग्राम के भीतर जल वितरण के लिए उत्तरदायी नामित सेवा प्रदाता(ओं) की स्पष्ट पहचान करना तथा उनके परिचालन संबंधी उत्तरदायित्वों को बिना किसी परस्पर ओवरलैप के स्पष्ट रूप से निर्धारित करना, ताकि नागरिकों के प्रति स्पष्ट जवाबदेही स्थापित हो सके और सेवा प्रदायगी के मानकों का निर्धारण किया जा सके। साथ ही, इसमें जिला स्तर पर तकनीकी इकाइयों के माध्यम से जलापूर्ति सेवाओं के दैनिक निगरानी एवं तकनीकी सहायता की व्यवस्था हो, जो कमांड एवं सपोर्ट सेंटरों के साथ एकीकृत रूप से कार्य करें।

iii. **परिभाषित नीति, कानूनी और नियामक ढांचा:** सेवा प्रदाताओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने वाली एक व्यापक ओ एंड एम नीति बनाना और प्रशासनिक निरीक्षण सुनिश्चित करना। इसमें सिस्टम के निरंतर प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए

सेवा प्रदायगी और वित्तीय मॉडल, निवारक रखरखाव, ऊर्जा दक्षता और जीवनचक्र लागत सहित परिसंपत्ति प्रबंधन प्रोटोकॉल भी शामिल होने चाहिए। यह जरूरी है कि राज्य कानूनी और नियामक ढांचा तैयार करें जो सेवा मानकों को निर्धारित करता है, जल सेवा प्रदाय निकाय संचालन को विनियमित करता है, गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करता है और उपयोगी सुविधाओं, शिकायत निवारण तंत्र तथा विश्वसनीय पेयजल सेवाओं का समर्थन करने के लिए जल स्रोतों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के प्रावधानों के बीच समन्वय तंत्र स्थापित करता है;

iv. **नागरिक इंटरफेस के साथ जवाबदेही और पारदर्शिता:** सेवा स्तर संबंधी सूचनाओं का सार्वजनिक प्रदर्शन, डिजिटल शिकायत निवारण प्रणालियों, नागरिक फीडबैक तंत्र, कार्यक्षमता आंकलन तथा सेवा सुधार योजनाओं को डैशबोर्ड पर प्रदर्शित करने जैसे उपायों के माध्यम से जवाबदेही तंत्र को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना।

v. **सहभागी अभिशासन (जनभागीदारी):** योजना निर्माण, निगरानी तथा स्थानीय प्रबंधन में ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों की सक्रिय भागीदारी को संस्थागत रूप प्रदान करना, जिससे सामुदायिक स्वामित्व की भावना, व्यवहार परिवर्तन तथा दीर्घकालिक सततता को सुदृढ़ किया जा सके।

vi. **अंतर-विभागीय और अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण:** एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, ग्रेवाटर के पुन: उपयोग और सार्वजनिक निवेश के इष्टतम उपयोग को सक्षम करने के लिए जल संसाधन, ग्रामीण विकास, स्वच्छता, स्वास्थ्य, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में संरचित अभिसरण स्थापित करना। इसे पीने योग्य पेयजल के प्रभाव के क्रॉस-सेक्टोरल मूल्यांकन के लिए भी प्रावधान करना चाहिए;

vii. **डेटा-संचालित और डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम:** वास्तविक समय की निगरानी, पूर्व अनुमानित सूचक विश्लेषण, परिसंपत्ति ट्रैकिंग और साक्ष्य-आधारित योजना और नीतिगत निर्णयों को सक्षम करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी सुजलाम भारत और निर्णय समर्थन/ सहायता (डीएसएस) प्रणालियों का लाभ उठाना;

viii. **वित्तीय सततता और संसाधन प्रबंधन:** पारदर्शी लेखा प्रणाली, स्थायी ओ एंड एम वित्तपोषण मॉडल और कार्य-निष्पादन से जुड़े संसाधन आवंटन के माध्यम से वित्तीय, मानवीय और तकनीकी संसाधनों का कुशल आवंटन और उपयोग सुनिश्चित करना;

ix. **अभिशासन जवाबदेही, जोखिम प्रबंधन और अनुकूलन:** सेवा व्यवधानों, जल गुणवत्ता संबंधी जोखिमों, जलवायु परिवर्तनशीलता तथा प्रणालीगत विफलताओं का पूर्वानुमान लगाने और उनका प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए संस्थागत क्षमता का विकास करना। इसके लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों, आकस्मिकता योजनाओं तथा अनुकूलनशील शासन तंत्रों को सुदृढ़ किया जाए, ताकि पेयजल सेवाओं की निरंतरता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

x. **सततता और जीवनचक्र परिसंपत्ति प्रबंधन:** जलवायु और संसाधन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एकीकृत स्रोत सततता, जीवनचक्र परिसंपत्ति प्रबंधन, आवधिक रखरखाव और अनुकूलन नियोजन के माध्यम से दीर्घकालिक कार्यशीलता सुनिश्चित करना।

2.1.3. संस्थागत तंत्र

पेयजल अभिशासन को संस्थागत बनाने के उद्देश्य से, जेजेएम 2.0 स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तरों पर एक संस्थागत ढांचा तैयार करता है। इस ढांचे का उद्देश्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करना और ग्रामीण पेयजल सेवाओं के समन्वित प्रबंधन, जवाबदेही और सततता को सुनिश्चित करते हुए संचालन और रखरखाव चरण की दिशा में अभिशासन व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से उन्मुख करना है।

क. राष्ट्रीय स्तर (एनजेजेएम)

i. राष्ट्रीय स्तर पर मिशन का नेतृत्व एवं मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी मिशन निदेशक के नेतृत्व में कार्यरत राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) की होगी। वह राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समग्र नीति दिशा, कार्यनीतिक निरीक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा । एनजेजेएम मानकीकरण, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देते हुए नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर समन्वय करेगा;

ii. एनजेजेएम राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को सीआईआरपी, सुधार संबंधी लक्ष्यों तथा प्रदर्शन परिणामों से संबद्ध केंद्रीय सहायता की किश्त-आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसके लिए प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी, ताकि जवाबदेही, दक्षता एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके;

iii. एनजेजेएम अभिशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा सेवा प्रदायगी के बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढाँचों, डिजिटल निगरानी प्रणालियों तथा प्रदर्शन आंकलन तंत्रों के विकास में सहयोग प्रदान करेगा;

iv. प्रगति की निगरानी करने, सुधार संबंधी उपलब्धियों पर नज़र रखने और नीतिगत निर्णयों के लिए राज्य-स्तरीय जानकारी को संसाधित करने के लिए एक राष्ट्रीय कमांड और सहायता केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसे राज्य और जिला स्तर पर कमांड और सहायता केंद्र के साथ एकीकृत किया जाएगा;

v. इंजीनियरिंग, प्रबंधन और आईटी विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू), एनजेजेएम और मिशन निदेशक की सहायता करेगी। एनपीएमयू कार्यक्रम प्रबंधन, तकनीकी सहायता, कार्यक्रम मूल्यांकन और आईटी निगरानी संरचना के विकास का मदद करेगी;

vi. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी-राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान (एसपीएम-निवास), जल शक्ति मंत्रालय के तहत जोका, कोलकाता में स्थित एक स्वायत्त संस्थान है, जिसकी स्थापना जटिल जल और स्वच्छता प्रबंधन चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से की गई है। यह जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग में ज्ञान के कमियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, समग्र प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसमें स्वास्थ्य, कानून और लोक नीति शामिल हैं।

एसपीएम-निवास क्षमता निर्माण, कम लागत और कुशल वॉश प्रौद्योगिकियों से संबंधित अनुसंधान और विकास की सुविधा प्रदान करने, विभिन्न संस्थानों को राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों, शिक्षाविदों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य भागीदार एजेंसियों के साथ भागीदारी में अपने तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय कौशल को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए जिम्मेदार होगा।

ख. राज्य स्तर (एसडब्ल्यूएसएम, एपेक्स और कार्यकारी समितियां)

राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) में शीर्ष समिति और कार्यकारी समिति शामिल हैं:

i. मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति में पीएचई/ आरडब्ल्यूएस विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वास्थ्य, वित्त, योजना, शिक्षा और अन्य संबंधित विभागों के सचिव, भारत सरकार के प्रतिनिधि और सदस्य सचिव के रूप में राज्य मिशन निदेशक शामिल होंगे;

क. यह नीति का मार्गदर्शन करेगी, प्रमुख निर्णयों को मंजूरी देगी और प्रासंगिक राज्य अधिनियमों और नीतियों के तहत जल आपूर्ति उपयोगी सुविधाओं के कामकाज का समर्थन करेगी। इससे विभागों के बीच समन्वय भी सुनिश्चित होगा। समिति जल सुरक्षा, नियामक उपायों, जल सेवा प्रदाय निकाय सुधारों और राज्य की प्राथमिकताओं के साथ संरेखण पर निर्देश जारी करेगी;

ख. राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) का शीर्ष समिति के साथ विलय किया जाएगा;

ग. समिति नियमित रूप से त्रैमासिक आधार पर बैठक करेगी;

घ. यह समय-समय पर डीसी/ डीएम के साथ जेजेएम कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा करेगी।

ii. कार्यकारी समिति की अध्यक्षता राज्य मिशन निदेशक करेंगे जो राज्य स्तर पर मिशन की समग्र आयोजना, कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे। राज्य मिशन निदेशक डीसी/ डीएम के रूप में कम से कम 2 साल के अनुभव के साथ भारत सरकार के संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी के समकक्ष होगा, जो अंतर-विभागीय अभिसरण और प्रभावी निर्णय लेने के लिए पर्याप्त अधिकार सुनिश्चित करता है। एसडब्ल्यूएसएम कार्यकारी समिति की संरचना राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दिशानिर्देशों में उल्लिखित अभिसरण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित की जा सकती है, ताकि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों की अनिवार्य भागीदारी के साथ संबंधित विभागों में प्रभावी समन्वय को सक्षम किया जा सके:

क. कार्यकारी समिति जल जीवन मिशन 2.0 के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी, जिला जल एवं स्वच्छता मिशनों (डीडब्ल्यूएसएम) के कार्यों की निगरानी करेगी तथा जिला तकनीकी इकाइयों के प्रभावी संचालन के माध्यम से योजनाओं के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी को सहायता प्रदान करेगी। यह योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन तथा सेवा प्रदायगी मानकों के अनुपालन के लिए जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर की संस्थाओं के साथ प्रभावी समन्वय और सहभागिता को भी प्रोत्साहित करेगी;

ख. एसडब्ल्यूएसएम मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करेगा और जेजेएम-आईएमआईएस पोर्टल के माध्यम से एसडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड पर बैठक के कार्यवृत्त (एमओएम) अपलोड करेगा;

ग. एनजेजेएम के साथ समन्वय को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत एनजेजेएम के मिशन निदेशक तथा राज्य मिशन निदेशकों के बीच नियमित संवाद एवं समन्वय स्थापित किया जाएगा। मासिक समीक्षा बैठकों, संयुक्त निगरानी तथा वास्तविक समय में डेटा साझाकरण हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से समन्वित नियोजन, रिफोर्म्स के कार्यान्वयन तथा डेटा-आधारित शासन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा;

घ. मिशन के नियोजन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए तकनीकी, प्रबंधकीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) द्वारा कार्यकारी समिति को सहायता प्रदान की जाएगी। एसपीएमयू डेटा-संचालित निर्णय लेने, अंतर-विभागीय समन्वय और सेवा प्रदायगी मानकों के पालन में भी सहायता करेगी।

ग. जिला स्तर (डीटीयू और डीसीएससी के साथ डीडब्ल्यूएसएम)

i. जिला कलेक्टर/ उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला जल और स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) जिला स्तर पर मिशन के समग्र कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। यह योजनाओं के समय पर और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के लिए विभागों में अभिसरण और ग्राम पंचायत संस्थानों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करेगा;

चित्र 12: जेजेएम के तहत अभिशासन मॉडल

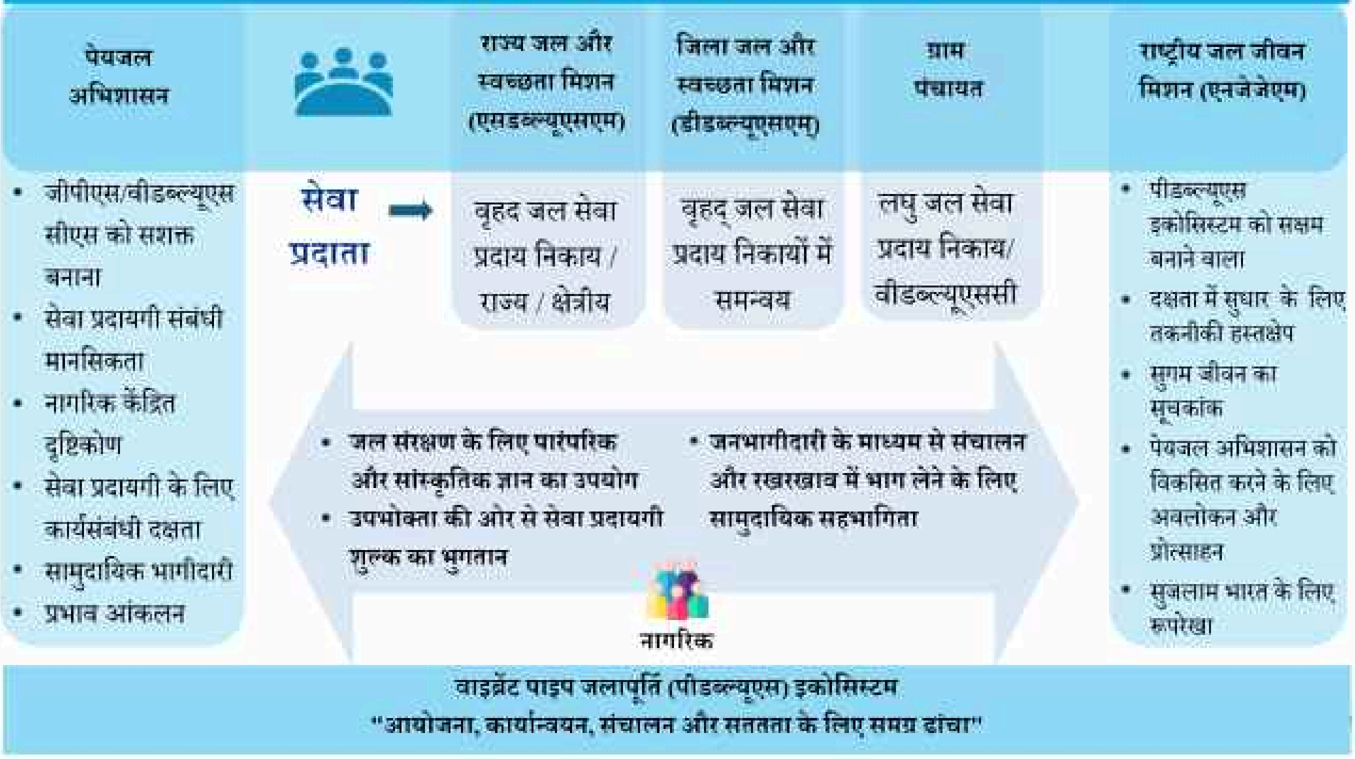

ii. डीडब्ल्यूएसएम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद)/ जिला विकास अधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी, परियोजना निदेशक (आईटीडीए/ आईटीडीपी जिलों में), जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जल संसाधन/ भूजल/ सिंचाई के कार्यकारी अभियंता, जिला कृषि अधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, संगत संबंधित विभागों के प्रतिनिधि, सदस्य सचिव के रूप में नामित पीएचई/ आरडब्ल्यूएस विभाग के तकनीकी विशेषज्ञ और कार्यकारी अभियंता शामिल होंगे;

iii. डीडब्ल्यूएसएम सभी हितधारकों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करेगा और जेजेएम-आईएमआईएस पोर्टल के माध्यम से डीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड पर बैठक के कार्यवृत्त (एमओएम) को अपलोड करेगा;

iv. डीडब्ल्यूएसएम जिला कमांड और सहायता केंद्र (डीसीएससी) को मिशन गतिविधियों की योजना, निगरानी और निरीक्षण के लिए, जल सेवा आंकलन के समर्थन के माध्यम से, तृतीय पक्ष के निरीक्षण, शिकायत वृद्धि के लिए और वास्तविक समय डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए केंद्र बिंदु के रूप में संचालित करेगा;

v. जिला तकनीकी इकाई (डीटीयू) और जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) के माध्यम से, डीडब्ल्यूएसएम ओ एंड एम, परिसंपत्ति प्रबंधन, सततता, आपदा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करेगा।

घ. ग्राम पंचायत (जीपी) और ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)

i. संस्थागत और कानूनी ढांचा: यद्यपि पेयजल सेवाओं का प्रदाय ग्राम स्तर पर किया जाता है, किंतु उनका शासन एवं सेवा प्रदायगी स्थानीय स्वशासन के संवैधानिक ढाँचे पर आधारित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम तथा संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में सुरक्षित एवं विश्वसनीय पेयजल सेवाएँ सुनिश्चित करने वाली प्रमुख प्राधिकृत संस्था है। ग्राम पंचायत ग्राम के भीतर स्थित पेयजल अवसंरचना के समग्र प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए उत्तरदायी होगी तथा ग्रामीण परिवारों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के परिणामों के प्रति जवाबदेह रहेगी।

जल जीवन मिशन के पहले के दिशा निर्देशों के अनुसार, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों या अन्य लागू स्थानीय सरकारी कानूनों के तहत सशक्त कानूनी संस्थाओं के रूप में ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) का गठन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस ढांचे के तहत, वीडब्ल्यूएससी जल और स्वच्छता के लिए ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के रूप में कार्य करती है, जिसमें राज्य अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत हस्तांतरण की गई संरचना, शक्तियां और कार्य शामिल हैं। यह व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर पर लोकतांत्रिक जवाबदेही बनाए रखते हुए विकेंद्रीकृत सेवा प्रदायगी को सक्षम बनाती है।

ii. ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) की कानूनी स्थिति और भूमिका: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) जल एवं स्वच्छता विषयों के लिए ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के रूप में कार्य करेगी, जिसे संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत वैधानिक आधार प्राप्त होगा।

क. वीडब्ल्यूएससी के संचालन क्षेत्र में एक गांव या गांवों का एक समूह शामिल हो सकता है, जैसा कि ग्राम पंचायत और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो बसावट के स्वरूप, जनसंख्या वितरण और सेवा प्रदायगी आवश्यकताओं के आधार पर होता है;

ख. जेजेएम 2.0 के तहत, गांव में जल आपूर्ति वितरण के लिए जिम्मेदार वीडब्ल्यूएससी को ग्राम-स्तरीय सेवा प्रदाय निकाय (माईक्रो यूटिलिटी) के रूप में मान्यता दी जाती है। माईक्रो यूटिलिटी के रूप में, वीडब्ल्यूएससी सेवा प्रदायगी के लिए सामुदायिक संपर्क माध्यम के रूप में कार्य करेगी, स्थानीय उपयोगकर्ताओं के प्रति सेवा स्तर, नागरिकों की संतुष्टि और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। यह मान्यता अभिशासन और संचालन के बीच भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से अलग करती है, ग्रामीण स्तर पर सेवा प्रदायगी के व्यावसायीकरण का समर्थन करती है और ग्रामीण पेयजल सेवाओं की सततता को मजबूत करती है;

ग. जहां ग्राम पंचायत पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के संचालन और रखरखाव के लिए राज्य सरकार और एक बाहरी एजेंसी के साथ त्रिपक्षीय करार करती है, वहां ग्राम पंचायत वीडब्ल्यूएससी को सेवा स्तर के करारों (एसएलए) के अनुपालन की निगरानी और गांव या बसावट स्तर पर मासिक कार्यशीलता मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी सौंपेगी। वीडब्ल्यूएससी सेवा के कार्य-निष्पादन पर नज़र रखने और विचलन, यदि कोई हो, की सूचना देने के लिए ग्राम स्तरीय तंत्र के रूप में कार्य करेगी;

घ. संचालन और रखरखाव के लिए बाह्य एजेंसियों की सेवाएँ लिए जाने की स्थिति में भी वीडब्ल्यूएससी की भूमिका समाप्त, कमजोर अथवा दरकिनार नहीं की जाएगी। अपनाए गए किसी भी ओ एंड एम मॉडल के बावजूद वीडब्ल्यूएससी अपना कार्य निरंतर करती रहेगी;

ङ. जल जीवन मिशन के तहत जनभागीदारी के मूलभूत सिद्धांत के अनुरूप, वीडब्ल्यूएससी पेयजल सेवा प्रदायगी के लिए प्राथमिक सामुदायिक इंटरफेस (संपर्क सूत्र) बनी रहेगी। यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित सेवा स्तरों को पूरा किया जाता है, नागरिकों का फीडबैक लिया जाता है, स्थानीय शिकायतों का समाधान किया जाता है और समग्र प्रयोक्ता संतुष्टि की निगरानी की जाती है। पारदर्शिता, जवाबदेही और निरंतर सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक संस्थानों के रूप में वीडब्ल्यूएससी की निरंतर भूमिका आवश्यक है, भले ही संचालन और रखरखाव बाहरी ठेकेदारों द्वारा किया जाता हो।

iii. **भूमिकाओं में भेद:** ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी

क. **ग्राम पंचायत की अभिशासन संबंधी भूमिका:** ग्राम पंचायत पेयजल सेवाओं के लिए प्रबंधकीय, पर्यवेक्षी, वित्तीय निरीक्षण और जवाबदेही संबंधी कार्य करेगी, जिनमें निम्न शामिल हैं:

1) ग्राम स्तर पर पेयजल सेवा प्रदायगी के लिए समग्र अभिशासन और नेतृत्व प्रदान करना;

2) मांग-आपूर्ति अंतर का आंकलन करने और पेयजल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए जल बजट तैयार करना;

3) संचालन और रखरखाव, स्रोत सततता और सेवा विस्तार के लिए ग्राम स्तरीय योजनाओं को मंजूरी देना;

4) समग्र सेवा प्रदायगी कार्य-निष्पादन की निगरानी करना और संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करना;

5) लागू मानदंडों के अनुसार नए पारिवारिक जल कनेक्शन के प्रावधान को मंजूरी देना;

6) शिकायत निवारण और विवाद समाधान तंत्र स्थापित करना;

7) निधियों का समन्वय सुनिश्चित करना और सेवा प्रदायगी शुल्क और लेखा परीक्षा की निगरानी सहित विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन।

ख. **वीडब्ल्यूएससी के संचालन और सेवा प्रदायगी कार्य:** वीडब्ल्यूएससी अपने अधिसूचित सेवा क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित संचालन और सेवा-स्तरीय कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी:

1) पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन और निगरानी में सहयोग प्रदान करना;

2) विरल बसावट वाले क्षेत्रों, दूरस्थ या कठिन बसावटों सहित सभी परिवारों में पेयजल का समान वितरण सुनिश्चित करना;

3) अनुमोदित अंतरिम व्यवस्थाओं के माध्यम से उन बसावटों में जहां पाइपगत जल आपूर्ति तकनीकी, वाणिज्यिक या भौगोलिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, वहां सुरक्षित पेयजल तक सामुदायिक पहुंच को सुगम बनाना;

4) गांव या बसावट के स्तर पर मासिक कार्यशीलता आंकलन करना, जिसमें जल आपूर्ति की उपलब्धता, मात्रा, गुणवत्ता और विश्वसनीयता शामिल है;

5) स्थानीय स्तर पर उपभोक्ता शिकायतों को रिकॉर्ड करना, ट्रैक करना और समाधान की सुविधा प्रदान करना;

6) यथा निर्धारित नियमित जल गुणवत्ता निगरानी और कीटाणुशोधन में मदद करना करना;

7) सेवा प्रदायगी शुल्क एकत्र करना और बुनियादी कार्यसंबंधी रिकॉर्ड बनाए रखना;

8) जल संरक्षण, जल स्रोतों के उत्तरदायी उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आईईसी गतिविधियों का आयोजन करना।

ग. **निगरानी, जल सेवा आंकलन और सामुदायिक जवाबदेही:** पारदर्शिता और निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए:

1) ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी गांवों और बसावटों को कवर करते हुए जल सेवा आंकलन के माध्यम से वार्षिक कार्यशीलता मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करेगी;

2) जल सेवा आंकलन के निष्कर्षों को सार्वजनिक रूप से साझा करना, नागरिकों का फीडबैक और सुधारात्मक उपायों की पहचान करने के लिए ग्राम सभा में ग्राम-वार प्रस्तुत किया जाएगा;

3) वीडब्ल्यूएससी मासिक मूल्यांकन डेटा और समुदाय-स्तरीय इनपुट प्रदान करके जल सेवा आंकलन प्रक्रिया का समर्थन करेगी।

घ. **सामुदायिक सहभागिता और मिशन कार्यक्रम:** सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व को आगे बढ़ाने में:

1) ग्राम पंचायत सेवा तत्परता प्राप्त करने पर जल आपूर्ति योजनाओं को औपचारिक रूप से चालू करने और सामुदायिक रूप से हस्तांतरण के लिए "जल अर्पण" का आयोजन करेगी;

2) ग्राम पंचायत और डब्ल्यूएससी संयुक्त रूप से जल संरक्षण, सेवा जागरूकता और पेयजल सेवाओं के उत्तरदायी उपयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में जल उत्सव को बढ़ावा देंगी।

iv. **ग्राम स्तरीय सहयोग हेतु वीडब्ल्यूएससी द्वारा अन्य कर्मिक/संस्थाओं की सहभागिता:** ग्राम स्तर के सेवा प्रदाता (माईक्रो यूटिलिटी) के रूप में अपनी कार्यसंबंधी जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए, ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) स्थानीय रूप से उपलब्ध कार्यबल और समुदाय-आधारित संगठन को शामिल कर सकती है और उनका उपयोग कर सकती है। इस तरह की भागीदारी संचालन और रखरखाव, सामुदायिक इंटरफेस (संपर्क सूत्र) और परिचालन संबंधी कार्यों में मदद करेगी, जबकि पेयजल सेवाओं के लिए समग्र जिम्मेदारी और जवाबदेही वीडब्ल्यूएससी की बनी रहेगी। वीडब्ल्यूएससी निम्नलिखित ग्राम और क्लस्टर स्तर के मानव संसाधनों और सामुदायिक संस्थानों को राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार विशिष्ट कार्य सौंप सकती है।

क. **नल जल मित्र (एनजेएम): वीडब्ल्यूएससी नल जल मित्रों, अधिमानतः** स्थानीय युवाओं या नल जल मित्र कार्यक्रम (एनजेएमपी) के तहत प्रशिक्षित पूर्व सैनिकों को गांव में पेयजल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के दिन-प्रतिदिन के संचालन और रखरखाव में सहायता करने के लिए शामिल कर सकती है। नल जल मित्र की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्न बातें शामिल हो सकती हैं:

1) भंडारण संरचनाओं, पंपों, पाइपलाइनों और कीटाणुशोधन इकाइयों सहित पाइपगत जल आपूर्ति प्रणालियों और संबंधित बुनियादी ढांचे का नियमित संचालन करना;

2) निवारक रखरखाव करना और रखरखाव कार्यक्रम और डीडब्ल्यूएसएम/ डीटीयू से तकनीकी मार्गदर्शन के अनुरूप मामूली तकनीकी समस्याओं का समाधान करना;

3) फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) का उपयोग करके प्रशिक्षित समुदाय के सदस्यों के साथ समन्वय सहित ग्राम स्तर की जल गुणवत्ता निगरानी का समर्थन करना;

4) उपयोगकर्ता की शिकायतों को दूर करने और स्थानीय शिकायत समाधान की सुविधा में वीडब्ल्यूएससी की सहायता करना;

5) जिला तकनीकी इकाई, कमांड और सहायता केंद्रों और नामित डिजिटल प्लेटफार्मों को फील्ड स्तर के अपडेट, सिस्टम की स्थिति और मुद्दों के बारे में सूचित करना।

ख. **सामुदायिक आधारित संगठन :** वीडब्ल्यूएससी जल गुणवत्ता परीक्षण, सेवा प्रदाय शुल्क संग्रहण, कार्यक्षमता आंकलन, प्रभाव आंकलन जैसे कार्यों को स्वयं सहायता समूहों (अधिमानतः राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित), प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), लार्ज एरिया मल्टी-पर्पज़ सोसाइटी (लैम्प्स) अथवा अन्य सामुदायिक आधारित संगठनों को सौंप सकती है। इनके माध्यम से निम्नलिखित कार्य भी संपादित किए जा सकते हैं:

1) सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल व्यवहार, जल संरक्षण और इष्टतम जल उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना;

2) सेवा प्रदायगी शुल्क के संग्रह का समर्थन करना और बुनियादी वित्तीय रिकॉर्ड रखने और उपयोगकर्ताओं के साथ संचार में वीडब्ल्यूएससी की सहायता करना;

3) एफटीके का उपयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण करना;

4) बैठकों का आयोजन, रिकॉर्ड बनाए रखने और संस्थागत कामकाज को मजबूत करने जैसी नियमित गतिविधियों में वीडब्ल्यूएससी को सुविधा और सहायता प्रदान करना;

5) प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन करना तथा संचालन और रखरखाव से संबंधित क्षमता निर्माण गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना;

6) सेवा प्रदायगी सहायता के लिए ग्राम पंचायतों, डीडब्ल्यूएसएम, डीटीयू और अन्य संस्थानों के साथ समन्वय में सहायता करना;

7) भागीदारी साधनों का उपयोग करके जल बजट और ग्राम जल सुरक्षा योजना जैसे भागीदारी अभ्यासों की सुविधा प्रदान करना;

8) सरकार के नेतृत्व वाले अभियानों, आईईसी गतिविधियों, अच्छी केस स्टडी (नवाचार आधारित पहल) का प्रलेखन, एक्सपोजर दौरों के आयोजन और सामुदायिक स्तर के प्रभाव मूल्यांकन में मदद करना।

पेयजल सेवाओं में सहायता प्रदान करने के लिए ग्राम स्तर पर वीडब्ल्यूएससी द्वारा लगाए गए समुदाय आधारित संगठनों को सुजलाम शक्ति समूह के रूप में जाना जाएगा। इससे इन समूहों को जल जीवन मिशन के उद्देश्यों के साथ जोड़ने और उन्हें मिशन के फ्रंट लाईन कार्यकर्ता के रूप में पहचानने में मदद मिलेगी। राज्य एसआरएलएम के समन्वय से इन समूहों के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देश जारी कर सकते हैं।

यह अभिशासन व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि पेयजल सेवाएं सशक्त स्थानीय संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जिसमें ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक निरीक्षण और जवाबदेही प्रदान करती है और वीडब्ल्यूएससी समुदाय-आधारित संगठन के रूप में कार्य करती है और स्थानीय लोगों को नियमित संचालन और जल आपूर्ति प्रणाली के रखरखाव में शामिल करती है, जिससे स्वामित्व की भावना, जनता का विश्वास और दीर्घकालिक सततता के लिए विश्वास की भावना पैदा होती है।

2.1.4. ग्रामीण पेयजल का नियामक ढांचा

जेजेएम 2.0 परिवार स्तर पर पाइपगत पेयजल, को जीवन के लिए पानी के मुख्य तत्व के रूप में मान्यता देता है। राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश पर्याप्तता, नियमितता और बीआईएस-10500 निर्धारित जल गुणवत्ता को कवर करते हुए सेवा प्रदायगी मानकों को सुनिश्चित करेंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित प्रमुख नियामक उपायों को प्राथमिकता दी जाएगी:

क. घरेलू जल उपयोग को प्राथमिकता

i. राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश घरेलू उपयोग हेतु जल आवंटन को प्राथमिकता देने के सिद्धांत को अपनाएंगे, जिसके अंतर्गत सतही जल तथा भूजल दोनों संसाधनों के आवंटन में परिवारों को पेयजल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी;

ii. सतही जल आधारित योजनाओं में, विशेष रूप से जलाशयों और बल्क अंतरण प्रणालियों (बल्क ट्रांसफर सिस्टम) पर निर्भर योजनाओं में, जन स्वास्थ्य प्राथमिकताओं और समानता के सिद्धांतों के अनुरूप, कमी की अवधि के दौरान ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए समर्पित आवंटन सुनिश्चित और संरक्षित किया जाएगा।

ख. स्रोत सुरक्षा ढांचा

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश पेयजल स्रोत संरक्षण के लिए एक वैधानिक ढांचा स्थापित करेंगे। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. प्रमुख पेयजल स्रोतों जैसे बोरवेल, झरनों और सतही जल सेवन के आसपास स्रोत संरक्षण क्षेत्रों की अधिसूचना;

ii. इन क्षेत्रों के भीतर भूमि उपयोग, निष्कर्षण और संभावित रूप से दूषित गतिविधियों का नियमन;

iii. प्रदूषण और स्रोतों के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए अनिवार्य सुरक्षा उपाय;

iv. प्रवर्तन और अनुपालन के लिए जिला अधिकारियों का सशक्तिकरण।

ग. पीडब्ल्यूएस बुनियादी अवसंरचना का संरक्षण

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश पाइपगत जल आपूर्ति (पीडब्ल्यूएस) अवसंरचना को क्षति, अतिक्रमण और अनधिकृत उपयोग से बचाने के लिए नियामक प्रावधान स्थापित करेंगे। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. महत्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना जैसे स्रोत सहबद्ध संरचनाओं, शोधन संयंत्रों, ट्रांसमिशन लाइनों और भंडारण जलाशयों के आसपास सुरक्षात्मक क्षेत्रों की अधिसूचना;

ii. भौतिक क्षति, छेड़छाड़ या अवैध कनेक्शन को रोकने के प्रावधान;

iii. परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए जिला और स्थानीय स्तर पर प्रवर्तन तंत्र;

iv. बुनियादी अवसंरचना के रखरखाव और सुरक्षा के लिए स्पष्ट जवाबदेही।

घ. सततता और स्रोत सुरक्षा

ग्रामीण जल आपूर्ति योजना जलभृत और वाटरशेड सिद्धांतों पर आधारित होगी, जिससे स्रोतों की दीर्घकालिक सततता सुनिश्चित होगी। सभी पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं में स्रोत विफलता या मौसमी परिवर्तनशीलता के दौरान सेवा की निरंतरता बनाए रखने के लिए वैकल्पिक स्रोतों को शामिल किया जाएगा।

ङ. जलवायु अनुकूलता और निरंतरता योजना

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश स्रोत विविधीकरण, जलभृत पुनर्भरण और स्थानीय भंडारण प्रणालियों सहित जलवायु-अनुकूल उपायों को एकीकृत करेंगे। सूखे, बाढ़ और अन्य व्यवधानों के दौरान निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक योजना में एक आपातकालीन निरंतरता योजना होगी।

च. संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) नीति

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के लिए एक व्यापक संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) नीति को अधिसूचित करेंगे, जिसमें सभी स्तरों-राज्य, जिला और ग्राम पंचायत/ स्थायी समितियों में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा। यह नीति सेवा प्रदाय के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करेगी,

प्रणाली के रखरखाव हेतु मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को परिभाषित करेगी तथा जलापूर्ति प्रणालियों की कार्यक्षमता, विश्वसनीयता एवं दीर्घकालिक सततता बनाए रखने के लिए सेवा प्रदाय शुल्क एवं लक्षित सहायता सहित सतत वित्तपोषण तंत्र सुनिश्चित करेगी।

छ. लोक सेवा गारंटी और शिकायत निवारण

i. राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश पेयजल सेवाओं को लोक सेवा गारंटी रूपरेखा (फ्रेमवर्क) के तहत लाएंगे तथा नए पारिवारिक नल कनेक्शन के प्रावधान, बुनियादी रूपरेखा (फ्रेमवर्क) के विस्तार और सेवाओं की बहाली के लिए निर्धारित समय-सीमा तय करेंगे। समयबद्ध और जवाबदेह प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए इन सेवा मानकों को अधिसूचित और लागू किया जाएगा;

ii. शिकायत पंजीकरण, ट्रैकिंग और उच्च स्तर पर संज्ञान में लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाधान के लिए परिभाषित समय-सीमा के साथ एक कार्यदक्ष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा। अनसुलझी शिकायतों को दूर करने के लिए जिला और राज्य में उच्च स्तर पर संज्ञान में लाने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही, पारदर्शिता और नागरिक विश्वास मजबूत होगा।

*****

अध्याय 2.2

पेयजल सेवा प्रदायगी हेतु सेवा प्रदाय निकाय (यूटिलिटी) आधारित दृष्टिकोण : द्विस्तरीय सेवा प्रदाय व्यवस्था

सुधार (रिफॉर्म) के उद्देश्य:

- सतत एवं सेवा-केंद्रित पेयजल सेवाओं के लिए सेवा प्रदाय निकाय (यूटिलिटी) आधारित मॉडल की ओर अग्रसर होना;
- ग्राम के भीतर पेयजलापूर्ति प्रणालियों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु लघु जल सेवा प्रदाय निकाय (माईक्रो यूटिलिटी) को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना तथा उनका प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना;
- ग्राम के बाहर की पेयजलापूर्ति प्रणालियों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु राज्य/ क्षेत्रीय स्तर पर वृहद जल सेवा प्रदाय निकायों (मैक्रो यूटिलिटी) का गठन एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना;
- सेवा स्तरों में सुधार के लिए जल सेवा प्रदाय निकायों का प्रदर्शन मानकीकरण तथा समय-समय पर उनका आंकलन करना।

2.2.1. पृष्ठभूमि

जल जीवन मिशन (जेजेएम) का उद्देश्य पर्याप्तता, नियमितता और गुणवत्ता के निर्धारित सेवा प्रदायगी मानदंडों के अनुसार सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से योजना केंद्रित और बुनियादी ढांचे-केंद्रित दृष्टिकोण से सेवा प्रदायगी-उन्मुख ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता है जो जल आपूर्ति परिसंपत्तियों के पूर्ण जीवनचक्र में निरंतर कार्य-निष्पादन को सुनिश्चित करता है। ऐतिहासिक रूप से, ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों का प्रबंधन विभाग के नेतृत्व में, योजना-आधारित व्यवस्थाओं के माध्यम से किया गया है, जो बुनियादी ढांचे के निर्माण में सफल होने के बावजूद, संरचनात्मक और कार्यसंबंधी बाधाओं का सामना करती हैं जैसे ग्राम पंचायतों के साथ कमजोर समन्वय, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का अस्पष्ट समनुदेशन, सीमित कार्य-निष्पादन निगरानी, कार्यसंबंधी अनम्यता तथा संचालन और रखरखाव के वित्तपोषण में अनिश्चितता। प्रणालियों के बढ़ते स्तर और जटिलता के साथ, विशेष रूप से बहु-ग्राम और वृहद जल आपूर्ति योजनाओं (बल्क वाटर स्कीम) में, इन चुनौतियों का पेयजल सेवाओं की विश्वसनीयता, दक्षता और सततता पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

इस संदर्भ में, ग्रामीण पेयजल सेवा प्रदायगी के लिए एक जल सेवा प्रदाय निकाय (यूटिलिटी)आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है ताकि जल आपूर्ति को अच्छी तरह से परिभाषित संस्थागत व्यवस्थाओं, पेशेवर प्रबंधन परिपाटियों और कार्यदक्ष कार्य-निष्पादन निगरानी प्रणालियों द्वारा सहयोग से एक सतत जन सेवा के रूप में माना जा सके। यूटिलिटी आधारित मॉडल स्पष्ट जवाबदेही, बेहतर कार्यशील दक्षता, पूर्वानुमानित ओ एंड एम तंत्र और बुनियादी ढांचे के निवेश और सेवा प्रदायगी परिणामों के बीच मजबूत संरेखण को सक्षम बनाता है।

ओ एंड एम, वित्तीय प्रबंधन, परिसंपत्ति ट्रैकिंग तथा निर्णय सहायता के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम प्लेटफॉर्मों का एकीकरण पारदर्शिता और डेटा-आधारित नियोजन को और अधिक सुदृढ़ करता है। विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप, दोहरी यूटिलिटी आधारित ढांचे में समुदाय आधारित संस्थानों जैसे ग्राम जल और स्वच्छता समितियों की परिकल्पना की गई है, जो अंतिम छोर तक सेवा प्रदायगी के लिए माईक्रो यूटिलिटी के रूप में कार्य करती हैं, जो वृहद जल आपूर्ति और बड़े पैमाने पर प्रणाली प्रबंधन के लिए जिम्मेदार क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय मैक्रो यूटिलिटी का पूरक हैं। साथ में, जेजेएम 2.0 के तहत यह दृष्टिकोण विकासात्मक प्राथमिकताओं को आधार मानते हुए सतत, कुशल और जवाबदेह ग्रामीण पेयजल सेवाओं को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

2.2.2. द्विस्तरीय सेवा प्रदाय निकाय संस्थागत रुपरेखा (फ्रेमवर्क)

जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति संरचना स्थानीय सेवा प्रदायगी और प्रणाली स्तर प्रबंधन की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लघु (माईक्रो) और वृहद (मैक्रो) सेवा प्रदाय निकाय को शामिल करते हुए एक द्विस्तरीय जल सेवा प्रदायवाले ढांचे को अपनाती है। यह ढांचा संचालन के पैमाने, कार्यों की प्रकृति और सेवा प्रदायगी के स्तर के आधार पर माईक्रो एवं मैक्रो यूटिलिटी के बीच अंतर करता है। इस वर्गीकरण का उद्देश्य निम्न को सक्षम बनाना है:

i. भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट चित्रण;

ii. बेहतर कार्यसंबंधी दक्षता और जवाबदेही;

iii. सेवा प्रदायगी के विभिन्न स्तरों पर जल आपूर्ति प्रणालियों का प्रभावी प्रबंधन।

2.2.3. ग्राम स्तरीय लघु सेवा प्रदाय निकाय (माईक्रो यूटिलिटी)

एक माईक्रो यूटिलिटी ग्राम स्तरीय, उपभोक्ता-केंद्रित सेवा प्रदायगी निकाय को संदर्भित करती है जो एक परिभाषित सेवा क्षेत्र के भीतर पेयजल सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होती है जो आमतौर पर ग्राम पंचायत/ गांव/ गांवों के समूह के अनुरूप होती है।

जेजेएम 2.0 के तहत, प्रासंगिक राज्य पंचायती राज अधिनियम या नियमों के तहत ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के रूप में गठित ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) एक माईक्रो यूटिलिटी (जैसा कि अध्याय 2.1 में परिभाषित किया गया है) के रूप में कार्य करेगी, माईक्रो यूटिलिटी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी कि पर्याप्तता, नियमितता और गुणवत्ता से संबंधित निर्धारित सेवा मानदंडों के अनुसार सभी परिवारों में पेयजल सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

इस संबंध में, माईक्रो यूटिलिटी निम्नलिखित कार्य करेगी:

i. वितरण नेटवर्क, भंडारण संरचनाओं और संबंधित घटकों सहित गांव में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे का नियमित ओ एंड एम;
ii. सभी परिवारों में जल का समान और विश्वसनीय वितरण सुनिश्चित करना, जिसमें दूरदराज या दुर्गम बसावटें भी शामिल हैं;
iii. बसावट स्तर पर सेवा प्रदायगी मापदंडों की निगरानी करना और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपाय करना;
iv. उपभोक्ताओं के लिए प्राथमिक इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करना, जिसमें शिकायतों को रिकॉर्ड करने और उनका समाधान करने की सुविधा प्रदान करना शामिल है;
v. जल गुणवत्ता निगरानी, कीटाणुशोधन प्रक्रियाओं और सुरक्षा मानकों के पालन में सहयोग करना;
vi. जल संसाधनों की सामुदायिक भागीदारी, जागरूकता और उत्तरदायी उपयोग को बढ़ावा देना।

माईक्रो यूटिलिटी अंतिम छोर तक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करेगी और सेवाओं की प्रदायगी और सेवा मानकों के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत और ग्रामीण परिवारों के प्रति सीधे जवाबदेह होगी।

2.2.4. राज्य/ क्षेत्र स्तरीय वृहद सेवा प्रदाय निकाय (मैक्रो यूटिलिटी)

एक मैक्रो यूटिलिटी सिस्टम-स्तरीय संस्थागत निकाय को संदर्भित करती है जो वृहद (बल्क) जल आपूर्ति प्रणालियों की नियोजन, विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है और कई पेय जल सेवा क्षेत्रों में तकनीकी, प्रबंधकीय और कार्यसंबंधी सहायता प्रदान करती है।

जल आपूर्ति प्रणालियों के पैमाने और जटिलता के आधार पर ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर मैक्रो यूटिलिटी की स्थापना की जा सकती है और इन्हें लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों (पीएचईडी)/ ग्रामीण विकास/ पंचायती राज विभाग, राज्य जल निगम , विशेष प्रयोजन साधनों (एसपीवी) या अन्य नामित एजेंसियों के भीतर रखा जा सकता है। मैक्रो यूटिलिटी बहु-ग्राम योजनाओं और बल्क वाटर ट्रांसफर प्रणालियों सहित बड़े पैमाने पर और तकनीकी रूप से जटिल बुनियादी ढांचे के कुशल और विश्वसनीय कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

इस संबंध में, मैक्रो यूटिलिटी निम्नलिखित कार्य करेगी:

i. स्रोत विकास, शोधन और पारेषण बुनियादी ढांचे सहित वृहद जल आपूर्ति प्रणालियों की नियोजन, डिजाइन और निष्पादन;
ii. विशेष तकनीकी क्षमता की आवश्यकता वाली गांव से बाहर स्थित वृहत अवसंरचना का संचालन और रखरखाव;
iii. सेवा क्षेत्रों में वृहद जल आपूर्ति की उपलब्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना;
iv. माईक्रो यूटिलिटी को तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और मार्गदर्शन प्रदान करना;
v. प्रणाली के कार्य-निष्पादन की निगरानी करना और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करना;
vi. वित्तीय नियोजन, लागत अनुकूलन, समग्र स्तर पर कुशल संसाधन उपयोग में मदद करना और वृहद जल सेवा प्रदाय निकाय के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ता को स्तरीय अर्थव्यवस्थाओं के लाभों को पहुंचाना।

मैक्रो यूटिलिटी एक सिस्टम इंटीग्रेटर और इनेबलर के रूप में कार्य करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि बुनियादी ढांचा प्रणाली कुशलतापूर्वक काम करती है और स्थानीय स्तर पर निरंतर सेवा प्रदायगी में सहयोग करती है।

2.2.5. लघु और वृहद जल सेवा प्रदाय निकाय के बीच समन्वय

जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 के तहत द्वि-स्तरीय सेवा प्रदाय निकाय (यूटिलिटी) मॉडल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की निर्बाध नियोजन, संचालन और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए माईक्रो एवं मैक्रो जल प्रदाय संस्था के बीच संरचित समन्वय तंत्र की स्थापना की आवश्यकता है।

समन्वय ढांचे (फ्रेमवर्क) का उद्देश्य होगा:

i. पेयजल सेवाओं की विश्वसनीय और निर्बाध प्रदायगी सुनिश्चित करना;
ii. वृहद (बल्क) जल आपूर्ति प्रणालियों और गांव में प्रदायगी नेटवर्क के बीच एकीकरण की सुविधा प्रदान करना;
iii. कार्यसंबंधी और सेवा प्रदायगी संबंधी मुद्दों का समय पर समाधान सक्षम करना;
iv. यूटिलिटी स्तर पर जवाबदेही और कार्य-निष्पादन को मजबूत करना।

क. माईक्रो एवं मैक्रो यूटिलिटी के बीच समन्वय

माईक्रो यूटिलिटी (ग्राम पंचायत/ वीडब्ल्यूएससी स्तर के निकाय) और मैक्रो यूटिलिटी (क्षेत्रीय या वृहद जल आपूर्ति निकाय) कुशल और विश्वसनीय सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए समन्वित और पूरक तरीके से कार्य करेंगी।

इस तरह के समन्वय में निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. बल्क जलापूर्ति की समय-सारिणी का ग्राम-स्तरीय वितरण आवश्यकताओं के साथ समायोजना;

ii. यूटिलिटी स्तर पर कार्यसंबंधी और कार्य-निष्पादन डेटा साझा करना;

iii. प्रणालीगत विफलताओं एवं सेवा व्यवधानों के प्रति समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना;

iv. रखरखाव, वृद्धि और सेवा में सुधार के लिए संयुक्त योजना।

ख. जिला स्तरीय समन्वय तंत्र

जिला जल और स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) माईक्रो (लघु) और मैक्रो (वृहद) यूटिलिटी में कार्यों के एकीकरण के लिए जिला स्तर पर प्राथमिक समन्वय मंच के रूप में कार्य करेगा।

जिला तकनीकी इकाई (डीटीयू) तकनीकी समन्वय और सहायता इकाई के रूप में कार्य करेगी और निम्नलिखित कार्य भी संपन्न करेगी:

i. माईक्रो यूटिलिटी को तकनीकी सहायता प्रदान करना;

ii. माईक्रो (लघु) और मैक्रो (वृहद) यूटिलिटी के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करना;

iii. जिला स्तर पर सेवा प्रदायगी कार्य-निष्पादन की निगरानी करना;

iv. क्षमता निर्माण और समस्या निवारण में सहयोग करना।

माईक्रो एवं मैक्रो जल प्रदाय निकायों के बीच विवाद या कार्यसंबंधी मुद्दों की स्थिति में, ऐसे मामलों को तकनीकी इनपुट और सिफारिशें प्रदान करने वाली डीटीयू के साथ समाधान के लिए डीडब्ल्यूएसएम को भेजा जाएगा।

ग. राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) की भूमिका

राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) सेवा प्रदाय निकाय ढांचे (फ्रेमवर्क) के कार्यान्वयन के लिए समग्र नीति-निर्देश और निरीक्षण प्रदान करेगा।

एसडब्ल्यूएसएम के कार्य एवं उत्तरदायित्व:

i. यूटिलिटी संचालन से संबंधित योजनाओं और रूपरेखाओं को मंजूरी देगा;

ii. निर्धारित मानकों एवं सेवा स्तर मानदंडों के सापेक्ष जल सेवा प्रदाय निकाय (यूटिलिटी) के कार्यों की निगरानी करना;

iii. संचालन एवं रखरखाव मानदंडों और वित्तीय सततता ढांचे (फ्रेमवर्क) का पालन सुनिश्चित करेगा;

iv. अंतर-विभागीय समन्वय एवं नीतिगत समन्वय को सुगम बनाना;

v. मैक्रो एवं माईक्रो यूटिलिटी के बीच सेवा प्रदायगी शुल्क के लिए एक पारदर्शी और तर्कसंगत ढांचा स्थापित करेगा। यह ढांचा:

क. मैक्रो एवं माईक्रो यूटिलिटी दोनों की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करेगा;

ख. बल्क जल आपूर्ति और सिस्टम संचालन की लागत को प्रतिबिंबित करेगा;

ग. अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए सामर्थ्य बनाए रखेगा;

घ. एकीकृत अभिशासन ढांचा

समन्वय तंत्र एक बहु-स्तरीय अभिशासन ढांचे के भीतर काम करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. सेवा प्रदायगी के लिए ग्राम पंचायत/ वीडब्ल्यूएससी (लघु जल सेवा प्रदाय निकाय - माईक्रो यूटिलिटी);

ii. समन्वय, तकनीकी सहायता और निगरानी के लिए डीडब्ल्यूएसएम और डीटीयू (जिला स्तर);

iii. नीति निर्देशन, निरीक्षण और कार्य-निष्पादन समीक्षा के लिए एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)।

यह एकीकृत ढांचा सभी स्तरों पर नियोजन, कार्यान्वयन और सेवा प्रदायगी कार्यों के संरेखण को सुनिश्चित करेगा, जिससे कुशल, जवाबदेह और स्थायी ग्रामीण पेयजल सेवाएं सक्षम होंगी।

2.2.6. जल सेवा प्रदाय निकायों (यूटिलिटी) की बेंचमार्किंग

क. बेंचमार्किंग का उद्देश्य

ग्रामीण जल सेवा प्रदाय निकायों के निष्पादन का आंकलन करने और सेवा प्रदायगी में निरंतर सुधार को सक्षम करने के लिए बेंचमार्किंग एक आवश्यक उपकरण है। यह सेवा स्तरों, कार्यसंबंधी दक्षता और वित्तीय सततता से संबंधित परिभाषित मानकों के खिलाफ जल सेवा प्रदाय निकाय निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है।

बेंचमार्किंग से निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त होंगी:

i. प्रमुख मापदंडों में जल सेवा प्रदाय निकाय निष्पादन का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन;

ii. कार्य-निष्पादन कमियों और कार्यसंबंधी अक्षमताओं की पहचान;

iii. मापने योग्य सुधारात्मक लक्ष्यों की स्थापना;

iv. जवाबदेही, पारदर्शिता और निर्णय लेने की जानकारी को बढ़ावा देना।

ख. प्रमुख कार्य-निष्पादन क्षेत्र

माईक्रो एवं मैक्रो यूटिलिटी की बेंचमार्किंग निम्नलिखित प्रमुख आयामों के अंतर्गत की जाएगी:

तालिका 4: जल सेवा प्रदाय निकाय के स्मार्ट बेंचमार्किंग संकेतक					
क्र. सं.	सांकेतिक बेंचमार्किंग	बुनियादी स्तर	सुधार स्तर	उन्नत स्तर	अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ (डेनमार्क) संकेतक
1.	एनआरडब्ल्यू या अनाभिलेखि जल (यूएफडब्ल्यू) का प्रतिशत	>25%	15 से 25%	<15%	लगभग 7% जल की कमी
2.	मीटरिंग कवरेज (%)	>20%	20 से 50%	<50%	66% रिमोट रीड मीटर
3.	सेवा व्यवधान (रुकावट/ माह के दिन)	प्रतिमाह >3	1-3 दिन	<1 दिन	लगभग 46 मिनट/वर्ष की रुकावट
4.	जल गुणवत्ता अनुपालन (%)*	दिन <97%	97 से 99%	>99%	99.4% नमूनों के अनुरूप
5.	ऊर्जा उपयोग (किलोवाट/मी^{3})	>0.75	0.55-0.75	<0.55	लगभग 0.44 किलोवाट/ मी^{3} औसत
6.	सेवा में लीकेज की संख्या	>1 प्रति माह	3 महीने में एक बार	6 महीने में एक बार	-
7.	वित्तीय दक्षता (लागत वसूली)	<30%	30% से 50%	>50%	यूटिलिटी द्वारा प्रबंधित
8.	शिकायत निवारण (प्रक्रिया अवधि समय)	>3 दिन	<3 दिन	<1 दिन	-

*मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन 100%

i. **सेवा प्रदायगी:** जल आपूर्ति की नियमितता, पर्याप्तता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता;

ii. **कार्यसंबंधी दक्षता:** गैर-राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) या अनाभिलेखित जल को कम करना, ऊर्जा दक्षता, सिस्टम अपटाइम और अनुरूप परिपाटियां;

iii. **वित्तीय प्रदर्शन:** लागत वसूली, ओ एंड एम व्यय और राजस्व संग्रह दक्षता;

iv. **ग्राहक सेवा:** शिकायत निवारण, प्रतिक्रिया समय और उपयोगकर्ता संतुष्टि;

v. **सततता:** स्रोत सततता, जल संरक्षण और दीर्घकालिक प्रणाली व्यवहार्यता।

ग. बेंचमार्किंग दृष्टिकोण

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश यूटिलिटी की बेंचमार्किंग के लिए स्मार्ट (विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध) संकेतक विकसित करेंगे और उन्हें अपनाएंगे।

बेंचमार्किंग फ्रेमवर्क दोनों पर लागू किया जाएगा:

i. ग्राम स्तर पर सेवा प्रदायगी के लिए माईक्रो यूटिलिटी (वीडब्ल्यूएससी);

ii. सिस्टम-स्तर और थोक जल प्रबंधन कार्यों के लिए मैक्रो यूटिलिटी।

राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रमुख संकेतकों और लक्ष्य श्रेणियों सहित एक सांकेतिक बेंचमार्किंग मैट्रिक्स विकसित किया जा सकता है और क्षेत्रीय अधिगम और कार्य-निष्पादन रुझानों के आधार पर समय-समय पर अपडेट किया जा सकता है।

यूटिलिटी के लिए एक सांकेतिक स्मार्ट बेंचमार्किंग संकेतक तालिका 4 में प्रदान किए गए हैं।

घ. बेंचमार्किंग का उपयोग

एसडब्ल्यूएसएम और डीडब्ल्यूएसएम लघु जल सेवा प्रदाय निकाय कार्य-निष्पादन के लिए एक मुख्य प्रबंधन उपकरण के रूप में बेंचमार्किंग का उपयोग करेंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. निर्धारित संकेतकों के आधार पर जल सेवा प्रदाय निकायों के वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा करना;

ii. कम प्रदर्शन करने वाली जल सेवा प्रदाय निकायों की पहचान कर उन्हें लक्षित तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता प्रदान करना;

iii. निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर जल सेवा प्रदाय निकायों के लिए क्रमिक सुधार के लक्ष्य निर्धारित करना;

iv. प्रदर्शन में सुधार को प्रोत्साहनों, मान्यता तथा क्षमता निर्माण संबंधी हस्तक्षेपों से जोड़ना;

v. जल सेवा प्रदाय निकायों के बीच परस्पर सीख को बढ़ावा देना तथा श्रेष्ठ कार्य के प्रसार को सुगम बनाना।

ङ. पारदर्शिता और सार्वजनिक प्रकटीकरण

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित द्वारा लघु जल सेवा प्रदाय निकाय कार्य-निष्पादन में पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे:

i. यूटिलिटी की आवधिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट प्रकाशित कराना;

ii. डिजिटल प्लेटफॉर्म और डैशबोर्ड पर प्रमुख संकेतक उपलब्ध कराना;

iii. कार्य-निष्पादन डेटा तक सार्वजनिक पहुंच को सक्षम कराना, जहां भी संभव हो।

जल सेवा प्रदाय निकायों (यूटिलिटी) के प्रदर्शन संबंधी जानकारी को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने से जवाबदेही बढ़ेगी, नागरिकों का विश्वास मजबूत होगा तथा बेहतर सेवा प्रदायगी के लिए जल सेवा प्रदाय निकायों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

च. सर्वोत्तम परिपाटियों से सीखना

बेंचमार्किंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिपाटियों (गुड प्रेक्टिसेस) पर विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, डेनमार्क जैसे देशों में दीर्घकालिक बेंचमार्किंग परिपाटियां यह प्रदर्शित करती हैं कि निरंतर कार्य-निष्पादन माप, सार्वभौमिक मीटरिंग, रिसाव का पता लगाने वाली प्रणाली और सार्वजनिक प्रकटीकरण, दक्षता और सेवा विश्वसनीयता को काफी बढ़ा सकते हैं।

इस तरह की परिपाटियों (गुड प्रेक्टिसेस) ने जल सेवा प्रदाय निकायों को निम्नलिखित प्राप्त करने में सक्षम बनाया है:

i. जल की कमी का निम्न स्तर;

ii. सेवा उपलब्धता का उच्च स्तर;

iii. कुशल और उत्तरदायी सेवा प्रदायगी प्रणाली।

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण जल प्रदाय निकायों के लिए बेंचमार्किंग ढांचे को मजबूत करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल ऐसे अनुभवों का लाभ उठा सकते हैं।

2.2.7. राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुकूल और चरणबद्ध कार्यान्वयन

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश, द्विस्तरीय यूटिलिटी वाले ढांचे के कार्यान्वयन के लिए एक चरणबद्ध और संदर्भ-विशिष्ट दृष्टिकोण अपना सकते हैं, जिसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा गया है:

i. मौजूदा संस्थागत क्षमताएं;

ii. योजनाओं की टाइपोलॉजी (एसवीएस/ एमवीएस/ बीडब्ल्यूएस);

iii. भौगोलिक और जनसांख्यिकीय स्थितियां;

iv. तकनीकी और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता।

सेवा प्रदाता ढांचे को समय के साथ चरणबद्ध रूप से सुदृढ़ किया जा सकता है, जिसमें सेवा प्रदायगी के परिणामों, परिचालन दक्षता तथा दीर्घकालिक सततता में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

क. राज्यों/ केंद्र शासित राज्यों के लिए प्रमुख कार्य बिंदु

i. राज्य पंचायती राज अधिनियमों के अनुसार बीडब्ल्यूएससी को माईक्रो यूटिलिटी के रूप में अधिसूचित और संचालित करना;

ii. जहां आवश्यक हो, उचित स्तरों पर मैक्रो यूटिलिटी के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को परिभाषित करना;

iii. माईक्रो एवं मैक्रो यूटिलिटी के बीच स्पष्ट रिपोर्टिंग और समन्वय तंत्र स्थापित करना;

iv. ग्राम पंचायतों, वीडब्ल्यूएससी, मैक्रो यूटिलिटी और अन्य हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने वाले विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करना;

v. अभिशासन (ग्राम पंचायत) और सेवा प्रदायगी (माईक्रोयूटिलिटी) कार्यों के बीच पृथकता सुनिश्चित करना;

vi. प्रशासनिक निरीक्षण और कार्य-निष्पादन निगरानी के लिए व्यवस्था स्थापित करना;

vii. गांव और प्रणाली दोनों स्तरों पर जल आपूर्ति प्रणालियों के संचालन और रखरखाव के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) विकसित करना;

viii. माईक्रो एवं मैक्रो यूटिलिटी के लिए सेवा स्तरीय बेंचमार्क और कार्य-निष्पादन संकेतक परिभाषित करना;

ix. बल्क जल आपूर्ति प्रणालियों और गांव में वितरण के बीच समन्वय के लिए प्रोटोकॉल स्थापित करना;

x. माईक्रो यूटिलिटी के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए वीडब्ल्यूएससी का क्षमता निर्माण करना;

xi. मैक्रो यूटिलिटी के कार्यों का सहयोग करने के लिए जिला/ क्षेत्रीय स्तर पर तकनीकी सहायता संरचनाएं बनाना;

xii. नल जल मित्रों और समुदाय-आधारित संस्थाओं जैसे प्रशिक्षित कर्मियों की भागीदारी को बढ़ावा देना;

xiii. जल आपूर्ति प्रणालियों के संचालन और रखरखाव (O&M) के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करना;

xiv. ग्राम स्तर पर सेवा प्रदायगी शुल्क के संग्रह और प्रबंधन के लिए तंत्र स्थापित करना;

xv. संसाधनों के अभिसरण और कुशल निधि उपयोग के माध्यम से यूटिलिटी की वित्तीय सततता को सक्षम करना;

xvi. वित्तीय प्रबंधन, भौतिक प्रगति निगरानी, कार्यशीलता और परिसंपत्ति ट्रैकिंग के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ यूटिलिटी संचालन का एकीकरण सुनिश्चित करना;

xvii. माईक्रो एवं मैक्रो यूटिलिटी स्तरों पर रीयल-टाइम डेटा कैप्चर और रिपोर्टिंग सक्षम करना;

xviii. कार्य-निष्पादन निगरानी और निर्णय लेने के लिए डिजिटल डैशबोर्ड का उपयोग करना;

xix. माईक्रो एवं मैक्रो यूटिलिटी, दोनों के लिए कार्य-निष्पादन निगरानी ढांचे की स्थापना करना;

xx. कार्यशीलता और विश्वसनीयता सहित सेवा प्रदायगी परिणामों का आवधिक आंकलन करना;

xxi. निष्पादन कमी को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई तंत्र स्थापित करना।

अध्याय 2.3

ग्राम पंचायतों हेतु तकनीकी सहायता ढाँचे की स्थापना

सुधार (रिफॉर्म) के उद्देश्य:

- सीपीएचईईओ मानदंडों के मजबूत तकनीकी अनुपालन के माध्यम से जल आपूर्ति योजनाओं की बेहतर गुणवत्ता और मानकीकरण;
- सिस्टम की तत्परता सुनिश्चित करने वाले कठोर और संरचित कार्य-संचालन प्रारंभ करने संबंधी प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन;
- प्रक्रियाओं के व्यवस्थित हस्तांतरण द्वारा संचालित परिसंपत्तियों की सततता में वृद्धि और सामुदायिक स्वामित्व को मजबूत करना;
- निरंतर सहायता प्रणालियों के रूप में जिला तकनीकी इकाइयों के संस्थागतकरण के माध्यम से जिला स्तर पर तकनीकी क्षमता को मजबूत करना;
- बेहतर डिजाइन के माध्यम से कार्यसंबंधी दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार।

जेजेएम 2.0 तकनीकी गुणवत्ता, कार्यसंबंधी विश्वसनीयता और दीर्घकालिक सततता को बढ़ाकर जल आपूर्ति प्रणालियों को मजबूत करने के लिए व्यापक ढांचे के निर्माण की दिशा में ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके लिए पूर्ण प्रणाली तत्परता सुनिश्चित करने के लिए संरचित कार्य-संचालन प्रारंभ करने संबंधी प्रोटोकॉल द्वारा समर्थित सीपीएचईईओ मानदंडों के सख्ती से पालन के माध्यम से नियोजन और कार्य-निष्पादन को मानकीकृत करने की आवश्यकता है। प्रक्रियाओं के व्यवस्थित हस्तांतरण और मजबूत डिजाइन सत्यापन के माध्यम से सेवा दक्षता में सुधार करते हुए, प्रक्रियाओं के व्यवस्थित हस्तांतरण और प्रबलित सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से सृजित परिसंपत्ति को बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। इस दृष्टिकोण का केंद्रबिंदु जिला तकनीकी इकाइयों के संस्थागतकरण के माध्यम से जिला स्तर की तकनीकी व्यवस्था को मजबूत करना है, जमीनी स्तर पर निरंतर तकनीकी सहायता और प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम बनाना है।

2.3.1. जिला तकनीकी इकाई (डीटीयू) - संस्थागत ढांचा

राज्य/ केंद्र शासित राज्य डीटीयू[1] -संस्थागत ढांचे का गठन करेंगे।

क. पृष्ठभूमि और औचित्य

सृजित ग्रामीण जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे की दीर्घकालिक कार्यशीलता, सततता और विश्वसनीय सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए, जेजेएम के विस्तारित चरण में एक निर्माण आधारित, विभाग संचालित मॉडल से यूटिलिटी आधारित, सेवा-उन्मुख अभिशासन ढांचे में बदलाव की आवश्यकता है। तदनुसार, डीडब्ल्यूएसएम के तकनीकी मेरुदंड के रूप में प्रत्येक जिले में एक डीटीयू स्थापित की जाएगी।

ख. संरचना और भूमिका

डीटीयू में आवश्यकतानुसार जिला स्तर पर पीएचईडी अधिकारी, जल गुणवत्ता अधिकारी, आरडी एंड पीआर प्रतिनिधि, केंद्रीय/ राज्य जीडब्ल्यूबी अधिकारी, सिंचाई/ जल संसाधन विभाग के अधिकारी और तकनीकी परामर्शदाता शामिल होंगे। डीटीयू ग्रामीण जल संचालन के लिए पीएचईडी की विस्तारित तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करेगी और सभी तकनीकी और संचालनात्मक मामलों पर डीडब्ल्यूएसएम को रिपोर्ट करेगी। डीटीयू जेजेएम के तहत अपनायी गयी दोहरी यूटिलिटी प्रणाली के अनुसार माईक्रो यूटिलिटी (जीपी/ वीडब्ल्यूएससी द्वारा प्रबंधित इन-विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर) और मैक्रो यूटिलिटी (पीएचई/ आरडब्ल्यूएस विभाग द्वारा प्रबंधित आउट-विलेज और बल्क वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर) के बीच समन्वय करेगी।

ग. प्रमुख कार्य

सृजित ग्रामीण जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे की दीर्घकालिक कार्यशीलता, सततता और विश्वसनीय सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए, जेजेएम के विस्तारित चरण में निर्माण आधारित, विभाग संचालित मॉडल से जल सेवा प्रदाय निकाय-आधारित, सेवा-उन्मुख अभिशासन ढांचे में बदलाव की आवश्यकता है। तदानुसार, डीडब्ल्यूएसएम के तकनीकी मेरुदंड के रूप में प्रत्येक जिले में एक डीटीयू स्थापित की जाएगी।

डीटीयू अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी:

i. योजना गैप विश्लेषण, निगरानी, कार्य-संचालन प्रारंभ करना और सपोर्ट प्रदान करना;

[1] 'जिला तकनीकी इकाई (डीटीयू)-संस्थागत ढांचा' जैसा कि पत्र संदर्भ डीडीडब्ल्यूएस पत्र सं. डब्ल्यूक्यू-11031/14/2025-डब्ल्यूक्यू-डीडीडब्ल्यूएस-08 दिनांकित 12.01.2026 में विवरण दिया गया है'।

ii. तकनीकी समीक्षा, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन और कार्यशीलता रिपोर्टिंग, कार्यशीलता आंकलन (जल सेवा आंकलन) और डीडब्ल्यूएसएम को एसआईपी की तैयारी के लिए समर्थन;

iii. **जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण:** डीटीयू को "ग्रामीण परिवारों को पाइपगत पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए संक्षिप्त पुस्तिका" के अनुसार जल गुणवत्ता की निगरानी और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना चाहिए;

iv. **डिजिटल-फर्स्ट गवर्नेंस:** सुजलाम भारत डेटाबेस, सुजल गांव आईडी, जीआईएस-लिंक्ड डिजिटल एसेट रजिस्ट्री, मेरी पंचायत, जेजेएम-आईएमआईएस, जिला/ जीपी डैशबोर्ड आदि पर सभी रिकॉर्ड। डीटीयू जेजेएम, राज्य, एनआरडीडब्ल्यूपी और अन्य योजनाओं सहित सभी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को सुजलाम भारत डेटाबेस में समेकित करेगी, जिससे जिले के लिए एक एकीकृत डिजिटल रजिस्ट्री तैयार होगी, जो यूनिक सुजल गांव आईडी से जुड़ी होगी;

v. **निवारक और पूर्व अनुमानित रखरखाव:** सुजलाम भारत परिसंपत्ति डेटा का उपयोग करके डीटीयू ब्रेकडाउन-आधारित मरम्मत के स्थान पर नियोजित रखरखाव करेगी। एआई-आधारित विश्लेषण से विफलताओं का पूर्वानुमान लगाने, समय पर प्रतिस्थापन की योजना बनाने और डाउनटाइम को कम करते हुए स्पेयर पार्ट्स को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद मिलेगी;

vi. **तकनीकी सहायता के लिए डिजिटल टिकटिंग:** एक डिजिटल हेल्पडेस्क प्रणाली जीपीएस/ वीडब्ल्यूएससी को तकनीकी मुद्दों को जल्दी से उठाने और ट्रैक करने में सक्षम बनाएगी। पूर्वानुमान करने वाले उपकरण तेजी से निदान, समय पर समाधान और मरम्मत और परिसंपत्ति प्रतिस्थापन की बेहतर योजना का समर्थन करेंगे;

vii. निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) का उपयोग करके स्रोत सततता योजना;

viii. सरकारी आईटीआई/ पॉलिटेक्निक/ सरकारी संस्थानों के माध्यम से नल जल मित्र कार्यक्रम के लिए एनएसक्यूएफ स्तर 4 प्रशिक्षण और नल जल मित्र कार्यक्रम के लिए एनएसक्यूएफ स्तर 1 प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण;

ix. डीटीयू उपलब्ध फंडिंग के सामंजस्य से एक महत्वपूर्ण सुविधा की भूमिका निभाएगी- जिसमें जेजेएम आवंटन, ग्राम पंचायतों और अन्य राज्य या योजना विशिष्ट निधियों को वित्त आयोग का अनुदान शामिल है;

x. **ओ एंड एम के लिए अनुबंध प्रबंधन:** सेवा-स्तर आधारित, कार्य-निष्पादनयुक्त: डीटीयू जिलों और ग्राम पंचायतों को ओ एंड एम अनुबंध तैयार करने में मार्गदर्शन करेगी, चाहे वह सीधे जीपी/ वीडब्ल्यूएससी द्वारा निष्पादित हो या काम के दायरे, स्टाफिंग मानदंड, पुर्जों और इन्वेंट्री आवश्यकताओं और सुरक्षा प्रावधानों को कवर करने वाली तकनीकी एजेंसियों के माध्यम से किया जाए;

xi. **ओ एंड एम स्टैण्डरडाईजेशन, एसओपी और जिला-विशिष्ट ओ एंड एम मैनुअल का मानकीकरण:** जिले भर में संचालन में सततता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, डीटीयू सामान्य और आवर्ती ओ एंड एम मुद्दों की पहचान करेगी और समस्या निवारण, निवारक रखरखाव और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एसओपी जारी करेगी। स्थानीय तकनीकी और वित्तीय स्थितियों के अनुरूप एक जिला-विशिष्ट ओ एंड एम मैनुअल भी तैयार किया जाएगा, जो फील्ड पदाधिकारियों और जीपी-स्तर के ऑपरेटरों के लिए एक कार्यसंबंधी संदर्भ के रूप में काम करेगा;

xii. **कार्य-निष्पादन निगरानी के लिए जिला कमांड और सहायता केंद्रों (डीसीएससी) का संचालन:** डीटीयू डीसीएससी की स्थापना और संचालन करेगी जो जिले भर में ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के कार्य-निष्पादन के वास्तविक समय की निगरानी के लिए प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

2.3.2. कार्य संचालन प्रारंभ करने (कमीशनिंग)और हस्तांतरण संबंधी प्रोटोकॉल

ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं (आरपीडब्ल्यूएसएस) शुरू करते समय एकरूपता, तकनीकी अनुपालन और सततता सुनिश्चित करने के लिए, कार्य-संचालन प्रक्रिया को लगभग 13 सप्ताह (3 महीने) की अवधि में संरचित तरीके से पूरा किया जाएगा, जिसे चार अनुक्रमिक चरणों में विभाजित किया जाएगा, प्रत्येक में कार्यान्वयन एजेंसियों, ठेकेदारों और संबद्ध हितधारकों द्वारा परिभाषित गतिविधियां, जिम्मेदारियां और सामग्रियां शामिल होंगी। विस्तृत कार्य-संचालन प्रारंभ करने संबंधी प्रोटोकॉल को कार्य संचालन प्रारंभ करने और सामुदायिक स्वामित्व सौंपने संबंधी प्रोटोकॉल के लिए दिशानिर्देश में किए गए वर्णन के अनुसार देखा जा सकता है।[2] ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के संचालन के लिए विस्तृत जांच सूची **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न किया गया है।

क. कार्य-संचालन प्रारंभ करने संबंधी ढांचा

i. **चरण I: कार्य-संचालन पूर्व दस्तावेज़ीकरण (1-3 सप्ताह)**

सभी कार्यान्वयन एजेंसियां प्रणाली परीक्षण से पहले व्यापक दस्तावेज तैयार करना और सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगी। कार्यान्वयन एजेंसियां पाइप संरेखण, वाल्व की स्थिति, पंप कॉन्फ़िगरेशन, शोधन संयंत्र रूपरेखा और पारिवारिक कनेक्शन सहित अनुमोदित डिजाइन विनिर्देशों से सभी विचलनों को शामिल करते हुए निर्मित चित्रों को अंतिम रूप देंगी। कार्यान्वयन एजेंसियां राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण के लिए

[2] 'कार्य-संचालन प्रारंभ करने और सामुदायिक स्वामित्व सौंपने संबंधी प्रोटोकॉल और सामुदायिक स्वामित्व के लिए दिशानिर्देश डीडीडब्ल्यूएस पत्र संख्या डब्ल्यूक्यू-11031/14/2025-डब्ल्यूक्यू-डीडीडब्ल्यूएस दिनांकित 19.11.2025 द्वारा परिचालित किए गए' .

आरपीडब्ल्यूएसएस के तहत सभी बुनियादी ढांचे की जियो टैग एसेट मैपिंग को पूरा करेंगी। सभी संस्थापित घटकों को अनुमोदित डिज़ाइनों और प्रासंगिक बीआईएस मानकों के विरुद्ध सत्यापित किया जाएगा। दोषों, रिसाव, अपूर्ण प्रतिष्ठानों या क्षति की पहचान करने के लिए स्वतंत्र तकनीकी कर्मियों द्वारा एक विस्तृत दृश्यगत निरीक्षण किया जाएगा।

ii. **चरण II: प्रणाली परीक्षण (3-8 सप्ताह)**

सभी प्रणालियों को तकनीकी कार्य-निष्पादन और सेवा प्रदायगी मानकों की पुष्टि करने के लिए कठोर परीक्षण से गुजरना होगा। पाइपलाइनों और जोड़ों का हाइड्रोस्टेटिक दबाव परीक्षण लागू मानकों और मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। रिसाव-मुक्त कार्यशीलता सुनिश्चित करने के लिए सभी पारिवारिक, संस्थागत और सामुदायिक नल कनेक्शनों का निरीक्षण किया जाएगा। सभी जलाशयों और पाइपलाइनों का फ्लशिंग और कीटाणुशोधन सीपीएचईईओ मैनुअल और डब्ल्यूएचओ दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। प्रणाली परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि अंतिम छोर के परिवारों सहित सभी उपभोक्ता बिंदुओं पर न्यूनतम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) की प्रदायगी सुनिश्चित की जाए, जिसमें न्यूनतम चरमबिंदु 7 मीटर का होगा। मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से भौतिक, रासायनिक और जैविक/जीवाणु संबंधी मापदंडों को कवर करते हुए जल गुणवत्ता परीक्षण किया जाएगा। अवशिष्ट क्लोरीन का स्तर अंतिम छोर के उपभोक्ता बिंदुओं पर न्यूनतम 0.2 पीपीएम पर बनाए रखा जाएगा। पंप, मोटर, वाल्व, सेंसर और नियंत्रण प्रणाली सहित सभी विद्युत और यांत्रिक प्रणालियों का उचित कामकाज के लिए परीक्षण और सत्यापन किया जाएगा। उचित संचार, साइबर सुरक्षा अनुपालन और मानव मशीन इंटरफेस की कार्यशीलता सुनिश्चित करने के लिए स्काडा और ऑटोमेशन सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा। सभी मीटर, गेज और सेंसर प्रमाणित संदर्भ मानकों के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली नियंत्रण मापदंडों को समायोजित और अनुकूलित किया जाएगा।

iii. **चरण III: ट्रायल रन (9-11 सप्ताह)**

वास्तविक कार्यसंबंधी स्थितियों के तहत कम से कम 15 दिनों का ट्रायल रन आयोजित किया जाएगा। ट्रायल रन के दौरान, प्रवाह दर, दबाव स्तर, जल गुणवत्ता, ऊर्जा खपत और सेवा विश्वसनीयता की निरंतर निगरानी की जाएगी। दबाव रखरखाव, प्रवाह सततता और शोधन दक्षता के संबंध में सिस्टम की सततता का आकलन किया जाएगा। दबाव में गिरावट, रिसाव, पंप विफलता और जल गुणवत्ता विचलन सहित सभी कमियों की पहचान की जाएगी और उन्हें ठीक किया जाएगा। इंजीनियरों, ठेकेदारों, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, वीडब्ल्यूएससी सदस्य और सामुदायिक हितधारकों को शामिल करते हुए संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। सुरक्षित जल के उपयोग और कीटाणुशोधन/क्लोरीनीकरण परिपाटियों की स्वीकृति के बारे में सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां शुरू की जाएंगी।

iv. **चरण IV: दस्तावेज़ीकरण और अनुपालन (11-13 सप्ताह)**

ट्रायल रन के सफल समापन पर, अंतिम कार्य-संचालन प्रारंभ करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज और अनुपालन उपाय पूरे किए जाएंगे। एक व्यापक कार्य-संचालन करने संबंधी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें परीक्षण, परिणाम, अनुपालन स्थिति और सिफारिशों का विवरण शामिल होगा। संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) मैनुअल स्थानीय भाषा में विकसित किए जाएंगे, जिसमें दृश्यगत सहायता, समस्या निवारण प्रक्रियाएं और रखरखाव कार्यक्रम शामिल होंगे। जल गुणवत्ता प्रमाणपत्र, दबाव परीक्षण रिपोर्ट और विद्युत सुरक्षा प्रमाणपत्र सहित सभी अनिवार्य अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाएंगे। प्रणाली के प्रभावी संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए वीडब्ल्यूएससी सदस्यों और सामुदायिक हितधारकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आयोजित किया जाएगा। सिस्टम को औपचारिक रूप से सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ समुदाय को सौंप दिया जाएगा, जो चल रहे प्रबंधन के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा।

ख. हितधारक की जिम्मेदारियां

कार्य-संचालन प्रारंभ करने संबंधी प्रक्रिया में कई हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई शामिल होगी। सरकार और नियामक निकाय नीति निरीक्षण, अनुपालन सत्यापन और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए जिम्मेदार होंगे। राज्य और जिला कार्यान्वयन एजेंसियां कार्य-संचालन प्रारंभ करने संबंधी गतिविधियों के निष्पादन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होंगी। तकनीकी विशेषज्ञ और इंजीनियर डिज़ाइन सत्यापन, परीक्षण और सिस्टम अनुकूलन के लिए जिम्मेदार होंगे। गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियां स्वतंत्र सत्यापन और प्रमाणन करेंगी। ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी सहित सामुदायिक संस्थान स्थानीय भागीदारी, निरीक्षण और दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करेंगे। डिजिटल और प्रौद्योगिकी टीमें परिसंपत्ति मानचित्रण, स्वचालन और डेटा प्रबंधन सुनिश्चित करेंगी, जबकि सामुदायिक मोबिलाइजेशन करने वाली एजेंसियां आईईसी और व्यवहार परिवर्तन गतिविधियां आरंभ करेंगी।

ग. मानक और अनुपालन संबंधी आवश्यकताएँ

सभी कार्य-संचालन प्रारंभ करने संबंधी गतिविधियां पेयजल गुणवत्ता मानकों के लिए बीआईएस 10500:2012 के अनुरूप होंगी, जिससे ई. कोली और कुल कोलीफॉर्म के लिए शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित होगी। सभी तकनीकी और कार्यसंबंधी प्रक्रियाएं नवीनतम सीपीएचईईओ मैनुअल का पालन करेंगी। अवशिष्ट क्लोरीन का स्तर डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित सीमा के भीतर बनाए रखा जाएगा, अर्थात, 0.2 से 0.5 मिलीग्राम/लीटर।

घ. सफल कार्य-संचालन प्रारंभ करने के लिए प्रमुख सिद्धांत

सभी निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन करके तकनीकी प्रामाणिकता सुनिश्चित की जाएगी और पूर्ण अनुपालन के बिना किसी भी सिस्टम पर

काम शुरू नहीं किया जाएगा। स्वामित्व और सततता को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी चरणों में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अनिवार्य संयुक्त निरीक्षण और उचित प्रलेखन के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखी जाएगी। निगरानी और विश्लेषण को सक्षम करने के लिए सभी परिसंपत्तियों और कार्यसंबंधी मापदंडों को निर्दिष्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाएगा।

ङ. प्रदायगी सामग्रियां

अंतिम कार्य-संचालन प्रारंभ करने संबंधी पैकेज में सत्यापित चेकलिस्ट, विस्तृत परीक्षण रिपोर्ट, कार्य-संचालन प्रारंभ करने संबंधी और अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र, हितधारक मानचित्रण और जिम्मेदारी मैट्रिक्स, संचालन और रखरखाव, मैनुअल, प्रशिक्षण रिकॉर्ड और समय-सीमा का सारांश और कार्य-निष्पादन बेंचमार्क शामिल होंगे।

च. प्रयोज्यता

ये दिशा-निर्देश सभी ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति स्कीमों (आरपीडब्ल्यूएसएस) पर लागू होंगे और सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा इनका पूरी तरह से पालन किया जाएगा।

2.3.3. ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं का हस्तांतरण संबंधी प्रोटोकॉल

'कार्य-संचालन प्रारंभ करने तथा सामुदायिक स्वामित्व सौंपने संबंधी प्रोटोकॉल के लिए दिशानिर्देश' के अनुपालन के बाद जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं का संरचित हस्तांतरण कार्यान्वयन एजेंसियों से ग्राम पंचायतों तथा ग्राम जल और स्वच्छता समितियों को किया जाएगा।[1] प्रोटोकॉल का उद्देश्य सामुदायिक स्वामित्व, सततता और जनभागीदारी के सिद्धांतों को संचालित करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को स्थानीय संस्थानों द्वारा जिम्मेदार और जवाबदेह तरीके से तथा प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए। यह फ्रेमवर्क, सहभागी अभिशासन और विकेंद्रीकृत सेवा प्रदायगी के माध्यम से परिसंपत्तियों की दीर्घकालिक सततता को सक्षम करने का प्रयास करता है।

क. अपेक्षित परिणाम

इस प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप निर्धारित समय-सीमा के भीतर कानूनी रूप से गठित सामुदायिक संस्थानों को जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे का सफल और विधिवत प्रलेखित हस्तांतरण होगा। ग्राम पंचायतें तथा ग्राम जल और स्वच्छता समितियां, निर्धारित मानकों के अनुसार जल आपूर्ति प्रणालियों का स्वतंत्र रूप से संचालन और रखरखाव करने के लिए पर्याप्त तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमता विकसित करेंगी। सेवा प्रदायगी, जल गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे के कार्य-निष्पादन का नियमित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए समुदाय-आधारित निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा। प्रोटोकॉल के परिणामस्वरूप प्रभावी सेवा प्रदायगी शुल्क संग्रहण और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से जल आपूर्ति प्रणालियों की वित्तीय सततता में सुधार होगा। सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि से बुनियादी ढांचे के बेहतर स्वामित्व और दीर्घकालिक सततता में योगदान मिलेगा, साथ ही पानी के नुकसान में कमी आएगी और प्रणाली दक्षता में सुधार होगा।

ख. हस्तांतरण के लिए पूर्व-शर्तें

ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं को सौंपने का काम सभी निर्धारित पूर्वापेक्षाओं को पूरा करने के बाद ही किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्रोत, शोधन प्रणाली, भंडारण सुविधाओं और वितरण नेटवर्क सहित सभी बुनियादी ढांचा घटक अनुमोदित डिजाइनों और तकनीकी मानकों के अनुसार पूरी तरह से पूर्ण, परीक्षित और परिचालनरत हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति किया गया जल निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है और आधारभूत जल गुणवत्ता डेटा और निगरानी प्रोटोकॉल स्थापित किए गए हैं। ग्राम पंचायत या ग्राम जल और स्वच्छता समिति का विधिवत गठन किया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित अभिशासन संरचनाओं, उपनियमों और कार्यसंबंधी प्रक्रियाओं से सुसज्जित किया जाएगा। जल ऑपरेटरों, सुजलाम शक्ति समूह और नल जल मित्रों सहित प्रशिक्षित जनशक्ति मौजूद होगी तथा संचालन और रखरखाव नियमावली, मानक संचालन प्रक्रियाएं और रखरखाव कार्यक्रम प्रलेखित रूप में उपलब्ध होंगे। सौंपने से पहले अनुमोदित सेवा प्रदायगी शुल्क, समर्पित बैंक खातों और लेखा प्रक्रियाओं सहित एक स्थायी वित्तीय ढांचा स्थापित किया जाएगा। परिसंपत्ति रजिस्टर, निर्मित चित्र, तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट और अनुपालन प्रमाणपत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे किए जाएंगे और प्राप्त करने वाले संस्थान के साथ साझा किए जाएंगे।

ग. ट्रायल रन और सिस्टम सत्यापन

सौंपने से पहले वास्तविक कार्यसंबंधी स्थितियों के तहत जल आपूर्ति सिस्टम का परीक्षण कम से कम पंद्रह दिनों की अवधि के लिए किया जाएगा। ट्रायल के दौरान, प्रवाह दरों, दबाव स्तर, जल गुणवत्ता, ऊर्जा खपत और सेवा विश्वसनीयता के संबंध में सिस्टम के कार्य-निष्पादन की लगातार निगरानी की जाएगी। सिस्टम की सततता, दक्षता और सततता का आंकलन किया जाएगा और रिसाव, पंप विफलता या जल गुणवत्ता विचलन जैसी किसी भी कमी की पहचान की जाएगी और उसे ठीक किया जाएगा। उपयोगकर्ता की संतुष्टि और सेवा की स्वीकार्यता का आंकलन करने के लिए इस चरण के दौरान सामुदायिक प्रतिक्रिया (फीडबैक) ली जाएगी। ट्रायल रन के दौरान उत्पन्न सभी कार्यसंबंधी डेटा को भविष्य की निगरानी और कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए आधारभूत सामग्री के रूप में काम करने के लिए प्रलेखित किया जाएगा।

---

[1] *'कार्य-संचालन प्रारंभ करने और सामुदायिक स्वामित्व सौंपने संबंधी प्रोटोकॉल और सामुदायिक स्वामित्व के लिए दिशानिर्देश डीडीडब्ल्यूएस पत्र संख्या डब्ल्यूक्यू-11031/14/2025-डब्ल्यूक्यू-डीडीडब्ल्यूएस दिनांकित 19.11.2025 द्वारा परिचालित किए गए।'* .

घ. सामुदायिक एकीकरण और सत्यापन

इंजीनियरों, कार्यान्वयन एजेंसियों, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम जल और स्वच्छता समिति के सदस्यों तथा सामुदायिक हितधारकों को शामिल करते हुए एक ट्रांसेक्ट वॉक के माध्यम से संपूर्ण जल आपूर्ति प्रणाली का एक संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। यह प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी, हितधारकों के बीच विश्वास पैदा करेगी और सौंपने के लिए सिस्टम की तैयारी के बारे में आम सहमति की सुविधा प्रदान करेगी। कीटाणुशोधन/क्लोरीनीकरण की स्वीकृति सहित सुरक्षित जल परिपाटियों, सिस्टम के उपयोग और जल गुणवत्ता के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां शुरू की जाएंगी। सामुदायिक प्रतिनिधियों और ऑपरेटरों को स्वतंत्र रूप से सिस्टम के प्रबंधन के लिए उनकी तैयारी सुनिश्चित करने हेतु क्षमता निर्माण और ऑनसाइट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

ङ. हस्तांतरण की प्रक्रिया (जल अर्पण फ्रेमवर्क)

सौंपने की प्रक्रिया को पांच अनुक्रमिक चरणों के माध्यम से सभी संरचित और समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहले चरण में सौंपने से पहले किया गया मूल्यांकन और सत्यापन शामिल होगा, जिसके दौरान सभी तकनीकी, संस्थागत और वित्तीय तैयारी संबंधी मापदंडों को मान्य किया जाएगा। दूसरे चरण में सामुदायिक संवेदीकरण और भागीदारी शामिल होगी, जिसमें जागरूकता अभियान, परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तीसरे चरण में दस्तावेजीकरण और कानूनी औपचारिकता शामिल होगी, जिसमें सौंपने से संबंधित डीड या समझौता ज्ञापन, ग्राम सभा का संकल्प और सभी तकनीकी और वित्तीय रिकॉर्ड तैयार करना शामिल है। चौथे चरण में जल अर्पण दिवस के रूप में नामित सौंपने से संबंधित औपचारिक समारोह शामिल होगा, जिसके दौरान समुदाय की उपस्थिति में संपत्ति, दस्तावेज और जिम्मेदारियां औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत या ग्राम जल और स्वच्छता समिति को सौंपी जाएगी। पांचवें चरण में सौंपने के बाद ट्रांजीशन सहायता शामिल होगी, जिसके दौरान कार्यान्वयन एजेंसियां एक निर्धारित अवधि के लिए तकनीकी सहायता, निगरानी और समस्या निवारण सहायता प्रदान करेंगी।

च. भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

ग्राम पंचायत तथा ग्राम जल और स्वच्छता समिति बुनियादी ढांचे के रखरखाव, वित्तीय प्रबंधन, जल गुणवत्ता निगरानी, रिकॉर्ड रखरखाव और शिकायत निवारण सहित जल आपूर्ति प्रणाली के दिन-प्रतिदिन के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी। विभाग/ डीडब्ल्यूएसएम/ डीटीयू और संबद्ध तकनीकी एजेंसियां खास मरम्मत और प्रणाली में सुधार के लिए पर्यवेक्षी निरीक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन, क्षमता निर्माण और सहायता प्रदान करेंगी। नियुक्त संचालन और रखरखाव कर्मी सिस्टम के नियमित संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसमें वाल्व संचालन, क्लोरीनीकरण, बुनियादी ढांचे की निगरानी और दोषों या अनियमितताओं की रिपोर्टिंग शामिल है।

छ. हस्तांतरण के बाद अभिशासन और निगरानी

प्रणाली के कार्य-निष्पादन और सततता का आंकलन करने के लिए, उसे सौंपने के बाद, तीन से छह महीने की अवधि के लिए एक संरचित समीक्षा तंत्र स्थापित किया जाएगा। सेवा निरंतरता, जल गुणवत्ता अनुपालन, वित्तीय कार्य-निष्पादन, बुनियादी ढांचे की स्थिति, सामुदायिक भागीदारी और संस्थागत क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर कार्य-निष्पादन की समीक्षा की जाएगी। इस तरह की समीक्षाओं के निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा और पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्य योजनाएं तैयार और कार्यान्वित की जाएंगी। निरंतर कार्य-निष्पादन और सुधार सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों के बीच निरंतर सहभागिता रखी जाएगी।

ज. प्रमुख सिद्धांत

यह सुनिश्चित करते हुए कि तकनीकी और संस्थागत आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन के बिना कोई भी प्रणाली नहीं सौंपी जाती है, सौंपने की प्रक्रिया को हस्तांतरण से पहले तत्परता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा, यह प्रक्रिया ग्राम सभा की भागीदारी और पारदर्शी संचार के माध्यम से सक्रिय सामुदायिक भागीदारी और स्वीकृति सुनिश्चित करेगी। जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूर्ण दस्तावेजीकरण और संयुक्त सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रणाली की दीर्घकालिक सततता को वित्तीय व्यवहार्यता, तकनीकी सुदृढ़ता और संस्थागत क्षमता के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। एक सुचारू परिवर्तन और निरंतर सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए सौंपने के बाद की सहायता और निगरानी प्रदान की जाएगी।

चित्र 13: कार्य-संचालन प्रारंभ करना, सौंपना और स्रोत सततता

कार्य-संचालन प्रारंभ करने संबंधी तत्परता
(डिजाइन, प्रलेखन, अनुपालन)

- **ऐज बिल्ट ड्राइंग** को अंतिम रूप दें, प्रत्येक संपत्ति का **भू-मानचित्र** बनाएं (स्रोत ➩टैप)
- मानकों के अनुसार **डिजाइन अनुरूपता** घटक-वार सत्यापित करें
- साक्ष्य और साइन-ऑफ के साथ **दोषों** को बंद करें।
- पूर्ण मेटाडेटा के साथ **डिजिटल परिसंपत्ति रजिस्ट्री** बनाएं
- कार्य-संचालन प्रारंभ करने संबंधी **कमीशनिंग पैक** संकलित करें (परीक्षण, निर्धारण, ओ एंड एम एसओपी, जोखिम लॉग)

सिस्टम सत्यापन और ट्रायल रन
(कार्य-निष्पादन, सुरक्षा, विश्वसनीयता)

- दबाव प्रामाणिकता और रिसाव-मुक्त नेटवर्क साबित करें।
- **फ्लश और कीटाणुरहित;** उपभोक्ता बिंदुओं पर सुरक्षित जल और **आरसीएल** की पुष्टि करें।
- वास्तविक मांग के तहत **छोर** के सिरों पर **55 एलपीसीडी** प्रदर्शित करें।
- परीक्षण **पंप/ मोटर्स/ वाल्व/ सेंसर** और **स्वचालन**; ट्यून नियंत्रण।
- शुरू से अंत तक न्यूनतम 15 दिन का **ट्रायल रन** संपन्न करें; केपीआई की निगरानी करें; समस्याएँ ठीक करें; कार्य-संचालन प्रारंभ करने संबंधी **रिपोर्ट** जारी करें।

हस्तांतरण (जल अर्पण) और सामुदायिक स्वामित्व (संस्थानीकरण)

- पूर्व अपेक्षाएं: कार्यशील बुनियादी ढांचा, सुरक्षित जल, प्रशिक्षित ऑपरेटरों, निवारक कार्यक्रमों, ओ एंड एम वित्तीय योजना को समर्पित खाते के साथ लॉक करें
- पूर्ण **अभिशासन**: विशेष **ग्राम सभा**, एमओयू, नेटवर्क आरेख प्रदर्शन, **उपयोगकर्ता-शुल्क** ढांचा।
- ऑर्केस्ट्रेट **जल अर्पण**: तकनीकी ब्रीफ, प्रतीकात्मक स्थानांतरण, सार्वजनिक शपथ प्रलेखन
- इंटरफेस को परिभाषित करें: गांव के ओ एंड एम के लिए **लघु- जल सेवा प्रदाय निकाय (जीपी/ वीडब्ल्यूएससी)**; बल्क, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण, आपात स्थिति के लिए **वृहद- जल सेवा प्रदाय निकाय (विभाग/ डीटीयू)**
- निरंतरता, गुणवत्ता, वित्त, परिसंपत्ति, शिकायतों पर **हस्तांतरण के बाद की समीक्षा** शुरू करें

डिजिटल अभिशासन एवं कार्य-निष्पादन आश्वासन (डेटा द्वारा संचालन)

- जियो-टैग की गई परिसंपत्तियों और लाइव अपडेट के साथ सच्चाई का **एकल स्रोत** बनाए रखें
- प्रयोगशाला निरीक्षण और जागरूकता के साथ ऐप-आधारित **जल-गुणवत्ता** वाले स्टैक का उपयोग करें
- प्रतिक्रिया/ समापन केपीआई और डैशबोर्ड के साथ **डिजिटल टिकटिंग** प्रदान करें
- **पूर्वानुमानित ओ एंड एम** में बदलाव: निवारक कार्यक्रम, जीवनचक्र प्रतिस्थापन, पुर्जों का पूर्वानुमान
- **कमांड एवं सहायता केंद्र** की स्थापना: जिला डैशबोर्ड, **स्काडा (SCADA)** एकीकरण तथा अपवाद प्रबंधन व्यवस्था का विकास

स्रोत सततता
(डीएसएस द्वारा अनुकूलन)

- हाइड्रो-जियोलॉजी और सामंजस्य के साथ स्रोत सततता के लिए डीएसएस योजना तैयार करें
- **वार्षिक कैलेंडर** सेट करें: मानसून पूर्व निरीक्षण/ सफाई, मानसून **पुनर्भरण** कार्य, मानसून के बाद की पुनर्प्राप्ति जांच
- **जलग्रहण संरक्षण, सतही जल से गाद निकालना**, पुनर्भरण संरचना का रखरखाव, संदूषण मार्ग का नियंत्रण निष्पादित करें
- **निगरानी लूप** बंद करें: रुझानों का अध्ययन करें; समय पर उपचार शुरू करें
- **क्षमता निर्माण और वित्तपोषण**: ऑपरेटरों को प्रशिक्षित करना, कौशल को नवीकृत करना, बहु-स्रोत ओ एंड एम वित्तपोषण को संरक्षित करना।

*****

अध्याय 2.4

नागरिक-केंद्रित जल गुणवत्ता अभिशासन की स्थापना

सुधार (रिफॉर्म) के उद्देश्य:

- जल गुणवत्ता प्रबंधन को केवल समस्या होने पर प्रतिक्रिया देने (रिएक्टिव) के बजाय समस्या को पहले ही रोकने (प्रिवेंटिव) वाले तरीके में बदलना, ताकि संदूषण के खतरों का जल्द पता चल सके और समय पर कार्रवाई हो सके;
- समुदाय के नेतृत्व में निगरानी को सशक्त बनाना, स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना और प्रशिक्षित 'सुजलाम शक्ति समूहों' के माध्यम से अंतिम छोर तक निगरानी सुनिश्चित करना;
- डिजिटल प्लेटफॉर्म, जियो-टैग की गई रिपोर्टिंग और समेकित (इंटीग्रेटेड) डैशबोर्ड की मदद से लगातार निगरानी और डेटा-आधारित निर्णय लेना;
- प्रयोगशाला व्यवस्था को सुदृढ़ करना और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करना, ताकि जल गुणवत्ता डेटा की सटीकता, मानकीकरण और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके;
- पब्लिक डैशबोर्ड, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और जल गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराकर पारदर्शिता और नागरिकों का भरोसा बढ़ाना।

पानी की गुणवत्ता की निगरानी और देखरेख (डब्लूक्यूएमएंडएस) को बेहतर बनाने के लिए पानी की आपूर्ति अवसंरचना के उन्नयन (अपग्रेड) हेतु विशेष निवेश की आवश्यकता है, ताकि पानी BIS 10500 मानकों (स्टैंडर्ड) के मुताबिक हो। हालांकि ग्रामीण इलाकों में पाइप से पानी की आपूर्ति की व्यवस्था को बढ़ाने में बहुत प्रगति हुई है, लेकिन इन व्यवस्थाओं को लंबे समय तक चलने की क्षमता और लोगों का भरोसा काफी हद तक पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले तंत्र की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तेज़ी से काम करने की क्षमता पर निर्भर करता है। लैब में होने वाली टेस्टिंग को समुदाय के ज़रिए की जाने वाली निगरानी और फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के साथ जोड़कर, यह प्रोग्राम सामूहिक ज़िम्मेदारी और जन-भागीदारी को बढ़ावा देता है।

जेजेएम 2.0 के तहत, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश धीरे-धीरे समय-समय पर होने वाली टेस्टिंग के तरीकों से हटकर लगातार, तकनीकी पर आधारित निगरानी और प्रतिक्रिया पर आधारित (रिस्पॉन्स-बेस्ड) पानी की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की ओर बढ़ेंगे। मिशन इस बात पर ज़ोर देता है कि हर राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश को हर साल के लिए बजट का इंतज़ाम करना चाहिए, ताकि पानी की गुणवत्ता की निगरानी और देखरेख (डब्लूक्यूएम एंड एस) और डिजिटल रिपोर्टिंग व्यवस्था के लिए एक टिकाऊ और जवाबदेह ढांचा बन सके और उन्हें ज़रूरी संसाधन मिल सकें। इसमें मानव संसाधन, प्रयोगशाला के कामकाज, ज़रूरी सामान, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके), डिजिटल पोर्टेबल फील्ड टेस्ट किट और समुदाय के ज़रिए निगरानी और देखरेख के तंत्र के लिए लंबे समय के फंड की योजना बनाना और उसे प्राप्त करना शामिल है। सालाना तय बजट के साथ संस्थागत क्षमताओं को मज़बूत करने से लगातार निगरानी और देखरेख के तंत्र का कामकाज बना रहेगा और सभी लाभार्थियों को सुरक्षित पीने का पानी मिलता रहेगा।

2.4.1. डब्लूक्यूएमएंडएस रूपरेखा की मुख्य विशेषताएं

क. समुदाय के नेतृत्व में पानी की गुणवत्ता की निगरानी

गाँव के स्तर पर पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी, 'सुजलाम शक्ति' नाम के प्रशिक्षित महिला समूहों की मदद से और समुदाय की भागीदारी के साथ की जाएगी। सुजलाम शक्ति समूह ज़मीनी स्तर पर निगरानी और अन्य गतिविधियाँ करेंगे, जैसा कि खण्ड 2.4.2 (भाग A) में बताया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य स्थानीय निगरानी को मज़बूत करना, पानी की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं की जल्द पहचान करना और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना है। सुजलाम शक्ति समूह के बारे में पूरी जानकारी **अनुबंध-III** के रूप में संलग्न किया गया है।

ख. डिजिटल निगरानी और पारदर्शिता

पानी की गुणवत्ता की निगरानी और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों को डिजिटल बनाया जाएगा ताकि एक जैसी रिपोर्टिंग और असरदार देखरेख हो सके। सुजलाम शक्ति समूह तय डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे 'सुजल गाँव यूटिलिटी ऐप') के ज़रिए निगरानी का डेटा दर्ज करेंगे। इस डेटा को एसडब्लूएसएम, डीडब्लूएसएम और डीटीयू स्तरों पर केंद्रीय डैशबोर्ड से जोड़ा जाएगा, ताकि पानी की गुणवत्ता की स्थिति, चेतावनी संकेत और किए गए सुधारात्मक उपायों को वास्तविक समय में देखा जा सके। इस डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल सभी स्तरों पर पारदर्शिता, जवाबदेही और सबूतों के आधार पर फ़ैसले लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। राज्य अपनी स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से निगरानी, रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया की व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए ब्लॉक/ सब-डिविजन स्तर के ऐप या डिजिटल मॉड्यूल में बदलाव भी कर सकते हैं।

ग. जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के परितंत्र

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश डीडब्ल्यूएसएम द्वारा दिसंबर 2024 में जारी "ग्रामीण घरों में पाइप से मिलने वाले पीने के पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए संक्षिप्त हैंडबुक" में बताई गई पानी की गुणवत्ता की निगरानी और जांच (डब्ल्यूक्यूएमएंडएस) की ज़रूरतों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश पानी की गुणवत्ता जांचने वाली प्रयोगशालाओं का एक बहुस्तरीय नेटवर्क बनाएंगे, उसे मज़बूत करेंगे और चालू करेंगे, जिसमें ये शामिल होंगे:

i. राज्य/ क्षेत्रीय स्तर की प्रयोगशालाएं;

ii. ज़िला स्तर की प्रयोगशालाएं;

iii. ब्लॉक/ उप-मंडल स्तर की प्रयोगशालाएं;

iv. जल शोधन संयंत्रों में स्थापित आंतरिक (इन-हाउस) प्रयोगशालाएँ;

v. दूरस्थ क्षेत्रों के लिए, आवश्यकता अनुसार, मोबाइल जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ।

ऐसी प्रयोगशालाएं राज्य के स्वामित्व वाली होंगी या मान्यता प्राप्त संस्थानों, विश्व विद्यालयों या निजी प्रयोगशालाओं के सहयोग से स्थापित की जाएंगी। प्रयोगशाला नेटवर्क जल स्रोतों की नियमित निगरानी के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा, संदिग्ध संदूषण के मामलों में पुष्टि परीक्षण (कन्फर्मेटरी परीक्षण) करेगा तथा नियामक कार्रवाई और जनस्वास्थ्य प्रतिक्रिया हेतु विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन जारी करेगा।

घ. संस्थागत प्रतिक्रिया तंत्र

डब्ल्यूक्यूएमएंडएस (डब्ल्यूक्यूएमएंडएस) रूपरेखा, पानी की गुणवत्ता की निगरानी के नतीजों पर समय पर और सही प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्थित संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। स्रोत की सुरक्षा के उपायों (अध्याय 2.5 का सेक्शन 2.5.2 देखें) और उपचार/ कीटाणुशोधन को बेहतर बनाने, अवसंरचना मरम्मत और अन्य सुधारात्मक कार्यों (सेक्शन 2.4.2 देखें) के लिए ग्राम पंचायत/ गाँव, ज़िला और राज्य स्तर पर भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से तय और लागू किया जाएगा। पानी की गुणवत्ता की निगरानी के नतीजों को संस्थागत प्रतिक्रिया तंत्र के साथ जोड़ने से समय पर सुधारात्मक उपाय करना और पानी की गुणवत्ता के तय मानकों का लगातार पालन सुनिश्चित करना संभव होगा।

2.4.2. निगरानी और मूल्यांकन रूपरेखा

JJM 2.0 के तहत डब्ल्यूक्यूएमएंडएस रूपरेखा की निगरानी और मूल्यांकन चार प्रशासनिक स्तरों पर संस्थागत निगरानी तंत्र, समुदाय-आधारित निगरानी और डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम के संयोजन के माध्यम से किया जाएगा। निगरानी रूपरेखा 'सुजल गाँव यूटिलिटी ऐप', डब्ल्यूक्यूएमआईएस पोर्टल और जेजेएम-आईएमआईएस प्लेटफ़ॉर्म/ सुजलाम भारत डेटाबेस के ज़रिए इकट्ठा किए गए डेटा का इस्तेमाल करेगा, जिससे लगातार निगरानी और समय पर तकनीकी प्रतिक्रिया संभव हो सकेगी।

क. गाँव के स्तर पर निगरानी और देखरेख

i. सुजलाम शक्ति समूह 'फील्ड टेस्ट किट' (एफटीके) का इस्तेमाल करके नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता की जाँच करेंगे। इसमें बचे हुए क्लोरीन के स्तर, पानी के धुंधलेपन (टर्बिडिटी) और पानी की गुणवत्ता से जुड़े अन्य बुनियादी पैमानों की निगरानी शामिल होगी। जाँच के नतीजों को 'सुजल गाँव यूटिलिटी ऐप' के ज़रिए रिकॉर्ड और अपलोड किया जाएगा। यह ऐप संबंधित 'सुजल गाँव ID' से जुड़ा होगा और पानी की गुणवत्ता में कोई कमी या गड़बड़ी पाए जाने पर स्थानीय स्तर पर ज़रूरी कदम उठाने में मदद करेगा;

ii. ग्राम पंचायतें या ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ सुजलाम शक्ति समूहों द्वारा बताए गए पानी की गुणवत्ता की जाँच के नतीजों की समीक्षा करेंगी। वे ज़रूरी कदम उठाएंगी, जैसे कि कीटाणु-शोधन (डिसइंफेक्शन), पाइपलाइन की जाँच, छोटी-मोटी मरम्मत या स्रोत की सुरक्षा/ साफ़-सफ़ाई। ज़रूरत पड़ने पर वे डीटीयू की मदद भी लेंगी;

iii. पानी की गुणवत्ता की निगरानी के नतीजों और उनसे संबंधित कार्रवाई की समय-समय पर ग्राम सभा में समीक्षा की जाएगी। इससे पीने के पानी की सुरक्षा को लेकर समुदाय में जागरूकता, पारदर्शिता और सामूहिक निगरानी सुनिश्चित होगी। गाँव के स्तर पर निगरानी के पैमानों में ये चीज़ें शामिल होंगी:

क. तय की गई जाँच की आवृत्ति के अनुसार हर महीने किए गए एफटीके टेस्ट की संख्या;

ख. अवशिष्ट (रेसिडुअल) क्लोरीन और पानी के धुंधलेपन (टर्बिडिटी) की निगरानी के नियमों का पालन;

ग. डीटीयू/ डीडब्ल्यूएसएम द्वारा सुधार के लिए पानी की गुणवत्ता में खराबी/ संदूषण की रिपोर्ट किए गए अलर्ट की संख्या;

घ. 'सुजल गाँव यूटिलिटी ऐप' के ज़रिए समय पर रिपोर्टिंग।

ख. ज़िला स्तर पर निगरानी

ज़िला स्तर पर, समय पर तकनीकी प्रतिक्रिया और अवसंरचना की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए डीटीयू, डीडब्ल्यूएसएम के साथ मिलकर निगरानी करेगा। डीटीयू और डीडब्ल्यूएसएम निम्नलिखित के लिए निगरानी और सहायता/ मार्गदर्शन करेंगे:

i. 'सुजल गांव यूटिलिटी ऐप तथा प्रयोगशाला प्रतिवेदन प्रणालियों के माध्यम से रिपोर्ट किए जाने वाले जल गुणवत्ता आंकड़ों की पूर्णता, समयबद्धता एवं शुद्धता की निगरानी;

ii. संक्षिप्त पुस्तिका में निर्दिष्ट विभिन्न जल स्रोतों एवं जलापूर्ति प्रणालियों के लिए निर्धारित परीक्षण आवृत्ति के अनुपालन का सत्यापन;

iii. संदूषण या जल गुणवत्ता में विचलन की पहचान के पश्चात तकनीकी हस्तक्षेप एवं सुधारात्मक कार्रवाई में लगने वाले समय की निगरानी;

iv. एफटीके परीक्षण चरण में मानकों के अनुरूप न पाए गए पानी के नमूनों को प्रयोगशाला में आगे की पुष्टि के लिए समय पर भेजना और परिणाम रिपोर्ट करने के लिए प्रयोगशाला के टर्नअराउंड समय (TAT) की निगरानी करना सुनिश्चित करना;

v. कीटाणुशोधन (डिसइंफेक्शन), बुनियादी ढांचे की मरम्मत, उपचार समाधान या स्रोत संरक्षण उपायों के माध्यम से पानी की गुणवत्ता संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना;

vi. 'जल अर्पण' और हर घर जल घोषणा के लिए, डीटीयू पानी की गुणवत्ता की निगरानी के डेटा का विश्लेषण करेगा और हर घर जल गांवों के लिए कीटाणुशोधन प्रोटोकॉल अनिवार्य रूप से जारी करके तथा प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण सुनिश्चित करके तकनीकी हस्तक्षेपों का समन्वय करेगा;

vii. डीटीयू अवसंरचना की मरम्मत या उपचार प्रणाली के अपग्रेड के संबंध में 'जल सेवा आंकलन' के माध्यम से ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रतिक्रिया (फीडबैक) का विश्लेषण करेगा।

ज़िला स्तरीय निगरानी डैशबोर्ड डीटीयू और डीडब्ल्यूएसएम को उच्च-जोखिम वाले स्थानों, बार-बार होने वाली संदूषण समस्याओं और पानी की गुणवत्ता प्रबंधन में संचालन संबंधी कमियों की पहचान करने में सक्षम बनाएंगे।

ग. राज्य स्तर पर निगरानी

एसडब्ल्यूएसएम जिलों में पानी की गुणवत्ता की निगरानी के काम का समय-समय पर समीक्षा करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह काम प्रभावी तरीके से और संस्थागत जवाबदेही के साथ हो रहा है।

राज्य स्तर की निगरानी व्यवस्था में ये सूचक (इंडिकेटर) शामिल होंगे:

i. **प्रयोगशाला के काम के इंडिकेटर:**

क. 'संक्षिप्त हैंडबुक' के अनुसार निर्धारित परीक्षण करने के लिए पानी की गुणवत्ता वाली प्रयोगशालाओं के नेटवर्क की पर्याप्तता;

ख. प्रयोगशालाओं की मान्यता (एक्रिडिटेशन) की स्थिति;

ग. प्रयोगशाला में परीक्षण में लगने वाला समय (टर्नअराउंड टाइम);

घ. ट्रेनिंग प्राप्त प्रयोगशाला कर्मचारियों की उपलब्धता;

ङ. प्रशिक्षण प्रोटोकॉल और रिपोर्टिंग मानकों का पालन;

च. आम जनता द्वारा प्रस्तुत जल नमूनों की संख्या।

ii. **सामुदायिक निगरानी का दायरा:**

क. काम कर रहे 'सुजलाम शक्ति' समूहों वाले गांवों की संख्या और 'सुजलाम शक्ति' समूहों के तहत ट्रेनिंग पाने वाले लोगों की संख्या;

ख. नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता की टेस्टिंग करने वाले गांवों का प्रतिशत।

iii. **राज्य स्तर पर प्रतिक्रिया तंत्र:**

क. पानी की गुणवत्ता से जुड़े अलर्ट पर डीटीयू/ डीडब्ल्यूएसएम की प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता;

ख. पानी से होने वाली बीमारियों के फैलने और/ या आपदाओं आदि की स्थिति में नागरिकों को समय पर सलाह/ सूचना देना;

ग. पानी की गुणवत्ता की निगरानी के डेटा को राज्य के डैशबोर्ड के साथ जोड़ना।

एसडब्ल्यूएसएम संदूषण की घटनाओं के ट्रेंड का भी समीक्षा करेगा और जहां सिस्टम से जुड़ी समस्याएं पाई जाएंगी, वहां सुधार के लिए नीति और संचालन उपाय तैयार करेगा।

घ. राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन समय-समय पर सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में पानी की गुणवत्ता की निगरानी और सर्विलांस सिस्टम के कुल कामकाज की समीक्षा करेगा।

राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा इन पैमानों पर केंद्रित होगी:

i. **राज्य प्रदर्शन के संकेतक:**

क. ग्रामीण इलाकों/ गाँवों में पानी की गुणवत्ता की निगरानी और सर्विलांस में हुई प्रगति;

ख. सुजल गाँव यूटिलिटी ऐप के ज़रिए डिजिटल रिपोर्टिंग के नियमों का

ग. प्रयोगशाला नेटवर्क का कामकाज, जैसे एक्रेडिटेशन/ मान्यता की स्थिति और टर्नअराउंड टाइम।

ii. **डब्लूक्यूएमएंडएस व्यवस्था की प्रभावशीलता:**

क. ज़िला-स्तरीय तकनीकी/ डीटीयू सहायता व्यवस्था की तत्परता;

ख. प्रयोगशाला से पुष्टि के साथ सामुदायिक सर्विलांस का तालमेल;

ग. डिजिटल निगरानी प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन, जिसमें सुजल गाँव यूटिलिटी ऐप का इस्तेमाल भी शामिल है।

iii. **सार्वजनिक स्वास्थ्य पर असर:**

क. गाँवों में पानी की आपूर्ति वाले बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता में खराबी की रिपोर्ट का प्रवृत्ति (ट्रेंड) विश्लेषण;

ख. बेहतर निगरानी और प्रतिक्रिया सिस्टम से जुड़े पानी से होने वाली बीमारियों के जोखिम का प्रवृत्ति (ट्रेंड) विश्लेषण।

राष्ट्रीय निगरानी से मिली जानकारी जेजेएम 2.0 के तहत पानी की गुणवत्ता से जुड़े प्रबंधन को मज़बूत करने के लिए नीति संबंधी मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह और क्षमता-निर्माण की पहल का आधार बनेगी।

2.4.3. डब्लूक्यूएमएंडएस कोष का उपयोग

जल जीवन मिशन 2.0 के तहत डब्लूक्यूएमएंडएस घटक का उद्देश्य ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों में एक मजबूत, नागरिक-केंद्रित जल गुणवत्ता प्रशासन ढांचा स्थापित करने में सहायता करना है। राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश इन कोष का उपयोग एक एकीकृत परितंत्र बनाने के लिए करेंगे जिसमें फील्ड-स्तरीय निगरानी, संस्थागत निगरानी, प्रयोगशाला सहायता प्रणाली और उत्तरदायी उपचारात्मक तंत्र शामिल होंगे, जिससे पेयजल सेवाओं की दीर्घकालिक सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।

क. समुदाय-आधारित जल गुणवत्ता निगरानी की स्थापना

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से फील्ड-स्तरीय निगरानी तंत्र स्थापित करने को प्राथमिकता देंगे। इस उद्देश्य के लिए, मुख्य रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं-सहायता समूहों - जिनमें पहले से प्रशिक्षित महिलाएं शामिल हैं - को 'सुजलाम शक्ति समूहों' के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। ये समूह नियमित जल गुणवत्ता निगरानी करने, सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देने और आवश्यक उपचारात्मक कार्यों के लिए समन्वय की सुविधा प्रदान करने में ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का सहयोग करेंगे।

ख. क्षमता निर्माण और कौशल विकास

सामुदायिक स्तर पर तकनीकी क्षमता को मजबूत करने के लिए, प्रत्येक सुजलाम शक्ति समूह के एक या दो सदस्यों को व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें बुनियादी डब्लूक्यूएमएंडएस में NSQF स्तर-1 के तहत प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. ग्रामीण जल आपूर्ति की बुनियादी अवधारणाओं को लागू करना और फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके पेयजल गुणवत्ता परीक्षण करना;

ii. क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर आदि का उपयोग करके बुनियादी जल कीटाणुशोधन करना;

iii. बुनियादी जल गुणवत्ता मापदंडों और संदूषण जोखिमों को समझना;

iv. जल नमूनाकरण (सेम्पलिंग) प्रोटोकॉल, टर्बिडिटी (गंदलापन) और मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन (फ्री रेसिडुअल क्लोरीन) की निगरानी और कीटाणुशोधन के बारे में जागरूकता;

v. सुजल गांव यूटिलिटी ऐप के माध्यम से कार्यस्थल पर डिजिटल, वित्तीय, संचार कौशल, सामुदायिक जुड़ाव और ग्राहक सेवा का उपयोग करना;

vi. स्रोत संदूषण रोकथाम को लागू करना और क्षेत्रीय जल सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करना।

इस प्रशिक्षण को जीजेएम 2.0 के डब्लूक्यूएमएंडएस घटक के तहत सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें बड़े पैमाने पर और सततता सुनिश्चित करने के लिए अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के साथ तालमेल बिठाया जाएगा।

ग. अभिशाशन से जुड़े लक्ष्यों के आधार पर प्रोत्साहन-आधारित कोष जारी करना

समुदाय आधारित निगरानी की स्थापना में सहयोग प्रदान करने तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के पश्चात, डब्लूक्यूएमएंडएस घटक के अंतर्गत शेष निधि राज्यों को निर्धारित प्रशासनिक लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़ी किश्तों में जारी की जाएगी। यह लक्ष्य आधारित प्रोत्साहन संरचना राज्यों को प्रभावी जल गुणवत्ता शासन के लिए आवश्यक संस्थागत घटकों को व्यवस्थित रूप से स्थापित करने में सहायता प्रदान करने हेतु अभिप्रेत है।

सांकेतिक लक्ष्य में शामिल हो सकते हैं:

i. सुजल गांव यूटिलिटी ऐप के माध्यम से सुजलाम शक्ति समूहों का संचालन और डिजिटल रिपोर्टिंग;

ii. राज्य (केवल राज्य स्तरीय प्रयोगशाला के लिए भवन निर्माण लागत की अनुमति), जिला, क्षेत्रीय, उप-विभागीय/ ब्लॉक और मोबाइल स्तरीय प्रयोगशाला निगरानी प्रणालियों को मजबूत करना;

iii. मानक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रोटोकॉल और उपचारात्मक प्रतिक्रिया तंत्र को अपनाना;

iv. पर्याप्त तकनीकी जनशक्ति के साथ प्रयोगशाला नेटवर्क को मजबूत करना;

v. प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन (एक्रिडेशन) और राष्ट्रीय परीक्षण मानकों का अनुपालन;

vi. जल गुणवत्ता निगरानी, निवारक रखरखाव और प्रतिक्रिया तंत्र के लिए राज्य-स्तरीय प्रोटोकॉल का विकास;

vii. दीर्घकालिक जल गुणवत्ता निगरानी और निगरानी के लिए स्थायी राज्य बजटीय प्रावधानों की स्थापना।

घ. संस्थागत जल गुणवत्ता प्रशासन को मजबूत करना

डब्लूक्यूएमएंडएस घटक के तहत शेष धनराशि राज्यों को परिभाषित शासन लक्ष्यों की उपलब्धि से जुड़ी किश्तों में जारी की जाएगी। लक्ष्य-आधारित संरचना यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है कि राज्य जल गुणवत्ता प्रशासन के लिए क्षेत्र-स्तरीय निगरानी, प्रयोगशाला निगरानी प्रणाली, तकनीकी प्रतिक्रिया तंत्र और स्थायी संस्थागत व्यवस्थाएं स्थापित करें।

राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए डब्लूक्यूएमएंडएस फंड का उपयोग करेंगे कि जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली स्पष्ट संस्थागत व्यवस्थाओं द्वारा समर्थित हैं, जिनमें शामिल हैं:

i. जिला तकनीकी इकाइयों (डीटीयू) द्वारा तकनीकी निरीक्षण;

ii. पुष्टिकरण परीक्षण (कन्फर्मेटोरी टेस्ट) के लिए प्रयोगशाला सहयोग;

iii. राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से निगरानी;

iv. डिजिटल रिपोर्टिंग सुजलाम भारत प्लेटफॉर्म और जेजेएम-आईएमआईएस सिस्टम के साथ एकीकृत है।

यह दृष्टिकोण पेयजल सुरक्षा में जनता के विश्वास को मजबूत करेगा और जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण पाइप जलापूर्ति प्रणालियों की दीर्घकालिक सततता सुनिश्चित करेगा।

2.4.4. पारदर्शिता और नागरिक सूचना

सिटीजन कॉर्नर - जेजेएम डब्ल्यूक्यूएमआईएस राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित के संबंध में नागरिकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा:

i. **जल गुणवत्ता परीक्षण परिणाम:** सुजलाम शक्ति समूहों द्वारा सामुदायिक परीक्षण, नियमित प्रयोगशाला विश्लेषण और निगरानी गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न जल गुणवत्ता डेटा को सुजलाम भारत मंच के तहत सुजल गांव सेवा क्षेत्र आर्किटेक्चर के साथ डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा। आपूर्ति किए गए पेयजल से संबंधित प्रासंगिक जल गुणवत्ता की जानकारी नियमित रूप से सिटीजन कॉर्नर पर प्रदर्शित की जाएगी ताकि नागरिक अपने संबंधित सेवा क्षेत्रों के लिए नवीनतम उपलब्ध परीक्षण परिणामों को जान सकें;

ii. **उपचारात्मक कार्रवाइयों की स्थिति:** जिला तकनीकी इकाइयां, डीडब्ल्यूएसएम और एसडब्ल्यूएसएम इस प्रणाली की जवाबदेही की निगरानी करेंगी ताकि परीक्षण के परिणामों को समय पर अद्यतन करना, नागरिकों के साथ प्रभावी संचार और उन मामलों में त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके जहां पानी की गुणवत्ता में विचलन की सूचना मिलती है;

iii. **स्थानीय जल आपूर्ति प्रणालियों की कार्यक्षमता:** जल सेवा अंकलन के माध्यम से जल आपूर्ति प्रणालियों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन पीने के पानी की सुरक्षा में जनता के विश्वास को मजबूत करेगा और जल प्रशासन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देगा।

2.4.5. डब्लूक्यूएमएंडएस को मजबूत करने का रोडमैप

निम्नलिखित पर विचार करते हुए डब्लूक्यूएम एंड एस को मजबूत करने के लिए वर्षवार रोडमैप दिया गया है:

i. सामुदायिक निगरानी और डिजिटल सक्षमता;

ii. प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण और तकनीकी प्रतिक्रिया;

iii. संस्थागतकरण और सततता।

चित्र 14: डब्ल्यूक्यूएमएंडएस को सुदृढ़ बनाने के लिए रोडमैप

वर्ष 1 (दिसंबर 2026 तक)

सामुदायिक निगरानी और डिजिटल सक्षमता

1. फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के उपयोग सहित प्रशिक्षण और प्रमाणन (एनएसक्यूएफ स्तर 1 पर प्रति गांव कम से कम 1-2 महिलाएं) के साथ एसएचजी के माध्यम से सुजलाम शक्ति समूहों का संचालन।
2. सुजल गांव यूटिलिटी ऐप के माध्यम से डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम का रोल-आउट, प्रयोगशाला और एफटीके परीक्षण दोनों के लिए जियो-टैग किए गए नमूने और जियो-रेफ्रेंस जल गुणवत्ता रिपोर्टिंग को सक्षम बनाना, जिसमें मैलापन और अवशिष्ट क्लोरीन जैसे पैरामीटर शामिल हैं।
3. डब्ल्यूक्यूएम एंड एस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुजलाम शक्ति समूहों, वीडब्ल्यूएससी और ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय तंत्र की स्थापना।
4. ग्रामीण परिवारों को पाइपगत पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए संक्षिप्त पुस्तिका के साथ संरेखित राज्य-स्तरीय डब्ल्यूक्यूएम एंड एस प्रोटोकॉल और एसओपी को अपनाना।
5. निगरानी, तकनीकी सहायता और संदूषण प्रतिक्रिया के लिए जिला तकनीकी इकाइयों (डीटीयूएस) का संचालन।

वर्ष 2 (दिसंबर 2027 तक)

प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण और तकनीकी प्रतिक्रिया

1. प्रशिक्षित प्रयोगशाला कर्मियों को कार्य पर रखने के साथ-साथ जिला और ब्लॉक/ उप-मंडलीय/ क्लस्टर प्रयोगशालाओं की स्थापना और उन्नयन।
2. जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं के लिए आईएसओ/ आईईसी 17025 मान्यता की उपलब्धि।
3. निर्बाध डेटा प्रवाह और विश्लेषण के लिए जेजेएम आईएमआईएस और सुजलाम भारत प्लेटफार्मों के साथ प्रयोगशाला डेटा का एकीकरण।
4. उपचारात्मक कार्रवाई प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन और प्रयोगशाला कार्य-निष्पादन संकेतकों की निगरानी।
5. स्वचालित डैशबोर्ड की स्थापना, लगभग वास्तविक समय अलर्ट प्रदान करना और डेटा-संचालित तकनीकी निर्णय समर्थन प्रणालियों को सक्षम बनाना।

चित्र 14: डब्ल्यूक्यूएम एंड एस को सुदृढ़ बनाने के लिए रोडमैप

वर्ष 3
(दिसंबर 2028 तक)

संस्थागतकरण और सततता

1. जल आपूर्ति प्रणालियों में निरंतर जल गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए निवारक रखरखाव प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन।
2. जेजेएम आईएमआईएस सिटीजन कॉर्नर और यूटिलिटी एप्लीकेशनों के माध्यम से नागरिक-उन्मुखी सेवाओं को सक्रिय करना।
3. सार्वजनिक डैशबोर्ड, स्व-समाधान साधनों, पूर्वानुमानित विश्लेषण, भूजल एकीकरण, डिजिटल ट्विन और एआई-सक्षम समर्थन प्रणालियों सहित डिजिटल पारदर्शिता और उन्नत निगरानी सुनिश्चित करना।

2.4.6. आपातकाल और आपदाओं के दौरान डब्लूक्यूएमएंडएस

आपातकाल और आपदाओं के दौरान, पीने के पानी की आपूर्ति की सुरक्षा बनाए रखने के लिए 'जल जीवन मिशन' के तहत पानी की गुणवत्ता की निगरानी और सर्विलांस (डब्लूक्यूएमएंडएस) सिस्टम को प्राथमिकता के आधार पर सक्रिय किया जाएगा। राज्य और इसे लागू करने वाली एजेंसियां पानी के स्रोतों और अवसंरचनाओं का तुरंत जोखिम आंकलन करेंगी और पानी की गुणवत्ता की जांच (खासकर बैक्टीरिया से होने वाले संदूषण के लिए) ज़्यादा बार करेंगी। सभी जलापूर्ति बिंदुओं पर क्लोरीनेशन और इस्तेमाल के समय पानी को साफ़ करने के तरीकों सहित कीटाणु-शोधन के उपाय पक्के किए जाएंगे। जहां संदूषण का पता चलता है या आशंका होती है, वहां सुरक्षित पानी के वैकल्पिक इंतज़ाम किए जाएंगे; इसमें वे इलाके भी शामिल हैं जहां आपदाओं के कारण स्रोत या आपूर्ति तंत्र खराब हो गए हैं। सामुदायिक स्तर पर निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए 'ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों' को जुटाया जाएगा, जबकि ज़िला और राज्य की प्रयोगशालाएं तेज़ी से जांच और कार्रवाई के लिए मिशन मोड में काम करेंगी।

पानी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए सुरक्षित पानी के रखरखाव और इस्तेमाल के बारे में जनता को समय पर सलाह/ जानकारी दी जाएगी।

*****

अध्याय 2.5

स्रोत सततता और जल सुरक्षा फ्रेमवर्क

सुधार (रिफॉर्म) के उद्देश्य:

- स्रोत निगरानी एवं नियोजन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) को एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करना, जो 'एकीकृत जल डेटा' दृष्टिकोण के अंतर्गत जल संबंधी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का समेकन कर सके;
- वैज्ञानिक आधार पर पुनर्भरण एवं संरक्षण उपायों के मार्गदर्शन हेतु जलभृत (एक्विफर) आधारित नियोजन का संस्थानीकरण;
- जल-संकटग्रस्त गांवों एवं संवेदनशील पेयजल स्रोतों की पहचान तथा सततता हस्तक्षेपों के प्राथमिकता निर्धारण हेतु GIS-आधारित मानचित्रण एवं विश्लेषण व्यवस्था;
- महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्रोतों की व्यवस्थित पहचान तथा चरणबद्ध सततता उपायों के लिए जिला स्रोत सततता कार्ययोजना (DSSAP) का प्रावधान;
- पुनर्भरण एवं संरक्षण उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के साथ अभिसरण तथा स्रोत संरक्षण समितियों सहित संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण।

योजनाओं की सततता के प्रमुख स्तंभों में से एक, योजना के संपूर्ण जीवनचक्र के दौरान सभी पेयजल स्रोतों की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ध्यान को क्रमिक रूप से स्रोत खोज (सोर्स फाइंडिंग) से स्रोत सततता (सोर्स सस्टेनेन्स) की ओर स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए वैज्ञानिक आंकलन, जलभृत-आधारित नियोजन, जलवायु जोखिम परीक्षण तथा जल दोहन एवं पुनर्भरण के सक्रिय प्रबंधन पर बल दिया जाएगा।

स्रोत सततता से आशय ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के पेयजल स्रोतों की दीर्घकालिक विश्वसनीयता, पर्याप्तता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने से है। इसके अंतर्गत स्रोत की मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों को ऐसे स्तर पर बनाए रखना शामिल है, जो वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हों, साथ ही पारिस्थितिकीय दबाव को रोकते हुए योजनाओं की कार्यक्षमता में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न होने दें।

2.5.1. स्रोत सततता की मुख्य विशेषताएं

i. जल स्रोत की सतत उपलब्धता, मौसमी सततता, नियमित परीक्षण तथा समयबद्ध सुधारात्मक उपायों के माध्यम से पेयजल की पर्याप्त, सुरक्षित एवं विश्वसनीय मात्रा तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।

ii. खराबियों, जलापूर्ति व्यवधानों तथा अस्थायी जल व्यवस्थाओं पर निर्भरता को कम करके योजनाओं की कार्यक्षमता को सुदृढ़ करता है।

iii. सभी पेयजल स्रोतों के लिए भूजल स्तर, जल उत्पादन क्षमता (यील्ड), जल गुणवत्ता तथा पुनर्भरण व्यवहार का वार्षिक एवं मौसमी आंकलन सुनिश्चित करता है।

iv. निरंतर एवं वास्तविक समय की निगरानी के माध्यम से योजनाओं की संभावित संवेदनशीलता की पूर्वानुमानात्मक पहचान संभव बनाता है, जिससे जल उपलब्धता में गिरावट, मौसमी दबाव तथा उभरते जल गुणवत्ता जोखिमों का समय रहते पता लगाया जा सकता है।

v. पुनर्भरण, जलागम विकास एवं कैचमेंट क्षेत्र सुधार हेतु विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की योजनाओं, जैसे वॉटरशेड विकास घटक-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पी एम् एसवाई) 2.0, वीबी-जी राम (जी) आदि के साथ अभिसरण के माध्यम से कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना

vi. पुनर्भरण नियोजन, स्रोत संरक्षण, जल बजटिंग, मांग प्रबंधन तथा जलवायु-अनुकूल हस्तक्षेपों के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को बढ़ावा देता है।

vii. जल बजटिंग एवं सामुदायिक भागीदारी को एकीकृत करते हुए ग्राम पंचायतों को जल उपलब्धता, मांग तथा सततता उपायों की निगरानी करने में सक्षम बनाता है।

viii. जल-संकटग्रस्त गांवों की पहचान तथा हस्तक्षेपों की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु GIS-आधारित मानचित्रण एवं वार्षिक जोखिम वर्गीकरण का उपयोग करता है।

ix. योजना के संपूर्ण जीवनचक्र के दौरान भूजल एवं सतही जल स्रोतों की निरंतर निगरानी पर आधारित है।

x. इसे तकनीकी उपायों (जैसे पुनर्भरण संरचनाएँ, जलभृत-आधारित नियोजन, आदि), संस्थागत व्यवस्थाओं तथा सामुदायिक सहभागिता के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

2.5.2. संस्थागत ढांचा (फ्रेमवर्क)

स्रोत सततता के लिए राज्य, जिला तथा ग्राम पंचायत स्तर पर स्पष्ट भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाएंगे, जिससे तकनीकी समीक्षा, समन्वय एवं निगरानी को नियमित नियोजन तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में समाहित किया जा सके।

स्रोत सततता समिति (Source Sustenance Committee - SSC):

जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन हेतु प्रचालन दिशानिर्देशों के पैरा 5.2 के अनुसार, प्रत्येक योजना के नियोजन चरण में स्रोत खोज समितियों (सोर्स फाइंडिंग कमिटी) का गठन किया गया था, जिनका उद्देश्य योजना की अभिकल्पित अवधि के लिए निर्धारित गुणवत्ता में पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता का आंकलन एवं अनुशंसा करना था। जल जीवन मिशन के संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) चरण में, पेयजल स्रोतों के आवधिक आंकलन, संरक्षण तथा दीर्घकालिक सततता सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन की संस्थागत संरचना के अनुरूप ग्राम पंचायत, जिला तथा राज्य स्तर पर स्रोत सततता समिति का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति ही स्रोत सततता समिति के रूप में कार्य करेगी तथा स्रोत स्तर की निगरानी, संरक्षण एवं प्रतिवेदन संबंधी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होगी। जिला स्तर पर, स्रोत सततता समिति जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत कार्य करेगी तथा जिला तकनीकी इकाई (डी टी यु) के सहयोग से स्रोत सततता उपायों की योजना, क्रियान्वयन एवं निगरानी सुनिश्चित करेगी। राज्य स्तर पर, स्रोत सततता समिति राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएस एम) की कार्यकारी समिति के अंतर्गत कार्य करेगी तथा नीतिगत मार्गदर्शन, तकनीकी पर्यवेक्षण तथा संबंधित राज्य विभागों के साथ समन्वय सुनिश्चित करेगी।

क. ग्राम पंचायत स्रोत सततता समिति

ग्राम पंचायत स्रोत संरक्षण एवं सततता समिति निम्नलिखित कार्यों का समय-समय पर आंकलन करेगी तथा उनके क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करेगी :

i. ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले पेयजल स्रोतों के लिए आधारभूत स्रोत अभिलेखों एवं मौसमी रजिस्टरों का संधारण, तथा डिजिटल निगरानी हेतु आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराना।

ii. पेयजल स्रोतों के संरक्षण एवं रखरखाव को सुनिश्चित करना तथा जल गुणवत्ता परीक्षण (प्रयोगशाला/ FTK) में सहयोग देना; साथ ही जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं अथवा जलापूर्ति संकट की स्थिति की त्वरित सूचना देना।

iii. ग्राम पंचायत स्तर पर जल बजटिंग में योगदान देना तथा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के निर्माण में सहयोग प्रदान करना।

iv. जिले द्वारा अनुमोदित लघु पुनर्भरण अथवा संरक्षण कार्यों के रखरखाव में सहयोग करना तथा स्रोतों के सूखने, गंदलेपन (Turbidity), रिसाव अथवा अन्य उभरते जोखिमों की समय पर सूचना संबंधित प्राधिकारियों को देना।

v. ग्राम पंचायत स्तर पर पुनर्भरण एवं स्रोत संरक्षण उपायों की योजना बनाना तथा उनकी निगरानी करना, जिसमें VB-GRAM G, WDC-PMKSY 2.0 तथा अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से क्रियान्वित संरचनाएँ भी शामिल हों

ख. जिला स्रोत सततता समिति

जिला स्रोत सततता समिति निम्नलिखित कार्यों का समय-समय पर आंकलन करेगी तथा उनके क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करेगी :

i. सभी पेयजल स्रोतों के मौसमी प्रदर्शन की समीक्षा करना तथा विशेष रूप से अल्प उपलब्धता (Lean Period) के दौरान उनकी सततता का आंकलन करना।

ii. पुनर्भरण एवं स्रोत संरक्षण उपायों की योजना बनाना तथा उनकी निगरानी करना, जिसमें वीबी - जी राम (जी), डब्ल्यूडीसी - पी एम् के एसवाई 2.0 तथा अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से निर्मित संरचनाएँ भी शामिल हों।

iii. जल उपलब्धता में कमी अथवा जल गुणवत्ता में गिरावट का सामना कर रहे जोखिमग्रस्त स्रोतों तथा ग्राम पंचायतों/ गांवों की पहचान करना तथा उपयुक्त सुधारात्मक उपायों की अनुशंसा करना।

iv. जल बजटिंग, मांग प्रबंधन उपायों तथा पुनर्भरण, संरक्षण एवं जलग्रहण क्षेत्र (Catchment) संरक्षण से संबंधित गतिविधियों के लिए अंतर-विभागीय समन्वय को सुगम बनाना।

v. अनुमोदन, अभिसरण नियोजन तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाइयों के लिए जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) को अनुशंसाएँ प्रस्तुत करना।

ग. राज्य स्रोत सततता समिति

राज्य स्रोत सततता समिति के कार्य :

i. स्रोत सततता से संबंधित जिलों की समेकित रिपोर्टों की समीक्षा करना तथा समग्र प्रगति की निगरानी करना।

ii. उभरती चुनौतियों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर जिलों को नीतिगत मार्गदर्शन तथा तकनीकी परामर्श जारी करना।

iii. बार-बार अथवा व्यापक स्तर पर स्रोत सततता संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे जिलों को तकनीकी सुझावों एवं समन्वय सहायता सहित आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

iv. जल संसाधन, भूजल, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन तथा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित राज्य स्तरीय विभागों के साथ अभिसरण एवं समन्वय को सुगम बनाना

घ. डिजिटल निगरानी और सहायता प्रणाली

जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्रोत सततता के लिए डिजिटल निगरानी एवं सहायता को JJM-IMIS प्लेटफॉर्म पर निर्णय सहायता/ समर्थन प्रणाली (Decision Support System - DSS) के माध्यम से सशक्त बनाया जाएगा। यह DSS "एकीकृत जल डेटा (Water as One Data)" दृष्टिकोण के अंतर्गत एक सक्षम डिजिटल मंच के रूप में कार्य करेगा, जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय एवं विभागीय प्लेटफॉर्मों से प्राप्त भू-स्थानिक (Geo-spatial) परतों, जलभूवैज्ञानिक मानकों, वर्षा संबंधी जानकारी, एक्विफर डेटा तथा पेयजल स्रोतों से संबंधित डेटासेट का एकीकरण किया जाएगा। इसमें केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के भूजल स्थिति संबंधी आंकड़े, सुजलाम भारत के स्रोत मानचित्रण (Source Mapping) डेटा तथा जिलों से प्राप्त डिजिटीकृत निरीक्षण इनपुट का भी समावेश किया जाएगा। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) तथा ग्राम पंचायतों के लिए डैशबोर्ड के माध्यम से उपलब्ध यह प्रणाली जिला से ग्राम स्तर तक स्रोत सततता उपायों की साक्ष्य-आधारित योजना, निगरानी एवं प्राथमिकता निर्धारण में सहायता प्रदान करेगी।

DSS समग्र जोखिम संकेतक (Composite Risk Indicators), प्रारंभिक चेतावनी अलर्ट (Early Warning Alerts) तथा संभावित हस्तक्षेप विकल्प विकसित करेगा, जिससे संवेदनशील पेयजल स्रोतों की पहचान करने और पुनर्भरण (Recharge) एवं संरक्षण उपायों को प्राथमिकता देने में सहायता मिलेगी। विभिन्न विभागों के आंकड़ों को एकीकृत मंच पर उपलब्ध कराकर यह प्रणाली समन्वित योजना निर्माण, पारदर्शिता में वृद्धि तथा पेयजल स्रोतों के सक्रिय एवं पूर्वानुमान-आधारित प्रबंधन को सुदृढ़ करेगी, जिससे जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियों की दीर्घकालिक एवं सतत कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा सके।

2.5.3. भूजलभृत (एक्वीफर) आधारित योजना

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करने के लिए एक्विफर आधारित योजना (Aquifer-Based Planning) को अपनाएँगे कि पेयजल स्रोतों का विकास एवं प्रबंधन स्थानीय जलभूवैज्ञानिक परिस्थितियों के अनुरूप किया जाए। जिले, विशेष रूप से अर्ध-संकटग्रस्त (Semi-Critical), संकटग्रस्त (Critical) तथा अतिदोहित (Over-Exploited) क्षेत्रों में, एक्विफर के प्रकार, भूजल के मौसमी व्यवहार तथा दीर्घकालिक प्रवृत्तियों को समझने हेतु सी जी डब्ल्यू बी/ आईएनजीआरईएस से प्राप्त एन एक्युयुआईएम् एक्विफर मानचित्रों एवं भूजल आंकलन आंकड़ों का उपयोग करेंगे। चेक डैम, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शाफ्ट तथा स्प्रिंगशेड हस्तक्षेप जैसे पुनर्भरण एवं संरक्षण उपायों का चयन एक्विफर की विशेषताओं, जलस्तर की गहराई तथा पुनर्भरण क्षमता के आधार पर किया जाएगा। निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) इन आंकड़ों का एकीकरण कर पेयजल स्रोतों के उपयुक्त स्थान चयन, पुनर्भरण संरचनाओं की योजना बनाने तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्रोत सततता कार्ययोजनाओं (Sustainability Action Plans) के निर्माण में साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करेगी।

2.5.4. सततता कार्य योजना

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल स्रोतों की दीर्घकालिक विश्वसनीयता एवं कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्रोत सततता कार्ययोजना (DSSAP) तैयार करेंगे। इस कार्ययोजना में संवेदनशील अथवा संकटग्रस्त स्रोतों की पहचान की जाएगी तथा जलभूवैज्ञानिक परिस्थितियों, भूजल प्रवृत्तियों, स्रोतों के मौसमी प्रदर्शन और जल गुणवत्ता संबंधी जोखिमों का आंकलन किया जाएगा। इसके आधार पर उपयुक्त सुधारात्मक एवं निवारक उपायों की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिसमें संबंधित विभागों की जिम्मेदारियाँ तथा कार्यान्वयन की समय-सीमा भी स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाएगी। कार्ययोजना की तैयारी में स्थानीय ज्ञान एवं पारंपरिक जल प्रबंधन पद्धतियों को भी समाहित किया जाएगा, ताकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तथा समुदाय की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी स्रोत सततता उपायों को बढ़ावा दिया जा सके। जिले, स्रोत सततता हस्तक्षेपों की साक्ष्य-आधारित प्राथमिकता निर्धारण हेतु निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) के माध्यम से उपलब्ध आंकड़ों एवं विश्लेषणात्मक निष्कर्षों का उपयोग करेंगे। सुजलाम भारत प्लेटफॉर्म पर मानचित्रित पेयजल स्रोतों से संबंधित जानकारी की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि स्रोतों के प्रदर्शन एवं उनकी संवेदनशीलता का आंकलन कर समयबद्ध स्रोत सततता योजना तैयार की जा सके।

कार्ययोजना में चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत अल्पकाल में संवेदनशील स्रोतों के स्थिरीकरण, लघु अवधि में पुनर्भरण एवं संरक्षण उपायों के क्रियान्वयन तथा मध्यम अवधि में एक्विफर एवं जलागम (Watershed) स्तर के हस्तक्षेपों को शामिल किया जाएगा। साथ ही, दीर्घकालिक जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए संबंधित योजनाओं के साथ अभिसरण तथा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) एवं जिला कार्ययोजनाओं के साथ एकीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य एवं जिले जल उत्सव/ जल अर्पण दिवस को ग्राम स्तर पर एक आवधिक पहल के रूप में भी बढ़ावा देंगे, जिसके अंतर्गत पेयजल स्रोतों, पुनर्भरण संरचनाओं तथा संबंधित अवसंरचना का निरीक्षण, सफ़ाई एवं निवारक रखरखाव किया जाएगा, ताकि स्रोतों की सतत कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा सके।

2.5.5. योजना शुरू करना (कमीशनिंग), हस्तांतरण एवं पेयजल स्रोतों का वार्षिक रखरखाव

स्रोत सततता योजना को जल अर्पण के अंतर्गत निर्धारित चालूकरण एवं हस्तांतरण प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत किया जाएगा। किसी पेयजल योजना के चालूकरण से पूर्व स्रोत, उपचार प्रणाली तथा वितरण नेटवर्क के प्रदर्शन का सत्यापन करने के लिए सफल परीक्षण संचालन (Trial Run)

किया जाएगा। योजना के चालू होने के उपरांत जलापूर्ति परिसंपत्तियों को संचालन एवं अनुरक्षण हेतु औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत/ वीडब्ल्यूएससी को हस्तांतरित किया जाएगा, जिसमें स्रोत संरक्षण, निगरानी तथा संबंधित पुनर्भरण एवं संरक्षण संरचनाओं के रखरखाव की जिम्मेदारियां भी शामिल होंगी।

पेयजल स्रोतों की सतत कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए जल उत्सव को ग्राम स्तर पर एक आवधिक पहल के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जल स्रोतों, पुनर्भरण संरचनाओं तथा संबंधित अवसंरचना का निरीक्षण, सफाई एवं अनुरक्षण किया जाएगा। ऐसी गतिविधियां सामुदायिक सहभागिता, निवारक अनुरक्षण तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल स्रोतों की दीर्घकालिक सततता को सुदृढ़ करेंगी।

2.5.6. स्रोत सुरक्षा और संदूषण निवारण उपाय

अध्याय 2.1, पैरा 2.1.4 (ख) में उल्लिखित स्रोत संरक्षण रूपरेखा (Source Protection Framework) के अनुरूप, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश पेयजल आपूर्ति हेतु उपयोग किए जाने वाले भूजल की सुरक्षा एवं दीर्घकालिक सततता सुनिश्चित करने के लिए स्रोत संरक्षण संबंधी वैधानिक एवं तकनीकी उपायों को लागू करेंगे। राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (CPHEEO), केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा जारी प्रासंगिक दिशानिर्देशों एवं मानकों के अनुरूप स्रोत संरक्षण एवं प्रदूषण निवारण उपायों का क्रियान्वयन करेंगे।

मानवजनित गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए नलकूपों, बोरवेलों तथा अन्य पेयजल स्रोतों के आसपास उपयुक्त न्यूनतम स्वच्छता सुरक्षा दूरी (Sanitary Protection Distance) बनाए रखी जाएगी।

जिला प्रशासन एवं ग्राम पंचायतें निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से उपलब्ध भू-स्थानिक जानकारी एवं डेटासेट का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करेंगी :

i. पेयजल के स्रोतों के स्थानों का मानचित्रण करना;

ii. आसपास के भूमि उपयोग के तरीकों की निगरानी करना;

iii. संदूषण के संभावित जोखिम को चिह्नित करना;

iv. उचित स्रोत सुरक्षा उपायों की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने में सहायता करना।

पेयजल के स्रोतों के आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ और सुव्यवस्थित स्थिति में रखा जाएगा, और सामुदायिक स्वामित्व, जिम्मेदार व्यवहार तथा स्रोत की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसे उपयुक्त रूप से विकसित या सुंदर बनाया जा सकता है।

पेयजल स्रोतों के संदूषण को रोकने के लिए, अधिसूचित सुरक्षा क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया जाएगा:

i. पेयजल के स्रोतों के निकट लैंडफिल साइटों या ठोस अपशिष्ट निपटान सुविधाओं पर प्रतिबंध;

ii. ट्यूबवेल और बोरवेल के पास खतरनाक या प्रदूषणकारी पदार्थों के निपटान या भंडारण की रोकथाम;

iii. पेयजल के स्रोतों की स्वच्छता सुरक्षा सीमा के भीतर सोखता-गड्ढों, लीच-गड्ढों, सेप्टिक टैंकों, मैजिक-गड्ढों या अन्य अपशिष्ट निपटान संरचनाओं के निर्माण से बचना। जहाँ साइट/ क्षेत्र की सीमाओं के कारण ऐसी संरचनाओं से बचना संभव न हो, वहाँ पेयजल के स्रोत के संदूषण को रोकने के लिए उचित सुरक्षात्मक और संरक्षात्मक उपाय अपनाए जाएँगे।

इसके अलावा, भूजल के अत्यधिक दोहन और कुओं के बीच हाइड्रोलिक इंटरफेरेंस को रोकने के लिए, मौजूदा पेयजल स्रोत से निर्धारित सुरक्षित दूरी के भीतर अतिरिक्त ट्यूबवेल या बोरवेल लगाने की समीक्षा सीपीएचईईओ, सीजीडब्ल्यूबी और बीआईएस के तकनीकी मानकों के अनुसार की जाएगी।

ये उपाय स्रोत एकीकरण कायम रखने, संदूषण को रोकने और भूजल-आधारित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों की दीर्घकालिक सततता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

2.5.7. जल बजट निर्माण

ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर जल बजट बनाने का कार्य एक व्यवस्थित, डेटा-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके किया जाएगा, ताकि घरेलू, पशुधन, सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए जल की उपलब्धता और मांग का मूल्यांकन किया जा सके। पेयजल आपूर्ति के लिए जल के आवंटन को प्राथमिकता दी जाएगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि अन्य उपयोगों की योजना बनाने से पहले जल जीवन मिशन के तहत घरेलू कार्यों के लिए पानी की आवश्यकताओं को सुरक्षित रखा जाए। ग्राम पंचायत, निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) के माध्यम से उपलब्ध प्रासंगिक डेटासेट—जैसे वर्षा, भूजल के रुझान, भूमि उपयोग और जलभृत की सूचना का उपयोग करेंगे; साथ ही वे जनसंख्या, पशुधन, फसल के पैटर्न और जल भंडारण संरचनाओं पर स्थानीय डेटा का भी उपयोग करेंगे, ताकि वर्षा, भूजल पुनर्भरण, अपवाह, सतही भंडारण और ग्रेवाटर के पुन: उपयोग से होने वाली जल की उपलब्धता का अनुमान लगाया जा सके। इससे प्राप्त होने वाला जल संतुलन, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने, हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देने और जेजेएम के तहत ग्राम जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करने में सहायता कर सकता है।

2.5.8. ग्रेवाटर प्रबंधन

पारिवारिक ग्रेवाटर का प्रभावी प्रबंधन, जल जीवन मिशन के तहत स्रोत की सततता का एक महत्वपूर्ण घटक होगा। ग्राम पंचायतें, एसबीएम (जी) चरण II जैसे कार्यक्रमों के साथ सामंजस्य कायम करते हुए, सोखता गड्ढों, लीच गड्ढों, जल निकासी नालियों और प्रकृति-आधारित शोधन

विकल्पों जैसी उपयुक्त प्रणालियों के माध्यम से ग्रेवाटर के सुरक्षित संग्रहण, शोधन और पुन: उपयोग को बढ़ावा देंगी। उचित ग्रेवाटर प्रबंधन, भूजल और पेयजल स्रोतों के संदूषण को रोकने में मदद करता है; जल आपूर्ति बुनियादी अवसंरचना के आसपास पानी के जमाव और स्थानीय प्रदूषण को कम करता है; और वृक्षारोपण तथा सामुदायिक हरित स्थानों की सिंचाई जैसी गतिविधियों के लिए इसके लाभकारी पुन: उपयोग को संभव बनाता है। ये उपाय गांव की स्वच्छता में सुधार लाने, पेयजल स्रोतों की सुरक्षा और दीर्घकालिक जल सुरक्षा में योगदान देते हैं।

2.5.9. सरकारी योजनाओं/ अनुदानों के साथ अभिसरण

राज्य/ जिले/ ग्राम पंचायतें स्रोत सततता उपायों के क्रियान्वयन हेतु भूजल पुनर्भरण, जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण, ग्रे जल प्रबंधन, जल संरक्षण एवं जल मांग प्रबंधन से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के साथ प्रभावी अभिसरण सुनिश्चित करेंगी, ताकि उपलब्ध संसाधनों एवं निवेशों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में केंद्रित किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए वीबी-जी राम जी, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 और वित्त आयोग अनुदान जैसे कार्यक्रमों का लाभ उठाया जा सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की दिनांक 23.09.2025 की अधिसूचना के अनुसार, मनरेगा अधिनियम, 2005 (भारत का राजपत्र - असाधारण) की अनुसूची I, पैरा 4(2) में संशोधन करते हुए, जल संबंधी कार्यों पर व्यय का न्यूनतम हिस्सा भूजल मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉकों) में उनकी भूजल स्थिति के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा: अतिदोहित और गंभीर (क्रिटिकल) ब्लॉकों में 65%, आंशिक गंभीर (सेमी-क्रिटिकल) ब्लॉकों में 40% और सुरक्षित ब्लॉकों में 30%। इससे जल पुनर्भरण एवं संरक्षण संबंधी निवेशों को जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों की ओर प्राथमिकता के आधार पर निर्देशित किया जा सकेगा तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल स्रोतों की दीर्घकालिक सततता एवं निरंतर कार्यक्षमता को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

उन योजनाओं की सांकेतिक सूची, जिनके तहत गांवों की सततता में सुधार लाने के लिए गतिविधि/निधि सामंजस्य को प्राथमिकता दी जा सकती है, **अनुबंध-IV** के रूप में संलग्न किया गया है।

*****

अध्याय 2.6

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों में डिजिटल डेटा अभिशासन की स्थापना

सुधार (रिफॉर्म) के उद्देश्य:

- खंडित डेटा प्रणालियों से हटकर सुजलाम भारत के उद्देश्यों की ओर बढ़ना, जिनमें एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की संपूर्ण दृश्यता सुनिश्चित करना शामिल है;
- सेवा प्रदायगी और योजना के कार्य-निष्पादन पर नज़र रखने वाले बहुस्तरीय डैशबोर्ड के माध्यम से बेहतर वास्तविक समय की निगरानी और निर्णय लेने की क्षमता;
- जीआईएस-आधारित रजिस्ट्रियों और परिसंपत्तियों में जल कनेक्शनों की डिजिटल मैपिंग के माध्यम से परिसंपत्तियों और नेटवर्क की पूर्ण दृश्यता;
- सेवा प्रदाता स्तर पर कार्य संचालन, वित्तीय और जल गुणवत्ता ट्रांजेक्शन के डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से बेहतर निगरानी, संचालन दक्षता और जवाबदेही;
- प्रतिक्रिया, शिकायत निवारण और सहभागी निगरानी के लिए एकीकृत प्लेटफार्मों के माध्यम से नागरिक सहभागिता और पारदर्शिता को सुदृढ़ बनाना।

वैश्विक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में, सरकारें और जल प्रदाय निकाय (यूटिलिटी), एकीकृत डेटा प्रणाली, संचालन कार्यप्रवाह और नागरिक इंटरफ़ेस के माध्यम से बड़े पैमाने पर सेवा प्रदायगी नेटवर्क के प्रबंधन के लिए डिजिटल रूपरेखा (फ्रेमवर्क) को तेजी से अपना रही हैं। भौगोलिक रूप से विस्तृत और हाइड्रोलिक रूप से परस्पर जुड़े संसाधनों वाले पेयजल क्षेत्र को विश्वसनीयता, जवाबदेही और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इसी तरह के डिजिटल अभिशासन तंत्र की आवश्यकता है। पारंपरिक निगरानी प्रणालियों के विपरीत, पेयजल क्षेत्र का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) भौतिक अवसंरचना, संचालनात्मक डेटा, वित्तीय सूचना और नागरिक प्रतिक्रिया को एक ही डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में जोड़कर एकीकृत प्रबंधन को सक्षम बनाता है। सुजलाम भारत प्रारूप (फ्रेमवर्क) जल अभिशासन के लिए जनसंख्या स्तर पर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करता है, और जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण पाइपगत जल आपूर्ति प्रणालियों के संपूर्ण डिजिटल प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय आईटी संरचना स्थापित करता है। यह आर्किटेक्चर योजनाओं, स्रोतों, परिसंपत्तियों और सेवा क्षेत्रों की डिजिटल मैपिंग को मानकीकृत करता है। अंतरसंचालनीय रजिस्ट्रियों और जीआईएस द्वारा मान्य हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी के माध्यम से, यह एक सामान्य आधार बनाता है जिस पर संचालन निगरानी,जल सेवा प्रदाय निकाय प्रबंधन, जल गुणवत्ता प्रणाली, वित्तीय उपकरण और निर्णय समर्थन प्लेटफॉर्म बनाए जा सकते हैं।

मॉड्यूलर और अंतरसंचालनीय होने के लिए डिज़ाइन किया गया सुजलाम भारत डीपीआई राज्यों को सामान्य डेटा मानकों का उपयोग करके अतिरिक्त अनुप्रयोग विकसित करने में सक्षम बनाता है। सुजल गांव यूटिलिटी एप्लिकेशन के माध्यम से हितधारक ट्रांजेक्शन के साथ जीआईएस-आधारित परिसंपत्ति परतों को एकीकृत करके, यह ढांचा एक एकीकृत, डेटा-संचालित अभिशासन तंत्र को संस्थागत रूप देता है जो विकसित भारत @2047 के विजन के अनुरूप है। सामूहिक रूप से, यह डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र जवाबदेही, पारदर्शिता और जीवनचक्र-आधारित सेवा प्रबंधन को मजबूत करता है, जिससे ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों का संरचित, वास्तविक समय और टिकाऊ अभिशासन सक्षम होता है।

निम्नलिखित डिजिटल सुधार जेजेएम 2.0 के तहत प्रस्तुत किए गए हैं:

2.6.1. ग्रामीण पेयजल क्षेत्र हेतु सुजलाम भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई)

सुजलाम भारत को एक एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में ग्रामीण पाइपगत जल आपूर्ति प्रणालियों के जीवनचक्र आधारित, सेवा उन्मुख और स्रोत-सुरक्षित प्रबंधन को सक्षम बनाना है। यह अंतरसंचालनीय डिजिटल परिसंपत्ति रजिस्ट्रियों, भू-स्थानिक परिसंपत्ति मानचित्रण, ट्रांजेक्शन प्लेटफार्मों और निर्णय समर्थन प्रणालियों को एकीकृत करता है ताकि जल सेवा प्रदायगी के लिए एकीकृत अनुकूल राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा का निर्माण किया जा सके। इस प्रकार की डिजिटल संरचना अभिशासन के सभी स्तरों और स्थानीय समुदायों के लिए ग्रामीण पाइपगत जल आपूर्ति योजनाओं (RPWSS) की निर्बाध डिजिटल दृश्यता को सक्षम बनाती है। पहले, यह एक चुनौती थी क्योंकि डेटा प्रणाली अव्यवस्थित थी और गैर-मानकीकृत थी, जो विभिन्न समय अवधियों में निष्पादित कई योजनाओं के परिणाम थे, जिससे स्रोत से नल तक दृश्यता और जीवनचक्र प्रबंधन सीमित हो गया था। साथ ही, संस्थागत अलगाव, परिसंपत्ति-संबंधी शिकायत

प्रणाली और सीमित नियामक निरीक्षण समय पर निर्णय लेने और निवारक रखरखाव में और बाधा डालते थे।

इन कमियों ने परिसंपत्ति-केंद्रित निगरानी से सेवा-उन्मुख जल अभिशासन की ओर बढ़ने के लिए एक एकीकृत, मापनीय डीपीआई की आवश्यकता को उजागर किया। इस आवश्यकता को पूरा करते हुए, पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत सुजलाम भारत डीपीआई एक जीआईएस-मान्य राष्ट्रीय संरचना प्रदान करता है जो ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं (सुजलाम भारत आईडी) और सेवा क्षेत्र (सुजल गांव आईडी) को विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करता है, जिससे संरचित हाइड्रोलिक लिंकेज के माध्यम से स्रोत से नल तक मानचित्रण सक्षम होता है जो एकीकृत आयोजना, जवाबदेह संचालन एवं रखरखाव और देशव्यापी डेटा-संचालित अभिशासन का समर्थन करता है।

सुजलाम भारत डीपीआई (DPI) की प्रमुख विशेषताएं और कार्यशीलता प्रवर्तक:

i. **हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी:** परिसंपत्तियों में रैखिक हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी को दर्शाने के लिए एक संरचित पैरेंट नोड और चाइल्ड नोड मॉडल पेश किया गया, जिससे प्रत्येक आरपीडब्ल्यूएसएस के सेवा क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधित्व के साथ स्रोत से नल तक की संपूर्ण मैपिंग संभव हो सके;

ii. **एकीकृत जीआईएस और जियो-रेफरेंसिंग लेयर:** एक जीआईएस मान्य इंटरफ़ेस जिसमें जियो कोऑर्डिनेट कैप्चर कार्यशीलता है, को सुजलाम भारत-पीएम गतिशक्ति एप्लिकेशन के माध्यम से एकीकृत किया गया ताकि पीएम गतिशक्ति के साथ अंतर-संचालनीयता और स्थानिक डेटा एकीकरण के साथ परिसंपत्तियों का क्षेत्र-आधारित जियो-रेफरेंसिंग सक्षम हो सके;

iii. **भूमिका-आधारित पहुंच नियंत्रण (RBAC):** राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) और जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित पहुंच और संचालन भूमिकाएँ शामिल की गई ताकि जवाबदेही, परिसंपत्ति डेटा सत्यापन और कार्यप्रवाह प्रबंधन को सुदृढ़ किया जा सके;

iv. **सेवा क्षेत्र-परिसंपत्ति संबंध:** आवास स्तर की मैपिंग को पारदर्शी पैरेंट-चाइल्ड लॉजिक के साथ पुनः डिज़ाइन किया गया ताकि स्रोत से प्रत्येक आवास और संस्थागत अंतिम बिंदु तक जल आपूर्ति मार्गों की सटीक ट्रैकिंग सक्षम हो सके;

v. **ग्राम प्रवेश बिंदु (VEP):** ग्राम प्रवेश बिंदु की डिजिटल मैपिंग, ग्राम के भीतर जल आपूर्ति प्रदायगी नेटवर्क और ग्राम के बाहर के घटकों के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। यह मैक्रो और माइक्रो यूटिलिटी के बीच अवसंरचना प्रबंधन के लिए सीमाओं को भी स्पष्ट करती है;

vi. **उन्नत प्रणाली दृश्यीकरण:** यह मॉड्यूल प्रत्येक आरपीडब्ल्यूएसएस के लिए व्यापक डिजिटल आर्किटेक्चर आरेख तैयार करने में सक्षम बनाता है, जिससे नियोजक और प्रशासक एक एकीकृत इंटरफ़ेस के माध्यम से परिसंपत्तियों और सेवा क्षेत्रों के कार्यशीलता, हाइड्रोलिक और स्थानिक संबंधों को देख सकते हैं;

चित्र 15: प्रणाली द्वारा उत्पन्न सुजल गांव आईडी सिंटैक्स लॉजिक आरपीडब्ल्यूएसएस इंफ्रा आईडी

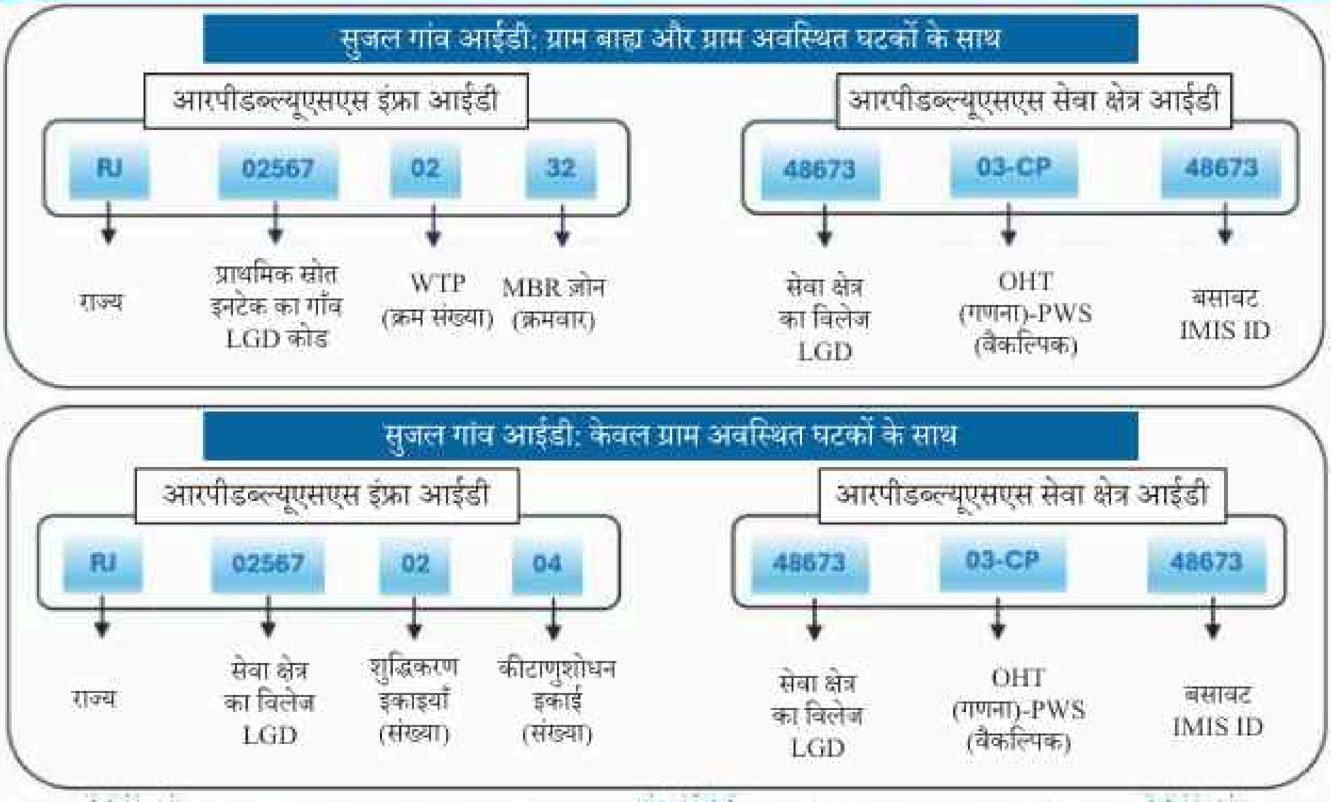

vii. **मॉड्यूलर और स्केलेबल डिज़ाइन:** मॉड्यूलर और स्केलेबल डिज़ाइन: यह एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का अनुसरण करता है, जो योजनाओं, स्रोतों, परिसंपत्तियों और सेवा क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र लेकिन परस्पर रूप से सहबद्ध डेटा लेयर्स को सक्षम बनाता है। यह मॉड्यूलरिटी राष्ट्रीय, राज्य, जिला और योजना स्तरों पर लचीली डेटा संरचना और विश्लेषण की अनुमति देती है और भविष्य के विस्तार के लिए स्केलेबिलिटी का समर्थन करती है।

viii. **नागरिक सशक्तिकरण:** यह सुजलाम भारत डीपीआई को ग्राम पंचायत के डैशबोर्ड और सुजलाम भारत-पीएम गतिशक्ति एप्लिकेशन के साथ एकीकृत करके नागरिकों को जल आपूर्ति, गुणवत्ता और कार्यशीलता पर सेवा स्तर की सूचना तक वास्तविक समय में पहुंच प्रदान करता है। यह सामुदायिक निगरानी, शिकायत निवारण और ग्रामीण जल परिसंपत्तियों के स्वामित्व को सक्षम करके सामाजिक जवाबदेही को सुदृढ़ बनाता है।

ix. **गैर-सरकारी हितधारकों का सशक्तिकरण:** यह निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और सामुदायिक संस्थानों को मानकीकृत, अंतरसंचालनीय डेटा तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे स्थानीय समाधानों और सहभागी अभिशासन के लिए नवाचार सक्षम होता है। यह स्टार्टअप्स, सामुदायिक आधारित संगठनों और वीडब्ल्यूएससी के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है ताकि वे पाइपगत जल आपूर्ति प्रणालियों की आयोजना, निगरानी और संचालन में योगदान दे सकें।

x. **सामुदायिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना:** ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSC), स्वयं सहायता समूहों और पंचायतों को जल आपूर्ति प्रणालियों की विकेंद्रीकृत योजना, संचालन और रखरखाव के लिए कार्रवाई योग्य डेटा से सशक्त बनाया जाता है। इससे समुदाय के नेतृत्व में सतत सेवा प्रदायगी को बढ़ावा मिलता है।

xi. **बाज़ार और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाना:** निजी कंपनियों को आईओटी (IoT) आधारित निगरानी, संचालन एवं रखरखाव के लिए तकनीकी सहायता, भावी विश्लेषण और परिसंपत्ति प्रबंधन जैसी प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल आधार प्रदान करता है। इस प्रकार जल प्रौद्योगिकी नवाचार और अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है।

xii. **डेटा आधारित वित्तपोषण और भागीदारी को सुगम बनाना:** डीपीआई के माध्यम से उत्पन्न विश्वसनीय और मानकीकृत डेटा बेहतर जोखिम मूल्यांकन, परिणाम आधारित वित्तपोषण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देता है, जिससे वित्तीय संस्थानों और विकास की अधिक भागीदारी संभव होती है।

राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ:

i. **डेटा प्रविष्टि और मानकीकरण:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि सुजलाम भारत मॉड्यूल में दर्ज किया गया सभी डेटा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के अनुसार सटीक, पूर्ण और अद्यतन (अपडेटेड) हैं। इससे ग्रामीण पाइपगत जल योजनाओं के सभी स्तरों, जैसे थोक जल, बाह्य ग्राम और ग्राम अवस्थित घटकों को सेवा क्षेत्र आईडी के साथ विशिष्ट रूप से जोड़कर, बुनियादी ढांचे का प्रतिनिधित्व करने में मदद मिलेगी;

ii. **जमीनी वास्तविकताओं के अनुसार मानचित्रण:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश जल आपूर्ति प्रणालियों का स्रोत से लेकर बसावटों तक मानचित्रण करने के लिए सुजलाम भारत डीपीआई ढांचे का पालन करेंगे, परिसंपत्तियों को सुजलाम भारत आईडी के साथ सही ढंग से जोड़ेंगे और संबंधित योजना से जुड़े सेवा क्षेत्रों को सुजल गांव आईडी आवंटित करेंगे;

iii. **नामित कार्यान्वयन एजेंसियों (DIA) का प्रबंधन:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि सुजलाम भारत मॉड्यूल में दर्ज की जाने वाली सभी सूचनाएँ एवं आंकड़े अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) के अनुरूप सटीक, पूर्ण तथा अद्यतन हों।, सुजलाम भारत-पीएम गतिशक्ति एप्लिकेशन के माध्यम से पीएम गतिशक्ति लेयर पर परिसंपत्ति जीआईएस मानचित्रण के लिए नामित कार्यान्वयन एजेंसियों (DIA) को शामिल करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। डीआईए डेटा (आवश्यकतानुसार केएमएल फाइलों सहित) तैयार करके प्रस्तुत करेंगे, जबकि अनुमोदन और अंतिम सत्यापन राज्य/ जिम्मेदारी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा;

iv. **अवसंरचना का वर्गीकरण:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि सुजलाम भारत मॉड्यूल में दर्ज की जाने वाली सभी सूचनाएँ एवं आंकड़े अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) के अनुरूप सटीक, पूर्ण तथा अद्यतन हों। बुनियादी ढांचे को इसके कार्यशीलता तथा ओ एंड एम के आधार पर बाह्य ग्राम या ग्राम अवस्थित ढांचे के रूप में वर्गीकृत करेंगे। एकाधिक ग्राम पंचायतों की सेवा करने वाली परिसंपत्तियां (जैसे शोधन संयंत्र और थोक आपूर्ति प्रणाली) बाह्य ग्राम के रूप में चिह्नित की जानी चाहिए, जबकि एकल ग्राम पंचायत की सेवा करने वाली और स्थानीय रूप से प्रबंधित परिसंपत्तियों को ग्राम अवस्थित ढांचे के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।

v. **डेटा की समीक्षा और सत्यापन:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि सुजलाम भारत मॉड्यूल में दर्ज की जाने वाली सभी सूचनाएँ एवं आंकड़े अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) के अनुरूप सटीक, पूर्ण तथा अद्यतन हों। जिला और क्षेत्र स्तर पर की गई प्रविष्टियों की समीक्षा और सत्यापन करेंगे यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे योजना के डिजाइन, जल प्रवाह और स्रोत से नल तक की कनेक्टिविटी को सही ढंग से दर्शाती हैं। इससे समग्र डेटा की गुणवत्ता और स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी;

vi. **अवसंरचना का सही क्रम:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि सुजलाम भारत मॉड्यूल में दर्ज की जाने वाली सभी सूचनाएँ एवं आंकड़े अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) के अनुरूप सटीक, पूर्ण तथा अद्यतन हों। यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी

परिसंपत्तियों का मानचित्रण वास्तविक योजना डिजाइन और जल प्रवाह के अनुसार सही क्रम में किया गया है। इससे प्रणाली के कार्य करने के तरीके का सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा;

vii. **जियोटैगिंग और डेटा सटीकता:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि सुजलाम भारत मॉड्यूल में दर्ज की जाने वाली सभी सूचनाएँ एवं आंकड़े अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) के अनुरूप सटीक, पूर्ण तथा अद्यतन हों। यह सुनिश्चित करेंगे कि विनिर्दिष्ट कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से सभी परिसंपत्तियों को उचित रूप से जियोटैग/ जियोरेफरेंस किया गया है और सही योजना से जोड़ा गया है और परिसंपत्ति आईडी को सुजलाम भारत आईडी के साथ मैप किया गया है। सभी प्रस्तुतियों की समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और आवश्यकतानुसार उनमें सुधार लाया जाना चाहिए;

viii. **भू-स्थानिक मानकों का पालन:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि मानचित्रण आवश्यक मानकों जैसे जीपीएस सटीकता, प्रशासनिक सीमाओं के भीतर सही स्थान, उचित पाइपलाइन मैपिंग और स्थानिक डेटा के सत्यापन का पालन करता है। डेटा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक मेकर चेकर प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए;

ix. **क्षमता निर्माण और डिजिटल जागरूकता:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश एनजेजेएम के समन्वय से ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी के प्रशिक्षण और डिजिटल क्षमता निर्माण में सहायता करेंगे।

x. **नियोजन एवं सुधार के लिए डीपीआई का उपयोग:** स्थानीय समाधान विकसित करने और जल आपूर्ति प्रणालियों की आयोजना, निगरानी और सेवा प्रदायगी में सुधार लाने के लिए राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सुजलाम भारत डीपीआई डेटा का उपयोग करेंगे;

xi. **उपयोगकर्ता डेटाबेस के लिए सुजल गांव आईडी का उपयोग:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश ग्राम पंचायतों को सुजल गांव आईडी और सुजल गांव यूटिलिटी ऐप का उपयोग करने की अनुमति देंगे ताकि सेवा क्षेत्र के भीतर परिवारों/ उपयोगकर्ताओं का डेटाबेस बनाया और उसका रखरखाव किया जा सके। इससे भविष्य में जल आपूर्ति प्रणालियों की बेहतर योजना बनाने, सेवाओं की निगरानी करने और उसके प्रबंधन में मदद मिलेगी।

क. सुजलाम भारत डीपीआई के लिए एक उपयोग के उदाहरण के रूप में परियोजना निगरानी मॉड्यूल

सुजलाम भारत- पीएम गतिशक्ति एप्लिकेशन में परियोजना निगरानी मॉड्यूल एक विस्तारित सुविधा है, जिसे सुजलाम भारत डीपीआई फ्रेमवर्क में मैप की गई ग्रामीण पाइपगत जल आपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत परिसंपत्तियों की प्रगति पर नज़र रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मॉड्यूल मौजूदा प्रणाली पर आधारित है, जिसमें ट्रांसमिशन और प्रदायगी पाइपलाइनों सहित परिसंपत्तियों के भू-निर्देशांक सुजलाम भारत आईडी के साथ मैप किए जाते हैं। यह मॉड्यूल निर्माणधीन परिसंपत्तियों की भौतिक प्रगति को नियमित रूप से अपडेट करने में सक्षम बनाएगा। इससे जेजेएम 2.0 के अंतर्गत शुरु की गई योजनाओं और परिसंपत्ति/ बुनियादी ढांचे के घटकों की पूर्णता की स्थिति की निगरानी में सहायता मिलेगी और विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन स्थिति का स्पष्ट अवलोकन प्राप्त होगा।

मुख्य विशेषताएं:

i. **एकल डिजिटल आधार:** सभी योजनाएं और परिसंपत्तियां सुजलाम भारत आईडी से सहबद्ध होंगी, जिससे स्रोत से प्रदायगी तक निरंतरता सुनिश्चित होगी और योजना-वार परिसंपत्ति डेटा की स्पष्ट मैपिंग संभव होगी;

ii. **संपत्तियों का जीवनचक्र (lifecycle) ट्रैकिंग:** यह मॉड्यूल परिसंपत्तियों की स्थिति को कैप्चर करेगा, अर्थात कैपेक्स (CAPEX) चरण के दौरान चालू न की गई, चल रही और पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की स्थिति तथा ओपेक्स (OPEX) चरण में इस एप्लीकेशन का उपोयग मरम्मत और रखरखाव की निगरानी के लिए किया जा सकता है;

iii. **वास्तविक प्रगति निगरानी:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश इस मॉड्यूल के माध्यम से निर्माणाधीन परिसंपत्तियों की वास्तविक प्रगति को अद्यतित करेंगे, जिससे योजना के कार्यान्वयन की वास्तविक समय में निगरानी संभव हो सकेगी;

iv. **भू-संदर्भित परिसंपत्ति ट्रैकिंग:** यह मॉड्यूल परिसंपत्तियों और पाइपलाइनों के मौजूदा भू-टैग/ भू-संदर्भित डेटा पर आधारित होगा, जो सुजलाम भारत आईडी से सहबद्ध है, ताकि बुनियादी ढांचे की सटीक स्थान-आधारित निगरानी प्रदान की जा सके;

v. **पारदर्शिता और सार्वजनिक सूचना:** योजनाओं की प्रगति ग्राम पंचायत डैशबोर्ड और मेरी पंचायत एप्लिकेशन में दर्शायी जाएगी जिससे नागरिकों को कार्यों की स्थिति देखने और पारदर्शिता में सुधार लाने में मदद मिलेगी;

vi. **लेखापरीक्षा एवं अभिलेख प्रबंधन:** यह प्रणाली परियोजना संबंधी अद्यतनों और परिवर्तनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखेगी, जिससे पारदर्शिता लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और समीक्षा करने में आसानी होगी।

2.6.2. इंटरैक्टिव डैशबोर्ड और निर्णय सहायता/ समर्थन प्रणाली (डीएसएस)

सुजलाम भारत डीपीआई को मुख्य डेटा प्रणाली मानते हुए, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड ग्राम पंचायत, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की वास्तविक समय में निगरानी और निर्णय लेने के लिए कार्यान्वित किए जाएंगे।

इंटरेक्टिव डैशबोर्ड को सेवा प्रदाता अनुप्रयोगों और फील्ड स्तर की प्रणालियों अर्थात् परिसंपत्ति प्रबंधन साधन, स्काडा आईओटी (SCADA/ IoT) सिस्टम, जल गुणवत्ता निगरानी प्लेटफॉर्म और शिकायत निवारण प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा। इससे फील्ड

स्तर के संचालन से लेकर सभी स्तरों पर निर्णय लेने वालों तक निर्बाध डेटा प्रवाह सुनिश्चित होगा। ये डैशबोर्ड कमांड और सहायता केंद्रों के लिए डिजिटल आधार के रूप में कार्य करेंगे, जिससे निरंतर निगरानी और समन्वित प्रतिक्रिया संभव होगी।

डैशबोर्ड निम्नलिखित को सक्षम बनाएंगे:

i. **जल बर्बादी को कम करना:** जल प्रवाह और उपभोग के आंकड़ों का उपयोग करके रिसावों को चिह्नित करना और गैर-राजस्व जल (NRW) को कम करना;

ii. **निवारक और पूर्वानुमानित रखरखाव:** परिसंपत्ति कार्य-निष्पादन की निगरानी करना और समय पर मरम्मत करने तथा प्रणालीगत विफलता को रोकने के लिए अलर्ट प्राप्त करना;

iii. **सेवा प्रदायगी की निगरानी:** जल आपूर्ति की मात्रा, गुणवत्ता, निरंतरता और दबाव जैसे प्रमुख मापदंडों की निगरानी करना;

iv. **कार्य-निष्पादन निगरानी और जवाबदेही:** कार्यान्वयन एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं के कार्य-निष्पादन का निर्धारित मानकों के अनुसार मूल्यांकन करना;

v. **जल गुणवत्ता निगरानी:** सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने और समय पर सुधारात्मक कर्यवाही के लिए जल गुणवत्ता आंकड़ों की निगरानी करना;

vi. **शिकायत निवारण:** सेवा प्रदायगी और नागरिक संतुष्टि में सुधार लाने के लिए शिकायतों की निगरानी करना और उनका समय पर समाधान करना;

vii. **बेहतर नियोजन और संसाधन आवंटन:** कमियों की पहचान करने, निवेश को प्राथमिकता देने और संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करने के लिए आंकड़ों का उपयोग करना;

viii. **प्रारंभिक चेतावनी और जोखिम संबंधी प्रबंधन:** समय पर कार्रवाई करने के लिए स्रोत संबंधी समस्याओं या प्रणाली पर दबाव जैसे संभावित जोखिमों की पहले से पहचान करना;

ix. **सेवा प्रदाय निकाय (यूटिलिटी) आधारित सेवा वितरण का प्रोत्साहन:** सेवा क्षेत्रों, उपयोगकर्ता डेटाबेस और उपभोग पैटर्न की ट्रैकिंग को सक्षम बनाना ताकि बेहतर सेवा प्रबंधन और सेवा प्रदाय निकाय (यूटिलिटी) आधारित प्रणालियों के लिए आगे की तैयारी में सहायता मिल सके;

x. **सामंजस्य और एकीकृत अभिशासन:** अन्य क्षेत्रीय प्रणालियों के साथ एकीकरण को बढ़ावा देना ताकि समन्वित योजना और समग्र जल संसाधन प्रबंधन को सक्षम बनाया जा सके।

डैशबोर्ड के प्रकार

i. **एनजेजेएम डैशबोर्ड:** राष्ट्रीय स्तर पर कार्य-निष्पादन का अवलोकन प्रदान करता है, जिससे राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की निगरानी, तुलना और सूचित नीतिगत निर्णय लेने में मदद मिलती है। यह राज्य स्तरीय डैशबोर्डों से प्राप्त आंकड़ों का समेकन करेगा, जिससे मानक निर्धारण (बेंचमार्किंग), प्रवृत्ति विश्लेषण (Trend Analysis) तथा प्रदर्शन संबंधी कमियों की प्रारंभिक पहचान संभव हो सकेगी;

ii. **एसडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड:** राज्य स्तरीय निगरानी, डेटा सत्यापन, कार्य-निष्पादन समीक्षा और जिलों और ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय में सहायता करता है । यह क्षेत्रीय एससीएडीए और अन्य निगरानी प्रणालियों के साथ एकीकृत होगा ताकि प्रणाली की कार्यशीलता और थोक एवं बड़े पैमाने की जल सेवा प्रदाय निकायों के कार्य-निष्पादन के प्रमुख मापदंडों को कैप्चर किया जा सके;

iii. **डीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड:** योजना की कार्यशीलता, शिकायत प्रबंधन और तकनीकी सहायता की जिला स्तरीय निगरानी को सक्षम बनाता है । इसमें जिला तकनीकी इकाइयों (डीटीयू) के लिए एक प्रणाली भी होनी चाहिए ताकि वे कार्य-निष्पादन संबंधी मुद्दों और सर्विस यूटिलिटीस्, विशेष रूप से माइक्रो यूटिलिटीस् की तकनीकी सहायता संबंधी आवश्यकताओं के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड और ट्रैक कर सकें ;

iv. **पंचायत डैशबोर्ड:** ग्राम पंचायतों को जल आपूर्ति की स्थिति, गुणवत्ता और प्रणाली के कार्य-निष्पादन के बारे में सरल, वास्तविक समय की सूचना प्रदान करता है, जिससे स्थानीय निर्णय लेने और समुदाय की निगरानी में सहायता मिलती है।

डैशबोर्ड इकोसिस्टम ग्राम पंचायत, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर निर्बाध एकीकरण को सक्षम बनाएगा, जिससे सूचना और निर्णय लेने की एक एकीकृत व्यवस्था होगी, जो समन्वय को सुदृढ़ बनाएगा, प्रतिक्रियाशीलता में सुधार लाएगा और ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों के प्रभावी अभिशासन का समर्थन करेगा । इससे वास्तविक समय के अभिशासन और समन्वित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को संस्थागत रूप दिया जाएगा।

राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ:

i. **डैशबोर्ड आधारित निगरानी और अभिशासन:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश राज्य और जिला स्तर पर डैशबोर्ड आधारित निगरानी तंत्र स्थापित करेंगे, ताकि लंबित शिकायतों, सेवा स्तरीय अनुपालन, बार-बार होने वाली समस्याओं और समाधान संबंधी कार्य-निष्पादन पर नज़र रखी जा सके। इन डैशबोर्ड का उपयोग लगातार सेवा संबंधी विफलताओं को चिह्नित करने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए किया जाएगा;

ii. **मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का जारी करना और उसका पालन करना:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी करेंगे जिनमें शिकायत की श्रेणियां, रूटिंग तंत्र, शिकायत निवारण की समय-सीमा और ग्राम पंचायत, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम), जिला तकनीकी इकाइयों (डीटीयू) और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) में सत्यापन प्रक्रियाएं परिभाषित होंगी।

iii. **नागरिक प्रतिक्रिया (फीडबैक) मंचों को बढ़ावा देना:** नागरिक प्रतिक्रिया (फीडबैक) मंचों को बढ़ावा देना: राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश नागरिक प्रतिक्रिया (फीडबैक) तंत्र जैसे जल सेवा आंकलन, मेरी पंचायत आवेदन और ई-ग्रामस्वराज के उपयोग को बढ़ावा देंगे, जो सुजल गांव आईडी के साथ एकीकृत होंगे। इससे पेयजल सेवाओं से संबंधित सामुदायिक फीडबैक को व्यवस्थित रूप से एकत्रित किया जा सकेगा।

iv. **सुजल गांव आईडी के माध्यम से शिकायतों का पता लगाना:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण जल आपूर्ति से संबंधित सभी शिकायतें अनिवार्य रूप से सुजल गांव आईडी से सहबद्ध हों। इससे सेवा संबंधी समस्याओं का सटीक स्थानीयकरण, प्रभावित बसावटों को चिह्नित करने और सेवा संबंधी समस्याओं का लक्षित समाधान करना संभव होगा।

v. **समयबद्ध समाधान हेतु संस्थागत समन्वय को सुदृढ़ बनाना:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश रिपोर्ट की गई सामुदायिक समस्याओं के समय पर समाधान को सुनिश्चित करने के लिए एसडब्ल्यूएस, डीडब्ल्यूएस, डीटीयू और ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय को सुदृढ़ बनाएंगे। डीटीयू स्थानीय संस्थानों को संचालन और प्रणालीगत चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने हेतु आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।

vi. **जिला तकनीकी इकाई (डीटीयू) की स्थापना:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सुजल गांव यूटिलिटी एप्लिकेशन के माध्यम से क्षेत्रीय डेटा प्रविष्टि से डेटा प्रवाह की निगरानी और प्रबंधन के लिए डीटीयू की स्थापना करेंगे। डीटीयू मैक्रो और माइक्रो यूटिलिटी के बीच समन्वय बिंदु के रूप में कार्य करेगा। डीटीयू डैशबोर्ड डेटा का विश्लेषण करके प्रणालीगत अक्षमताओं और जोखिमों को चिह्नित करेंगे, यूटिलिटी और ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे, डेटा सत्यापन सुनिश्चित करेंगे, कार्य-संचालन संबंधी निर्णय लेने और समस्या निवारण में सहायता करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि डेटा से प्राप्त सूचना को संचालन स्तर पर समय पर और कार्रवाई योग्य निर्णयों में परिवर्तित किया जाए।

vii. **कमांड एवं सहायता केंद्र स्थापित करना:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कमांड एवं सहायता केंद्र स्थापित करेंगे और डीटीयू के प्रभावी संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए उन्हें नियमित रूप से मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। कमांड एवं सहायता केंद्र डीटीयू द्वारा नियमित प्रणाली निगरानी और समय पर प्रतिक्रियाओं में सहायता करेंगे और जल आपूर्ति प्रणाली के कार्य-निष्पादन की निरंतर निगरानी, डेटा आधारित योजना और हस्तक्षेपों की प्राथमिकता निर्धारण, विभिन्न विभागों और प्रशासनिक स्तरों पर समन्वय और प्रणालीगत विफलताओं, आपात स्थितियों और सेवा व्यवधानों पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेंगे।

2.6.3. सेवा प्रदाय निकायों द्वारा डिजिटल लेन-देन संबंधी आंकड़ों का अभिलेखीकरण

वास्तविक समय की निगरानी और प्रभावी अभिशासन को सक्षम बनाने के लिए, सुजलाम भारत डीपीआई ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों के सभी स्तरों पर सर्विस यूटिलिटीस् द्वारा कार्य-संचालन ट्रांजेक्शन के संरचित संग्रहण में सहायता करेगा। यह प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि जल आपूर्ति प्रणालियों के दैनिक संचालन को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाए, जिससे निगरानी, आयोजना और निर्णय लेने के लिए डेटा का एक विश्वसनीय और निरंतर प्रवाह सुनिश्चित हो सके।

चित्र 16: ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों के लिए डिजिटल ट्विन

क. ग्राम स्तर पर लघु जल सेवा प्रदाय निकायों - सुजल गांव यूटिलिटी एप्लिकेशन

ग्राम स्तर पर लघु जल सेवा प्रदाय इकाइयाँ (माइक्रो यूटिलिटीज) - सुजल गांव यूटिलिटी एप्लिकेशन ग्राम स्तर पर, माइक्रो यूटिलिटीस् और समुदाय आधारित सेवा प्रदाता सुजल गांव यूटिलिटी एप्लिकेशन का उपयोग दैनिक संचालन और सेवा प्रदायगी गतिविधियों को सरल और व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए करेंगे।

आवेदन में निम्नलिखित सूचना शामिल होगी:

i. **जल आपूर्ति संचालन:** दैनिक वाल्व और पंप संचालन, जल आपूर्ति के घंटे और प्रदायगी अनुसूचियाँ, साथ ही खराबी से संबंधित रिपोर्टिंग और पुनर्स्थापन संबंधी समय-सीमा;

ii. **रखरखाव गतिविधियाँ:** प्रणाली की कार्यशीलता सुनिश्चित करने और सेवा में व्यवधानों को कम करने के लिए नियमित और निवारक रखरखाव गतिविधियाँ;

iii. **जल गुणवत्ता प्रबंधन:** क्लोरीनीकरण, कीटाणुशोधन और क्षेत्र स्तर पर जल गुणवत्ता परीक्षण, साथ ही संदूषण और सुधारात्मक कार्यों का रिकॉर्ड;

iv. **राजस्व और स्थानीय वित्तीय अभिलेख:** सेवाओं की पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदायगी शुल्क और बुनियादी वित्तीय अभिलेखों का संग्रहण।

v. **सामुदायिक निगरानी और समस्या रिपोर्टिंग:** स्थानीय हितधारकों द्वारा रिसाव, बुनियादी ढांचे की समस्याओं और सेवा अंतराल की रिपोर्टिंग, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।

vi. **शिकायत निवारण और नागरिक सहभागिता:** शिकायतों का पंजीकरण और निगरानी, साथ ही ग्राम एवं जल आपूर्ति केंद्रों (वीडब्ल्यूएससी) द्वारा उनके समाधान के लिए की गई कार्रवाई।

vii. **योजना निगरानी और स्थानीय योजना:** योजना की कार्यशीलता का आवधिक मूल्यांकन, जल आपूर्ति संबंधी सूचना का सार्वजनिक रूप से साझाकरण और ग्राम स्तर पर जल बजट और आयोजना।

इससे यह सुनिश्चित होगा कि अंतिम बिंदु तक के सेवा प्रदायगी को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाए, नियमित रूप से निगरानी की जाए और उसे पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए।

ख. वृहद जल सेवा प्रदाय निकायों एवं बल्क जल अंतरण प्रणाली-निगरानी तंत्रों (SCADA/ IoT) से प्राप्त आंकड़ों का एकीकरण

बड़ी मात्रा में जल अंतरण स्तर पर, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश को बड़े पैमाने पर जल आपूर्ति प्रणालियों से संचालन संबंधी डेटा प्राप्त करने के लिए डिजिटल इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के साथ मैक्रो यूटिलिटीज़ को एकीकृत करना होगा।

डेटा को स्काडा/ आईओटी और टेलीमेट्री-आधारित प्रणालियों के माध्यम से निम्नलिखित पहलुओं के लिए प्राप्त किया जाएगा:

i. **जल उत्पादन, शोधन और भंडारण:** थोक जल प्रणालियों और शोधन प्रक्रियाओं की वास्तविक समय निगरानी;

ii. **जल संचरण एवं बल्क वितरण की निगरानी:** प्रमुख पाइपलाइनों और भंडारण प्रणालियों में जल प्रवाह पर नज़र रखना;

iii. **ऊर्जा और संचालन दक्षता:** ऊर्जा उपयोग, पंप संबंधी कार्य-निष्पादन और प्रणाली दक्षता की निगरानी;

iv. **प्रणाली कार्य-निष्पादन और आपूर्ति विश्वसनीयता:** डाउनस्ट्रीम प्रदायगी प्रणालियों को निरंतर थोक आपूर्ति सुनिश्चित करना;

v. **जल गुणवत्ता निगरानी:** प्रयोगशालाओं से प्राप्त जल गुणवत्ता डेटा स्थिति, उभरते संदूषकों और भूगर्भीय संदूषकों की निगरानी मानकों के अनुसार जल गुणवत्ता डेटा निगरानी को सक्षम बनाना।

इससे बड़ी मात्रा में जल प्रणालियों की निरंतर निगरानी संभव होगी और बल्क आपूर्ति (Bulk Supply) और स्थानीय प्रदायगी के बीच समन्वय में सुधार होगा।

ग. सेवा प्रदायगी के लिए एकीकृत डेटा प्रवाह और निर्णय समर्थन:

ग्राम स्तर (माइक्रो यूटिलिटीज) और मैक्रो यूटिलिटीज से प्राप्त डेटा को स्काडा/ आईओटी जैसी स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से सुजलाम भारत डीपीआई में एकीकृत कर रियल-टाइम में स्रोत से नल तक प्रणाली के प्रदर्शन का समग्र दृश्य प्रदान किया जाएगा। यह डेटा इंटरैक्टिव डैशबोर्ड पर विश्लेषण हेतु प्रदर्शित होगा, जिससे कमांड एवं सहायता केंद्र निगरानी, समस्या पहचान और समय पर कार्रवाई कर सकेंगे।

निरंतर ट्रांजेक्शन डेटा संग्रह से उन्नत विश्लेषण के लिए मजबूत आधार बनेगा, जो आगे चलकर एआई/ एमएल आधारित अलर्ट, जोखिम पहचान और बेहतर निर्णय समर्थन सक्षम करेगा।

i. **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ:**

क. **मानक डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाना:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सुजल गांव यूटिलिटी एप्लिकेशन को ग्राम स्तर पर संचालन एवं रखरखाव तथा सेवा प्रदायगी संबंधी ट्रांजेक्शन को दर्ज करने के लिए मानक प्लेटफॉर्म के रूप में अपनाएंगे और अधिसूचित करेंगे;

ख. **डेटा और मानक संचालन प्रक्रियाओं का मानकीकरण:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश दैनिक और आवधिक प्रविष्टियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं और डेटा मानक जारी करेंगे, जिनमें रिपोर्टिंग आवृत्ति, अलर्ट सीमा और एस्केलेशन प्रोटोकॉल शामिल होंगे;

ग. **उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग और भूमिका-आधारित पहुंच:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश भूमिका-आधारित पहुंच, ओटीपी प्रमाणीकरण

और ऑडिट ट्रेल के साथ सभी उपयोगकर्ताओं की ऑनबोर्डिंग और प्राधिकरण सुनिश्चित करेंगे;

घ. **मैक्रो यूटिलिटी सिस्टम का एकीकरण:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश उत्पादन, शोधन, भंडारण और संचरण पर वास्तविक समय डेटा प्राप्त करने के लिए थोक जल प्रणालियों को एससीएडीए/ आईओटी प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करेंगे;

ङ. **डेटा गुणवत्ता और सिस्टम एकीकरण:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सुजलाम भारत डीपीआई और डैशबोर्ड के साथ सभी डेटा के सत्यापन और एकीकरण को सुनिश्चित करेंगे ताकि विश्वसनीय निगरानी सुनिश्चित हो सके;

च. **डैशबोर्ड अभिशासन और जवाबदेही:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतक (केपीआई) को परिभाषित करेंगे और अलर्ट, सेवा प्रदायगी, जल गुणवत्ता, शिकायतों और वित्तीय कार्य-निष्पादन की निगरानी के लिए जिम्मेदारी सौंपेंगे;

छ. **क्लोज्ड-लूप निगरानी और प्रतिक्रिया:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश परिभाषित एस्केलेशन तंत्र और परिणामों की ट्रैकिंग के साथ अलर्ट के संबंध में समयबद्ध प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेंगे;

ज. **डीटीयू के माध्यम से तकनीकी सहायता:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश डीटीयू को प्रणाली अलर्ट और कार्य-निष्पादन रुझानों के आधार पर तकनीकी सहायता प्रदान करने का निर्देश देंगे;

झ. **वित्तीय निगरानी और सततता:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश मांग, संग्रहण और व्यय डेटा की नियमित निगरानी सुनिश्चित करेंगे और जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे;

ञ. **क्षमता निर्माण और डिजिटल सशक्तिकरण:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सभी हितधारकों को डिजिटल सिस्टम के प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षित और सहायता प्रदान करेंगे;

ट. **नियोजन और सुधार के लिए डेटा का उपयोग:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश आयोजना, कार्य-निष्पादन संबंधी सुधार और संसाधन आवंटन के लिए ट्रांजेक्शन डेटा और विश्लेषण का उपयोग करेंगे।

ii. **जिलों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां (डीडब्ल्यूएसएम/ डीटीयू):**

क. **डेटा संग्रहण का पर्यवेक्षण:** जिले यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सेवा प्रदाता नियमित रूप से सुजल गांव यूटिलिटी एप्लिकेशन और संबंधित प्रणालियों के माध्यम से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड रखें;

ख. **डेटा समीक्षा और सत्यापन:** जिले सटीकता और पूर्णता के लिए डेटा प्रविष्टियों की समीक्षा करेंगे और उनमें सुधार लाने के लिए क्षेत्र पदाधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे;

ग. **तकनीकी सहायता और प्रतिक्रिया (डीटीयू):** डीटीयू सिस्टम अलर्ट और रुझानों का विश्लेषण करेगा, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा और माइक्रो यूटिलिटीज के लिए निवारक रखरखाव और प्रमुख मरम्मत में सहायता करेगा;

घ. **योजना की कार्यशीलता की निगरानी:** जिले योजनाओं के कार्य-निष्पादन की निगरानी करने, मुद्दों की पहचान करने और समय पर कार्रवाई करने के लिए डैशबोर्ड डेटा का उपयोग करेंगे;

ङ. **शिकायत निगरानी और समाधान:** जिले शिकायतों को ट्रैक करेंगे और ग्राम पंचायतों तथा सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय के माध्यम से समय पर समाधान सुनिश्चित करेंगे;

च. **समन्वय और एस्केलेशन:** जिले राज्य और ग्राम पंचायत स्तरों के बीच समन्वय करेंगे और परिभाषित प्रोटो-कोल के अनुसार अनसुलझे समस्याओं का समाधान करेंगे;

छ. **क्षमता निर्माण के लिए सहायता:** जिले क्षेत्र पदाधिकारियों और स्थानीय संस्थानों के प्रशिक्षण और सहायता का समर्थन करेंगे।

iii. **ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) और सेवा प्रदाय निकायों (माइक्रो यूटिलिटीज) की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:**

क. **दैनिक ट्रांजेक्शन डेटा प्रवृष्टि:** वीडब्ल्यूएससी, जल आपूर्ति ऑपरेटर, एसएचजी और अन्य सेवा प्रदाता सुजल गांव यूटिलिटी एप्लिकेशन के माध्यम से जल आपूर्ति संचालन, रखरखाव, कीटाणुशोधन और परीक्षण जैसी दैनिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे;

ख. **जल गुणवत्ता और रखरखाव रिपोर्टिंग:**वे नियमित रूप से जल गुणवत्ता परीक्षण, क्लोरीनीकरण, विफलताओं और सुधारात्मक कार्यों को रिकॉर्ड करेंगे;

ग. **शिकायत पंजीकरण और समाधान:** वीडब्ल्यूएससी शिकायतें दर्ज करेंगे, उनकी स्थिति पर नज़र रखेंगे और स्थानीय स्तर पर समय पर उनका समाधान सुनिश्चित करेंगे;

घ. **राजस्व और वित्तीय रिकॉर्ड:** सेवा प्रदायगी शुल्क संग्रहण और बुनियादी वित्तीय रिकॉर्ड डिजिटल रूप से संरक्षित रखे जाएंगे;

ङ. **सामुदायिक निगरानी और रिपोर्टिंग:** स्थानीय हितधारक समय पर कार्रवाई के लिए रिसाव, बुनियादी ढांचे के मुद्दों और सेवा संबंधी अंतराल की रिपोर्ट करेंगे;

च. **स्थानीय नियोजन के लिए डेटा का उपयोग:** वीडब्ल्यूएससी ग्राम स्तर की आयोजना, जल बजट और सेवा प्रदायगी में सुधार लाने के लिए उपलब्ध डेटा का उपयोग करेंगे।

2.6.4. नागरिक भागीदारी और प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्रणाली

नागरिकों को नियोजन, निगरानी और निर्णय लेने में सक्रिय भागीदार के रूप में सशक्त बनाया जाएगा। मेरी पंचायत एप्लिकेशन प्राथमिक नागरिक इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा, जो जल आपूर्ति सेवाओं से संबंधित सूचना प्राप्त करने और प्रतिक्रिया तथा शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए एकल डिजिटल विंडो प्रदान करेगा।

सुजलाम भारत डीपीआई सेवा प्रदायगी संबंधी सूचना तक पारदर्शी पहुंच को सक्षम बनाएगा और नागरिकों की प्रतिक्रिया और शिकायत निवारण के लिए संरचित तंत्र स्थापित करेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त सभी नागरिक इनपुट को सुजल गांव आईडी के माध्यम से परिभाषित सेवा क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा, जिससे समस्याओं की पहचान और उनका सही ढंग से लक्षित समाधान सुनिश्चित हो सके। बहु-स्तरीय डैशबोर्ड फीडबैक, शिकायत की स्थिति और सेवा संबंधी परिणामों की दृश्यता प्रदान करेगा, डेटा संचालित अभिशासन का समर्थन करेगा।

प्रमुख विशेषताएं:

i. **मेरी पंचायत एप्लिकेशन के माध्यम से नागरिक इंटरफेस:** यह नागरिकों को जल आपूर्ति योजनाओं, जल गुणवत्ता की स्थिति, सेवा प्रदायगी संबंधी विवरण और वीडब्ल्यूएससी/पानी समितियों से संबंधित ग्राम स्तर की सूचना प्रदान करेगा। यह नागरिकों को फीडबैक प्रस्तुत करने, मुद्दों की रिपोर्ट करने और प्रतिक्रियाओं को ट्रैक करने में भी सक्षम बनाएगा, जिससे यह नागरिकों की भागीदारी के लिए प्राथमिक मंच के रूप में कार्य करेगा;

ii. **सेवा क्षेत्र-आधारित फीडबैक और शिकायत लिंकेज:** सुजल गांव आईडी सभी नागरिकों की प्रतिक्रिया और शिकायतों को विशिष्ट बसावटों और योजनाओं से जोड़ने के लिए सामान्य संदर्भ के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत, जिला और राज्य अधिकारियों द्वारा सटीक मुद्दे की पहचान और उससे संबंधित लक्षित कार्रवाई को सक्षम करेगा;

iii. **स्थानीय फीडबैक टूल के रूप में जल सेवा आंकलन:** जल सेवा आंकलन ग्राम पंचायतों और ग्राम पेय जल एवं स्वच्छता समिति के लिए कार्यशीलता की स्थिति और सेवा के मुद्दों को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिजिटल उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह समय पर तकनीकी सहायता और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जिला अधिकारियों और डीटीयूएस को अधिसूचित करने में भी सक्षम बनाएगा;

iv. **परियोजना निगरानी मॉड्यूल के साथ एकीकरण:** मेरी पंचायत एप्लिकेशन को सुजलाम भारत परियोजना निगरानी मॉड्यूल के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि नागरिकों को चल रही योजनाओं की भौतिक प्रगति को ट्रैक करने में सक्षम बनाया जा सके। सुजल गांव आईडी के साथ लिंकेज नल कनेक्टिविटी के स्रोत की दृश्यता प्रदान करेगा, जबकि सुजल गांव यूटिलिटी एप्लिकेशन के साथ एकीकरण दिन-प्रतिदिन सेवा प्रदायगी के बारे में सूचना प्रदान करेगा;

v. **प्राप्त फीडबैक और जवाबदेही लूप:** नागरिकों से प्राप्त प्रतिक्रिया और शिकायतों को कैप्चर तथा ट्रैक करते हुए उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। यह एक बंद लूप प्रणाली सुनिश्चित करेगा जहां नागरिकों से प्राप्त सूचना से मापन योग्य कार्रवाई और बेहतर सेवा प्रदायगी सुनिश्चित होगा;

vi. **डैशबोर्ड के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी:** बहु स्तरीय डैशबोर्ड (एनजेजेएम, एसडब्ल्यूएसएम, डीडब्ल्यूएसएम और जीपी) शिकायतों, लंबित स्थिति, वृद्धि और समाधान समय-सीमा की वास्तविक समय स्थिति, पारदर्शिता, जवाबदेही और साक्ष्य-आधारित अभिशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदर्शित करेंगे;

vii. **एआई-आधारित प्रणालीगत सीख के लिए नागरिक प्रतिक्रिया:** नागरिकों से प्राप्त प्रतिक्रिया और शिकायत डेटा उन्नत विश्लेषण और एआई प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में कार्य करेगा। समय के साथ, यह डेटा आवर्ती मुद्दों की पहचान करने, सेवा प्रदायगी पैटर्न में सुधार लाने, पूर्वानुमानित अलर्ट उत्पन्न करने और निर्णय समर्थन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने में मदद करेगा, जिससे जल आपूर्ति सेवाओं में निरंतर सुधार हो सकेगा।

राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:

i. **नागरिक इंटरफेस को सक्षम बनाना:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सूचना प्राप्त करने, प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने और शिकायतों पर नजर रखने के लिए प्राथमिक नागरिक इंटरफेस के रूप में मेरी पंचायत एप्लिकेशन को अपनाएंगे और उसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करेंगे;

ii. **डेटा एकीकरण और उपलब्धता सुनिश्चित करना:** राज्य/ केंद्र राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश नागरिक प्लेटफार्मों के साथ सुजलाम भारत डीपीआई, परियोजना निगरानी मॉड्यूल और सुजल गांव यूटिलिटी एप्लिकेशन का एकीकरण सुनिश्चित करेंगे ताकि योजनाओं, सेवा प्रदायगी, प्रगति से संबंधित सटीक और अद्यतित सूचना उपलब्ध हो सके;

iii. **सेवा क्षेत्रों के साथ सहबद्ध प्रतिक्रिया:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी नागरिकों की प्रतिक्रिया और शिकायतें सुजल गांव आईडी से जुड़ी हैं ताकि मुद्दों की सटीक पहचान और उसका लक्षित समाधान सुनिश्चित हो सके;

iv. **शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश ग्राम पंचायत, जिला और राज्य स्तरों पर नागरिकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का समाधान करने के लिए स्पष्ट कार्यप्रणाली, समय-सीमा और वृद्धि तंत्र को परिभाषित करेंगे;

v. **जवाबदेही प्रतिक्रिया की निगरानी करना:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश शिकायत की स्थिति, समाधान संबंधी समय-सीमा और सेवा प्रदायगी संबंधी परिणामों की निगरानी के लिए डैशबोर्ड का उपयोग करेंगे और जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे;

vi. **जवाबदेही को सुदृढ़ बनाना:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश नागरिकों के फीड-बैक का जवाब देने और नियमित रूप से कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने के लिए जिलों, वीडब्ल्यूएससी और सेवा प्रदाताओं को स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपेंगे;

vii. **क्षमता निर्माण और जागरूकता:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश नागरिकों और स्थानीय संस्थानों को प्रतिक्रिया और भागीदारी के लिए

डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण शुरू करेंगे;

viii. **प्रणाली में सुधार लाने के लिए फीडबैक का उपयोग करना:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश आवर्ती मुद्दों की पहचान करने और सेवा प्रदायगी, आयोजना और प्रणाली के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए नागरिकों की प्रतिक्रिया और शिकायत संबंधी डेटा का विश्लेषण करेंगे;

ix. **एकीकृत नागरिक सेवा इंटरफेस का विकास:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश नागरिकों के लिए जल आपूर्ति सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला तक पहुंचने के लिए एकीकृत डिजिटल इंटरफेस को उत्तरोत्तर विकसित कर सकते है और उसे बढ़ावा दे सकते हैं, जिसमें नए कनेक्शन के लिए आवेदन, कनेक्शन बहाली, सेवा अनुरोध, शिकायत पंजीकरण और समाधान की ट्रैकिंग शामिल है। सुजलाम भारत डीपीआई और सुजल गांव आईडी की पारस्परिकता का लाभ उठाते हुए, राज्य संदर्भ विशिष्ट अनुप्रयोगों का निर्माण कर सकते हैं और ऐसे मामलों का उपयोग कर सकते हैं जो पारिवारिक स्तर पर एंड-टू-एंड सेवा प्रदायगी को सक्षम बनाते हैं।

क. इन इंटरफेस का उद्देश्य जल आपूर्ति प्रणालियों के साथ सभी नागरिकों के संपर्क के लिए एक एकल, उपयोगकर्ता के अनुकूल मंच प्रदान करना है, जिससे पारदर्शिता, पहुंच में आसानी और समय पर सेवा प्रदायगी संभव हो सके। समय के साथ, ऐसे प्रणाली सेवा के स्थिति की ट्रैकिंग, उपयोगकर्ता खाता प्रबंधन, भुगतान और बिलिंग एकीकरण और व्यक्तिगत सेवा सूचना जैसी सुविधाओं का समर्थन कर सकते हैं। राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय भाषा समर्थन, लो-बैंडविड्थ कॉम्पैटिबिलिटी और ग्राम पंचायतों या सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से सहायता प्राप्त पहुंच के माध्यम से समावेशन भी सुनिश्चित करेंगे;

ख. यह नागरिक-केंद्रित ग्रामीण जल सेवा प्रदाय निकायों से संबंधित बदलाव का समर्थन करेगा जहां एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवा प्रदायगी संरचित, जवाबदेह और सुलभ होगी।

x. **नागरिक डेटा स्वामित्व और सहमति आधारित डेटा साझाकरण:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश उत्तरोत्तर ऐसे ढांचे को अपना सकते हैं जो नागरिकों को उनकी सेवा से संबंधित डेटा के स्वामी के रूप में पहचानते हैं और सभी प्लेटफार्मों पर सुरक्षित, सहमति आधारित डेटा साझा करने को सक्षम बनाते हैं। प्रणाली को नागरिकों को विश्वसनीय डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से अपने जल सेवा डेटा को देखने, नियंत्रित करने और चुनिंदा रूप से साझा करने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, विश्वास का निर्माण करेगा और सेवा प्रदायगी में सुधार लाने के लिए डेटा के ज़िम्मेदारपूर्ण उपयोग को सक्षम बनाएगा। समय के साथ, यह गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत सेवाओं, लक्षित हस्तक्षेपों और बेहतर आयोजना का समर्थन कर सकता है।

2.6.5. एआई-सक्षम जल प्रबंधन प्रणालियों की दिशा में विकास

सुजलाम भारत डीपीआई, ट्रांजेक्शन-आधारित डेटा कैप्चर और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के साथ, उन्नत विश्लेषण और जिम्मेदारपूर्ण जल प्रबंधन के लिए एक मजबूत डिजिटल आधार स्थापित करता है। जैसे-जैसे ग्राम स्तर के संचालन और थोक आपूर्ति प्रणालियों के डेटा की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि होगी, यह मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित प्रणालियों के विकास को सक्षम करेगा।

ये प्रणालियां पैटर्न की पहचान करने, अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने और ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों में पूर्वानुमानित और डेटा संचालित निर्णय लेने का समर्थन करने के लिए ऐतिहासिक और वास्तविक समय के डेटा का उपयोग करेंगी।

i. **डेटा कैप्चर से इंटेलिजेंट सिस्टम तक:** जल आपूर्ति संचालन, जल गुणवत्ता, रखरखाव और प्रणाली संबंधी कार्य-निष्पादन पर ट्रांजेक्शन डेटा का निरंतर कैप्चर एक संरचित और विश्वसनीय डेटासेट का निर्माण करेगा। यह आवर्ती मुद्दों की पहचान, मांग पैटर्न की समझ और विसंगतियों का पता लगाने में सक्षम होगा, जिससे मशीन लर्निंग मॉडल के लिए एक आधार तैयार होगा;

ii. **पूर्वानुमानित और निवारक प्रणाली संबंधी प्रबंधन:** सभी आधारित प्रणालियां परिसंपत्तियों के पूर्वानुमानित रखरखाव, रिसाव का शीघ्र पता लगाने, जल गुणवत्ता जोखिमों की पहचान करने और मांग के पूर्वानुमान में समर्थन करेंगी। यह प्रतिक्रियाशील सक्रिय और निवारक प्रणाली प्रबंधन की प्रतिक्रिया के बदलाव को सक्षम करेगा;

iii. **इंटेलिजेंट अलर्ट और निर्णय समर्थन:** उन्नत विश्लेषण निर्णय निर्माताओं के लिए स्वचालित अलर्ट और कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि को सक्षम करेगा। डैशबोर्ड और कमांड एवं सहायता केंद्र (सीएससी) मुद्दों को प्राथमिकता देने, कार्यों की सिफारिश करने और समय पर तथा सूचित निर्णय लेने में सहायता करने के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में विकसित होंगे;

iv. **जल आपूर्ति प्रणालियों का डिजिटल ट्विन:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश डीपीआई, सेवा प्रदाता अनुप्रयोगों और एससीएडीए/आईओटी सिस्टम से एकीकृत डेटा का उपयोग करके जल आपूर्ति नेटवर्क के डिजिटल ट्विन को उत्तरोत्तर विकसित कर सकते हैं। ये डिजिटल ट्विन सिस्टम व्यवहार, परिदृश्य विश्लेषण और संचालन तथा बुनियादी ढांचे की आयोजना के अनुकूलन का समर्थन करेंगे;

v. **एकीकृत और उन्नत जल प्रबंधन:** ये प्रणालियां स्रोत से नल तक शुरू से अंत तक दृश्यता, थोक और प्रदायगी प्रणालियों के एकीकरण, डेटा संचालित आयोजना और बेहतर संचालन संबंधी दक्षता को सक्षम बनाएंगी। वे भू-जल, जलवायु अनुकूलन और ऊर्जा प्रबंधन जैसे संबंधित क्षेत्रों के साथ सामंजस्य का भी समर्थन करेंगे;

vi. **चरणबद्ध एवं विस्तारयोग्य दृष्टिकोण:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश

चित्र 17 : सुजलाम भारत डीपीआई संबंधी अवलोकन सिस्टम लेयर्स और फंक्शनल लिंकेज को दर्शाता है

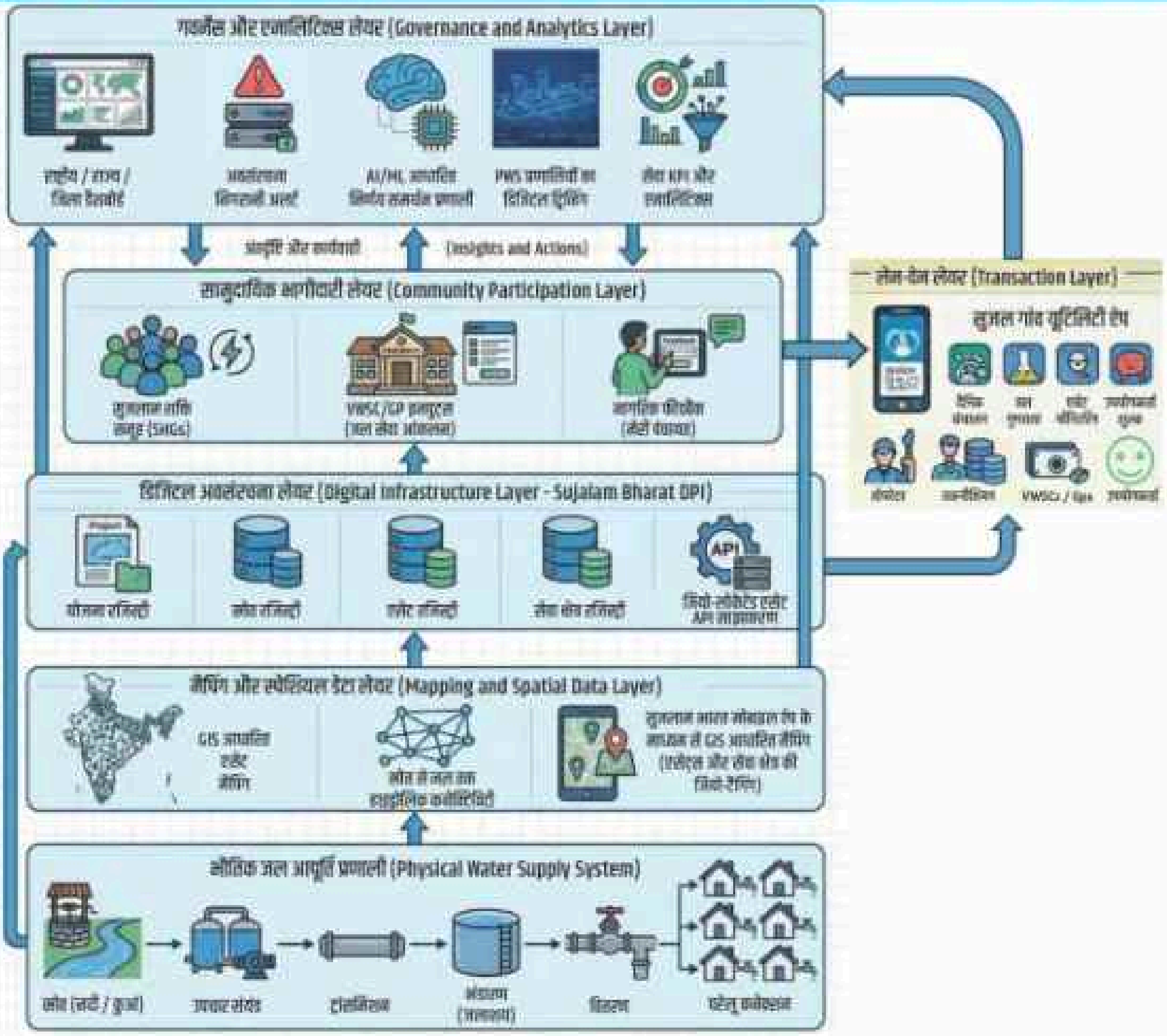

कार्यान्वयन के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाएंगे, जिसकी शुरुआत डेटा कैप्चर और एकीकरण को सुदृढ़ बनाने के साथ होगी, जिसके बाद निगरानी के लिए डैशबोर्ड का उपयोग, पूर्वानुमानित अंतर्दृष्टि के लिए एआई/एमएल मॉडल की स्थापना और डिजिटल ट्विन्स जैसी उन्नत प्रणालियों का क्रमिक विकास होगा;

vii. **डेटा अभिशासन और गुणवत्ता आश्वासन:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश डेटा की सटीकता, पूर्णता, स्थिरता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए डेटा अभिशासन संबंधी ढांचा स्थापित करेंगे। डेटा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित सत्यापन, ऑडिट ट्रेल और फीडबैक तंत्र कार्यान्वित किया जाएगा;

viii. **इंटरऑपरेबिलिटी और ओपन स्टैंडर्ड्स:** सभी डिजिटल सिस्टम सभी प्लेटफार्मों में निर्बाध डेटा विनिमय और एकीकरण को सक्षम बनाने के लिए इंटरऑपरेबल फ्रेमवर्क और ओपन स्टैंडर्ड्स का पालन करेंगे। यह उभरती प्रौद्योगिकियों की मापनीयता, अनुकूलन और भविष्य से संबंधित एकीकरण का समर्थन करेगा;

ix. **निर्णय प्रणाली के केंद्र में मानव:** यद्यपि एआई प्रणाली अलर्ट और सिफारिशें उत्पन्न करेगा, तथापि निर्णय नामित अधिकारी और सेवा प्रदाता ही लेंगे। प्रणाली मशीन द्वारा उत्पन्न अंतर्दृष्टि के साथ मानव निर्णय को जोड़ते हुए सूचित निर्णय लेने में सहायता करेगा;

x. **साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता:** राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सुरक्षित पहुंच नियंत्रण, डेटा सुरक्षा उपायों और जोखिम शमन तंत्र सहित डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और प्रणाली अनुकूलन के लिए उचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेंगे;

xi. **निरंतर सीख और प्रणाली में सुधार:** एआई और एनालिटिक्स सिस्टम को नए डेटा और फीडबैक से लगातार सीखने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। सिस्टम कार्य-निष्पादन, फील्ड इनपुट और परिणामों का उपयोग मॉडल को परिष्कृत करने और समय के साथ सटीकता में सुधार लाने के लिए किया जाएगा।

*****

अध्याय 2.7

जनभागीदारी के माध्यम से सहभागी अभिशासन की स्थापना

सुधार (रिफॉर्म) के उद्देश्य:

- जलापूर्ति प्रणालियों के प्रबंधन एवं सतत संचालन में समुदायों को सक्रिय भागीदार बनाकर जन भागीदारी के माध्यम से सहभागी अभिशासन को सुदृढ़ करना;
- समुदाय आधारित स्वामित्व को बढ़ावा देने हेतु जागरूक एवं सूचित नागरिकों के निर्माण में IEC को एक प्रमुख साधन के रूप में स्थापित करना;
- पारदर्शिता, जवाबदेही एवं निरंतर सहभागिता के लिए एक संरचित संचार रूपरेखा की स्थापना;
- सतत सामुदायिक सहभागिता, सांस्कृतिक जुड़ाव एवं जलापूर्ति प्रणालियों की आवधिक समीक्षा के लिए जल उत्सव को राष्ट्रीय रूपरेखा के रूप में अपनाना;
- सामुदायिक स्वामित्व, जवाबदेही एवं प्रदर्शन निगरानी को सुदृढ़ करने हेतु जल अर्पण एवं जल सेवा आंकलन का उपयोग करना;
- संवाद, सहकर्मी से सीखने (Peer Learning) और निरंतर कार्यक्रम प्रतिक्रिया के लिए संवाद प्लेटफार्मों को संस्थागत बनाना;
- व्यापक पहुंच, स्थानीयकरण और तथ्य-आधारित निर्णय-निर्माण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना।

2.7.1. जेजेएम के अनुरूप सहभागी अभिशासन

सहभागी अभिशासन एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करता है जहां सरकार, नागरिक और सामुदायिक संस्थान, विशेष रूप से ग्राम पंचायतें और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति जल जैसी सार्वजनिक सेवाओं की योजना बनाने, निर्णय लेने, कार्यान्वयन और निरीक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं एवं पारदर्शिता, जवाबदेही और सततता सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देते हैं। सहभागी अभिशासन जेजेएम 2.0 के मूल में निहित है, जो लोगों के लिए कार्य करने वाली सरकार से लोगों के साथ कार्य करने के लिए एक आदर्श बदलाव को चिह्नित करता है, जहां समुदाय जल सेवाओं के संबंध में निर्णय लेने, कार्यान्वयन और दीर्घकालिक प्रबंधनों में सक्रिय भागीदार हैं। मिशन का उद्देश्य केवल बुनियादी अवसंरचना का निर्माण नहीं है बल्कि समुदायों को अपनी जल आपूर्ति प्रणालियों का स्वामित्व लेने और निरंतर पेयजल सेवा प्रदायगी के लिए जिम्मेदार संरक्षक बनने के लिए सशक्त बनाना भी है। ग्रामीण पाइप जलापूर्ति प्रणालियों में अनेक तकनीकी एवं परिचालन संबंधी घटक शामिल होते हैं तथा उनकी सततता इस बात पर निर्भर करती है कि समुदाय अपनी जलापूर्ति योजनाओं को कितना समझते हैं, उनसे किस प्रकार जुड़ते हैं तथा उनके संचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी किस सीमा तक स्वीकार करते हैं। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप, जेजेएम 2.0 के अंतर्गत जन भागीदारी के माध्यम से सहभागी शासन को एक प्रमुख कार्यनीति के रूप में अपनाया गया है, ताकि ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियों के प्रबंधन एवं सतत संचालन में समुदायों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। प्रासंगिक एवं विश्वसनीय जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित करके, तकनीकी प्रक्रियाओं को सरल बनाकर तथा संरचित मंचों के माध्यम से निरंतर संवाद को प्रोत्साहित करते हुए, मिशन का उद्देश्य ऐसे जागरूक एवं सक्षम समुदायों का निर्माण करना है जो अपनी जलापूर्ति प्रणालियों के प्रबंधन एवं सततता में प्रभावी रूप से भागीदारी कर सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) की एक संरचित रूपरेखा अपनाई गई है।

2.7.2. सहभागी अभिशासन के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) फ्रेमवर्क

जल जीवन मिशन के अंतर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) सहभागी अभिशासन को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो समुदायों को उनकी जलापूर्ति प्रणालियों से जोड़ते हुए उनकी जागरूक एवं सार्थक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। यह केवल एक बार संचालित की जाने वाली जागरूकता गतिविधि नहीं है, बल्कि एक सतत एवं संरचित प्रक्रिया है, जो समुदायों को अपनी जलापूर्ति प्रणालियों को समझने, उनके प्रबंधन की क्षमता विकसित करने तथा उनकी निगरानी एवं सुधार में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती है।

सूचना के प्रसार, अनुभवात्मक शिक्षा (Experiential Learning) तथा द्विपक्षीय संवाद मंचों के समन्वित उपयोग के माध्यम से IEC समुदायों की निरंतर सहभागिता को बढ़ावा देता है और इस प्रकार ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियों के प्रबंधन एवं सतत संचालन में जन भागीदारी को सुदृढ़ करता है। इसे संचालित करते समय, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि

सभी सामग्री और संचार प्रयासों को स्थानीय भाषाओं में संवर्तित किया जाए और स्थानीय सांस्कृतिक व्यवस्था के लिए प्रासंगिक बनाया जाए ताकि संदेश सुलभ, भरोसेमंद और सामुदायिक व्यवहारों में निहित हो इन तीन घटकों में से प्रत्येक का विवरण नीचे दिया गया है:

क. सूचना: जलापूर्ति प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता विकसित करना

जेजेएम के अंतर्गत सूचना का उद्देश्य समुदायों को उनकी अपनी जलापूर्ति प्रणालियों के प्रति जागरूक बनाना है, जिसमें उपलब्ध अवसंरचना, उसकी कार्यप्रणाली तथा जल के स्रोत के बारे में जानकारी शामिल है। जब लोग यह समझते हैं कि उनका पेयजल किस स्रोत से प्राप्त होता है, उसके लिए कौन-सी अवसंरचना विकसित की गई है तथा उनके घरों तक जल पहुंचाने की प्रक्रिया क्या है, तब वे जलापूर्ति प्रणाली से बेहतर रूप से जुड़ पाते हैं और उसके महत्व को समझते हैं।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जेजेएम ने सुजलाम भारत डेटाबेस, सुजल गांव यूटिलिटी ऐप, विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर उपलब्ध डैशबोर्ड, मेरी पंचायत ऐप तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सूचना तक पहुंच को सक्षम बनाया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं से संबंधित प्रमुख जानकारियों के सार्वजनिक प्रदर्शन की व्यवस्था भी की गई है। इन पहलों के माध्यम से समुदाय जल स्रोत, प्रणाली के घटकों तथा सेवा प्रदायगी व्यवस्थाओं सहित आवश्यक जानकारियों तक पहुंच प्राप्त कर उन्हें समझ सकते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक अपनी जलापूर्ति प्रणाली से परिचित हो, क्योंकि यही जागरूकता उसके संचालन एवं सततता के प्रति जिम्मेदारी और स्वामित्व की भावना विकसित करने का आधार बनती है।

जागरूक एवं सार्थक भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए त्रैमासिक सार्वजनिक प्रकटीकरण तंत्र (Quarterly Public Disclosure Mechanism) की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं जिला पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक तिमाही में सेवा प्रदायगी से संबंधित प्रमुख मानकों का सार्वजनिक प्रकटीकरण सुनिश्चित करेंगे। इन मानकों में जल गुणवत्ता परीक्षण की स्थिति, जल सेवा आंकलन अथवा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य माध्यमों के अनुसार कार्यात्मकता की स्थिति, शिकायत निवारण संबंधी आंकड़े, सेवा प्रदायगी शुल्क एवं अन्य ओ एंड एम निधियों का संग्रहण एवं उपयोग तथा स्रोत सततता हेतु की गई कार्यवाहियां शामिल होंगी। राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राम जलापूर्ति प्रणालियों से संबंधित जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्मों, ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक प्रदर्शन, ग्राम सभा अथवा जल चौपाल बैठकों तथा अन्य स्थानीय प्रसार माध्यमों के जरिए समुदायों के लिए सरलतापूर्वक उपलब्ध एवं समझने योग्य बनाई जाए। यह सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जाएंगे कि प्रत्येक परिवार अपनी जलापूर्ति योजना के जल स्रोत, प्रणाली के घटकों तथा सेवा प्रदायगी व्यवस्थाओं से परिचित हो।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियों से संबंधित सूचना एवं जागरूकता के प्रसार हेतु एनजेजेएम द्वारा सामुदायिक रेडियो को एक स्थानीय एवं सुलभ माध्यम के रूप में प्रारंभ किया गया है। राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में अंतिम छोर तक पहुंच को सुदृढ़ करने, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप संदेशों के प्रसार तथा सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक रेडियो का उपयोग कर सकते हैं।

ख. शिक्षा: जागरूक एवं सार्थक भागीदारी के लिए समझ और क्षमता का विकास

जेजेएम 2.0 के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य जलापूर्ति प्रणालियों की कार्यप्रणाली तथा उनके प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक पहलुओं की स्पष्ट समझ विकसित करना है। इसका लक्ष्य तकनीकी विषयों को सरल बनाना तथा समुदायों को सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सीखने में सक्षम बनाना है।

यह प्रक्रिया जल उत्सव जैसी संरचित पहलों के माध्यम से संचालित होती है, जिसमें जल महोत्सव (राष्ट्रीय स्तर), राज्य जल/ नदी उत्सव (राज्य स्तर) तथा लोक जल उत्सव (ग्राम पंचायत स्तर) शामिल हैं। इन मंचों पर सामुदायिक सहभागिता, संवाद एवं ऐसी गतिविधियों के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है, जो जलापूर्ति प्रणालियों की दीर्घकालिक सततता को समर्थन देती हैं। ये मंच जल को एक साझा संसाधन के रूप में समुदायों के जुड़ाव को भी सुदृढ़ करते हैं।

इसके अतिरिक्त, जेजेएम 2.0 के अंतर्गत जल अर्पण जैसी प्रक्रियाएं, जो योजनाओं के समुदाय को औपचारिक हस्तांतरण का प्रतीक हैं, परीक्षण संचालन (Trial Run), प्रणाली परीक्षण तथा अभिलेखों के सत्यापन जैसे तकनीकी चरणों को ट्रांसेक्ट वॉक तथा ग्राम सभा/ जल चौपाल चर्चा जैसी सहभागी गतिविधियों के साथ एकीकृत करती हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य समुदायों को सरल एवं व्यावहारिक तरीके से पेयजल आपूर्ति प्रणाली की कार्यप्रणाली को देखने, समझने तथा उससे जुड़ने का अवसर प्रदान करना है। इसके अलावा, जेजेएम 2.0 के तहत, जल अर्पण जैसी प्रक्रियाएं, जो समुदाय को योजनाओं के औपचारिक हस्तांतरण को चिह्नित करती हैं, ट्रांजेक्ट वॉक और ग्राम सभा/ जल चौपाल चर्चा जैसी भागीदारी गतिविधियों के साथ ट्रायल रन, सिस्टम जांच और दस्तावेज सत्यापन जैसे तकनीकी चरणों को एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन दृष्टिकोणों का उद्देश्य समुदायों को सरल और व्यावहारिक तरीके से सिस्टम के कामकाज को देखने, समझने और संलग्न करने में सक्षम बनाना है।

जेजेएम के अंतर्गत शिक्षा केवल सामुदायिक सहभागिता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पीढ़ियों तक दीर्घकालिक जागरूकता एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी है। मिशन, SCERT अथवा राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा में जल संबंधी विषयों के समावेशन को प्रोत्साहित करता है, ताकि वर्तमान एवं भावी पीढ़ियां जल प्रणालियों तथा उनके रखरखाव एवं सतत संचालन में अपनी भूमिका के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बन सकें।

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश विद्यालयों को जल ऑडिट, वर्षा जल संचयन के प्रदर्शन, एफटीके (FTK) के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण तथा जल उत्सव एवं स्रोत संरक्षण अभियानों जैसी स्थानीय पहलों में भागीदारी जैसी व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार का अनुभवात्मक अधिगम विद्यार्थियों में प्रारंभिक स्तर पर स्वामित्व की भावना विकसित करने तथा जल के जिम्मेदार उपयोग की आदतों को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा।

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश जल उत्सव एवं जल अर्पण जैसे मंचों के संचालन के माध्यम से इस सतत सामुदायिक अधिगम को प्रोत्साहित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षण संचालन (Trial Run), ट्रांसेक्ट वॉक तथा ग्राम सभा/ जल चौपाल चर्चाओं जैसी सहभागी प्रक्रियाओं का प्रभावी आयोजन किया जाए। वे जलापूर्ति प्रणाली की कार्यप्रणाली तथा संचालन एवं रखरखाव में समुदायों की भूमिका को समझाने हेतु सरल एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देंगे। राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश एससीईआरटी (SCERT) रूपरेखाओं के माध्यम से विद्यालयी पाठ्यक्रमों में जल संबंधी विषयों के समावेशन हेतु विद्यालय शिक्षा विभागों के साथ समन्वय करेंगे तथा युवाओं एवं विद्यालयों की जल जागरूकता गतिविधियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे।

घ. संचार: सहभागिता, प्रतिपुष्टि (फीडबैक) एवं सामूहिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करना

जेजेएम 2.0 के अंतर्गत संचार केवल सूचना के प्रसार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकार और समुदाय के बीच संवाद की एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत समुदायों के साथ जानकारी साझा की जाती है तथा उनसे प्राप्त फीडबैक को भी महत्व दिया जाता है।

जेजेएम 2.0 के तहत ऐसे संरचित मंच स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से समुदाय अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं तथा सेवा प्रदायगी में सुधार हेतु योगदान दे सकते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

i. जल सेवा आंकलन, जिसके माध्यम से समुदाय समय-समय पर अपनी जलापूर्ति प्रणालियों का स्वयं आंकलन कर सकते हैं तथा जिला स्तर पर फीडबैक प्रदान कर सकते हैं;

ii. डीसी/ डीएम पेयजल संवाद एवं सुजल ग्राम संवाद जैसे संवाद मंच, जो अनुभवों के आदान-प्रदान तथा सहकर्मी अधिगम (Peer Learning) को प्रोत्साहित करते हैं;

iii. क्यूसीआई द्वारा संचालित सरपंच संवाद ऐप, जिसका उपयोग पंचायतों के बीच निरंतर सहकर्मी अधिगम तथा श्रेष्ठ नवाचार/ अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है

इसके अलावा, ग्राम सभा/ जल चौपाल को सामुदायिक संवाद, निर्णय लेने और सत्यापन के लिए प्रमुख मंच के रूप में संस्थागत बनाना चाहिए ताकि जल आपूर्ति प्रणालियों पर सामूहिक चर्चा हो सके और पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया जा सके। इन तंत्रों के माध्यम से, समुदायों को न केवल सूचित किया जाता है बल्कि सक्रिय रूप से उनके भी समस्याओं पर विचार किया जाता है। उनका फीडबैक योजना बनाने में योगदान देगी, जवाबदेही में सुधार लाएंगी और जवाबदेही को मजबूत करेगी। यह निरंतर बातचीत विश्वास पैदा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि समुदाय अपनी जल प्रणालियों के अभिशासन में सक्रिय रूप से जुड़े।

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश राज्य, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर संवाद एवं फीडबैक के नियमित मंचों का संस्थानीकरण करके संचार व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि समुदायों एवं अन्य हितधारकों से प्राप्त फीडबैक का व्यवस्थित रूप से संकलन, विश्लेषण एवं उपयोग समयबद्ध निर्णय-निर्माण तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही के लिए किया जाए।

इसके अतिरिक्त, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक अधिगम एवं निरंतर सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ व्यवहारों, नवाचारों तथा क्षेत्रीय अनुभवों का दस्तावेजीकरण एवं प्रसार करेंगे।

2.7.3. प्रमुख अभिशासन साधनों के साथ आईईसी रूपरेखा का एकीकरण

जेजेएम 2.0 के अंतर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) को जल अर्पण, जल उत्सव, पेयजल संवाद, सुजल ग्राम संवाद तथा जल सेवा आंकलन जैसे प्रमुख शासन उपकरणों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। यह एकीकरण सुनिश्चित करेगा कि सामुदायिक सहभागिता को सेवा प्रदायगी चक्र के प्रत्येक चरण-योजना निर्माण, क्रियान्वयन, संचालन, योजनाओं के हस्तांतरण, निगरानी तथा सततता सुनिश्चित करने-में समाहित किया जाए, न कि उसे एक अलग गतिविधि के रूप में देखा जाए। IEC को संरचित प्रक्रियाओं के साथ भी जोड़ा जाएगा, ताकि सामुदायिक भागीदारी प्रणाली के संचालन एवं निरंतर सुधार का अभिन्न अंग बन सके।

निम्नलिखित अभिशासन संबंधी साधन पाइपगत द्वारा जलापूर्ति प्रणाली की सेवा प्रदायगी के विशिष्ट चरणों के साथ आईईसी को एकीकृत करके इस दृष्टिकोण को संचालित करते हैं:

क. जल अर्पण: कमीशनिंग एवं हस्तांतरण प्रक्रियाओं को सामुदायिक सहभागिता से जोड़ना

जेजेएम 2.0 के अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियों की कमीशनिंग एवं हस्तांतरण को केवल तकनीकी उपलब्धियों के रूप में नहीं, बल्कि सामुदायिक केंद्रित प्रक्रियाओं के रूप में देखा जाएगा, जो स्वामित्व, जवाबदेही तथा सतत सेवा प्रदायगी के लिए आवश्यक तत्परता स्थापित करती हैं। जल अर्पण पूर्ण हो चुकी योजनाओं के ग्राम पंचायत/ समुदाय को औपचारिक हस्तांतरण का प्रतीक है। अतः जल अर्पण रूपरेखा (फ्रेमवर्क), कमीशनिंग एवं हस्तांतरण प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता को एकीकृत करने के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ग्राम पंचायतें और समुदाय निर्माण से संचालन और रखरखाव में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

तदानुसार, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि कमीशनिंग एवं हस्तांतरण प्रक्रियाओं के प्रत्येक चरण में निम्नलिखित माध्यमों से सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जाए :

i. **परीक्षण संचालन (Trial Run) के दौरान सामुदायिक सहभागिता:** ग्राम पंचायत/ VWSC सेवा स्तरों (जलापूर्ति अवधि, दबाव एवं गुणवत्ता) के सत्यापन तथा कमियों की पहचान हेतु न्यूनतम 15 दिनों के परीक्षण संचालन में भागीदारी बनाएंगे;

ii. **ग्राम सभा/ जल चौपाल के माध्यम से अनुमोदन:** कमीशनिंग की स्थिति, सेवा मानकों तथा ओ एंड एम हेतु तत्परता को ग्राम सभा अथवा जल चौपाल में प्रस्तुत एवं चर्चा के लिए रखा जाएगा, ताकि समुदाय द्वारा उसका अनुमोदन किया जा सके;

iii. **प्रणाली संबंधी विवरणों में पारदर्शिता:** ऐज़-बिल्ट ड्रॉइंग्स, परिसंपत्ति रजिस्टर, जल गुणवत्ता रिपोर्ट तथा ओ एंड एम योजनाओं जैसे प्रमुख दस्तावेज समुदाय के साथ साझा किए जाएंगे तथा उन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर सुलभ बनाया जाएगा;

iv. **स्थानीय हितधारकों का उन्मुखीकरण:** वीडब्ल्यूएससी सदस्यों, ऑपरेटरों (नल जल मित्र) तथा सामुदायिक प्रतिनिधियों को उनकी ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना (RPWSS), संचालन एवं अनुरक्षण प्रोटोकॉल, जल गुणवत्ता निगरानी तथा शिकायत निवारण तंत्र आदि के संबंध में उन्मुख किया जाएगा;

v. **जल अर्पण के माध्यम से औपचारिक हस्तांतरण:** पूर्ण की गई योजनाओं का जल अर्पण के माध्यम से ग्राम पंचायत/ समुदाय को औपचारिक हस्तांतरण किया जाएगा, जिससे सामूहिक स्वामित्व एवं उत्तरदायित्व को सुदृढ़ किया जा सके;

vi. **संचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) निधि व्यवस्था तथा भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व:** हस्तांतरण से पूर्व ओ एंड एम निधि व्यवस्था तथा विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाएंगे;

vii. **सार्वजनिक प्रकटीकरण एवं सामुदायिक जागरूकता:** जल अर्पण गतिविधियों के अंतर्गत सेवा स्तरों, जल गुणवत्ता की स्थिति तथा शिकायत निवारण तंत्र संबंधी जानकारी का सार्वजनिक प्रकटीकरण किया जाएगा।

अध्याय 2.4 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, जल अर्पण के दौरान जल गुणवत्ता अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। यद्यपि जल अर्पण को योजनाओं के औपचारिक हस्तांतरण हेतु एक बार आयोजित किए जाने वाले संस्थागत कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया है, तथापि राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश इसे जल उत्सव के साथ एकीकृत करेंगे, ताकि यह व्यापक सामुदायिक सहभागिता तथा पाइप जलापूर्ति योजनाओं के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा के लिए भी एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य कर सके।

ख. जल उत्सव: सतत सामुदायिक सहभागिता एवं जल से सांस्कृतिक जुड़ाव की रूपरेखा

जल उत्सव सतत सामुदायिक सहभागिता के लिए एक संरचित रूपरेखा प्रदान करता है, जो पेयजल के संदर्भ में संस्कृति, उत्सव और शासन को एक-दूसरे से जोड़ता है। यह मानते हुए कि दीर्घकालिक सततता के लिए सामुदायिक स्वामित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका फोकस केवल अवसंरचना निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि जल स्रोतों के संरक्षण तथा जलापूर्ति प्रणालियों के प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण तक विस्तारित है। उत्सवों के माध्यम से समुदायों में गौरव एवं भावनात्मक जुड़ाव की भावना विकसित होती है, जो ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के सतत सामुदायिक प्रबंधन को समर्थन प्रदान करती है।

जल उत्सव का आयोजन राष्ट्रीय, राज्य एवं पंचायत-इन तीन स्तरों पर किया जाता है, जिससे सामुदायिक सहभागिता का एक सतत चक्र निर्मित होता है। राष्ट्रीय स्तर पर यह गति एवं अभिसरण को बढ़ावा देता है; राज्य स्तर पर यह जल को क्षेत्रीय संस्कृति एवं परंपराओं से जोड़ता है; और पंचायत स्तर पर यह स्थानीय परंपराओं, लोककथाओं तथा सामूहिक प्रयासों पर आधारित जन-उत्सव का रूप ले लेता है।

चूंकि ये हमेशा होने वाले आयोजन हैं, इसलिए यह रूपरेखा समुदायों को अपनी पेयजल प्रणालियों की समीक्षा करने, उनके प्रदर्शन का आंकलन करने तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का अवसर प्रदान करती है, साथ ही जल के साथ उनके सांस्कृतिक जुड़ाव को भी सुदृढ़ करती है। उत्सवों की परंपराओं को शासन प्रक्रियाओं के साथ जोड़ते हुए, जल उत्सव ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियों की सततता के लिए जागरूकता, गौरव एवं साझा उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देता है।

i. **जल महोत्सव (राष्ट्रीय स्तर):** राष्ट्रीय फोकस एवं विषयगत दिशा; जल महोत्सव को केवल एक वार्षिक आयोजन के रूप में नहीं, बल्कि ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियों के प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण हेतु संरचित सामुदायिक सहभागिता को संस्थागत बनाने के लिए राज्यों, जिलों एवं ग्राम पंचायतों का मार्गदर्शन करने वाले एक राष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित किया जाएगा। समग्र दृष्टि निर्धारित करने तथा अभिसरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संवाद आयोजित किए जाएंगे, जिनके पूरक के रूप में राज्य एवं पंचायत स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

   जल महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष 8 मार्च से 22 मार्च तक किया जाएगा तथा प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट विषय (Theme) निर्धारित किया जाएगा, जो केंद्रित गतिविधियों एवं प्रयासों को दिशा प्रदान करेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य शासन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना, अन्य संबद्ध मिशनों एवं कार्यक्रमों के साथ अभिसरण को बढ़ावा देना, जलापूर्ति प्रणालियों की नियमित समीक्षा को प्रोत्साहित करना तथा सामुदायिक आधारित निगरानी एवं जवाबदेही को सक्षम बनाना होगा। साथ ही, स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं एवं संदर्भों के

चित्र 18: जल उत्सव-जल के साथ निरंतर सामुदायिक जुड़ाव और सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए कार्यढांचा

माध्यम से जल के प्रति गौरव एवं जुड़ाव की भावना को प्रोत्साहित करते हुए स्रोत सततता को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

ii. **राज्य जल उत्सव/ नदी उत्सव (राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश स्तर):** क्षेत्रीय संदर्भ एवं परंपराएं राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर राज्य जल उत्सव/ नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, ताकि क्षेत्रीय जल परंपराओं, स्थानीय नदी प्रणालियों तथा जल संरक्षण से जुड़ी सांस्कृतिक रूप से स्थापित प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जा सके। इसमें जल से संबंधित पारंपरिक उत्सवों एवं आयोजनों के साथ समन्वय भी शामिल होगा। विभिन्न विभागों के बीच अभिसरण सुनिश्चित करने तथा जिलों एवं स्थानीय संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए राज्य-विशिष्ट गतिविधि कैलेंडर विकसित किए जाएंगे।

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश समुदायों के जल से जुड़ाव को सुदृढ़ करने के लिए कुंभ, पुष्करम, छठ पूजा, बोइता बंदाना, नर्मदा जयंती तथा अन्य स्थानीय जल-केंद्रित उत्सवों जैसे क्षेत्रीय महत्व के आयोजनों को इसके साथ एकीकृत कर सकते हैं। ऐसे मंचों का उपयोग नदियों एवं जल स्रोतों के संरक्षण और सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाएगा, जिसमें जलाशयों का पुनर्जीवन, स्वच्छता अभियान तथा स्थानीय जल स्रोतों का संरक्षण शामिल है। इसका प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक प्रासंगिकता को शासन प्रक्रियाओं के साथ जोड़ते हुए संचालन एवं रखरखाव में सुधार करना, स्रोत सततता सुनिश्चित करना तथा ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियों के सामुदायिक नेतृत्व वाले प्रबंधन को सुदृढ़ करना होगा।

iii. **लोक जल उत्सव (ग्राम पंचायत/ ग्राम स्तर):** स्थानीय संस्कृति पर आधारित सामुदायिक नेतृत्व वाली सहभागिता ग्राम पंचायत/ ग्राम स्तर पर लोक जल उत्सव का आयोजन समुदाय के नेतृत्व में ऐसे जल उत्सवों के रूप में किया जाएगा, जो जल से संबंधित स्थानीय परंपराओं, लोक कथाओं एवं प्रचलित रीति-रिवाजों पर आधारित हों तथा जल स्रोतों के साथ समुदाय के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंधों को प्रतिबिंबित करते हों। ये मंच जागरूकता, अधिगम, उत्सव तथा पाइप जलापूर्ति प्रणालियों की समीक्षा को एक साथ जोड़ेंगे। ग्राम पंचायतें ग्राम सभा/ जल चौपाल, जल गुणवत्ता प्रदर्शन, परिसंपत्तियों के प्रति जागरूकता तथा जल संरक्षण एवं स्रोत संरक्षण हेतु सामूहिक गतिविधियों जैसी पहलों के माध्यम से नियमित सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक लोक जल उत्सव कैलेंडर तैयार करेंगी। जिले एवं राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि इन गतिविधियों को वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किया जाए तथा उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो । इस प्रकार की सहभागिता सामुदायिक स्वामित्व को सुदृढ़ करेगी, संचालन एवं अनुरक्षण को प्रभावी बनाएगी तथा जल प्रणालियों की सततता में स्थानीय परंपराओं एवं लोककथाओं की भूमिका को और मजबूत करेगी।

ग. जल सेवा आंकलन : समुदाय के नेतृत्व में मूल्यांकन और प्रतिक्रिया (फीडबैक)

जल सेवा आंकलन को जेजेएम 2.0 के तहत एक समुदाय के नेतृत्व वाले अभिशासन उपकरण के रूप में संस्थागत किया जाएगा ताकि ग्राम पंचायतों और VWSC को ग्रामीण पेयजल सेवा प्रदायगी का आवधिक स्व-मूल्यांकन करने में सक्षम बनाया जा सके। यह प्रक्रिया सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देगी, स्थानीय जवाबदेही को सुदृढ़ करेगी और पाइपगत जलापूर्ति प्रणालियों के निरंतर कार्य संचालन और रख रखाव के लिए सूचित निर्णय लेने में सहायता करेगी।

जल सेवा आंकलन में जल आपूर्ति की नियमितता, पर्याप्तता और गुणवत्ता, कार्य संचालन और रखरखाव व्यवहारों, वित्तीय प्रबंधन, सेवा प्रदायगी शुल्क संग्रह, शिकायत निवारण और स्रोत निरंतरता के उपायों सहित प्रमुख सेवा प्रदायगी मापदंडों को शामिल किया जाएगा।

मूल्यांकन समुदाय के सदस्यों की भागीदारी के साथ ग्राम पंचायत/ VWSC द्वारा सभी हर घर जल पंचायतों में किया जाएगा और निष्कर्षों को ग्राम सभा/ जल चौपाल में प्रस्तुत किया जाएगा और पारदर्शिता, सामुदायिक सत्यापन और सामूहिक स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक रूप से प्रकट किया जाएगा।

जल सेवा आंकलन के परिणामों का उपयोग सेवा प्रदायगी के कमियों को चिह्नित करने और ग्राम पंचायत, जिला और राज्य स्तरों पर सेवा सुधार नियोजन (SIP) या अन्य सुधारात्मक कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए किया जाएगा, जो स्थिति अनुसार कार्यान्वित होंगी।

जल सेवा आंकलन के समग्र निष्कर्ष उच्च प्रशासनिक स्तरों पर निगरानी, समीक्षा और योजना हेतु सहायता करेंगे और जेजेएम 2.0 के तहत समग्र जवाबदेही कार्यढांचे को सुदृढ़ करने में योगदान देंगे।

पेयजल संवाद और सुजल ग्राम संवाद जैसे संरचित संवाद मंच राज्यों, जिलों और ग्राम पंचायतों में अनुभव साझा करने, पीयर लर्निंग और निरंतर सुधार की सुविधा के लिए जल सेवा आंकलन के निष्कर्षों का उपयोग करेंगे।

जल उत्सव, जल अर्पण, जल सेवा आंकलन तथा संबंधित गतिविधियों का विस्तृत विवरण एनजेजेएम द्वारा नवंबर 2025 में प्रकाशित "ग्रामीण भारत में सामुदायिक प्रबंधित पाइप जलापूर्ति प्रणालियां" शीर्षक हैंडबुक[8] में उपलब्ध है। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस हैंडबुक तथा एनजेजेएम द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परामर्शों एवं दिशानिर्देशों का संदर्भ लिया जा सकता है।

घ. संवाद प्लेटफार्म: अधिगम, अनुभव साझाकरण, मान्यता एवं श्रेष्ठ व्यवहारों का संवर्धन

राज्यों, जिलों और ग्राम पंचायतों में सीखने, अनुभव साझा करने, मान्यता देने और अच्छी व्यवहारों के संवर्धन के लिए जेजेएम के तहत संवाद प्लेटफॉर्म शुरू किए गए हैं और इसे और सुदृढ़ किया जाएगा और संस्थागत बनाया जाएगा। ये मंच द्विपक्षीय संवाद माध्यम के रूप में कार्य करते हैं, जिनके माध्यम से समुदाय, निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ता सीधे एनजेजेएम के साथ संवाद कर अपने अनुभव, चुनौतियां एवं नवाचार साझा कर सकते हैं। साथ ही, ये मंच राष्ट्रीय स्तर पर विकसित मार्गदर्शन, अनुभवों एवं श्रेष्ठ व्यवहारों के क्षेत्रीय स्तर तक प्रसार का माध्यम भी प्रदान करते हैं। यह दो तरह का आदान-प्रदान क्रॉस-लर्निंग में सहायता करता है, फीडबैक लूप सुदृढ़ करता है और संचालन तथा रखरखाव, सेवा प्रदायगी और स्रोत सततता में निरंतर सुधार को सक्षम बनाता है।

दो प्रमुख प्लेटफार्मों का संचालन किया जाएगा:

i. **डीसी/ डीएम पेयजल संवाद:** यह प्लेटफॉर्म जिला स्तर के अनुभवों राष्ट्रीय स्तर पर साझा करने का अवसर प्रदान करता है, प्रशासनिक नवाचारों, अभिशासन व्यवहारों, ओ एंड एम मॉडल और जिलों द्वारा अपनाए गए समन्वित दृष्टिकोण को मुख्य रूप से दर्शाता है। यह डीसी/ डीएम, डीडब्ल्यूएसएम और फील्ड टीमों को अध्ययनों का आदान-प्रदान करने और क्षेत्रों में सफल हस्तक्षेपों को अपनाने में सक्षम बनाएगा;

ii. **सुजल ग्राम संवाद:** यह प्लेटफोर्म राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम पंचायतों/ VWSC से समुदाय के नेतृत्व वाली पहलों और सर्वोत्तम व्यवहारों को प्रदर्शित करता है, जिसमें प्रभावी ओ एंड एम, सेवा प्रदायगी शुल्क संग्रहण, जल गुणवत्ता प्रबंधन, स्रोत सततता और सामुदायिक भागीदारी से संचालित स्थानीय नवाचारों के उदाहरण शामिल हैं।

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश जिलों एवं ग्राम पंचायतों से अच्छी व्यवहारों को चिह्नित करने और उन्हें संग्रहित करने, संवाद प्लेटफार्मों में भागीदारी की सुविधा प्रदान करने तथा प्रसार और सफल मॉडलों के प्रसार एवं पुनरावृत्ति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राज्य यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इन मंचों से प्राप्त अनुभवों एवं सीख का उपयोग नीतियों, योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में किया जाए तथा इसके लिए फीडबैक तंत्र को और सुदृढ़ किया जाए।

इसी प्रकार, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित 'मेरी पंचायत' ऐप, एक एकीकृत डिजिटल शासन मंच के रूप में नागरिक इंटरफेस हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। जल सेवा आंकलन जैसी पहलों के माध्यम से यह पेयजल सेवाओं के सामुदायिक नेतृत्व वाले आंकलन को सक्षम बनाता है तथा इसमें नागरिक फीडबैक की अंतर्निहित व्यवस्था उपलब्ध है। इस मंच को आगे चलकर शिकायत निवारण संबंधी सुविधाओं के समावेशन के साथ और विकसित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

इसके अलावा, सरपंच संवाद ऐप, जो कि भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा संचालित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, का उपयोग निरंतर पीयर लर्निंग, सर्वोत्तम व्यवहारों के दस्तावेजीकरण और पंचायतों तथा हितधारकों के बीच ज्ञान के व्यापक प्रसार को सक्षम बनाने के लिए किया जाएगा।

ये प्लेटफॉर्म पीयर लर्निंग को बढ़ावा देंगे, अनुकरणीय प्रयासों को चिह्नित करेंगे और सफल दृष्टिकोणों को बढ़ाने में सहायता करेंगे जिससे सहभागी अभिशासन को सुदृढ़ किया जा सकेगा और सेवा प्रदायगी परिणामों में सुधार किया जा सकेगा।

[8] जनभागीदारी पुस्तिका (खंड-1) को देखने हेतु QR कोड स्कैन करें।

2.7.4. सहभागी अभिशासन के लिए डिजिटल साधनों का लाभ उठाना

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश जेजेएम के अंतर्गत सामुदायिक नेतृत्व वाली पहलों, सफलता की कहानियों एवं श्रेष्ठ व्यवहारों के दस्तावेजीकरण और प्रदर्शन हेतु रील, अनुभव-वृत्तांत (Testimonials) तथा प्रकरण-आधारित (Case-based) लघु वीडियो के निर्माण एवं प्रसार को बढ़ावा देंगे। ऐसे सामग्री का उपयोग व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने, पारस्परिक सीख को प्रोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक सामुदायिक सहभागिता को प्रेरित करने के लिए किया जाएगा।

2.7.5. सहभागी अभिशासन को बढ़ावा देने के लिए समुदाय के नेतृत्व वाले आईईसी को सुदृढ़ करने हेतु समन्वय

i. जेजेएम 2.0 संचार के क्षेत्र में 'समग्र शासन दृष्टिकोण' (Whole-of-Government Approach) को अपनाते हुए विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करेगा। एकीकृत WASH संचार रूपरेखा का अनुसरण किया जाएगा, ताकि संदेशों में एकरूपता, समन्वित जनसंपर्क तथा प्रभावी सूचना प्रसार सुनिश्चित किया जा सके;

ii. सुजलाम शक्ति से आशय महिलाओं के नेतृत्व वाले ऐसे समूह से है, जिसका गठन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों (SHGs), प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) अथवा विभिन्न मिशनों/ कार्यक्रमों के अंतर्गत गठित अन्य समान सामुदायिक आधारित संगठनों (CBOs) जैसी विद्यमान सामुदायिक संस्थाओं से किया जाता है। ये समूह ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं प्रबंधन में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) तथा ग्राम पंचायत का सहयोग करेंगे। इसमें जल सेवा प्रदायगी, बुनियादी अनुरक्षण, सामुदायिक सहभागिता तथा जल गुणवत्ता निगरानी से संबंधित गतिविधियां शामिल होंगी;

iii. राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश, आवश्यकतानुसार एसआरएलएम अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्थाओं के साथ अभिसरण करते हुए, ग्रामीण पाइप जलापूर्ति प्रणालियों के संचालन एवं रखरखाव, जल गुणवत्ता निगरानी तथा IEC गतिविधियों में सुजलाम शक्ति समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु उपयुक्त प्रोत्साहन व्यवस्था विकसित कर सकते हैं। ऐसे प्रोत्साहनों को दिशानिर्देशों के अनुरूप सपोर्ट निधि तथा जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण (WQMS) निधि की मदद ली जा सकती है तथा यह वार्षिक कार्ययोजना (AAP)/ सीआईआरपी (CIRP) का हिस्सा होना चाहिए;

iv. जेजेएम 2.0 के तहत फील्ड स्तर का आईईसी सामुदायिक स्वामित्व में निहित होगा और विश्वसनीय स्थानीय संस्थानों और अग्रिम पंक्ति के फ्रंट लाईन कार्यकर्ता के साथ तालमेल के माध्यम से संचालित होगा, जिससे उन्हें जुड़ाव के केंद्र में लाया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकताओं (AWW), आशा कार्यकर्ता, एएनएम, किसान मित्र, रोजगार सहायक, एनजेजेएम कार्यकर्ता, सुजलाम शक्ति समूह, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समितियां (VHSNC), पोषण समितियां, स्वयं सहायता समूह (SHG) और उनके फेडरेशन जैसे SRLM के तहत क्लस्टर स्तर के फेडरेशन (CLF) के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन समितियां (SMC) न केवल सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेंगे बल्कि सुरक्षित जल और सेवा जवाबदेही के सामुदायिक चैंपियन के रूप में कार्य करेंगे;

v. समुदाय के साथ उनके सशक्त जुड़ाव का लाभ उठाते हुए, वे सतत सहभागिता को प्रोत्साहित करेंगे, व्यवहार एवं दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहयोग देंगे तथा जल सेवा प्रदायगी एवं स्रोत सततता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करेंगे। इससे IEC को अधिक सहभागी बनाया जा सकेगा तथा जमीनी स्तर पर अभिसरण, स्वामित्व, समावेशन एवं जवाबदेही को मजबूती मिलेगी;

vi. प्रभाव आंकलन (इम्पेक्ट एस्सेस्मेंट) , समग्र शासन दृष्टिकोण के अंतर्गत पेयजल से जुड़े संबंधित कार्यक्रमों एवं मंत्रालयों/ विभागों, जैसे पोषण 2.0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा एसआरएलएम आदि के साथ अभिसरण में किया जाएगा। यह आंकलन विशेष रूप से पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं स्वच्छ व्यवहार से संबंधित परिणामों एवं संकेतकों के आधार पर सुरक्षित एवं विश्वसनीय पेयजल सेवाओं के व्यापक प्रभाव का मूल्यांकन करेगा;

vii. सभी अभिसरण प्रयासों में समन्वित संचार कैलेंडर, एकरूप ब्रांडिंग एवं संदेश तथा समन्वित मीडिया सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि स्पष्टता, विश्वसनीयता एवं व्यापक प्रभाव को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही, जल संबंधी संदेशों को पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित संदेशों के साथ एकीकृत किया जाएगा तथा उन्हें संबद्ध योजनाओं, विभागों एवं राष्ट्रीय मिशनों के साथ समन्वित किया जाएगा।

2.7.6. सहभागी अभिशासन में एसआरएलएम और अन्य समान कार्यक्रमों के साथ सहयोग

जेजेएम 2.0 के अंतर्गत राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश, सहभागी शासन एवं अन्य IEC गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए SRLM के साथ सहयोग करेंगे तथा स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के क्लस्टर स्तरीय महासंघों (CLFs) को शामिल करके कार्यान्वयन को सुदृढ़ करेंगे।

i. ऐसा सहयोग सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करेगा तथा IEC रूपरेखा के अंतर्गत गतिविधियों के संचालन, ग्राम पंचायतों/ VWSC, सुजलाम शक्ति समूहों एवं जेजेएम के अंतर्गत कार्यरत

अन्य सामुदायिक संस्थाओं के क्षमता निर्माण में सहयोग प्रदान करेगा, जिससे संचालन एवं अनुरक्षण में स्वामित्व एवं सहभागिता को सुदृढ़ किया जा सके;

ii. SRLM-CLF, PACS अथवा अन्य सामुदायिक आधारित संगठनों (CBOs) की कवरेज एवं शामिल करने का नियोजन स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए SRLM अथवा संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत परिभाषित क्लस्टर स्तर पर किया जाएगा, ताकि सतत सामुदायिक सहभागिता एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके;

iii. राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश, दिशानिर्देशों के अनुरूप उपलब्ध सपोर्ट निधि का उपयोग ऐसे CBOs की भागीदारी के लिए कर सकते हैं, ताकि जमीनी स्तर पर सतत सामुदायिक सहभागिता, IEC गतिविधियां तथा क्षमता निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।

2.7.7. विकास भागीदारों (डेवलपमेंट पार्टनर) और ग्रामीण वॉश पार्टनर्स फोरम (आरडब्ल्यूपीएफ) के साथ भागीदारी

कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने हेतु ग्रामीण वॉश भागीदार मंच (RWPF) तथा अन्य विकास भागीदारों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह सहयोग स्थानीय नवाचारों एवं समाधानों के पायलट परीक्षण, क्षमता निर्माण तथा ज्ञान साझा करने के माध्यम से किया जाएगा। RWPF, IEC, सामुदायिक सहभागिता, दस्तावेजीकरण तथा श्रेष्ठ व्यवहारों के प्रसार में भागीदारों के योगदान को सक्षम बनाने वाले मंच के रूप में कार्य करेगा।

ये साझेदारियां स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप समाधानों के प्रदर्शन, क्षेत्रीय स्तर पर सीख एवं अनुभवों के सृजन तथा स्थानीय संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करने में सहायक होंगी। इससे राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश बेहतर सेवा प्रदायगी, संचालन एवं अनुरक्षण तथा स्रोत सततता के लिए प्रभावी नवाचारों को अपनाने एवं उनका विस्तार करने में सक्षम होंगे।

2.7.8. परिणाम मापन और कार्य-निष्पादन संकेतक

सहभागी अभिशासन के प्रभाव का आंकलन प्रणाली के प्रदर्शन एवं सेवा प्रदायगी से संबंधित परिणामों के आधार पर किया जाएगा । इनमें कार्यशील वीडब्ल्यूएससी, सुदृढ़ संचालन एवं अनुरक्षण व्यवस्थाएं, जलापूर्ति की बेहतर नियमितता, गुणवत्ता एवं दबाव, सतत सामुदायिक सहभागिता तथा समस्याओं का समयबद्ध समाधान जैसे पहलू शामिल होंगे । इन परिणामों की निगरानी जल सेवा आंकलन, सार्वजनिक प्रकटीकरण व्यवस्था तथा आवधिक आंकलनों जैसे उपकरणों के माध्यम से की जाएगी, जिससे डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण एवं निरंतर सुधार को बढ़ावा मिल सके।

2.7.9. सपोर्ट निधि के उपयोग हेतु वार्षिक कार्य योजना/ सीआईआरपी के साथ एकीकरण

i. राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तरों पर सभी आईईसी तथा सहभागी अभिशासन गतिविधियां और कार्य योजनाएं सीआईआरपी कार्यान्वयन तथा रिफोर्म्स मैट्रिक्स के अनुरूप रखा जाएगा;

ii. राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि समन्वय से संबंधित सभी गतिविधियां परिभाषित समय-सीमा, भूमिकाओं और अपेक्षित परिणामों के साथ वार्षिक कार्य योजना (एएपी) में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हों। इन योजनाओं को व्यावहारिकता, स्वामित्व और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों, अग्रिम पंक्ति के फ्रंट-लाईन कार्यकर्ता तथा स्थानीय संस्थाओं के परामर्श से तैयार किया जाएगा;

iii. गतिविधियों की योजना बनाते समय, हर घर जल ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी।

*****

अध्याय 2.8
निरंतर सेवा सुधार हेतु क्षमता निर्माण रुपरेखा

सुधार (रिफॉर्म) के उद्देश्य:

- सामान्य प्रशिक्षण से कार्य और दक्षता आधारित क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना , भूमिकाओं का स्पष्ट होना और मापने योग्य परिणाम सुनिश्चित करना;
- माईक्रो यूटिलिटी और मैक्रो यूटिलिटी दोनों के लिए जल सेवा प्रदाय इकाइ उन्मुखी एवं नागरिक केंद्रित कौशल विकास के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्रणालियों का व्यावसायीक सुदृढ़ीकरण;
- एक सुव्यवस्थित प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (T o T) आधारित हब और स्पोक मॉडल के माध्यम से एक व्यापक एवं मानकीकृत प्रशिक्षण इकोसिस्टम का निर्माण;
- डेटा आधारित आंकलन द्वारा जिला स्तरीय तकनीकी क्षमता को सुदृढ़ बनाना ;
- डिजिटल निगरानी साधनों के द्वारा समयबद्ध प्रशिक्षण लक्ष्यों के साथ, बेहतर जवाबदेही और परिणामों की ट्रैकिंग।

2.8.1. परिचय

जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति अवसंरचना के व्यापक विस्तार के साथ, अब ध्यान बुनियादी अवसंरचना के निर्माण से निरंतर सेवा प्रदायगी की ओर केंद्रित है। जैसे-जैसे ग्रामीण पेयजल प्रणालियां परिपक्व होती हैं, उनकी दीर्घकालिक कार्यशीलता, दक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

इसके लिए अभिशासन और सेवा प्रदाय से जुड़े विभिन्न स्तरों पर कार्यरत सभी हितधारकों की व्यवस्थित क्षमता निर्माण और निरंतर दक्षता वृद्धि की आवश्यकता है। मिशन अवधि के उपरांत भी सेवाओं की सततता बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधनों एवं स्पष्ट जवाबदेही तंत्र से युक्त सुदृढ़ संस्थागत व्यवस्थाएं आवश्यक होंगी। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति प्रणालियों के प्रभावी संचालन एवं रखरखाव को सुनिश्चित करने हेतु क्षमता निर्माण के लिए दक्षता-आधारित संरचित दृष्टिकोण अपनाएंगे।

2.8.2. विजन और मार्गदर्शी रूपरेखा

ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति प्रणाली ग्राम स्तर की सरल व्यवस्था के कार्य संचालन से लेकर जटिल बहु- हितधारकों से जुड़ी जटिलसेवा प्रदायगी व्यवस्था तक विस्तृत है। इसलिए प्रभावी सेवा प्रदायगी के लिए व्यक्तिगत योग्यता और सुदृढ़ संस्थागत समन्वय दोनों की आवश्यकता होती है।

जेजेएम 2.0 के अंतर्गत क्षमता निर्माण रूपरेखा का उद्देश्य सभी स्तरों पर विश्वसनीय, टिकाऊ और नागरिक केंद्रित ग्रामीण जल सेवाएं प्रदान करने वाले सशक्त, जवाबदेह और सुसमन्वित संस्थानों की कल्पना की गई है। हितधारकों को न केवल अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के प्रति उन्मुख किया जाएगा, बल्कि प्रभावी सेवा प्रदायगी के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक समन्वय के लिए भी उन्मुख किया जाएगा।

अभिशासन संस्थान परिवर्तन प्रबंधन के कार्यसंचालन से, पारदर्शिता सुनिश्चित करके और सेवा जल सेवा प्रदाय निकायों को कुशलतापूर्वक कार्य करने में सक्षम बनाकर इस परिवर्तन का नेतृत्व करेंगे। इसमें निरंतर प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और व्यवस्थित क्षमता-निर्माण प्रणालियों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।

2.8.3. प्रमुख हितधारक

जेजेएम 2.0 के तहत क्षमता निर्माण में समुदाय, सेवा प्रदाय संस्थाओं और अभिशासन स्तरों के हितधारकों को शामिल किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक ग्रामीण जल सेवा प्रदायगी में अलग-अलग लेकिन परस्पर जुड़ी भूमिकाएं निभाएगा। यह रुपरेखा ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति प्रणालियों के प्रभावी कार्य-संचालन, निगरानी और सततता को सुनिश्चित करने के लिए जल सेवा प्रदाय कार्यों तथा अभिशासन जिम्मेदारियों दोनों को समाहित करती है।

समुदाय, जल सेवा प्रदाय निकाय और अभिशासन के स्तर पर, ग्राम पंचायतों और ग्राम पेय जल एवं स्वच्छता समिति से लेकर लघु और वृहद जल सेवा प्रदाय निकाय (माईक्रो और मैक्रो यूटिलिटी) तथा उच्च-स्तरीय अभिशासन निकायों तक के संस्थान सामूहिक रूप से निरंतर ग्रामीण जल सेवा प्रदायगी परिणाम सुनिश्चित करेंगे। यह एकीकृत संस्थागत दृष्टिकोण सभी स्तरों पर प्रभावी समन्वय को सक्षम करेगा और बुनियादी अवसंरचना के निर्माण से सतत सेवा प्रदायगी में परिवर्तन में सहायता करेगा। प्रमुख हितधारकों की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ निम्नानुसार हैं:

तालिका 5: विभिन्न स्तरों पर ग्रामीण जल सेवा प्रदायगी में हितधारक और भूमिकाएं

क्र. सं.	स्तर	प्रमुख हितधारक	भूमिकाएं और जिम्मेदारियां*
1.	सामुदायिक स्तर	• जीपी/ वीडब्ल्यूएससी • सुजलाम शक्ति समूह[1] जैसे एसएचजीएस/पीएसीएस आदि। • स्थानीय पदाधिकारी जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ आशा/ अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता • अन्य कार्यक्रमों में लगे हुए एनजेएम/ स्थानीय ऑपरेटर और तकनीशियन • सामुदायिक कार्यकर्ता	• सामुदायिक जुड़ाव/ सहभागिता और सहायता • सेवा प्रदायगी शुल्क संग्रह • जल गुणवत्ता परीक्षण का कार्य-संचालन करें • ग्रामीण जल प्रणालियों का दैनिक संचालन • मामूली मरम्मत और रखरखाव करना • अनुबंध/ विक्रेता प्रबंधन
2.	जल सेवा प्रदाय निकाय स्तर	लघु जल सेवा प्रदाय निकाय (माइक्रो यूटिलिटी) • ग्राम पंचायत/ वीडब्ल्यूएससी/ कोई अन्य ग्राम-स्तरीय लघु जल सेवा प्रदाय निकाय • सुजलाम शक्ति समूह (यदि सेवा प्रदायगी में लगा हुआ है) वृहद जल सेवा प्रदाय निकाय (मैक्रो यूटिलिटी) • ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु उत्तरदायी राज्य विभाग • पेशेवर जल सेवा एजेंसियां	• ग्रामीण जल प्रणालियों का दैनिक संचालन • मामूली मरम्मत और रखरखाव • अनुबंध/ विक्रेता प्रबंधन • बुनियादी ढांचे का संचालन और रखरखाव • परिसंपत्ति प्रबंधन और निवारक देखभाल • अनुबंध/ विक्रेता प्रबंधन • विश्वसनीय सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करना
3.	अभिशासन स्तर	• ग्राम पंचायत/ वीडब्ल्यूएससी • डीडब्ल्यूएसएम और डीटीयू • एसडब्ल्यूएसएम	• नीति कार्यान्वयन और निरीक्षण • निगरानी और मूल्यांकन • क्षमता निर्माण और परिवर्तन प्रबंधन सहायता • वित्तीय, तकनीकी सुविधा

यह सांकेतिक है, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश स्तर की नीति के आधार पर भूमिकाएं और जिम्मेदारियां भिन्न हो सकती हैं

2.8.4. क्षमता निर्माण रणनीति

जेजेएम 2.0 के अंतर्गत क्षमता निर्माण को केवल एक बार आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षणों तक सीमित न रखते हुए, इसे निरंतर, सुव्यवस्थित एवं दक्षता-आधारित सीखने की प्रक्रिया के रूप में विकसित किया जाएगा। यह कार्यप्रणाली ग्रामीण पेयजल सेवा वितरण में हितधारकों की भूमिकाओं के अनुरूप उनकी कार्यात्मक क्षमताओं को सुदृढ़ करने पर केन्द्रित होगी, ताकि प्रणाली के प्रदर्शन तथा सेवा परिणामों में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा सके। क्षमता निर्माण की सभी गतिविधियाँ राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सहायता निधि (सपोर्ट फंड) अंतर्गत कार्ययोजना में शामिल की जाएंगी।

क्षमता निर्माण रणनीति को व्यवस्थित योजना, प्रभावी क्रियान्वयन तथा निरंतर सुधार सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित प्रमुख घटकों के आधार पर संरचित किया जाएगा।

क. दक्षता रूपरेखा

क्षमता निर्माण राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तरों पर स्पष्ट रूप से परिभाषित दक्षताओं पर आधारित होगा। राज्य स्तर पर, दक्षताओं में नीति निर्माण, क्षेत्रीय योजना और संस्थागत व्यवस्थाओं को सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जिला स्तर पर तकनीकी सहायता, समन्वय, कार्य-निष्पादन निगरानी और सेवा सुधार नियोजन पर बल दिया जाएगा।

---

[1] *सुजलाम शक्ति समूह के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु कृपया इन दिशानिर्देशों के अध्याय 2.4 का संदर्भ लें।*

ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर दक्षताओं में कार्य-संचालन और रखरखाव, वित्तीय प्रबंधन, जल गुणवत्ता आश्वासन तथा सामुदायिक सहभागिता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

सभी स्तरों पर क्षमता रूपरेखाओं में तकनीकी, संस्थागत, वित्तीय, शासन तथा डिजिटल क्षेत्रों से संबंधित दक्षताओं को शामिल किया जाएगा तथा इन्हें समय-समय पर किए जाने वाले क्षमता आवश्यकता आंकलन (Capacity Gap Assessment) के आधार पर विकसित किया जाएगा। समुदाय एवं जिला स्तर पर संबंधित हितधारकों के लिए संकेतात्मक दक्षता क्षेत्रों का उल्लेख क्रमशः **अनुबंध-V** एवं **अनुबंध-VI** के रूप में संलग्न किया गया है।

ख. प्रशिक्षण सामग्री विकास

एसपीएम-निवास, डेवलपमेंट और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी संस्थाओं तथा अन्य तकनीकी/ शैक्षणिक संस्थानों की सहायता से एनजेजेएम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक संरचित और मानकीकृत प्रशिक्षण सामग्री रुपरेखा विकसित की जाएगी। राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश अपनी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाओं, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय भाषा, भौगोलिक परिस्थितियों एवं सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए इस सामग्री को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित करेंगे।

प्रशिक्षण सामग्री को चिह्नित की गई दक्षताओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा और कार्यान्वयन के दौरान कार्य-संचालन तथा रखरखाव, जल गुणवत्ता प्रबंधन, वित्तीय सततता, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग, स्रोत सततता या किसी भी अन्य चुनौतियों जैसी भूमिका विशिष्ट आवश्यकताओं को शामिल किया जाएगा। । निरंतर एवं व्यापक स्तर पर सीखने को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल शिक्षण मॉड्यूल भी विकसित किए जा सकते हैं तथा राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश प्रशिक्षण के सुव्यवस्थित संचालन एवं निगरानी हेतु लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) स्थापित करने की संभावनाएँ तलाश सकते हैं।

ग. प्रशिक्षण का संचालन

प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के आधार पर एक सुव्यवस्थित चरणबद्ध पद्धति के माध्यम से, किया जाएगा, जिससे सभी स्तरों के हितधारकों तक प्रशिक्षण की पहुँच सुनिश्चित हो सके। मास्टर ट्रेनर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विकसित किए जाएंगे तथा जिला और ग्राम पंचायत स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान करने में सहयोग करेंगे।

मानकीकरण, मापनीयता और निरंतर क्षेत्र-स्तरीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने में एक हब और स्पोक संस्थागत ढांचे में संबद्ध किया जाएगा।

2.8.5. हब और स्पोक मॉडल का क्रियान्वयन

मानकीकृत प्रशिक्षण सामग्री के विकास और विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण वितरण को सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन हब एवं स्पोक मॉडल के माध्यम से किया जाएगा। हब संस्थाएँ तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण सामग्री एवं प्रशिक्षण संचालन में सहयोग प्रदान करेंगी, जबकि स्पोक संस्थाएँ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण संचालन तथा क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग सुनिश्चित करेंगी, जिससे गुणवत्ता, व्यापक पहुँच एवं निरंतर मार्गदर्शन बना रहे।

राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश क्षमता और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आधार पर सभी स्तरों पर हब और स्पोक के रूप में उपयुक्त संस्थानों का चिह्नित करेंगे तथा गुणवत्ता से समझौता किए बिना प्रभावी उपलब्धता के लिए एक व्यापक चरणबद्ध प्रशिक्षण पद्धति का कार्यान्वयन करेंगे।

राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन उच्च स्तर के प्रबंधन और नीति निर्माताओं के लिए मानकीकृत प्रशिक्षण ढांचे, संसाधन सामग्री और क्षमता निर्माण कार्यनीतियों के विकास हेतु हब के रूप में कार्य करेगा।

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (ATI), राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD) और वॉश क्षेत्र में कार्यरत अन्य चिह्नित शैक्षणिक और तकनीकी प्रमुख संस्थान प्रशिक्षण सामग्री के संदर्भीकरण, मास्टर प्रशिक्षकों के विकास और समग्र समन्वय के लिए जिम्मेदार हब के रूप में कार्य करेंगे।

जिला एवं उप-जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, जिला तकनीकी इकाइयाँ (DTUs), प्रशिक्षण केन्द्र तथा अन्य स्थानीय संस्थाएँ प्रशिक्षण संचालन, क्षेत्रीय स्तर पर मार्गदर्शन तथा ग्राम पंचायतों एवं अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को निरंतर तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगी।

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि निरंतर ज्ञान प्रवाह और प्रतिक्रिया (फीडबैक) के लिए हब तथा स्पोक के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित किए जाएं। प्रशिक्षण संचालन को क्षेत्रीय स्तर पर सहायता, ऑन-साइट डेमोंस्ट्रेशन और नियमित तकनीकी सहायता द्वारा सुदृढ़ किया जाएगा। मौजूदा संस्थागत प्लेटफार्मों जैसे एसआरएलएम, आरएसईटीआई, आईटीआई और पीआरआई प्रशिक्षण प्रणालियों का उपयोग पहुंच का विस्तार करने और अंतिम छोर तक की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा।

एकीकृत और समग्र सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देने के लिए राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय सहित पेयजल से जुड़े संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के साथ तालमेल सुनिश्चित करेंगे।

संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, जनभागीदारी के लिए अध्याय 2.7 में निर्दिष्ट जल अर्पण और जल उत्सव जैसे सामुदायिक सहभागिता रूपरेखाओं के माध्यम से निरंतर उन्मुखीकरण तथा जागरूकता को सुदृढ़ किया जाएगा।

आरडब्ल्यूपीएफ (RWPF) का उपयोग ज्ञान साझा करने, तकनीकी सहायता और नवाचारी व्यवहारों के प्रदर्शन और विस्तार के माध्यम से क्षमता निर्माण में सहायता करने के लिए एक साझेदारी मंच के रूप में भी किया जा सकता है। फोरम स्थायी ग्रामीण जल आपूर्ति प्रबंधन के लिए दक्षताओं को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न भागीदारों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाएगा।

2.8.6. प्रशिक्षण चक्र और मूल्यांकन

क्षमता निर्माण को संरचित प्रशिक्षण चक्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें उन्मुखीकरण और पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण शामिल होंगे। प्रत्येक क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ता को कम से कम एक उन्मुखीकरण प्रशिक्षण दिया जायेगा और उसके बाद चिह्नित किए गए क्षमता अंतराल के आधार पर आवधिक पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्षमता निर्माण का मूल्यांकन न केवल आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या पर ध्यान केंद्रित करेगा, बल्कि सेवा प्रदायगी, प्रणाली के प्रदर्शन और संस्थागत प्रभावशीलता में दक्षताओं की प्रदर्शित वृद्धि पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

प्रशिक्षण की प्रगति पर नज़र रखने के लिए ई-ग्राम स्वराज जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाया जाएगा और व्यापक निगरानी तथा रिपोर्टिंग को सक्षम करने के लिए जल जीवन मिशन की डिजिटल प्रणालियों के साथ एकीकरण की संभावनाएँ भी तलाश की जाएंगी।

इसके अलावा, किसी भी ग्राम पंचायत या गांव के हर घर जल प्रमाणन के लिए, सभी नामित क्षेत्र स्तर के अधिकारी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के निरंतर संचालन और प्रबंधन के लिए तत्परता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन से पहले या हर घर जल प्रमाणन की तारीख से छह महीने के भीतर आवश्यक प्रशिक्षण पूरा करेंगे।

2.8.7. प्रमुख निगरानी बिंदु

व्यापक कार्यान्वयन सुधार योजना (सीआईआरपी) की समग्र प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने और मिशन के तहत स्थायी सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के सभी स्तरों में क्षमता निर्माण को प्राथमिकता देना आवश्यक है । इसलिए, निम्नलिखित उपलब्धियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए:

i. हर घर जल ग्राम पंचायतों में सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रशिक्षण पूरा करने का रिकॉर्ड ई-ग्राम स्वराज / जीपी डैशबोर्ड पर दिया जाएगा;

ii. मार्च 2027 तक सभी हर घर जल ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षण का कम से कम एक चरण पूरा किया जाएगा। पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण छह महीने के बाद या राज्य/ जिले द्वारा तय किए गए अनुसार आयोजित किया जाएगा।

*****

अध्याय 2.9

मानव संसाधन कौशल तंत्र की स्थापना

सुधार (रिफॉर्म) के उद्देश्य:

- सभी आरएलबी/ जीपी में जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन हेतु प्रमाणित मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- एनसीवीईटी के माध्यम से एनएसक्यूएफ अनुरूप प्रमाणन व्यवस्था स्थापित करना तथा 'जल वितरण संचालक' को एक मान्यता प्राप्त एवं पोर्टेबल भूमिका के रूप में विकसित करना;
- पूर्व अर्जित कौशल की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से गाँवों में पहले से कार्यरत अनौपचारिक संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) कर्मियों का व्यवस्थित प्रमाणन सुनिश्चित करना;
- एआईसीटीई से संबद्ध इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में 'जल आपूर्ति ओ एंड एम' को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दीर्घकालिक संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करना;
- पंजीकरण, प्रशिक्षण, प्रमाणन तथा जीपी वार तैनाती तक की संपूर्ण प्रक्रिया की डिजिटल ट्रैकिंग एवं निगरानी एसआईडीएच और डीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड के माध्यम से सुनिश्चित करना।

2.9.1. परिचय एवं उद्देश्य

जेजेएम के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति अवसंरचना के निर्माण में पर्याप्त प्रगति हुई है। जेजेएम 2.0 के अंतर्गत अब ध्यान, निर्मित अवसंरचना की सतत कार्यक्षमता, सेवा वितरण तथा दीर्घकालिक सततता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इस संदर्भ में, एक सुदृढ़ मानव संसाधन कौशल परितंत्र की स्थापना अत्यंत आवश्यक है, ताकि ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों के संचालन एवं रखरखाव के लिए सभी स्तरों पर पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध रह सकें।

मुख्य रणनीतियाँ निम्नलिखित हैं:

i. ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षित तथा प्रमाणित मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना;

ii. आरएलबी/ वीडब्ल्यूएससी/ जल समितियों के माध्यम से सामुदायिक स्वामित्व तथा विकेंद्रीकृत संचालन एवं रखरखाव को बढ़ावा देना;

iii. एनएसक्यूएफ अनुरूप पाठ्यक्रमों एवं प्रमाणन के माध्यम से प्रशिक्षण के मानकीकरण को सक्षम बनाना;

iv. स्थानीय रोजगार के अवसरों तथा संचालन एवं रखरखाव हेतु कौशल आधारित आजीविका को प्रोत्साहित करना।

2.9.2. बहु स्तरीय मानव संसाधन रूपरेखा

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश अवसंरचना की प्रकारिकी (टाइपोलॉजी) के अनुरूप बहु स्तरीय कार्यबल संरचना को अपनाएंगे। तालिका 6 के अनुसार, संचालन एवं रखरखाव प्रणालियों की सततता तथा स्थानीय स्वामित्व सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण युवाओं, पूर्व सैनिकों, महिलाओं आदि सहित स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पात्र उम्मीदवारों को सम्मिलित किया जा सकता है।

तालिका 6: संचालन एवं रखरखाव हेतु बहु स्तरीय मानव संसाधन ढांचा

स्तर	भूमिका	योग्यता	कार्य का दायरा
गांव में	नल जल मित्र (जल वितरण संचालक)	एनएसक्यूएफ स्तर-4	गांव में एसवीएस: पंप, पाइपलाइन, ओएचटी., जल गुणवत्ता रिपोर्टिंग
गांव से बाहर	मल्टी स्किल तकनीशियन/ ऑपरेटर	आईटीआई/ डिप्लोमा (पॉलिटेक्निक) / समकक्ष एनएसक्यूएफ स्तर का पाठ्यक्रम	डब्ल्यूटीपी, बीडब्ल्यूएस, एमवीएस, एमबीआर का नियमित रखरखाव, निगरानी एवं मामूली मरम्मत; दैनिक स्तर पर डब्ल्यूटीपी, पंप एवं वाल्व का संचालन तथा नियमित जाँच
पर्यवेक्षण	इंजीनियर	डिग्री कॉलेज में इंजीनियरिंग वैकल्पिक विषय	संचालन, गुणवत्ता नियंत्रण एवं डब्ल्यूटीपी पर योजना पर्यवेक्षण
गांव (क्रॉस कटिंग)	सुजलाम शक्ति समूह – एफटीके परीक्षण एवं निगरानी	माइक्रो स्किलिंग (एनएसक्यूएफ स्तर 1 समकक्ष पाठ्यक्रम)	एफटीके के माध्यम से जल गुणवत्ता (WQ) परीक्षण; सुजलाम शक्ति समूह के चिह्नित सदस्य

2.9.3. नल जल मित्र कार्यक्रम (एनजेएमपी)

नल जल मित्र कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय व्यक्तियों को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें इस प्रकार सक्षम बनाना है कि वे योजना संचालक (ऑपरेटर) के रूप में कार्य करते हुए अपने गाँव में पाइप जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, निवारक रखरखाव तथा मामूली मरम्मत कार्य कर सकें। राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण युवाओं, पूर्व सैनिकों, महिलाओं, एसएचजी सदस्यों तथा अन्य स्थानीय कुशल/ अर्ध कुशल व्यक्तियों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु प्रोत्साहित कर सकते हैं। यांत्रिक एवं विद्युत प्रणालियों का अनुभव रखने वाले पूर्व सैनिकों को उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता दी जा सकती है। एनजेएमपी का उद्देश्य एनएसक्यूएफ स्तर 4 के बहु कौशल कार्यक्रम, जिसे एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित 'जल वितरक संचालक' के रूप में मान्यता प्राप्त है, के माध्यम से गांव में बहु प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। प्रशिक्षण के दो विकल्प हैं:

i. नए उम्मीदवारों के लिए 510 घंटे का लघु अवधि प्रशिक्षण (एसटीटी)[*];

ii. अनुभवी उम्मीदवारों हेतु 120 घंटे का पूर्व अर्जित कौशल की मान्यता (आरपीएल) एवं अप स्किलिंग[†] प्रशिक्षण।

2.9.4. बहु कौशल तकनीशियन प्रशिक्षण/ ऑपरेटर डिप्लोमा कार्यक्रम

बहु कौशल तकनीशियन बल्क जल योजनाओं (बीडब्ल्यूएस), बहु ग्राम योजनाओं (एमवीएस.), जल शोधन संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी), एलिवेटेड स्टोरेज जलाशयों (ईएसआर) और मास्टर संतुलन जलाशयों (एमबीआर) सहित गाँव के बाहर के घटकों के संचालन तथा रखरखाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, गाँव से बाहर के बुनियादी ढाँचे का रखरखाव पीएचई/ आरडब्ल्यूएस विभाग/ जल निगम/ बोर्ड आदि जैसी तकनीकी एजेंसियों द्वारा किए जाने की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकारें उपर्युक्त कौशल प्रदान करने के लिए आईटीआई/ पॉलिटेक्निक में विशेष पाठ्यक्रम विकसित कर सकती हैं और ऐसे प्रशिक्षित कर्मियों का उपयोग गाँव से बाहर के बुनियादी ढाँचे के संचालन तथा रखरखाव के लिए कर सकती हैं। मौजूदा इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम प्रस्तावित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

2.9.5. जल आपूर्ति अवसंरचना प्रबंधन पर इंजीनियरिंग ऐच्छिक विषय

सरकारी तकनीकी विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज, यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय तथा एआईसीटीई से संबद्ध इंजीनियरिंग कॉलेजों को स्नातक अभियांत्रिकी कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति अवसंरचना प्रबंधन पर एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम अपनाने और उसे एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इन ऐच्छिक विषयों में डिजाइन सिद्धांत, शोधन प्रौद्योगिकियाँ, वितरण नेटवर्क प्रबंधन, स्वचालन एवं स्काडा (एससीएडीए) प्रणाली, जल गुणवत्ता प्रबंधन तथा विनियामक फ्रेमवर्क आदि शामिल हो सकते हैं।

2.9.6. डब्ल्यूक्यूएमएंडएस के लिए सुजलाम शक्ति समूहों का लघु कौशल प्रशिक्षण (माईक्रो स्किलिंग)

गाँव में सुजलाम शक्ति समूहों के चिह्नित सदस्यों को विशेष रूप से बैक्टीरियोलॉजिकल दूषित तत्वों और अवशिष्ट क्लोरीन की निगरानी हेतु फील्ड टेस्ट किट का उपयोग कर डब्ल्यूक्यूएमएंडएस के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। एनजेजेएम, संबंधित क्षेत्र कौशल परिषद के सहयोग से एनएसक्यूएफ स्तर 1 का प्रमाणित पाठ्यक्रम विकसित करने का प्रयास करेगा। राज्य अन्य मानकों के साथ साथ विशेष रूप से अवशिष्ट क्लोरीन के परीक्षण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपनी जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं का उपयोग कर सकते हैं।

2.9.7. संस्थागत व्यवस्था

क. राष्ट्रीय स्तर

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर एनजेजेएम और डीडीडब्ल्यूएस मानव संसाधनों के कौशल विकास के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

ख. राज्य स्तर

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, राज्य कौशल विकास मिशन या राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के रूप में चिह्नित करेगा तथा सभी प्रशिक्षणों की योजना एवं प्रदायगी हेतु उनके साथ समन्वय करेगा। सभी कार्यबल श्रेणियों को सम्मिलित करते हुए वार्षिक जिला वार प्रशिक्षण योजनाएँ तैयार की जाएंगी और वार्षिक कार्य योजनाओं के भाग के रूप में एनजेजेएम को प्रस्तुत की जाएंगी।

ग. जिला स्तर

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन जिला स्तर पर कौशल गतिविधियों के कार्यान्वयन, समन्वय तथा निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। प्रत्येक डीडब्ल्यूएसएम कौशल के लिए एक नोडल के रूप में डीटीयू को नामित करेगा। डीटीयू को प्रस्ताव तैयार करने तथा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एसएसडीएम, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, आरएसईटीआई तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय करना होगा। इसके लिए जिलों की कौशल आवश्यकताओं के विश्लेषण, योजना, समन्वय, कार्यान्वयन और

[*] *16.08.2023 को ईमेल के माध्यम से जारी NJMP दिशानिर्देशों का संदर्भ लें।*

[†] पत्र संख्या W-11011/6/2023-JJM-III-DDWS-Part(1) दिनांक 28.02.2024 के माध्यम से जारी RPL दिशानिर्देशों का संदर्भ लें।

निगरानी हेतु डीटीयू से कम से कम एक व्यक्ति को चिह्नित किया जा सकता है । सभी कौशल गतिविधियों को अभिलिखित किया जाएगा तथा डीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

घ. ग्राम पंचायत/ ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति

ग्राम पंचायत/ ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति एनजेएमपी एवं सुजलाम शक्ति समूह से महिला एफटीके परीक्षण एवं निगरानी हेतु उम्मीदवारों को जुटाएगी तथा उनकी संस्तुति करेगी। उम्मीदवारों को जुटाते समय ग्राम पंचायतें स्थानीय युवाओं, पूर्व सैनिकों, महिलाओं और सामुदायिक संस्थाओं के सदस्यों को प्राथमिकता दे सकती हैं, ताकि सामुदायिक स्वामित्व को सुदृढ़ किया जा सके और गाँव के भीतर प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। जीपी सफल प्रमाणन के बाद उम्मीदवारों को नियुक्त कर सकती है।

2.9.8. प्रशिक्षण बुनियादी अवसंरचना

सभी प्रशिक्षण सरकारी संस्थानों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, आरएसईटीआई तथा अन्य सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से दिए जाएंगे। सभी प्रशिक्षण केंद्रों को प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित मानकों को पूर्ण करना होगा, आवश्यक मान्यता प्राप्त करनी होगी तथा आवश्यक अवसंरचना सुनिश्चित करनी होगी।

2.9.9. वित्तपोषण

एमएसडीई द्वारा समय समय पर अधिसूचित सामान्य लागत मानदंड मानव संसाधनों के प्रशिक्षण हेतु लागू होंगे, जहाँ इन दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया है, जिसमें दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र भी शामिल हैं। जेजेएम 2.0 के अंतर्गत कौशल कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता निम्नलिखित स्रोतों से पूर्ण की जाएगी:

i. वित्त आयोग के सशर्त अनुदान;

ii. जेजेएम सहायता घटक[8];

iii. पीएमकेवीवाई, आरएसईटीआई तथा सरकार के अन्य कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से समन्वय।

इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन की अनुसूची सहित विस्तृत एसओपी अलग से जारी की जाएगी।

2.9.10. पाठ्यक्रम अपनाना और प्रमाणन

एनसीवीटीई द्वारा अनुमोदित एनएसक्यूएफ-संरेखित पाठ्यक्रमों को प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अपनाया जाएगा। अभ्यर्थियों के आंकलनकर्ता (असेसर) को वाटर मैनेजमेंट एवं प्लंबिंग स्किल काउंसिल या एनसीवीटीई द्वारा अनुमोदित किसी अन्य निकाय द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं और मानकों को पूरा करना चाहिए। अभ्यर्थियों को आंकलन सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। प्रशिक्षण गतिविधियों के जीवनचक्र ट्रैकिंग पंजीकरण, प्रशिक्षण, आंकलन और प्रमाणन हेतु स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। तैनाती की निगरानी जेजेएम-आईएमआईएस के डीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड के माध्यम से की जा सकती है। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों, पॉलिटेक्निक, अभियंत्रण महाविद्यालय आदि द्वारा अपनाए जा सकने वाले ऑपरेटर डिप्लोमा कार्यक्रम और अभियंत्रण ऐच्छिक पाठ्यक्रम विकसित करने का प्रयास कर सकती है, जो पैरा 2.9.4 में उल्लिखित कौशलों से संबंधित हों। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों के विकास हेतु एनसीवीटीई/ एनसीवीटीई के साथ समन्वय करेगा।

2.9.11. निगरानी और रिपोर्टिंग

क. निगरानी

i. **राष्ट्रीय स्तर:** विभिन्न स्तरों पर कुशल मानव संसाधनों के प्रशिक्षण और तैनाती में अंतराल की निगरानी करना;

ii. **राज्य स्तर:** राज्य स्तर पर एसीएस/ पीएस/ सचिव, पीएचईडी/ आरडब्ल्यूएस विभाग के नेतृत्व में एसडब्ल्यूएसएम समय समय पर (प्राथमिकता से त्रैमासिक आधार पर) राज्य कार्य योजनाओं की निगरानी करेगा। राज्य समय पर डेटा रिपोर्टिंग सुनिश्चित करेगा, जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा तथा प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य कौशल कार्यक्रमों के साथ समन्वय सुनिश्चित करेगा;

iii. **जिला स्तर:** जिला स्तर पर जिला कलेक्टर/ डिप्टी कमिश्नर/ सीईओ जिला पंचायत के नेतृत्व में डीडब्ल्यूएसएम कार्यक्रम के कार्यान्वयन, निगरानी, सत्यापन तथा प्रासंगिक सरकारी कौशल पहलों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ख. रिपोर्टिंग

कौशल संबंधी सभी गतिविधियाँ एसआईडीएच पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट की जाएंगी तथा वास्तविक समय की निगरानी एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु डीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड पर परिलक्षित की जाएंगी। जिला स्तर पर डीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड के माध्यम से डिजिटल निगरानी की जाएगी । निम्नलिखित डेटा बिंदुओं को नियमित रूप से बनाए रखा जाएगा तथा अद्यतन किया जाएगा (प्राथमिकता से मासिक आधार पर):

i. संचालन एवं रखरखाव कार्मिकों की आवश्यकताओं की संख्या का आंकलन एवं चिन्हीकरण (श्रेणीवार, योजना-वार तथा ग्राम/ ग्राम पंचायत-वार);

ii. नामांकित, प्रशिक्षित, मूल्यांकनित तथा प्रमाणित उम्मीदवार (श्रेणी वार);

iii. मान्यता की स्थिति, गठित बैचों की संख्या तथा प्रशिक्षित एवं प्रमाणित सहित संलग्न प्रशिक्षण संस्थान;

[8] JJM सहायता घटक के अंतर्गत कौशल विकास गतिविधियों के लिए निधियों के उपयोग पर एक विस्तृत SoP, DDWS द्वारा जारी किया जाएगा।

iv. नल जल मित्रों एवं बहु कौशल तकनीशियनों की तैनाती की स्थिति (जीपी वार तथा योजना वार);

v. सुजलाम शक्ति समूहों के अंतर्गत चिह्नित महिलाओं को एफ.टी.के. परीक्षण एवं निगरानी (ग्राम वार) के लिए दिया गया प्रशिक्षण;

vi. अन्य सरकारी कौशल कार्यक्रमों के साथ प्राप्त समन्वय [कार्यक्रम का नाम, प्रशिक्षित मानव संसाधनों की संख्या (श्रेणी वार), उपयोग की गई निधि]।

जिले राज्य एवं केंद्र स्तर पर प्रभावी समीक्षा हेतु डेटा प्रविष्टि की पूर्णता, सटीकता तथा समयबद्धता सुनिश्चित करेंगे।

2.9.12. राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रमुख कार्य बिंदु

i. प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक प्रशिक्षित एवं प्रमाणित नल जल मित्र के साथ सभी हर घर जल गाँवों में एनजेएमपी प्रशिक्षण सुनिश्चित करना;

ii. योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु सभी स्तरों पर मानव संसाधनों की आवश्यकता का आंकलन करना तथा जिला वार प्रशिक्षण अंतराल की गणना करना;

iii. सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में चिह्नित प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अपनाना तथा प्रारंभ करना;

iv. ग्रामीण जल सेवा प्रदाय निकाय स्तरों पर मानव संसाधनों को शामिल करने के लिए नीति तैयार करना;

v. सभी प्रशिक्षणों की योजना, समन्वय एवं प्रदायगी हेतु कार्यक्रम कार्यान्वियन एजेंसियों (पीआईए) की नियुक्ति करना;

vi. एनजेएमपी नामांकन, प्रशिक्षण एवं प्रमाणन लक्ष्यों के विरुद्ध राज्य वार प्रगति की समीक्षा करना (वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुरूप);

vii. योजना वार संचालन एवं रखरखाव आवश्यकताओं के लिए चिन्हित किए गए प्रमाणित नल जल मित्रों एवं बहु कौशल तकनीशियनों की तैनाती की स्थिति की निगरानी करना;

viii. सरकार के अन्य कौशल कार्यक्रमों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करना;

ix. स्थानीय रूप से नियुक्त प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कौशल कार्यक्रमों में उत्तीर्ण दर, ड्रॉप आउट दर तथा प्रमाणित कर्मियों एवं ग्राम पंचायतों/ सामुदायिक संस्थाओं से प्राप्त प्रतिक्रिया (फीडबैक) के आधार पर प्रशिक्षण की गुणवत्ता की निगरानी करना;

x. मान्यता प्राप्त संस्थानों, संचालित बैचों तथा ब्लॉकों एवं जिलों में भौगोलिक कवरेज सहित प्रशिक्षण बुनियादी ढाँचे की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;

xi. स्थानीय रूप से नियुक्त प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कौशल कार्यक्रमों में ग्रामीण युवाओं, पूर्व सैनिकों, महिलाओं एवं सामुदायिक संस्थाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

*****

अध्याय 2.10

जल आपूर्ति योजनाओं की संचालन एवं वित्तीय सततता बजटिंग प्रक्रिया

सुधार (रिफॉर्म) के उद्देश्य:

- प्रतिक्रियात्मक मरम्मत से निवारक अनुरक्षण आधारित संचालन की ओर बदलाव, जिससे खराबियों में कमी आए और परिसंपत्तियों का जीवनकाल बढ़ाया जा सके;
- कुशल प्रणाली प्रबंधन के माध्यम से संचालन और रखरखाव लागत में कमी , जिसमें दबाव नियंत्रण, रिसाव की पहचान तथा नॉन रेवेन्यू वॉटर को कम करना शामिल है;
- एड-हॉक वित्तपोषण से सुनियोजित एवं स्थाई संचालन और रखरखाव वित्तपोषण की ओर संचरण, निर्बाध एवं विश्वसनीय सेवा वितरण सुनिश्चित करना;
- नियमित निगरानी, योजनाबद्ध संचालन तथा जीवनचक्र आधारित परिसंपत्ति प्रबंधन के माध्यम से योजनाओं की कार्यक्षमता में सुधार करना तथा सेवा स्तर में होने वाली गिरावट (स्लिपेज) में कमी;
- ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी के साथ प्रणाली की निगरानी, प्रबंधन एवं सततता सुनिश्चित करते हुए समुदाय आधारित पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करना।

पूर्व में, एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत कार्यान्वित अनेक ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं कमजोर निगरानी, अपर्याप्त निवारक अनुरक्षण योजना तथा सीमित सामुदायिक स्वामित्व के कारण अक्रियाशील हो गई थीं। संचालन एवं अनुरक्षण हेतु वित्तपोषण भी अपर्याप्त था, क्योंकि निर्दिष्ट निधियों को सुनिश्चित करने हेतु कोई संरचित तंत्र उपलब्ध नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप अप्रभावी संचालन तथा अधिक लागत लगी। अवसंरचना की सततता पर सीमित ध्यान दिए जाने से परिसंपत्तियों का तीव्र क्षरण हुआ, जिससे सेवा की विश्वसनीयता और अधिक प्रभावित हुई।

जल जीवन मिशन के सुधार आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत, अब राज्यों को निर्बाध सेवाओं के लिए सुनियोजित संचालन और रखरखाव वित्तपोषण सुनिश्चित करना है, प्रत्येक योजना हेतु अनिवार्य संचालन और रखरखाव बजटिंग करनी है तथा संचालन और रखरखाव लागत नियंत्रण के लिए व्यवस्थित योजना बनानी है। निवारक अनुरक्षण, दीर्घकालिक परिसंपत्ति प्रबंधन तथा लागत दक्षता पर अधिक बल दिया जाना है। ग्राम पंचायतें पर्यवेक्षण, निगरानी, दैनिक संचालन तथा प्रबंधन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाती हैं।

इसे आगे बढ़ाने हेतु माइक्रो एवं मैक्रो दोनों प्रकार की जल सेवा प्रदाय निकायों (यूटिलिटीज) के लिए निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं:

i. **लेखा में पारदर्शिता:** सभी वित्तीय अभिलेख, रसीदें तथा भुगतान स्पष्ट, अनुरेखणीय (पता लगाने योग्य) हों तथा आसान सत्यापन हेतु खुले तरीके से व्यवस्थित किए जाएं;

ii. **सटीक और समय पर रिकॉर्ड रखना:** राजस्व, व्यय तथा शेष राशि का अभिलेखन नियमित रूप से एवं बिना विलंब के किया जाए, जिससे सही निर्णय लेने में सहजता हो;

iii. **बिलिंग एवं भुगतान:** प्रत्येक उपभोक्ता के लिए जल सेवा बिल तैयार किए जाएं तथा रसीदें प्रदान कर उनका अभिलेखीकरण किया जाए। बिलिंग, संग्रहण, रसीद, व्यय तथा विक्रेता भुगतान हेतु डिजिटल उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे त्रुटियों में कमी आए, अनुरेखणीयता में सुधार हो तथा संग्रहण दक्षता में वृद्धि हो;

iv. **लागत नियंत्रण एवं दक्षता:** प्रति परिवार अथवा प्रति घन मीटर जल आपूर्ति की संचालन लागत को न्यूनतम रखा जाए। इसके लिए रिसाव नियंत्रण, ऊर्जा दक्षता, निवारक अनुरक्षण तथा बेहतर कर्मचारी उपयोग जैसे उपाय किए जाएं। प्रत्येक वर्ष जल सेवा प्रदाय निकायों को लागत दक्षता में सुधार हेतु लक्ष्य दिए जाएं;

v. **नियमित निगरानी एवं ऑडिट:** अंतरालों की पहचान, अनुपालन सुनिश्चित करने तथा जवाबदेही सुदृढ़ करने हेतु नियमित वित्तीय समीक्षा तथा वार्षिक लेखा-परीक्षा कराई जाए;

vi. **निधियों की योजना:** प्रत्येक जल सेवा प्रदाय निकाय के लिए निधियों की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किया जाए। विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध निधियों का मूल्यांकन किया जाए तथा किसी भी अंतर को निगरानी के माध्यम से दूर किया जाए।

2.10.1. कुशल वित्तीय प्रबंधन

पेयजल क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधन का तात्पर्य जल आपूर्ति प्रणाली की उस क्षमता से है, जिसके तहत वह वित्तीय संसाधनों को उत्पन्न करने, उन्हें बनाए रखने और उनका कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम हो। इसका

उद्देश्य, किसी भी अप्रत्याशित बाहरी सब्सिडी या तदर्थ एड-हॉक वित्तीय सहायता पर निर्भर हुए बिना, दीर्घकालिक आधार पर अपने संपूर्ण संचालन, रखरखाव, जीवनचक्र प्रतिस्थापन और सेवा सुधार से संबंधित लागतों को पूरा करना होता है।

क. राजस्व की पर्याप्तता

राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों का लक्ष्य होना चाहिए कि वे माइक्रो और मैक्रो, दोनों तरह की जल सेवा प्रदाय निकाय (यूटिलिटीज) के लिए सेवा वितरण शुल्कों के माध्यम से सभी ऑपरेशन और रखरखाव (ओ एंड एम) खर्चों को पूरा करें। इन खर्चों में बिजली, मानव संसाधनों को दिए जाने वाले मानदेय/ पेशेवर शुल्क/ सेवा शुल्क, पानी की गुणवत्ता की जांच, नियमित मरम्मत और आपातकालीन ज़रूरतें शामिल हैं। यदि इसके बाद भी कोई कमी रह जाती है, तो वित्त आयोग के फंड, राज्य के फंड आदि का उपयोग किया जाना चाहिए।

गांवों के भीतर की योजनाओं और बल्क जल हस्तांतरण के लिए जल वितरण शुल्क/ सेवा वितरण शुल्क का संग्रह, एक मजबूत संग्रह प्रणाली, डिजिटल भुगतानों और समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहन के साथ, नियमित और समय पर होना चाहिए। संस्थानों और अन्य वाणिज्यिक कनेक्शनों से भी शुल्क लिया जाना चाहिए। इस प्रकार उत्पन्न राजस्व को, कुल ओ एंड एम फंड की आवश्यकता/ खर्च के प्रतिशत के रूप में देखा जाना चाहिए।

ख. प्रभावी ओ एंड एम के लिए वित्तीय साधन (फाइनेंसियल टूल्स) का विकास

राज्य को एक वित्तीय योजना साधन बनाना चाहिए जो सीधे तौर पर जल जीवन मिशन के तहत इस्तेमाल होने वाली जल आपूर्ति योजना आई डी - सुजल गांव आई डी से जुड़ा हो, ताकि गाँव के स्तर पर हर हिस्से का डेटा इकट्ठा किया जा सके। इस डेटा को एक वित्तीय साधन से जोड़कर, राज्य हर गाँव और पूरे राज्य के लिए सालाना ओ एंड एम जरूरतों का सटीक अनुमान लगा सकता है। यह साधन सुजलाम भारत प्लेटफ़ॉर्म से तकनीकी और परिचालन जानकारी अपने-आप ले सकता है और उसे बिजली, मैनपावर, पानी की गुणवत्ता और मरम्मत के लिए सालाना बजट की ज़रूरतों में बदल सकता है। इससे राज्य को एक जैसे, डेटा-आधारित ओ एंड एम प्लान बनाने, ज़्यादा ज़रूरतों वाले गाँवों की पहचान करने और पारदर्शी बजट बनाने में मदद मिलेगी।

ग. ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए राज्य बजट से जुड़ाव

प्रत्येक जल सेवा प्रदाय निकाय (यूटिलिटी) के लिए आवश्यक निधियों की वास्तविक ज़रूरतों का आंकलन किया जाना चाहिए। प्रत्येक जल सेवा प्रदाय निकाय के लिए वित्त आयोग, डीएमएफ, सीएसआर आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से निधियों की उपलब्धता का आंकलन किया जाना चाहिए, और यदि कोई कमी हो, तो उसे राज्य के वित्तीय संसाधनों से पूरा किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, एक अलग बजट मद बनाया जाना चाहिए।

घ. वित्त आयोग के फंड का उचित उपयोग

राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्त आयोग से मिलने वाले 'टाइड ग्रांट' का उपयोग निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, स्पष्ट वित्तीय रिकॉर्ड, नियमित ऑडिट और पंचायती राज संस्थाओं के उचित कामकाज के साथ, पूरी तरह से जल और स्वच्छता के उद्देश्यों के लिए ही किया जाए। राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों को इन नियमों का पालन करने में मदद करनी चाहिए, ताकि फंड बिना किसी रुकावट के मिलते रहें।

ङ. अवसंरचना प्रबंधन में फंड्स की रिंग फेंसिंग

ओ एंड एम फंड्स की रिंग फेंसिंग का मतलब है एक खास और पारदर्शी खाता, जो संसाधनों के गलत इस्तेमाल को रोकता है और यह पक्का करता है कि ज़रूरी कामों, जैसे कि निवारक रखरखाव, बिजली के बिलों का भुगतान, पानी की गुणवत्ता की जाँच और आपातकालीन मरम्मत के लिए, हमेशा फ़ंड उपलब्ध रहे। इसलिए लघु जल सेवा प्रदाय निकाय (माइक्रो यूटिलिटी) को एक अलग बैंक खाता रखना चाहिए। इसी तरह, वृहद जल सेवा प्रदाय निकाय (मैक्रो यूटिलिटी), जो अलग-अलग जगहों पर ज़्यादा मुश्किल काम करती हैं, उन्हें ओ एंड एम के लिए सालाना वित्तीय विवरण अलग से तैयार करना चाहिए।

2.10.2. संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) बजट प्रक्रिया

ओ एंड एम बजट की शुरुआत ग्राम स्तर से होती है, जहाँ प्रत्येक वीडब्ल्यूएससी, एसडब्ल्यूएसएम प्रारूपों का उपयोग करके प्रत्येक योजना के लिए एक सरल, आवश्यकता-आधारित वार्षिक अनुमान तैयार करती है। इसके बाद डीडब्ल्यूएसएम इन बजटों को संकलित और सत्यापित करता है, बल्क प्रणालियों की ओ एंड एम आवश्यकताओं को जोड़ता है और राज्य को एक समेकित जिला आवश्यकता प्रस्तुत करता है। एसडब्ल्यूएसएम जिला आंकड़ों को एकत्रित करता है, सेवा वितरण शुल्क, वित्त आयोग अनुदान, राज्य आवंटन, सीएसआर और अभिसरण योजनाओं से उपलब्ध संसाधनों का आंकलन करता है और ओ एंड एम निधि अंतर की पहचान करता है। यह जमीनी स्तर की प्रक्रिया यथार्थवादी क्षेत्र-आधारित योजना, स्पष्ट अंतर पहचान, व्यवस्थित संसाधन अभिसरण और सुजल गाँव आईडी वित्तीय उपकरण के माध्यम से अनिवार्य डिजिटल प्रविष्टि सुनिश्चित करती है, जिससे पारदर्शिता, एकरूपता और मजबूत वित्तीय शासन सुनिश्चित होता है।

2.10.3. वित्तीय सततता के लिए क्रॉस-सब्सिडी वाली फंडिंग

एक क्रॉस-सब्सिडी मॉडल ग्रामीण और अर्ध-शहरी जल आपूर्ति योजनाओं की वित्तीय सततता को काफी हद तक मजबूत कर सकता है। इसमें अर्ध-शहरी, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं से मिलने वाले राजस्व का उपयोग उन योजनाओं को सहायता देने के लिए किया जाता है, जो अपने ओ एंड एम खर्चों की पूरी भरपाई नहीं कर पाती हैं। यह

तरीका तभी प्रभावी ढंग से काम करता है, जब योजना का काम राज्य, जिला और योजना स्तरों पर एकीकृत रूप से किया जाए। इससे अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से पहचानने में मदद मिलती है कि कौन सी योजनाएँ अतिरिक्त राजस्व कमा रही हैं और कौन सी घाटे में चल रही हैं। कम राजस्व वाली या अधिक लागत वाली योजनाओं के व्यवस्थित मूल्यांकन के माध्यम से, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश उच्च टैरिफ वाली उपयोगकर्ता श्रेणियों से प्राप्त अतिरिक्त आय को उन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं के लिए स्थिर फंडिंग सुनिश्चित करने हेतु आवंटित कर सकते हैं, जहाँ सेवाओं की कमी है। यह मॉडल न केवल ओ एंड एम से जुड़े अंतरों को कम करने में मदद करता है, बल्कि संपूर्ण जल आपूर्ति प्रणाली में समानता, सेवा की विश्वसनीयता और दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहारिकता को भी बढ़ावा देता है।

2.10.4. कुशल संचालन प्रबंधन

संचालन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जल आपूर्ति प्रणाली हर दिन बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से कार्य करे। दैनिक कार्यों के लिए कुशल ऑपरेटर, प्रशिक्षित तकनीशियन और कार्यरत ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ अनिवार्य हैं। पंप संचालन, क्लोरीनीकरण, वाल्व नियंत्रण, जल गुणवत्ता परीक्षण और ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए एसओपी का पालन करना आवश्यक है।

फ्लोमीटर, प्रेशर सेंसर, ऑनलाइन जल गुणवत्ता उपकरण और स्काडा जैसे 'रियल-टाइम मॉनिटरिंग' उपकरण, समस्याओं का जल्द पता लगाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया व्यवस्थित होनी चाहिए, ताकि ऊर्जा के उपयोग, जल उत्पादन, सेवा के घंटों और खराबी (ब्रेकडाउन) की नियमित रूप से निगरानी की जा सके। 'सुजल गाँव ऐप' पर परिचालन गतिविधियों का दैनिक डेटा दर्ज करना, परिचालन की निरंतरता बनाए रखने और जल जीवन मिशन सेवा मानकों के अनुसार घरों तक लगातार, सुरक्षित और विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

यदि परिचालन दक्षता (ऑपरेशनल एफिशिएंसी) को बनाए नहीं रखा जाता है, तो जल आपूर्ति प्रणाली का कुल खर्च बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। अनियंत्रित दबाव, अनियमित संचालन, रखरखाव की अनदेखी और बार-बार होने वाली खराबी, ओ एंड एम लागत को तेज़ी से बढ़ा सकती है और प्रणाली की कार्य-अवधि को कम कर सकती है। इसलिए, दीर्घकालिक वित्तीय सततता के लिए, मज़बूत परिचालन अनुशासन के साथ-साथ कुशल वित्तीय प्रबंधन पद्धतियों का पालन करना अनिवार्य है। जब वित्त और संचालन - दोनों का प्रबंधन कुशलतापूर्वक किया जाता है, तो योजनाएँ सुचारू रूप से चलती हैं, जल की बर्बादी न्यूनतम होती है, और संसाधनों का उपयोग बुद्धिमानी से किया जाता है; जिससे कम लागत पर विश्वसनीय सेवा वितरण सुनिश्चित होता है।

प्रभावी संचालन प्रबंधन के लिए, निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए:

क. सामुदायिक सतर्कता और निगरानी

जल आपूर्ति योजनाओं के प्रभावी संचालन और प्रबंधन में सामुदायिक सतर्कता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब समुदाय के सदस्य नियमित रूप से अपनी योजना के कामकाज का निरीक्षण और निगरानी करते हैं, तो व्यवधान, रिसाव, प्रेशर में परिवर्तन या खराबी का शीघ्र पता लगाया जा सकता है और उन्हें तुरंत ठीक किया जा सकता है।

यह सक्रिय भागीदारी बड़ी विफलताओं की संभावना को कम करती है, जल हानि को रोकती है और समग्र संचालन एवं रखरखाव लागत को कम करती है। समुदायों को नियमित जांच, समस्याओं की रिपोर्टिंग और समय पर मरम्मत में सहयोग के लिए प्रोत्साहित और शामिल किया जाना चाहिए। मजबूत सामुदायिक निगरानी के माध्यम से, योजनाएं अधिक विश्वसनीय, उत्तरदायी और आर्थिक रूप से कुशल बन जाती हैं।

ख. परिसंपत्ति प्रबंधन और जीवनचक्र योजना

जल जीवन मिशन के तहत परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए सभी योजना परिसंपत्तियों - पंप, मोटर, पाइपलाइन, भंडारण टैंक, उपचार इकाइयां, मीटर और स्रोत संरचनाओं - का एक पूर्ण, अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है। इसके लिए एक विस्तृत परिसंपत्ति रजिस्टर की आवश्यकता होती है जिसमें स्थापना तिथि, स्थिति, मरम्मत का इतिहास और अपेक्षित जीवनकाल दर्ज हो। जीवनचक्र योजना को भविष्य के वित्तपोषण को सुनिश्चित करने के लिए मूल्यह्रास प्रावधानों के साथ समय पर पुनर्वास और प्रतिस्थापन का मार्गदर्शन करना चाहिए। प्रभावी परिसंपत्ति प्रबंधन

तालिका 7: लघु और वृहद जल सेवा प्रदाय निकाय के लिए प्रमुख वित्तीय निगरानी संकेतक

संकेतक	विवरण/ सूत्र
ओ एंड एम लागत पुनर्प्राप्ति अनुपात	एकत्र किए गए सेवा प्रदायगी शुल्क (÷) कुल ओ एंड एम लागत
बिजली लागत अनुपात	बिजली व्यय (÷) कुल ओ एंड एम लागत
संग्रह क्षमता	एकत्र की गई राशि (÷) बिल की गई राशि
ओ एंड एम बजट उपयोग	वास्तविक व्यय (÷) स्वीकृत ओ एंड एम बजट
गैर-राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू)	उत्पादित जल और जल के बिल के बीच अंतर
वित्तीय रिपोर्टिंग की अवधि	मासिक वित्तीय रिपोर्टिंग का अनुपालन

अचानक विफलताओं को रोकता है, दीर्घकालिक लागत को कम करता है और सतत संचालन एवं रखरखाव का समर्थन करता है।

डीटीयू को ज़िलेवार, अपडेटेड परी संपत्ति और इन्वेंट्री रिकॉर्ड बनाए रखने होंगे, ज़मीन पर परी संपत्ति की जाँच करनी होगी, उनकी स्थिति का डेटा अपडेट करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि नए और बदले गए कंपोनेंट्स की एंट्री समय पर हो। कुशल इन्वेंट्री मैनेजमेंट से स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता, तेज़ी से मरम्मत और फंड का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित होता है। डीटीयू को सभी पाइपलाइनों, पंप हाउसों, टैंकों, स्रोतों और ट्रीटमेंट यूनिट्स की जीआईएस-आधारित मैपिंग के लिए पीएम-गतिशक्ति प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर एसेट जियो-टैग हो और सुजलाम भारत प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे, जिससे पारदर्शी प्लानिंग और लंबे समय तक चलने वाली सततता को बढ़ावा मिल सके।

ग. जल आपूर्ति योजनाओं की कार्यक्षमता की निगरानी

जल आपूर्ति योजनाओं की कार्यक्षमता की निगरानी करना इसलिए ज़रूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये प्रणालियाँ चालू रहें, आर्थिक रूप से टिकाऊ हों और हर दिन सुरक्षित पानी पहुँचाने में सक्षम हों। नियमित निगरानी से समस्याओं का जल्द पता लगाने, समय पर रखरखाव की योजना बनाने, संचालन और रखरखाव की लागत को नियंत्रित करने और सेवा के स्तर को जेजेएम मानकों के अनुरूप बनाए रखने में मदद मिलती है। वित्तीय साधनों, निवारक रखरखाव, बजट अनुशासन और सामुदायिक भागीदारी द्वारा समर्थित एक व्यवस्थित दृष्टिकोण, दीर्घकालिक प्रदर्शन को मज़बूत करता है और खराबी की घटनाओं को कम करता है।

2.10.5. निवारक रखरखाव

निवारक रखरखाव, जेजेएम के तहत एक ज़रूरी स्थाई उपाय है। इसमें अचानक होने वाली खराबी और महंगे इमरजेंसी रिपेयर से बचने के लिए नियमित मरम्मत और जांच गतिविधियों की योजना बनाना और उन्हें पूरा करना शामिल है।

इन गतिविधियों में शामिल हैं:

i. पंप और मोटर की तय समय पर मरम्मत;

ii. लीकेज का पता लगाना;

iii. पाइपलाइन की फ्लशिंग;

iv. वाल्व के परिचालन चक्र;

v. टैंक की सफाई;

vi. बिजली के उपकरणों की जांच;

vii. मीटर और सेंसर को जांचना (कैलिब्रेशन)।

कंपन निगरानी और दबाव आंकलन जैसे प्रेडिक्टिव रखरखाव टूल, खराबी के शुरुआती संकेतों का पता लगाने में मदद करते हैं। डीटीयू को एक निवारक रखरखाव अनुसूची तैयार करना होगा। समय पर निवारक रखरखाव करने से परिसम्पत्तियों की उम्र बढ़ती है, ओ एंड एम लागत कम होती है और पानी की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित होती है।

2.10.6. राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मुख्य कार्य बिंदु

i. राज्य वित्तीय निगरानी के साधनों को अपना सकते हैं;

ii. सभी 'हर घर जल' योजनाओं का पूर्ण मूल्यांकन करें;

iii. यह सुनिश्चित करें कि राज्य के बजट में वार्षिक ओ एंड एम बजट का प्रावधान किया गया हो;

iv. डीटीयू सभी योजनाओं के लिए निवारक रखरखाव का शिड्यूल प्रकाशित करे;

v. किसी भी समस्या की जल्द पहचान करने के लिए समुदाय को नियमित देखभाल और सतर्कता में शामिल करें;

vi. ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के सतत ओ एंड एम के लिए धन, कार्य और कार्मिक उपलब्ध कराने के साथ-साथ राज्य संरचनात्मक सुधार भी अपनाएं।

*****

अध्याय 2.11

अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान-परितंत्र क्रॉस सब्सिडी आधारित फंडिंग

सुधार (रिफॉर्म) के उद्देश्य:

- संस्थागत प्रौद्योगिकी मूल्यांकन: राष्ट्रीय तकनीकी समिति (एनटीसी) और राज्य तकनीकी समितियों (एसटीसी) के माध्यम से एक अनुकूलित प्रौद्योगिकी मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना ताकि प्रौद्योगिकियों के व्यवस्थित मूल्यांकन और उन्हें अपनाने हेतु मार्गदर्शन किया जा सके;
- व्यवस्थित सत्यापन और अपनाने की रूपरेखा: ऐसी प्रक्रियाओं को शुरू करना जो व्यापक नियोजन से पूर्व संरचित विकास, मूल्यांकन, प्रायोगिक और क्षेत्र आधारित शिक्षा के माध्यम से प्रगति के लिए समाधान को सक्षम बनाती हैं;
- सहयोगात्मक नवाचार और ज्ञान साझा करना: व्यापक क्षेत्रीय शिक्षा की सुविधा के लिए व्यवस्थित दस्तावेजीकरण और नवाचारों के राष्ट्रीय प्रसार के साथ-साथ शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थाओं, स्टार्टअप और उद्योग के साथ सहयोग को सुदृढ़ करना;
- अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों के लिए परिणाम-आधारित वित्तपोषण: परिणाम- सहबद्ध वित्तपोषण दृष्टिकोण की शुरुआत जो स्पष्ट रूप से परिभाषित उपलब्धियों और मापनीय परिणामों के साथ अनुसंधान एवं विकास वित्तपोषण को अनुकूलित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रौद्योगिकियां साक्ष्य-आधारित विकास और व्यवस्थित क्षेत्र सत्यापन के माध्यम से प्रगति करें।

2.11.1. उद्देश्य

जल जीवन मिशन ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान प्रबंधन के लिए समर्पित अनुकूलित परितंत्र की स्थापना और प्रचार करेगा।

परितंत्र निम्नलिखित परिणामों की सुविधा प्रदान करेगा:

i. कम लागत, मापनीय और स्थानीय रूप से उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का विकास तथा नियोजन;

ii. स्वदेशी नवाचार, डिजाइन और विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ करना;

iii. साक्ष्य-आधारित सत्यापन, क्षेत्र परीक्षण और उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रयोगों को संस्थागत बनाना;

iv. शिक्षा, उद्योग, स्टार्टअप और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच भागीदारी को बढ़ावा देना;

v. सभी स्तरों पर सर्वोत्तम व्यवहारों, कार्य-संचालन सीखने और ज्ञान संसाधनों के व्यवस्थित दस्तावेज़ीकरण और प्रसार की सुविधा प्रदान करना।

यह अनुकूलित दृष्टिकोण राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, संस्थाओं और भागीदारों को आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप टिकाऊ, जलवायु अनुकूल और लागत प्रभावी ग्रामीण जल सेवा प्रदायगी प्रणाली स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन करेगा।

2.11.2. नवाचारों के लिए संस्थागत ढांचा

2014 में, तत्कालीन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने जल तथा स्वच्छता से संबंधित सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों की जांच के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया था। समिति की अध्यक्षता वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉ. माशेलकर ने की। समिति द्वारा जल और स्वच्छता पर कई प्रौद्योगिकियों पर विचार किया गया तथा क्षेत्रों में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया।

इससे पहले, अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों की जांच और समीक्षा के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय तकनीकी समिति का गठन किया गया था। वर्तमान में, राष्ट्रीय तकनीकी समिति का पुनर्गठन किया गया है और यह नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में वॉश में प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगी।

क. राष्ट्रीय तकनीकी समिति (एनटीसी)

राष्ट्रीय तकनीकी समिति का पुनर्गठन किया गया है और यह ग्रामीण वॉश क्षेत्र में तकनीकी मूल्यांकन तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगी।

एनटीसी निम्नलिखित कार्य करेगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

i. नवीन प्रौद्योगिकियों और अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों का मूल्यांकन तथा सिफारिश करना;

ii. राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेश में प्रौद्योगिकी सत्यापन और उसे अपनाने को सुविधाजनक बनाना;

iii. स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना;

iv. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं के साथ सहयोग को सक्षम बनाना;

v. उभरती प्रौद्योगिकियों और क्षेत्रीय नवाचारों पर परामर्शी टिप्पण जारी करना;

vi. जेजेएम प्रोफेसर चेयर्स द्वारा प्रस्तुत अनुप्रयुक्त अनुसंधान अध्ययनों और रिपोर्टों की समीक्षा तथा मूल्यांकन करना, जैसा कि उनके संवितरण से जुड़े संकेतकों के सत्यापन प्रोटोकॉल में उल्लेख किया गया है।

ख. राज्य तकनीकी समिति (एसटीसी)

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ढांचे के साथ अनुकूलित एक राज्य तकनीकी समिति (एसटीसी) का गठन करेंगे। राज्य की प्राथमिकताओं के साथ अनुकूलन सुनिश्चित करने और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की समन्वित समीक्षा, प्रायोगिक संचालन तथा अपनाने को सुविधाजनक बनाने के लिए एसटीसी राज्य जल और स्वच्छता मिशन को रिपोर्ट करेगी।

एसटीसी निम्नलिखित कार्य करेगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

i. क्षेत्र विशिष्ट प्रौद्योगिकियों और नवाचारों का मूल्यांकन करना;

ii. नई प्रौद्योगिकियों के प्रायोगिक कार्यान्वयन के प्रस्तावों की समीक्षा करना;

iii. स्थानीय जल-भूवैज्ञानिक स्थितियों के आधार पर समाधानों की उपयुक्तता का आंकलन करना;

iv. एनटीसी द्वारा अनुशंसित नवाचारों को अपनाने को सुविधाजनक बनाना;

v. मान्य प्रौद्योगिकियों के पैमाने को बढ़ाने की सिफारिश करना;

vi. एसटीसी अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों को उनके विचार के लिए एनटीसी को प्रेषित कर सकती है।

ग. एसपीएम-निवास की भूमिका

एसपीएम-निवास नवीन प्रौद्योगिकियों और अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों के मूल्यांकन के संकलन, छंटनी करना (शॉर्टलिस्टिंग) और सुविधाजनक बनाने के लिए सचिवीय सहायता प्रदान करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान की सुविधा सहित अनुसंधान संस्थाओं, उद्योग, स्टार्टअप तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच सहयोग को सक्षम करने के लिए एक हब और स्पोक प्लेटफॉर्म के रूप में भी कार्य करेगा। एसपीएम-निवास संयुक्त अनुसंधान पहलों, नवाचार चुनौतियों का समन्वय करेगा और जल प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तकों तथा स्टार्टअप की सहायता करेगा।

घ. राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की भूमिका

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास और उसे अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगा । एनजेजेएम एसपीएम-निवास को समाधानों के विकास, पायलटिंग और सत्यापन, साक्ष्य-आधारित ज्ञान को एकीकृत करने तथा क्षेत्रीय शिक्षा की सुविधा प्रदान करने और वैश्विक तथा स्वदेशी सर्वोत्तम व्यवहारों के आदान-प्रदान के लिए अनुसंधान संस्थाओं, शिक्षाविदों, स्टार्टअप और उद्योग के बीच सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय नवाचार के समन्वय के लिए कार्यनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा। जहां आवश्यक हो, एनजेजेएम तालमेल और प्रौद्योगिकी अपनाने में सहायता करने के लिए ऐसी पहल भी कर सकता है या सुविधा प्रदान कर सकता है।

2.11.3. जल क्षेत्र प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास

क. अनुसंधान के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र

ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों में तकनीकी प्रगति में सहायता करने और सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ करने के लिए, अनुसंधान और नवाचार के प्रयास निम्नलिखित विषयगत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे:

i. **जल स्रोत सुरक्षा और गुणवत्ता:**

क. **स्रोत सततता और जलभृत प्रबंधन:** भूजल प्रणालियों की समझ को सुदृढ़ करना और पेयजल स्रोतों की दीर्घकालिक सततता तथा सुरक्षा में सहायता करना;

ख. **उभरते संदूषक प्रबंधन:** पेयजल गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले उभरते संदूषकों का पता लगाने, निगरानी और शमन में सुधार;

ग. **कम लागत वाली उन्नत शोधन प्रौद्योगिकियां:** ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों के लिए उपयुक्त कुशल, किफायती और संदर्भ-उपयुक्त शोधन समाधानों का विकास।

ii. **जल आपूर्ति प्रणाली दक्षता और जलवायु अनुकूलन:**

क. **जलवायु अनुकूल जल आपूर्ति प्रणाली:** जलवायु परिवर्तनशीलता के लिए जल आपूर्ति प्रणालियों के अनुकूलन को बढ़ाने वाले दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाना;

ख. **ऊर्जा कुशल पंपिंग और शोधन:** ऐसे समाधानों को बढ़ावा देना जो ऊर्जा की खपत को कम करते हैं और जल आपूर्ति प्रणालियों में परिचालन दक्षता में सुधार करते हैं।

iii. **डिजिटल और कार्य-संचालन नवाचार:**

क. **पूर्वानुमानित रखरखाव और डिजिटल निगरानी:** वास्तविक समय आधार पर निगरानी, पूर्वानुमानित निदान तथा जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे की बेहतर विश्वसनीयता के लिए डिजिटल साधनों को सक्षम करना;

ख. **लागत प्रभावी ओ एंड एम मॉडल:** अन नवीन दृष्टिकोणों का समर्थन करना जो कार्य-संचालन सततता को सुदृढ़ बनाते हैं और जीवनचक्र लागत को कम करते हैं।

ख. राज्य संचालित अनुसंधान एवं विकास पहल

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश मिशन के तहत चिह्नित स्थानीय भूजल संबंधी (हाइड्रोजियोलॉजिकल) स्थितियों, परिचालन आवश्यकताओं और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास पहल करेंगे। इन प्रयासों में अनुसंधान पर ध्यान देने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों का चिह्निन करना, आवश्यकता-आधारित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू करना शामिल होगा।

राज्य विभिन्न अनुसंधान-उन्मुख समाधान विकल्पों को अपनाएंगे, जिनमें शामिल हैं:

i. **सेवा केंद्रित समाधान:** उन प्रौद्योगिकियों का विकास और संचालन जो निगरानी, परिसंपत्ति प्रबंधन तथा परिचालन निर्णय में सहायता के लिए साधनों सहित ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की दक्षता, विश्वसनीयता और कार्य-संचालन प्रबंधन को बढ़ाते हैं;

ii. **नागरिक केंद्रित समाधान:** ऐसे नवाचार जो जल सेवा प्रदायगी में उपयोगकर्ता की भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करते हैं, व्यवहार परिवर्तन हस्तक्षेप, समुदाय आधारित निगरानी उपकरण और शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाते हैं;

iii. **सततता केंद्रित समाधान:** अनुसंधान और प्रयोगिक परीक्षण जो बेहतर स्रोत संरक्षण, जलभृत समझ, जल संरक्षण दृष्टिकोण तथा संसाधन कुशल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से दीर्घकालिक जल सुरक्षा में सुधार करते हैं;

iv. **जलवायु अनुकूलन समाधान:** दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकियों का विकास तथा मूल्यांकन जो जोखिम मूल्यांकन, सूखा उत्तरदायी योजना, विविध सोर्सिंग और अनुकूलित बुनियादी ढांचे के डिजाइन के लिए साधनों सहित जलवायु परिवर्तनशीलता और संकटपूर्ण मौसमी घटनाओं के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों के अनुकूलन को बढ़ाता है।

2.11.4. जल प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन

स्वदेशी नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु, मिशन संयुक्त अनुसंधान पहलों, नवाचार चुनौतियों तथा मेंटरशिप गतिविधियों को सुगम बनाएगा, ताकि जल प्रौद्योगिकी से संबंधित स्टार्टअप्स को स्वदेशी तकनीकों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

क. सरकारी नवाचार प्लेटफार्मों और उद्योग निकायों के साथ तालमेल तथा सहयोग

i. **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी):** ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए प्रासंगिक उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास, प्रयोग और मापनीयता के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, इनक्यूबेशन नेटवर्क तथा नवाचार पहल का लाभ उठाना;

ii. **फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की):** जल क्षेत्र में अभिनव और मापनीय समाधानों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग जुड़ाव, प्रौद्योगिकी भागीदारी और ज्ञान के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना;

iii. **भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई):** निजी क्षेत्र की भागीदारी, प्रौद्योगिकी कार्य-निष्पादनों और उद्योग के नेतृत्व वाले नवाचारों को सक्षम करने के लिए जो जल आपूर्ति प्रणालियों की बेहतर दक्षता, सततता और कार्य-संचालन निष्पादन में सहायता करते हैं;

iv. **जल शक्ति नवाचार केंद्र (जेएसआईसी):** जेएसआईसी का लाभ प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन, क्षेत्र स्तर के कार्य-निष्पादन, सत्यापन और स्वदेशी नवाचारों के मापन के लिए उठाया जाएगा;

v. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी):** अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ)-मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज (एमएएचए) जल कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय नवाचार और अनुसंधान प्लेटफार्मों का लाभ जल सुरक्षा के लिए क्षेत्र मान्य समाधानों के विकास तथा नियोजन में सहायता करने के लिए किया जाएगा। महा जल कार्यक्रम मूल्यांकन, सत्यापन, प्रोटोटाइप और मापनीय नियोजन सहित प्रारंभिक चरण के अनुसंधान से लेकर फील्ड रेडी अनुप्रयोगों तक प्राथमिकता प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए बहु-विषयक और बहु-संस्थागत संघ को सुलभ बनाता है।

2.11.5. नवाचार आधारित प्रौद्योगिकियों का पायलट परीक्षण एवं विस्तार

उभरती प्रौद्योगिकियां बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले अनुकूलित प्रायोगिक परीक्षण के माध्यम से आगे बढ़ेंगी। प्रायोगिक परीक्षण ढांचे में निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. राष्ट्रीय और राज्य तकनीकी समितियों द्वारा तकनीकी मूल्यांकन;

ii. क्षेत्र की परिस्थितियों में कार्य-निष्पादन की निगरानी;

iii. कार्य-निष्पादन और विश्वसनीयता, लागत प्रभावशीलता, कार्य-संचालन और रखरखाव में आसानी तथा मापनीयता और प्रतिकृति का आकलन।

सफल प्रायोगिक परीक्षणों के बाद, बाद के चरणों में शामिल होंगे:

i. मानक कार्यान्वयन प्रोटोकॉल का विकास;

ii. ओ एंड एम दिशानिर्देश तैयार करना;

iii. समान हाइड्रोजियोलॉजिकल क्षेत्रों में चरणबद्ध मापनीयता;

iv. राष्ट्रीय और राज्य ज्ञान प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रसार;

v. उद्योग भागीदारी और विनिर्माण इकोसिस्टम के माध्यम से मापन में सहायता।

प्रायोगिक परियोजनाओं के परिणामों को प्रलेखित किया जाएगा और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के साथ साझा किया जाएगा ताकि व्यापक रूप से अपनाने, साक्ष्य-आधारित निर्णयन को सुदृढ़ किया जा सके तथा राष्ट्रीय राज्य समन्वय को बढ़ाया जा सके।

2.11.6. सहयोगात्मक अनुसंधान और ज्ञान मंच

क. शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थाओं और संबंधित विभागों के साथ सहयोग

i. ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और साक्ष्य-आधारित निर्णयन को सुदृढ़ करने के लिए, मिशन ग्रामीण जल क्षेत्र के लिए सस्ती तथा कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों के विकास, क्षेत्र सत्यापन और मानकीकरण में सहायता करने के लिए आईआईटी, एनआईटीएस, सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के साथ केंद्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित तथा संस्थागत करेगा;

ii. एनजेजेएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) तथा अन्य संबद्ध विभागों के साथ मिलकर सहयोगात्मक अनुसंधान करेगा ताकि उनकी विशेष डोमेन विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके;

iii. एसपीएम-निवास जल क्षेत्र में प्रौद्योगिकी नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देने के लिए फिक्की जल मिशन, भारत उद्योग जल सम्मेलन तथा सीआईआई त्रिवेणी जल संस्थान के पुरस्कारों और कार्यक्रमों सहित अपने जल क्षेत्र के प्लेटफार्मों तथा पहलों का लाभ उठाने के लिए फिक्की और सीआईआई जैसे उद्योग निकायों के साथ सहयोग करेगा।

ख. जेजेएम-प्रोफेसर चेयर

डीडीडब्ल्यूएस द्वारा स्थापित जेजेएम प्रोफेसर चेयर को ग्रामीण जल क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कार्यशील किया जाएगा।

डीडीडब्ल्यूएस-समर्थित चेयर प्रोफेसरों के प्रदर्शन को अनुप्रयुक्त अनुसंधान अध्ययन, प्रौद्योगिकी सत्यापन प्रायोगिक परीक्षणों, नीति इनपुट, राज्य तकनीकी जुड़ाव और ज्ञान भंडार योगदान सहित मापनीय सेवा प्रदाय से जोड़ा जाएगा। संवितरण और सहायता की निरंतरता एसपीएम-निवास द्वारा सत्यापित वार्षिक रूप से परिभाषित संवितरण से जुड़े संकेतकों (डीएलआई) की उपलब्धि पर निर्भर होगी।

ग. प्रौद्योगिकियों के वैश्विक आदान-प्रदान पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

जल जीवन मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में सेवा प्रदायगी, सततता और नवाचार में सुधार के लिए एक कार्यनीतिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। ये भागीदारियां भारत के विकेंद्रीकृत और समुदाय के नेतृत्व वाले कार्यान्वयन मॉडल के साथ जुड़ते हुए ज्ञान के आदान-प्रदान को सुदृढ़ करेंगी, वैश्विक अच्छे व्यवहारों को बढ़ावा देंगी और उभरती प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करेंगी।

i. **सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र:**

क. अच्छे वैश्विक व्यवहारों, अनुकूलित ज्ञान के आदान-प्रदान और उभरती प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता;

ख. बहुपक्षीय संस्थाओं, भागीदार देशों, अनुसंधान निकायों और विकास एजेंसियों से तकनीकी तथा सलाहकार सहायता;

ग. जल गुणवत्ता निगरानी, डिजिटल निगरानी प्रणाली, जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे और जल सेवा प्रदाय निकाय-उन्मुख सेवा प्रदायगी मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना;

घ. क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान के लिए भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) और अन्य सहयोग ढांचे जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग;

ङ. समुदाय-आधारित प्रबंधन, ग्रे-वॉटर के पुन: उपयोग, निजी क्षेत्र की भागीदारी और कार्य-निष्पादन आधारित ओ एंड एम प्रणालियों में अनुभवी देशों के साथ जुड़ाव;

च. जेजेएम की मापनीय परिपाटियों को साझा करना: समुदाय के नेतृत्व वाली योजना, तकनीक-सक्षम डिजिटल निगरानी (सुजलाम भारत), सामुदायिक परीक्षण के माध्यम से जल गुणवत्ता निगरानी तथा पर्यवेक्षण और स्रोत सततता तालमेल।

घ. ज्ञान सहभागिता कार्यढांचा

एसपीएम-निवास राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चिह्नित प्राथमिकता प्राप्त मुद्दों के साथ जल प्रौद्योगिकियों और अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित सम्मेलनों, कार्यशालाओं तथा ज्ञान के आदान-प्रदान प्लेटफार्मों का एक वार्षिक कैलेंडर विकसित करेगा। गतिविधियों में शामिल होंगे:

i. **राष्ट्रीय और राज्य ज्ञान मंच:** एसपीएम-निवास द्वारा समय-समय पर ज्ञान जुड़ाव प्लेटफार्मों के माध्यम से अनुकूलित ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षेत्र अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाएगी। एक वार्षिक ढांचे में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल होंगी;

हर घर जल
जल जीवन मिशन

तालिका 8: जेजेएम प्रोफेसर चेयर के लिए संवितरण से जुड़े संकेतक और कार्य-निष्पादन मदें				
डीएल आई सं.	गतिविधि/मद	प्रति अध्यक्ष वार्षिक लक्ष्य	सत्यापन प्रोटोकॉल	संवितरण ट्रिगर
डीएल आई-1	ग्रामीण जल आपूर्ति में परिचालन चुनौतियों का समाधान करते हुए अनुप्रयुक्त अनुसंधान अध्ययन	चिह्नित विषयगत क्षेत्र में वार्षिक अनुसंधान अध्ययन के लिए न्यूनतम एक आवेदन किया गया	राष्ट्रीय तकनीकी समिति द्वारा अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत और समीक्षा की गई	अनुसंधान रिपोर्ट की स्वीकृति
डीएल आई-2	प्रौद्योगिकी प्रायोगिक परीक्षण/प्रदर्शनकारी मॉडल/क्षेत्र सत्यापन अध्ययन	प्रति वर्ष न्यूनतम एक फील्ड प्रायोगिक परीक्षण या प्रोटोटाइप सत्यापन	फ़ील्ड सत्यापन रिपोर्ट, सहायक दस्तावेज़ीकरण, राज्य प्रमाणन	प्रायोगिक परीक्षण गतिविधियों का समापन
डीएल आई-3	तकनीकी नोट्स, मार्गदर्शन दस्तावेज या नीति इनपुट	वार्षिक न्यूनतम एक तकनीकी मार्गदर्शन दस्तावेज	डीडीडब्ल्यूएस/एसपीएम-निवास द्वारा समर्थित दस्तावेज	सेक्टर परामर्शिका में प्रकाशन या अपनाना
डीएल आई-4	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तकनीकी जुड़ाव	कार्यशालाओं या सलाहकार सत्रों के माध्यम से वार्षिक न्यूनतम दो राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ जुड़ाव	कार्य संबद्धता सारांश प्रस्तुत करना	कार्य संबद्धता का समापन
डीएल आई-5	नीति या कार्यक्रम एकीकरण	न्यूनतम एक शोध आउटपुट को परामर्शी टिप्पण या प्रायोगिक परीक्षण कार्यक्रमों में एकीकृत किया गया है	डीडीडब्ल्यूएस/एसपीएम-निवास द्वारा प्रमाणन	कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अपनाना

ii. **राज्य स्तरीय विषयगत कार्यशाला:** इन कार्यशालाओं को आवधिक रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:

क. जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण सहित कम लागत वाली शोधन प्रौद्योगिकियां;

ख. स्रोत सततता;

ग. डिजिटल निगरानी प्रणाली;

घ. जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचा;

ङ. जल आपूर्ति में ऊर्जा दक्षता।

iii. **उद्योग और स्टार्टअप के साथ हितधारक परामर्श:** जल प्रौद्योगिकी स्टार्टअप, संबंधित विभागों, डीपीआईआईटी, फिक्की और सीआईआई जैसे उद्योग निकायों तथा प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ अनुकूलित जुड़ाव नवाचार संवर्धन, तकनीकी अंतरण, मानकीकरण और मापनीय अवसरों में सहायता करेगा। परामर्श का उद्देश्य होगा:

क. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना;

ख. स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करना;

ग. नवाचार के लिए मापनीय विकल्पों को चिह्नित करें।

iv. **नॉलेज एक्सचेंज फोरम:** आईआईटीएस, एनआईटीएस, सीएसआईआर प्रयोगशालाओं, जेजेएम प्रोफेसर चेयर और अन्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं के साथ सहयोग अनुसंधान एवं विकास परिणामों के आदान-प्रदान को सक्षम करेंगे, जो उभरती प्रौद्योगिकियों और सेक्टर अध्ययन के लिए प्रासंगिक अनुसंधान पर लागू की जाएंगी। ज्ञान का आदान-प्रदान मंच क्रॉस लर्निंग तथा व्यापक क्षेत्र के अनुभवों के प्रसार को और सुदृढ़ करेगा। इन उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क. अनुसंधान परिणामों का प्रसार करना;

ख. कार्यान्वयन के अनुभव साझा करना;

ग. क्रॉस स्टेट लर्निंग की सुविधा प्रदान करना।

v. **इनोवेशन ग्रैंड चैलेंज:** अभिनव और लागत प्रभावी समाधानों के विकास, प्रोटोटाइप तथा फील्ड सत्यापन में सहायता करने के लिए एनजेजेएम, शिक्षाविदों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के समन्वय में समस्या विवरण का शुभारंभ। ग्रैंड चैलेंज का निम्नलिखित उद्देश्य होगा:

क. विशिष्ट कार्य-संचालन चुनौती के समाधान को चिह्नित करना;

ख. प्रोटोटाइप विकास में सहायता करना;

ग. नवीन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र परीक्षण को सक्षम करना।

vi. **भारत अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन:** भारत अंतर्राष्ट्रीय वॉश

सम्मेलन ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षेत्रीय नवाचार के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगा। सम्मेलन निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा:

क. शोध पत्रों की प्रस्तुति;

ख. प्रौद्योगिकी नमूना-प्रदर्शन;

ग. वैश्विक ज्ञान का आदान-प्रदान;

घ. नवाचार संग्रह का प्रसार।

ङ. ज्ञान प्रबंधन और प्रसार

क्षेत्र के ज्ञान, नवाचारों और कार्यान्वयन अनुभवों का व्यवस्थित रूप से दस्तावेजीकरण तथा प्रसार करने के लिए एक राष्ट्रीय ज्ञान भंडार बनाए रखा जाएगा। रिपॉजिटरी में निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. ग्रामीण जल आपूर्ति से संबंधित प्रौद्योगिकियां और नवाचार;

ii. प्रायोगिक परीक्षण परियोजनाओं और नमूना-प्रदर्शन पहलों के परिणाम;

iii. राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से केस अध्ययन और सर्वोत्तम व्यवहार;

iv. तकनीकी मानक, दिशानिर्देश और संदर्भ सामग्री।

2.11.7. क्रॉस लर्निंग और फील्ड असेसमेंट

मिशन शैक्षणिक कार्यक्रमों, राष्ट्रीय वॉश पार्टनर नेटवर्क और विशिष्ट सहबद्ध विभागों की विविध विशेषज्ञता का लाभ उठाकर निरंतर क्रॉस-लर्निंग तथा सुदृढ़ फील्ड मूल्यांकन को बढ़ावा देगा।

क. जल सेवा अध्ययन कार्यक्रम

सेवा प्रदायगी में साक्ष्य-आधारित सुधारों को सुदृढ़ करने के लिए, संस्थाओं को क्षेत्र मूल्यांकन और अनुभवात्मक शिक्षा में सहायता करने के लिए, एआईसीटीई द्वारा पैनल में शामिल इंजीनियरिंग संस्थाओं के माध्यम से जल सेवा अध्ययन पहल की जाएगी।

i. **जल सेवा अध्ययन की मुख्य विशेषताएं:**

क. यह एआईसीटीई पैनल में शामिल इंजीनियरिंग संस्थाओं के साथ आयोजित किया जाएगा ताकि क्षेत्र-आधारित शिक्षा और मूल्यांकन के लिए शैक्षणिक तथा तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सके;

ख. कार्यान्वयन स्थलों से नियमित रूप से सीखने और प्रतिक्रिया को सक्षम करने के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम दो क्षेत्र मूल्यांकन चक्र आयोजित किए जाएंगे;

ग. प्रायोगिक शिक्षा और सेक्टर ज्ञान सृजन के हिस्से के रूप में संरचित तकनीकी क्षेत्र का अध्ययन शुरू करने हेतु शिक्षकों के नेतृत्व में छात्र टीमों का संचालन किया जाएगा।

ii. **मूल्यांकन के क्षेत्र:**

क. **योजना की कार्यशीलता:** आंकलन पेयजल आपूर्ति योजनाओं में उपयोग की जाने वाली कार्यशीलता, कार्य-निष्पादन और प्रौद्योगिकियों की जांच करेगा;

ख. **जल गुणवत्ता प्रबंधन:** समीक्षाओं में निगरानी, शोधन प्रक्रिया और जल गुणवत्ता मानकों का अनुपालन शामिल होगा;

ग. **स्रोत सततता:** अध्ययन जल स्रोतों की दीर्घकालिक सततता सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों की जांच करेगा;

घ. **संचालन और रखरखाव व्यवहार:** अध्ययन अंतराल और सुधार क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए मौजूदा ओ एंड एम व्यवहारों की समीक्षा करेगा।

iii. **जल सेवा अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:**

क. **डिजाइन प्रोटोकॉल में सुधार:** कार्यक्रम के माध्यम से उत्पन्न विज्ञन का लाभ तकनीकी डिजाइनों और नियोजन दृष्टिकोणों के सुधार तथा शोधन को सूचित करने के लिए किया जाएगा;

ख. **ओ एंड एम ढांचे को सुदृढ़ करना:** इसका उपयोग कार्य-संचालन और रखरखाव ढांचे तथा संस्थागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में सहायता करने के लिए किया जाएगा;

ग. **प्रतिकृति सर्वोत्तम व्यवहारों का चिहिनन करना:** यह कार्यक्रम व्यापक प्रसार के लिए अच्छी और अनुकरणीय व्यवहारों के चिहिनन तथा प्रलेखन की सुविधा प्रदान करेगा।

ख. रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम (आरडब्ल्यूपीएफ)

आरडब्ल्यूपीएफ का लाभ राष्ट्रीय ज्ञान और सहयोग मंच के रूप में निम्नलिखित के लिए उठाया जाएगा:

i. **नवाचार को बढ़ावा देना:** आरडब्ल्यूपीएफ ग्रामीण वॉश क्षेत्र में विकास, कार्य-संचालन और अभिनव तथा संदर्भ उपयुक्त समाधानों को अपनाने में सहायता करने के लिए अनुभवों और विचारों के आदान-प्रदान को सुलभ बनाएगा;

ii. **ज्ञान उत्पादों का विकास:** आरडब्ल्यूपीएफ मार्गदर्शन दस्तावेजों, तकनीकी नोट्स, केस स्टडी और अन्य ज्ञान उत्पादों की तैयारी तथा प्रसार में सहायता करेगा;

iii. **क्षेत्र के संस्थाओं का क्षमता निर्माण:** आरडब्ल्यूपीएफ राज्य और स्थानीय स्तरों पर संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ज्ञान साझा करने, पीयर लर्निंग तथा अच्छे व्यवहारों के संपर्क में लाने में सक्षम करेगा;

iv. **साक्ष्य आधारित व्यवहारों का प्रसार:** आरडब्ल्यूपीएफ मिशन के तहत नीति, कार्यक्रम डिजाइन और कार्यान्वयन को सूचित करने

के लिए अनुसंधान निष्कर्षों, क्षेत्र साक्ष्य तथा प्रलेखित अच्छे व्यवहारों को साझा करने में सहायता करेगा।

ग. सहबद्ध विभाग और अन्य मंत्रालयों के साथ तालमेल में क्रॉस लर्निंग

i. **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) (अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन) (अमृत) और स्मार्ट सिटी मिशन):** स्मार्ट जल प्रबंधन के लिए जीआईएस मैपिंग, आईओटी -आधारित निगरानी और डेटा संचालित का उपयोग;

ii. **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग:** नदी बेसिन संगठनों और जल संसाधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूआरआईएस) सहित सतत जल उपयोग, संरक्षण, सतह तथा भूजल योजना और प्रबंधन;

iii. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय:** मेंमबरिन फिल्टरेशन और ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं जैसी उन्नत जल शोधन प्रौद्योगिकियां;

iv. **इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई):** डिजिटल साधन, वास्तविक समय विश्लेषण और आईओटी-आधारित जल निगरानी;

v. **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी):** सतत वाटरशेड प्रबंधन और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचा;

vi. **राज्य जल विभाग और पंचायतें:** स्थानीय जल संरक्षण और विकेंद्रीकृत प्रबंधन मॉडल।

2.11.8. अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों के लिए परिणाम-आधारित वित्तपोषण

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता को परिभाषित उपलब्धियों और मापनीय परिणामों की उपलब्धि के साथ जोड़ने के लिए परिणाम-आधारित वित्तपोषण (ओबीएफ) को अपनाया जाएगा। यह दृष्टिकोण अवधारणा विकास से क्षेत्र सत्यापन तक अनुकूलित प्रगति को प्रोत्साहित करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि प्रौद्योगिकियां सत्यापन योग्य कार्य-निष्पादन दर्शाती हैं।

i. **प्रमुख सिद्धांत:** अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण को स्पष्ट रूप से परिभाषित परिणामों तथा उपलब्धियों से जोड़ा जाएगा। यह सिद्धांत मापनीय प्रगति पर जोर देता है, संसाधनों के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करता है और प्रदर्शित परिणामों के साथ वित्तीय सहायता का अनुकूलन करता है;

ii. **सांकेतिक वित्तपोषण संरचना:** राज्य/केंद्र शासित प्रदेश राज्य तकनीकी समिति द्वारा मंजूरी सहित राज्य स्तर पर किए गए अनुमोदन, निरीक्षण और अंश जारी के साथ ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में अनुसंधान तथा प्रायोगिक पहल के लिए सहायता निधि निर्धारित करेगा। इस तरह के अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) में एकीकृत किया जाएगा ताकि अनुकूलन को सक्षम बनाया जा सके योजना, वित्तीय प्रावधान और समन्वित कार्यान्वयन तथा व्यापक कार्यान्वयन के साथ अनुकूलित किया जाएगा जो एक कार्यनीतिक, समयबद्ध कार्ययोजना के रूप में कार्य करता है। जल जीवन मिशन के लिए निर्धारित केंद्रीय और राज्य निधियों तथा प्रमुख अभिशासन, सेवा प्रदायगी, सततता और कार्यान्वयन उपलब्धियों तथा सेवा प्रदाय के उपयोग को उल्लिखित करते हुए भुगतान जारी करने से जुड़े अनुपालन का उल्लेख किया गया है।

क. **प्रस्ताव अनुमोदन:** प्रारंभिक शुरुआती अनुदान (30% तक);

ख. **प्रोटोटाइप विकास:** उपलब्धि आधारित अंश;

ग. **फील्ड सत्यापन:** पायलट कार्य-निष्पादन से जुड़ा संवितरण;

घ. **स्वतंत्र मूल्यांकन:** प्रमुख तकनीकी संस्थाओं जैसे आईआईटीएस, एनआईटीएस, सीएसआईआर प्रयोगशालाओं और/या एनटीसी द्वारा सिफारिश के अनुसार किसी अन्य संस्थान द्वारा कार्य-निष्पादन सत्यापन;

ङ. **मापनीयता सिफारिश:** प्रदर्शित प्रभाव पर अंतिम अंश।

iii. **परिणाम संकेतक:** अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से परिभाषित परिणाम संकेतकों के आधार पर किया जाएगा जो लागत दक्षता, सेवा गुणवत्ता और प्रणाली कार्य-निष्पादन में औसत दर्जे का सुधार प्रदर्शित करते हैं। प्रगति के निरंतर और पारदर्शी मूल्यांकन को सक्षम करने के लिए प्रत्येक अनुसंधान एवं विकास परियोजना की शुरुआत में स्थापित आधारभूत मूल्यों के आधार पर परिणाम माप को बेंचमार्क किया जाएगा। इन संकेतकों में शामिल होंगे:

क. **पूंजी या ओ एंड एम लागत में कमी:** जिस सीमा तक समाधान बुनियादी ढांचे, कार्य-संचालन या जीवनचक्र व्यय को कम करता है;

ख. **जल गुणवत्ता अनुपालन में सुधार:** बेहतर शोधन, निगरानी या संदूषण-राष्ट्र नियंत्रण के माध्यम से पेयजल मानकों के अनुपालन को बढ़ाने की क्षमता;

ग. **ऊर्जा दक्षता में वृद्धि:** पंपिंग, शोधन या संवितरण प्रणालियों में ऊर्जा की खपत में कमी;

घ. **प्रणाली विश्वसनीयता में सुधार:** निरंतर सेवा संवितरण और कम संचालन संबंधी व्यवधानों में योगदान;

ङ. **गैर-कार्यशील योजनाओं में कमी:** ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की कार्यशीलता को बहाल करने या बनाए रखने पर प्रभाव;

च. **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिकृति:** विविध

हाइड्रोजियोलॉजिकल और कार्य-संचालन संदर्भों में अपनाने के लिए समाधान की उपयुक्तता।

iv. **अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की निगरानी:** अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों की प्रगति की निगरानी के लिए अनुसंधान एवं विकास पोर्टल का उपयोग एक केंद्रीय मंच के रूप में किया जाएगा। यह उपलब्धि की व्यवस्थित ट्रैकिंग, सेक्टर प्रगति के दस्तावेजीकरण, समय-समय पर अद्यतन सूचनाएं प्रस्तुत करने और तकनीकी आउटपुट की समीक्षा करने में सक्षम होगा। पोर्टल पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्य, प्रायोगिक परीक्षण डेटा, सत्यापन रिपोर्ट और ऑडिट ट्रेल के डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखेगा;

v. **सत्यापन तंत्र:** परिणामों की पारदर्शिता, तकनीकी मजबूती और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्य-आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से परिणामों को मान्य किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

क. **स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन:** ग्रामीण जल आपूर्ति की स्थिति के लिए प्रौद्योगिकी के कार्य-निष्पादन, डिजाइन पर्याप्तता और उपयुक्तता का बाहरी मूल्यांकन;

ख. **प्रायोगिक कार्य-निष्पादन डेटा:** सेक्टर परिस्थितियों के तहत कार्य-निष्पादन का आंकलन करने के लिए प्रायोगिक परीक्षण कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा का विश्लेषण;

ग. **फील्ड सत्यापन रिपोर्ट:** कार्यशीलता, उपयोगकर्ता अनुभव, दक्षता और समग्र प्रणाली कार्य-निष्पादन का दस्तावेजीकरण करते हुए अनुकूलित ऑन-साइट आंकलन;

घ. **राज्य तकनीकी समिति द्वारा प्रमाणन:** क्षेत्र मानकों के साथ अनुकूलन और व्यापक रूप से अपनाने के लिए तत्परता की पुष्टि करते हुए औपचारिक तकनीकी समीक्षा और समर्थन।

2.11.9. राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रमुख कार्य बिंदु

i. एनटीसी से जुड़े मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षण अनुमोदन और बड़े पैमाने पर अनुशंसाओं के लिए स्पष्ट टीओआरएस के साथ एसटीसी की अधिसूचना;

ii. एसटीसी एनटीसी को सौंपे गए विषयों के साथ अधिसूचित करेगा;

iii. परिणाम आधारित वित्तपोषण (ओबीएफ) दृष्टिकोण का उपयोग करके राज्य के नेतृत्व वाले अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद विकास और प्रायोगिक परीक्षण कार्यान्वयन के लिए अनुकूलित कार्यक्रम का शुभारंभ;

iv. अनुसंधान प्रस्ताव परिणाम आधारित वित्तपोषण (ओबीएफ) दृष्टिकोण के लिए आह्वान, जिसमें अवधारणा विकास, प्रोटोटाइप और सेक्टर सत्यापन शामिल हैं;

v. अनुसंधान प्रस्ताव का अनुमोदन;

vi. राज्य तकनीकी समिति से स्वतंत्र मूल्यांकन और अनुमोदन के आधार पर उपयुक्त जल भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में विकसित उत्पाद का सत्यापन, मानकीकरण तथा चरणबद्ध मापन;

vii. प्रोटोटाइप विकास और प्रायोगिक परीक्षण;

viii. स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट पूर्णता;

ix. एसटीसी अनुमोदन/प्रमाणन;

x. प्रौद्योगिकी प्रोटोकॉल और एसओपी सहित प्रलेखन;

xi. न्यूनतम एक क्लस्टर में स्केल-अप योजना कार्यान्वित की जाए।

अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान परितंत्र का कार्यान्वयन विभाग द्वारा जारी एसओपी के अनुसार किया जाएगा।

*****

खण्ड 3
कार्यक्रम संबंधी कार्यान्वयन

अध्याय 3.1

डीडीडब्ल्यूएस और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)

जेजेएम 2.0 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, यह परिकल्पना की गई है कि सततता और नागरिक-केंद्रित जल सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार और राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के बीच भागीदारी को औपचारिक रूप प्रदान करता है।

3.1.1. उद्देश्य

समझौता ज्ञापन का उद्देश्य जेजेएम के तहत किए गए कार्यों का प्रभावी कार्यान्वयन और सुदृढ़ निगरानी सुनिश्चित करना है, जिसमें योजनाओं को गुणात्मकता के साथ समय पर पूरा करना; ग्राम पंचायतों या वीडब्ल्यूएससी को गांव में पाइपगत जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे को उचित तरीके से शुरु करना और इसे सौंपना; योजनाओं की निरंतर कार्यशीलता और कुशल कार्य-संचालन; तथा ग्राम पंचायत, जिला और राज्य स्तरों पर संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन के लिए पेयजल सततता ढांचे को अपनाना शामिल है। समझौता ज्ञापन में दिसंबर 2028 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत के हर घर जल प्रमाणन की उपलब्धि की परिकल्पना की गई है। समझौता ज्ञापन के घटक निम्नलिखित हैं:

3.1.2. डीडीडब्ल्यूएस की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

i. जेजेएम 2.0 के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देश जारी करना और मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समय समय पर आवश्यक अन्य दिशा-निर्देश/निर्देश जारी करना;

ii. पात्रता मानदंडों को समय पर पूरा करने के अध्यधीन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को योजना-वार केंद्रीय सहायता अनुदान जारी करने की सुविधा प्रदान करना;

iii. मिशन के तहत कार्यों की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करना और आवश्यकता के अनुसार, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को अपेक्षित सहायता प्रदान करना।

3.1.3. राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

क. संस्थागत और अभिशासन संबंधी सुधार

i. दीर्घकालिक पेयजल सततता को सुदृढ़ बनाने के लिए डीडीडब्ल्यूएस द्वारा उल्लिखित उन्नीस (19) आवश्यक घटकों को शामिल करते हुए एक संरचित संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) नीति को अधिसूचित और संचालित करना;

ii. दोहरे जल सेवा प्रदाय निकाय ढांचे के विकास के लिए उपयुक्त सांविधिक और विनियामक प्रावधान करके ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार लाना, जिसमें शामिल हैं:

क. ग्रामीण स्तर पर लघु जल सेवा प्रदाय निकाय;

ख. राज्य/ क्षेत्रीय स्तर पर वृहद जल सेवा प्रदाय निकाय। गांव के अंदर स्थित बुनियादी ढांचे का स्वामित्व और प्रबंधन ग्राम पंचायत के अधीन होगा, जो अपनी स्थायी समिति, अर्थात् वीडब्ल्यूएससी को गांव के भीतर प्रदायगी, कार्य-संचालन और रखरखाव और सेवा प्रदायगी के लिए जिम्मेदार लघु जल सेवा प्रदाय निकाय के रूप में कार्य करने के लिए नामित करेगा। राज्य सरकारें ऐसी ग्राम-स्तरीय यूटिलिटीज़ के कार्य-संचालन के लिए संबंधित पंचायत अधिनियमों या प्रासंगिक विनियमों के तहत आवश्यकतानुसार सक्षम प्रावधान करेंगी।

iii. कार्यान्वित विधिक, विनियामक और प्रशासनिक प्रावधानों को अधिनियमित या उपयुक्त रूप से संशोधित करना:

क. पेयजल स्रोतों को संदूषण से बचाना;

ख. ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे को नुकसान या दुरुपयोग से बचाना; तथा

ग. किफायती और टिकाऊ संचालन सुनिश्चित करने के लिए मानदंड निर्धारित करते समय निर्दिष्ट सेवा प्रदायगी यूटिलिटीज़ के माध्यम से सुनिश्चित पेयजल सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना।

ख. परिसंपत्ति स्वामित्व, प्रबंधन और तकनीकी सहायता

i. ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के लिए डीडीडब्ल्यूएस द्वारा जारी किए गए मानक प्रोटोकॉल का अनुपालन करना। इन प्रोटोकॉल के अनुसार, सुजल गांव आईडी बनाना, सफल न्यूनतम 15 दिनों के सफल ट्रायल रन और कार्य-संचालन तथा रखरखाव के लिए नामित ग्राम-स्तरीय यूटिलिटीज़ के उन्मुखीकरण के पूर्ण होने के पश्चात् कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा बनाए गए ग्राम के बाहर तथा ग्राम के भीतर

निर्मित अवसंरचना के लिए बुनियादी ढांचे को औपचारिक रूप से क्रमशः राज्य और ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाएगा।

ii. ग्रामीण स्तर की यूटिलिटीज़ को निरंतर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए डीडब्ल्यूएसएम की तकनीकी समिति के रूप में जिला तकनीकी इकाई (डीटीयू) की स्थापना करना, जिसमें इंजीनियरिंग मार्गदर्शन, जल गुणवत्ता निरीक्षण, डिजिटल निगरानी समर्थन और थोक जल अंतरण प्रणालियों के लिए जिम्मेदार मैक्रो यूटिलिटीज़ के साथ समन्वय शामिल है।

ग. आयोजना, वित्तपोषण और कार्यक्रम संबंधी कार्यान्वयन

i. सभी ग्राम पंचायतों में हर घर जल प्रमाणन संपादित करने के उद्देश्य से विस्तारित मिशन अवधि के दौरान, ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की कार्यशीलता और सततता को समय पर पूर्ण करने के लिए वित्तीय संसाधनों के योजना-वार आवंटन सहित एक व्यापक कार्यान्वयन और सुधार नियोजन (सीआईआरपी) तैयार करना;

ii. यह सुनिश्चित करना कि बुनियादी ढांचे के दोहराव से बचा जाए और वित्तीय उपयोग संबंधी विवेक, इष्टतम संसाधन उपयोग और जल आपूर्ति योजनाओं के लागत-कुशल डिजाइन के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए, आवश्यकता के अनुसार, केवल प्रतिपूर्ति के आधार पर संयुक्त या संवर्द्धन संबंधी योजनाएं शुरू की जाएं;

iii. लागत-प्रभावी बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल आपूर्ति प्रणालियों की नियोजन और डिजाइन में केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) नियमावली, दिशानिर्देशों, डिजाइन मानदंडों और मानकों के अनुपालन के राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रमाणन, इसके साथ-साथ एनजेजेएम द्वारा जारी किसी भी तकनीकी परामर्शी पत्र के साथ, पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स) को अनुकूलित करना और एनजेजेएम की अनुशंसाओं के अनुसार शीर्ष समिति के अनुमोदन के साथ आवश्यकता के अनुसार, लागत का विभाजन करना और इस प्रकार दीर्घकालिक ओ एंड एम (ओपीईएक्स) लागत को कम करता है। इसे अगस्त 2026 तक पूरा किया जाना है;

iv. ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों के संचालन और रखरखाव चरण के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का व्यापक मूल्यांकन करना और राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तरों पर राजस्व और व्यय के उचित बजट के माध्यम से दीर्घकालिक वित्तीय सततता सुनिश्चित करना। राज्य, ग्राम-स्तरीय यूटिलिटीज़ के लिए कुशल वित्तीय प्रबंधन व्यवस्थाओं को बढ़ावा देंगे। यदि राज्य द्वारा यूटिलिटीज को कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तो उसे स्थायी और जवाबदेह सेवा प्रदायगी को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशीलता, सेवा निरंतरता, ऊर्जा दक्षता और बेहतर लागत वसूली सहित मापनीय कार्य-संचालन दक्षता मापदंडों के साथ जोड़ा जाएगा;

v. मिशन के पहले चरण के दौरान सहायता और जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएंडएस) उप-घटकों के तहत उपयोग की गई निधियों का गतिविधि-वार मिलान करना ताकि पारदर्शिता, खातों की सटीकता और इच्छित उद्देश्यों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। इस तरह के मिलान के आधार पर, राज्य इन घटकों के तहत उपलब्ध लंबित निधियों के लिए एक उपयोग योजना तैयार करेंगे। सीआईआरपी के तहत, सहायता और डब्ल्यूक्यूएमएंडएस घटकों के तहत भविष्य से संबंधित प्रदायगी सीधे राज्यों द्वारा नियोजित और किए गए सुधारों से जुड़े होंगे। इसलिए सीआईआरपी सुधार प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन का आंकलन करने और इन घटकों के तहत बाद के आवंटनों के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आधार के रूप में कार्य करेगा;

vi. राज्य चार स्तंभों के साथ दीर्घकालिक योजना सततता के लिए पेयजल सततता ढांचा निम्नानुसार तैयार करेंगे:

क. संस्थागत और सेवा प्रदायगी सततता: जल आपूर्ति प्रणालियों को पेशेवर रूप से, जवाबदेह अभिशासन और सुनिश्चित मानकों को संचालित करने में सक्षम बनाना;

ख. स्रोत सततता: पूरे वर्ष जल संसाधनों को सुरक्षित और संरक्षित करना;

ग. वित्तीय सततता: सामुदायिक स्वामित्व और भागीदारी के साथ पारदर्शी राजस्व वसूली मॉडल; संचालन एवं रखरखाव लागत को कम करने के लिए सर्विस यूटिलिटीज़ की संचालन क्षमता को निर्धारित करना;

घ. अवसंरचना सततता: व्यवस्थित परिसंपत्ति रजिस्ट्री, निवारक रखरखाव और जीवनचक्र दक्षता।

घ. डिजिटल प्रणाली, डेटा अभिशासन और निगरानी

i. पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुजल गांव आईडी का कार्य सौंपे जाने के साथ सुजलाम भारत - डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) प्लेटफॉर्म पर सभी योजनाओं और संबंधित परिसंपत्तियों का मैपिंग करना। इसके अलावा, एकीकृत परिसंपत्ति दृश्यता और नियोजन को सक्षम बनाने के लिए सुजलाम भारत पीएम गति-शक्ति ऐप पर सभी योजना परिसंपत्तियों को भू-संदर्भित किया जाएगा, जिसे सुजलाम भारत मॉड्यूल के साथ एकीकृत किया जाएगा;

ii. राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तरों पर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड द्वारा समर्थित राज्य और जिला नियंत्रण और सहायता केंद्रों की स्थापना और संचालन करना। प्रगति और कार्यशीलता की जानकारी जेजेएम आईएमआईएस के माध्यम से जीपी डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें मेरी पंचायत एप्लिकेशन के माध्यम से प्रदान किया गया नागरिक- केंद्रित इंटरफेस भी उपलब्ध होगा;

iii. ग्राम पंचायत स्तर पर किए जाने वाले जल सेवा आंकलन के माध्यम से एकीकृत कार्यशीलता मूल्यांकन तंत्र को संस्थागत बनाना, इसके बाद जिला और राज्य स्तरों पर सेवा सुधार नियोजन (एसआईपी) तैयार करना। पारदर्शिता और निरंतर सेवा सुधार को सुदृढ़ बनाने के लिए मूल्यांकन परिणामों और संबंधित एसआईपी की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा।

ङ. जनशक्ति कौशल

i. राज्य पंचायती राज अधिनियम के तहत विशेष रूप से ग्राम पंचायतों और उनकी नामित माइक्रो यूटिलिटीज़ (वीडब्ल्यूएससी) के लिए ग्रामीण जल सेवा प्रदाय निकाय स्तरों पर मानव संसाधनों की भागीदारी के लिए उपयुक्त नीति और दिशानिर्देश तैयार करना और उसे अधिसूचित करना। इस तरह की नीतियां स्पष्ट रूप से कार्य हेतु संलग्नता, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, कार्यकाल, पारिश्रमिक मानदंडों और सुरक्षा उपायों के तौर-तरीकों को परिभाषित करेंगी ताकि अनपेक्षित विधिक या रोजगार देनदारियों के बिना संचालन दक्षता सुनिश्चित की जा सके;

ii. ग्राम स्तर के जल आपूर्ति ऑपरेटरों के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा एनएसक्यूएफ स्तर-4 के अनुरूप नल जल मित्र/जल संवितरण संचालक प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपनाना और उसे कार्यान्वित करना। इस तरह के प्रशिक्षण और प्रमाणन सरकारी आईटीआई, पॉलिटेक्निक और अन्य अनुमोदित सरकारी तकनीकी संस्थानों के माध्यम से मानकीकृत कौशल, प्रमाणन और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा;

iii. स्थायी जल आपूर्ति प्रबंधन के लिए कार्य-संचालन, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय स्तरों पर मानव संसाधन आवश्यकताओं का व्यापक मूल्यांकन करना और एक अनुकूलित राज्य-व्यापी कौशल विकास ढांचा विकसित करना। इसमें तकनीकी संस्थानों के भीतर नियमित प्रशिक्षण मॉड्यूल का एकीकरण और ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना, कार्य-संचालन, निगरानी और प्रबंधन में कार्यरत् कार्मिकों की निरंतर क्षमता वृद्धि शामिल होगी।

च. जल गुणवत्ता निगरानी

i. घरेलू स्थानों पर परीक्षण के लिए एकत्र किए गए जल नमूनों की टैगिंग के साथ एक जल गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी प्रणाली स्थापित करना, ताकि उपचारात्मक कार्यों की प्रभावी निगरानी को सक्षम किया जा सके और पर्याप्त वित्तीय प्रावधानों द्वारा समर्थित योजनाओं की दीर्घकालिक सततता सुनिश्चित की जा सके तथा संस्थागत और मानव संसाधन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके;

ii. सिटीजन कॉर्नर डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर उत्तरदायी तंत्र को सुदृढ़ करके और गुणवत्ता और परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्शित करने के लिए इसे मेरी पंचायत ऐप/ किसी भी नागरिक इंटरफ़ेस ऐप के साथ एकीकृत करके जनता में विश्वास पैदा करना;

iii. एफटीके का उपयोग करके पेयजल स्रोतों और घरेलू आपूर्ति के आवधिक जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए ग्राम-स्तरीय स्वयं सहायता समूहों के गठन और सुदृढ़ीकरण के लिए और समय पर कार्रवाई हेतु निर्दिष्ट डिजिटल प्लेटफार्मों पर परिणामों के बारे में सूचित करने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के साथ समन्वय सुनिश्चित करना; और संदूषण या सेवा व्यवधान के मामलों में त्वरित उपचारात्मक उपायों के लिए वीडब्ल्यूएससी, ग्राम पंचायतों और तकनीकी पदाधिकारियों के साथ समन्वय करना।

छ. स्रोत सततता और जल सुरक्षा

i. यह सुनिश्चित करना कि नियोजित और कार्यान्वित जल संरक्षण कार्य जिला कार्य योजना में परिलक्षित हों और स्रोत सततता के लिए वार्षिक कार्य योजना में समेकित हों;

ii. ग्राम-स्तरीय जल बजट और स्रोत सततता संबंधी योजना बनाना, जल संरक्षण पहल को एकीकृत करना और पेयजल आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त जल को प्राथमिकता देने और आवंटित करने के लिए प्रावधान करना;

iii. डीडीडब्ल्यूएस द्वारा विकसित निर्णय सहायता/ समर्थन प्रणाली (डीएसएस) प्लेटफॉर्म को स्रोत सततता के लिए जिला और ग्राम पंचायत स्तरों पर एक डिजिटल प्लानिंग प्लेटफॉर्म के रूप में संचालित करना, जिसे सुजलाम भारत और राष्ट्रीय जल डेटासेट के साथ एकीकृत किया गया है।

ज. संचार और जन-विश्वास

i. जल उत्सव जैसे अभियानों के माध्यम से जल के स्थानीय सांस्कृतिक महत्व को आत्मसात करके समुदायों और व्यक्तियों को शामिल करके पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक लोकाचार को सुदृढ़ करने का प्रयास करना;

ii. पूर्ण की गई पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के लिए जल अर्पण का संचालन सुनिश्चित करना, ताकि पाइपगत जलापूर्ति अवसंरचना को ग्राम पंचायतों/ वीडब्ल्यूएससी और समुदाय को औपचारिक रूप से सौंपा जा सके;

iii. जल अर्पण की तिथि से प्रणाली का सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करना, जिसमें जीपी/ वीडब्ल्यूएससी दैनिक संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं, जो निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण के माध्यम से राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश द्वारा समर्पित हैं;

iv. योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए, योजना-वार प्रगति जीपी डैशबोर्ड (जेजेएम-आईएमआईएस) पर परिलक्षित होगी और मेरी पंचायत एप्लिकेशन/ किसी भी नागरिक इंटरफेस एप्लिकेशन के माध्यम से नागरिकों को जानकारी प्रदान करेगा;

vi. सेवा प्रदायगी में प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करने और मेरी पंचायत

एप्लिकेशन/ किसी भी नागरिक इंटरफेस एप्लिकेशन के माध्यम से नागरिकों को परिणामों को प्रतिबिंबित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जल सेवा आंकलन शुरू करना;

vii. राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिक-केंद्रित और प्रतिक्रिया-समर्थित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

झ. दिशानिर्देशों का अनुपालन

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकार जेजेएम 2.0 के कार्य-संचालन दिशानिर्देशों पर ध्यान देंगी और उनका अनुपालन करेगी।

3.1.4. वित्त और लागत

i. जेजेएम 2.0 के कार्य-संचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित वित्तीय प्रावधानों और शर्तों का पालन किया जाएगा;

ii. जेजेएम के तहत किसी लागत और समय से संबंधित वृद्धि का समर्थन नहीं किया जाएगा।

3.1.5. समीक्षा

योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति के साथ समझौता ज्ञापन के तहत प्रतिबद्धताओं का मध्यावधि मूल्यांकन 2027 के मध्य में किया जाएगा और परिणाम से संबंधित सूचना देने और आगे के निर्देशों के लिए सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा।

3.1.6. विविध

i. समझौता ज्ञापन से जुड़े किसी भी मामले या उसमें परिकल्पित किसी भी गतिविधि से संबंधित किसी भी विवाद या दावे के मामले में, जिसमें इसका निष्पादन, व्याख्या, कार्य-निष्पादन या गैर-कार्य-निष्पादन शामिल है, डीडीडब्ल्यूएस, भारत सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा;

ii. यह समझौता ज्ञापन भारत के कानूनों के अनुसार निर्मित और अभिशासित किया जाएगा।

*****

अध्याय 3.2
व्यापक कार्यान्वयन और सुधार योजना (सीआईआरपी)

3.2.1. व्यापक कार्यान्वयन और सुधार नियोजन (सीआईआरपी) संबंधी ढांचा

व्यापक कार्यान्वयन और सुधार नियोजन (सीआईआरपी) जेजेएम 2.0 के तहत प्रभावी नियोजन और कार्य-निष्पादन के लिए प्रत्येक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश द्वारा तैयार किया जाने वाला एक अनुकूलित और एकीकृत ढांचा है।

सीआईआरपी में निम्नलिखित दो घटक शामिल होंगे:

i. **योजना कार्यान्वयन मैट्रिक्स:** सभी अनुमोदित और कार्यान्वयनाधीन योजनाओं की समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए समय-सीमा और उपलब्धि का विवरण;

ii. **सुधार कार्यान्वयन मैट्रिक्स:** क्षेत्रीय सुधारों और संस्थागत सुदृढ़ीकरण से जुड़े सुधारात्मक कार्यों, उपलब्धि और संबंधित समय-सीमा का उल्लेख।

सीआईआरपी मिशन आयोजना, प्राथमिकता, कार्यान्वयन, निधि आवंटन और निगरानी के लिए प्रमुख मार्गदर्शक ढांचे के रूप में कार्य करेगा। यह जेजेएम 2.0 के व्यापक संरचनात्मक सुधार उद्देश्यों के साथ अनुकूलन सुनिश्चित करते हुए, रेट्रोफिटेड योजनाओं सहित सभी अनुमोदित और कार्यान्वयनाधीन योजनाओं की समय पर पूर्णता को सुगम बनाएगा।

इस कार्य-ढांचे के तहत, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगे:

i. रेट्रोफिटेड योजनाओं सहित सभी अनुमोदित और कार्यान्वयनाधीन योजनाओं को पूरा करने के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों के लिए हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करना;

ii. निर्मित जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे की कार्यशीलता और दीर्घकालिक सततता सुनिश्चित करना;

iii. सुदृढ़ कार्य-संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) प्रणालियों की स्थापना और संचालन।

तदनुसार, सीआईआरपी जेजेएम के स्थायी और परिणामोन्मुखी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए बुनियादी ढांचे के संवितरण और क्षेत्रीय सुधारों दोनों के लिए एक व्यापक कार्ययोजना के रूप में कार्य करेगा।

3.2.2. योजना कार्यान्वयन मैट्रिक्स

योजना कार्यान्वयन मैट्रिक्स योजनाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा:

क. योजना कार्यान्वयन मैट्रिक्स ढांचा

i. यह ढांचा आवंटित केंद्रीय हिस्से के लिए उपयोग योजना की कार्ययोजना प्रस्तुत करेगा, साथ ही शेष वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संबंधित राज्य-स्तरीय वित्तीय नियोजन के साथ, वित्तीय प्रावधान और कार्यान्वयन प्राथमिकताओं के बीच अनुकूलन सुनिश्चित करेगा;

ii. सीआईआरपी की तैयारी, जमा करने और निगरानी के लिए जेजेएम

तालिका 9: एसवीएस, गैर-पीडब्ल्यूएस योजनाएं (सामुदायिक उपलब्धता स्थान/स्टैंड पोस्ट) और एमवीएस (क्यूएंडक्यू) - अग्रिम भुगतान प्रणाली

योजना का प्रकार	वित्तीय प्रगति	लक्ष्य पूर्णता तिथि	योजना शुरु करना	योजना सौंपना	भौतिक पूर्णता की समय-सीमा (एनजेजेएम के अनुसार)	टिप्पणियां
एसवीएस	0-25%	अप्रैल 2026 +11 महीने	[स्वतः] + 1 महीना	[स्वतः] +3 महीने	मार्च-27	• यदि अंतिम समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है, तो इसके लिए एनजेजेएम की मंजूरी की आवश्यकता होगी। • अंतिम समय सीमा के बाद भुगतान जारी नहीं किया जाएगा।
	25-50%	अप्रैल 2026 +11 महीने	[स्वतः] + 1 महीना	[स्वतः] +3 महीने	मार्च-27	
	50-75%	अप्रैल 2026 +9 महीने	[स्वतः] + 1 महीना	[स्वतः] +3 महीने	जनवरी-27	

तालिका 9: एसवीएस, गैर-पीडब्ल्यूएस योजनाएं (सामुदायिक उपलब्धता स्थान/स्टैंड पोस्ट) और एमवीएस (क्यूएंडक्यू) - अग्रिम भुगतान प्रणाली						
योजना का प्रकार	वित्तीय प्रगति	लक्ष्य पूर्णता तिथि	योजना शुरु करना	योजना सौंपना	भौतिक पूर्णता की समय-सीमा (एनजेजेएम के अनुसार)	टिप्पणियां
	75-100%	अप्रैल 2026 +6 महीने	[स्वत:] + 1 महीना	[स्वत:] +3 महीने	अक्टूबर-26	
	कार्य आदेश नहीं दिया गया	अप्रैल 2026 +18 महीने	[स्वत:] + 1 महीना	[स्वत:] +3 महीने	अक्टूबर-27	
गैर-पीडब्ल्यूएस	0-100%	अप्रैल 2026 +6 महीने	[स्वत:] + 1 महीना	[स्वत:] +3 महीने	अक्टूबर-26	• अंतिम समय सीमा के बाद भुगतान जारी नहीं किया जाएगा।
क्यूएंडक्यू प्रभावित क्षेत्रों में एमवीएस	0-25%	अप्रैल 2026 +20 महीने	[स्वत:] + 1 महीना	[स्वत:] +3 महीने	दिसंबर-27	• जेजेएम आईएमआईएस के अनुसार जल क्यूएंडक्यू प्रभावित क्षेत्र; यदि जेजेएम रिकॉर्ड से अलग है, तो एनजेजेएम की मंजूरी प्राप्त की जाएगी। • यदि अंतिम समय सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो इसके लिए एनजेजेएम की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
	25-50%	अप्रैल 2026 +20 महीने	[स्वत:] + 1 महीना	[स्वत:] +3 महीने	दिसंबर-27	
	50-75%	अप्रैल 2026 +18 महीने	[स्वत:] + 1 महीना	[स्वत:] +3 महीने	अक्टूबर-27	
	75-100%	अप्रैल 2026 +11 महीने	[स्वत:] + 1 महीना	[स्वत:] +3 महीने	मार्च-27	

तालिका 10: एमवीएस और बीडब्ल्यूएस- प्रतिपूर्ति भुगतान मोड						
योजना का प्रकार	वित्तीय प्रगति	लक्ष्य पूर्णता तिथि	योजना शुरु करना	योजना सौंपना	भौतिक पूर्णता की समय-सीमा (एनजेजेएम के अनुसार)	टिप्पणियां
एमवीएस	0-25%	अप्रैल 2026 +26 महीने	[स्वत:] + 1 महीना	[स्वत:] +3 महीने	जून-28	• यदि अंतिम समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है, तो इसके लिए एनजेजेएम की मंजूरी की आवश्यकता होगी। • अंतिम समय सीमा के बाद भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। • यदि पीपीपी मोड अपनाया जाता है; वीजीएफ भुगतान जारी किया जाएगा और इसे एनजेजेएम को प्रेषित किया जाएगा।
	25-50%	अप्रैल 2026 +23 महीने	[स्वत:] + 1 महीना	[स्वत:] +3 महीने	मार्च-28	
	50-75%	अप्रैल 2026 +20 महीने	[स्वत:] + 1 महीना	[स्वत:] +3 महीने	दिसंबर-27	
	75-100%	अप्रैल 2026 +11 महीने	[स्वत:] + 1 महीना	[स्वत:] +3 महीने	मार्च-27	
	कार्य आदेश नहीं दिया गया	अप्रैल 2026 +29 महीने	[स्वत:] + 1 महीना	[स्वत:] +3 महीने	सितंबर-28	
बीडब्ल्यूएस	0-25%	अप्रैल 2026 +26 महीने	[स्वत:] + 1 महीना	[स्वत:] +3 महीने	जून-28	
	25-50%	अप्रैल 2026 +23 महीने	[स्वत:] + 1 महीना	[स्वत:] +3 महीने	मार्च-28	
	50-75%	अप्रैल 2026 +20 महीने	[स्वत:] + 1 महीना	[स्वत:] +3 महीने	दिसंबर-27	
	75-100%	अप्रैल 2026 +11 महीने	[स्वत:] + 1 महीना	[स्वत:] +3 महीने	मार्च-27	
	कार्य आदेश नहीं दिया गया	अप्रैल 2026 +29 महीने	[स्वत:] + 1 महीना	[स्वत:] +3 महीने	सितंबर-28	

तालिका 11-सभी रेट्रोफिटिंग योजनाएं/ पीएम-जनमन और डीए-जेजीयूए						
योजना का प्रकार	**वित्तीय प्रगति**	**लक्ष्य पूर्णता तिथि**	**योजना शुरु करना**	**योजना सौंपना**	**भौतिक पूर्णता की समय-सीमा (एनजेजेएम के अनुसार)**	**टिप्पणियां**
रेट्रोफिटेड योजनाएं	0-100%	अप्रैल 2026 +11 महीने	[स्वतः] +1 महीने	[स्वतः] +3 महीने	मार्च-27	• राज्य इन योजनाओं को अपने राज्य के बजट से पूरा करेगा।
पीएम-जनमन/डीए-जेजीयूए गांवों के लिए नई योजनाएं	नई योजना	-	-	-	मार्च-28	• सचिव, डीडीडब्ल्यूएस और सचिव, एमओटीए की सह-अध्यक्षता में समिति की सिफारिशों के आधार पर योजनाएं शुरू की जाएंगी।

Note:

- *जेजेएम-आईएमआईएस में दर्ज वित्तीय प्रगति के प्रतिशत के आधार पर कुल पूर्णता का अनुमान लगाया जाता है।*
- *शुरु किए जाने के लिए एक (1) महीने की अवधि, वास्तविक समापन की समय सीमा के बाद सौंपने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो (2) महीने स्वचालित रूप से दर्ज किए जाएंगे।*

पोर्टल पर एक समर्पित सीआईआरपी मॉड्यूल का संचालन किया जाएगा। राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सभी अनुमोदित और कार्यान्वयनाधीन योजनाओं के लिए पूर्णता की समय-सीमा निर्धारित करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि समय-सीमा व्यक्तिगत योजना स्तर पर परिभाषित की गई है। इसके अलावा, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश समग्र मिशन अवधि के अनुरूप योजना-विशिष्ट समय-सीमा को अंतिम रूप देंगे;

iii. राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश परियोजना निगरानी और एसएनए स्पर्श भुगतान मॉड्यूल पर भौतिक और वित्तीय प्रगति का समय पर और सटीक अद्यतन सुनिश्चित करेंगे। एकत्र किए गए डेटा राष्ट्रीय स्तर पर समय-समय पर समीक्षा, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन और निर्णय लेने का आधार बनेंगे;

iv. योजना-वार आधार पर विकसित कार्यान्वयन मैट्रिक्स राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अंतिम रूप दिए गए पूर्णता कार्यक्रम के अनुसार हर घर जल की स्थिति की उपलब्धि के लिए समय-सीमा को प्रदर्शित करेगा;

v. पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता बढ़ाने के लिए, एसएनए वित्तीय मंच और परियोजना निगरानी मॉड्यूल के माध्यम से योजना-वार भौतिक और वित्तीय प्रगति को जीपी डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराया जाएगा। डैशबोर्ड बुनियादी ढांचे की प्रगति के साथ-साथ सेवा प्रदायगी की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए सुजल गांव आईडी और सुजलाम भारत आईडी के बीच लिंकेज का लाभ उठाएगा। ग्राम पंचायतों और नागरिकों को योजना की प्रगति को देखने और इस पर नजर रखने में सक्षम बनाने के लिए ग्राम पंचायत डैशबोर्ड को मेरी पंचायत ऐप के साथ एकीकृत किया जाएगा;

vi. सीआईआरपी में रेट्रोफिटिंग और अन्य राज्य-वित्त पोषित योजनाओं के लिए राज्य बजटीय प्रावधानों का विवरण भी शामिल होगा, जो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई वित्तीय प्रतिबद्धताओं की पूर्ण दृश्यता सुनिश्चित करेगा। यह जानकारी सीआईआरपी के तहत वित्तीय नियोजन का एक अभिन्न अंग बनेगी ताकि केंद्र समर्थित गतिविधियों और राज्य-वित्तपोषित हस्तक्षेपों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित किया जा सके;

vii. सीआईआरपी के सापेक्ष योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति का आंकलन करने और आवश्यकता के अनुसार, सुधार की सुविधा के लिए, 2027 में कार्यक्रम का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाएगा।

3.2.3. रिफोर्म्स कार्यान्वयन मैट्रिक्स

प्रत्येक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सीआईआरपी के एक अभिन्न अंग के रूप में एक विस्तृत रिफोर्म्स कार्यान्वयन मैट्रिक्स तैयार करेगा, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य-चिह्न, मापनीय संकेतकों, समयबद्ध लक्ष्यों और राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर जिम्मेदार संस्थानों के चिह्नन सहित ग्यारह सुधार क्षेत्रों में से प्रत्येक के तहत कार्रवाई योग्य घटकों को विशेष रूप से उल्लिखित किया जाएगा। सुधार कार्यान्वयन मैट्रिक्स को योजना-वार कार्यान्वयन मैट्रिक्स के साथ बारीकी से मैप किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुधार कार्य बुनियादी ढांचे के विकास के समानांतर आगे बढ़ें, परिसंपत्ति निर्माण और संस्थागत तत्परता के बीच किसी भी अंतर से बचा जा सके।

तालिका 12: रिफॉर्म्स मैट्रिक्स			
क्र. सं.	रिफॉर्म्स	साक्ष्य और संकेतक को मापना	एनजेजेएम द्वारा व्यापक समय-सीमा
अध्याय 2.1: पेयजल अभिशासन			
2.1.1	सभी 19 बिंदुओं को शामिल करने के साथ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की ओ एंड एम नीति	• कार्य-संचालन एवं रखरखाव नीति की राजपत्र अधिसूचना	जून-26
2.1.2	सभी सतही जल आधारित योजनाओं में सुनिश्चित जल आपूर्ति के लिए पेयजल आवंटन	• राज्य सरकार प्रासंगिक राज्य नीति के तहत पेयजल आवंटन के लिए आदेश	जून-26
2.1.3	लोक सेवा गारंटी अधिनियम /नागरिक चार्टर में पेयजल सेवाओं को शामिल करना	• राज्य सरकार की राजपत्र अधिसूचना और लोक सेवा गारंटी अधिनियम/ नागरिक चार्टर में संशोधित प्रावधान	जून-26
2.1.4	जिला तकनीकी इकाइयों (डीटीयू) की स्थापना	• सरकार द्वारा जारी आदेश जिसमें भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ कार्यरत अपने कर्मचारियों का विवरण दिया गया हो	जून-26
2.1.5	वीडब्ल्यूएससी को ग्राम पंचायत की सांविधिक स्थायी समिति के रूप में मान्यता	• राज्य पंचायती राज अधिनियम के तहत शामिल प्रासंगिक प्रावधानों के साथ राज्य सरकार की राजपत्र अधिसूचना	अगस्त-26
अध्याय 2.2: जल सेवा प्रदाय निकाय ढांचा			
2.2.1	गांव के बाहर पेयजल आपूर्ति, कार्य-संचालन और रखरखाव के लिए राज्य/ क्षेत्रीय स्तर के पैरास्टेटल निकाय (मैक्रो यूटिलिटी) का गठन नोट: उन राज्यों के लिए लागू जहां बीडब्ल्यूएस और एमवी की उच्च संख्या की योजना बनाई गई है	• पैरास्टेटल निकाय के गठन की राजपत्र अधिसूचना	फ़रवरी -27
2.2.2	गांव के बाहर पेयजल आपूर्ति संचालन और रखरखाव के लिए मैक्रो यूटिलिटी की कार्य-निष्पादन बेंचमार्किंग	• राज्य द्वारा कार्य-निष्पादन बेंचमार्क दिशानिर्देशों की अधिसूचना • संबंधित राज्य/ एसडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड पर दिशानिर्देश अपलोड किए गए हैं	अगस्त-26
2.2.3	गांव में पेयजल आपूर्ति संचालन और रखरखाव के लिए माइक्रो यूटिलिटीज (वीडब्ल्यूएससी) को संस्थागत बनाना	• ओ एंड एम के लिए संविदात्मक व्यवस्था के मामले में, एजेंसी, वीडब्ल्यूएससी/ जीपी और विभाग के बीच त्रिपक्षीय समझौता • वीडब्ल्यूएससी को माइक्रो यूटिलिटीज के रूप में नामित करना	सितम्बर-26
2.2.4	गांव के भीतर पेयजल आपूर्ति संचालन और रखरखाव के लिए माइक्रो यूटिलिटीज (वीडब्ल्यूएससी) का प्रदर्शन बेंचमार्किंग	• डीटीयू द्वारा कार्य-निष्पादन बेंचमार्क दिशानिर्देशों की अधिसूचना • किसी एजेंसी या पैरास्टेटल निकाय द्वारा प्रबंधित ओ एंड एम अनुबंध के मामले में, गांव के ओ एंड एम के लिए जिला, एजेंसी/ पैरास्टेटल निकाय और ग्राम पंचायत के बीच त्रिपक्षीय समझौता	जुलाई-26

हर घर जल
जल जीवन मिशन

तालिका 12: रिफोर्म्स मैट्रिक्स			
क्र. सं.	**रिफोर्म्स**	**साक्ष्य और संकेतक को मापना**	**एनजेजेएम द्वारा व्यापक समय-सीमा**
अध्याय 2.3: ग्राम पंचायतों के लिए तकनीकी सहायता ढांचा			
2.3.1	कमीशनिंग और हैंडओवर प्रोटोकॉल को अपनाना	• एनजेजेएम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की राजपत्र अधिसूचना जारी करना	अगस्त-26
2.3.2	डीडब्ल्यूएसएमएस द्वारा तीन माह का टीपीआईए प्रभावशीलता समीक्षा	• डीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड पर तीन माह का टीपीआईए समीक्षा रिपोर्ट	त्रैमासिक
2.3.3	क्षेत्र के दौरे के आधार पर एनजेजेएम द्वारा जारी परामर्शिका पर किए गए सुधार/ सुधारात्मक कार्रवाई	• एनजेजेएम परामर्शिका के आधार पर राज्य/जिले द्वारा अपनाने / परामर्शिका जारी करना • डीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड पर परामर्शी पत्र और एटीआर अपलोड करना	त्रैमासिक
2.3.4	जल सेवा अध्ययन के तहत टिप्पणियों के आधार पर एनजेजेएम द्वारा जारी परामर्शिका पर किए गए सुधार/सुधारात्मक कार्रवाई	• एनजेजेएम परामर्शिका के आधार पर राज्य/ जिले द्वारा अपनाने/ परामर्शिका जारी करना • डीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड पर परामर्शिका और एटीआर अपलोड करना	द्वि-वार्षिक
अध्याय 2.4: नागरिक-केंद्रित जल गुणवत्ता अभिशासन की स्थापना			
2.4.1	सामुदायिक आधारित जल गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी	• एनजेजेएम द्वारा जारी संक्षिप्त पुस्तिका के अनुसार डब्ल्यूक्यूएम एंड एस प्रोटोकॉल/एसओपी के लिए राज्य द्वारा अधिसूचना • सभी हर घर जल ग्राम पंचायतों द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षण प्रोटोकॉल अपनाया जाना	दिसंबर-26
2.4.2	एफटीके उपयोग सहित, प्रति ग्राम पंचायत (एनएसक्यूएफ एल-1) पर 1-2 महिलाओं को प्रशिक्षित /प्रमाणित करने के लिए सुजलाम शक्ति समूहों (एसएचजी के माध्यम से) का प्रशिक्षण	• सभी हर घर जल ग्राम पंचायतों में सुजलाम शक्ति समूह (एसएचजी के माध्यम से) प्रशिक्षित होना • ई-ग्राम स्वराज/जीपी डैशबोर्ड पर प्रशिक्षण पूरा करने का रिकॉर्ड	दिसंबर-26
2.4.3	प्रयोगशालाओं का आईएसओ प्रत्यायन	• सभी जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं मान्यता-प्राप्त (रासायनिक और बैक्टीरियोलॉजिकल) • डब्ल्यूक्यूएमआईएस के अनुसार प्रत्यायन प्रमाणपत्र; आईएसओ रिकॉर्ड अपलोड करना	दिसंबर-27
अध्याय 2.5: स्रोत सततता और जल सुरक्षा			
2.5.1	स्रोत निरंतरता समितियां-राज्य (एसएसएससी), जिला (डीएसएससी), और ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर (जीपी/वीडब्ल्यूएससी) में गठित एसएससी	तीनों स्तरों पर स्रोत सततता समिति के गठन की अधिसूचना; संदर्भ शर्तें दस्तावेजों के साथ।	सितंबर-26 चरणबद्ध तरीके से
2.5.2	जिला स्रोत सततता कार्य योजना (डीएसएसएपीएस) - जिला समिति (डीएसएससी) द्वारा तैयार की गई और डीडब्ल्यूएसएमएस द्वारा अनुमोदित	• जिला स्रोत सततता कार्ययोजना दस्तावेज डीडब्ल्यूएसएम द्वारा अनुमोदित और डीएसएस पर अपलोड किया गया।	दिसंबर-26

तालिका 12: रिफोर्म्स मैट्रिक्स			
क्र. सं.	रिफोर्म्स	साक्ष्य और संकेतक को मापना	एनजेजेएम द्वारा व्यापक समय-सीमा
2.5.3	निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस)	• डीएसएस को अपनाने के लिए डीटीयू प्रशिक्षण। • सभी हर घर जल पंचायतों को डीएसएस का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना	अक्टूबर-26
2.5.4	डीएसएस डेटा का उपयोग करके ग्राम जल बजट-जीपी-स्तरीय जल बजट तैयार किया गया	• जेजेएम आईएमआईएस जीपी डैशबोर्ड पर ग्राम जल बजट दस्तावेज अपलोड किए जाना • सभी हर घर जल जीपी में डीएसएस अपनाना	जनवरी-27
अध्याय 2.6: डिजिटल गवर्नेंस - सुजलाम भारत			
2.6.1	सुजल गांव आईडी - पूर्ण सोर्स-टू-टैप डिजिटल मैपिंग के साथ सभी सेवा क्षेत्रों के लिए सृजित की गई	• हर घर जल ग्राम पंचायतों के लिए सभी सुजल गांव आईडी का सृजन	मार्च-27
2.6.2	जीआईएस-आधारित परिसंपत्ति मैपिंग - सुजलाम भारत मोबाइल ऐप के माध्यम से सभी आरपीडब्ल्यूएसएस परिसंपत्तियों को जियो-टैग किया गया	• हर घर जल ग्राम पंचायतों के लिए सुजलाम भारत मोबाइल ऐप पर जीआईएस-टैग किए गए परिसंपत्ति रिकॉर्ड	मार्च-27
2.6.3	सुजल गांव उपयोगिता ऐप को ओ एंड एम डेटा कैप्चर के लिए मानक लेनदेन मंच के रूप में अपनाया गया	• सुजल गांव ऐप को सभी हर घर जल ग्राम पंचायतों में अपनाया जाना	दिसंबर-26
2.6.4	परियोजना निगरानी मॉड्यूल - सुजलाम भारत मॉड्यूल के माध्यम से भौतिक प्रगति की निगरानी	• ऐप को अपनाना और हर घर जल जीपी में सुजलाम भारत परियोजना निगरानी मॉड्यूल पर भौतिक प्रगति को नियमित रूप से अद्यतन करना	अगस्त-26
2.6.5	जिला नियंत्रण और सहायता केंद्र (डीसीएससी) - डीडब्ल्यूएसएम के अंतर्गत त्वरित/तत्काल संचालन निगरानी हेतु स्थापित	• डीसीएससी स्थापना आदेश; कार्य-संचालन स्थिति रिपोर्ट • शिकायतों के लिए प्रतिक्रिया तंत्र का एकीकरण	दिसंबर-26
2.6.6	राज्य नियंत्रण और सहायता केंद्र (एससीएससी) - एनजेजेएम को एपीआई आधारित डेटा ट्रांसफर के साथ एसडब्ल्यूएसएम के अंतर्गत स्थापित	• एससीएससी स्थापना आदेश; एसडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड के साथ एपीआई एकीकरण • शिकायतों के लिए प्रतिक्रिया तंत्र का एकीकरण	दिसंबर-26
2.6.7	शिकायत निवारण के लिए सिटीजन इंटरफेस - मेरी पंचायत ऐप और ई-ग्राम स्वराज को शिकायत और फीडबैक के लिए सुजल गांव आईडी से जोड़ा जाना	• शिकायतों के लिए प्रतिक्रिया तंत्र का एकीकरण	दिसंबर-26

तालिका 12: रिफोर्म्स मैट्रिक्स

क्र. सं.	रिफोर्म्स	साक्ष्य और संकेतक को मापना	एनजेजेएम द्वारा व्यापक समय-सीमा
अध्याय 2.7: सहभागी अभिशासन			
2.7.1	पेयजल आपूर्ति के सभी महत्वपूर्ण मापदंडों का सार्वजनिक प्रकटीकरण - मेरी पंचायत ऐप	• पेयजल के सभी महत्वपूर्ण मापदंडों का सार्वजनिक प्रकटीकरण संस्थागत किया जाना। (राज्य द्वारा जारी परिपत्र) • सभी हर घर जल ग्राम पंचायतें और जिले जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक रूप से 5 मानदंड प्रदर्शित करें: i. जल गुणवत्ता परीक्षण की स्थिति ii. कार्यशीलता की स्थिति (एचएच नल आपूर्ति दिन/ घंटे, मात्रा/ गुणवत्ता, दबाव) iii. शिकायत निवारण डेटा iv. ओ एंड एम फंड संग्रह और उपयोग v. स्रोत सततता संबंधी कार्रवाइयां	त्रैमासिक
2.7.2	जल उत्सव कार्यक्रम	• एपी में स्वीकृत वार्षिक कैलेंडर (राज्य/जिला/जीपी)	जून-26
2.7.3	जीपी/सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से जल अर्पण	• राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एनजेजेएम द्वारा जारी एसओपी को अपनाना • राज्य/ जिले द्वारा जल अर्पण की कार्य- योजना जारी करना • पात्र गांवों/ ग्राम पंचायतों के लिए जल अर्पण कैलेंडर तैयार किया जाना • प्रोटोकॉल के अनुसार हर घर जल ग्राम पंचायतों में संचालित जल अर्पण (योजनाओं को सौंपना)	मार्च-27
2.7.4	स्कूलों में वॉश पाठ्यक्रम को शामिल करना	• कार्यान्वयन के लिए एससीईआरटी का परिपत्र जारी होना	मार्च-27
2.7.5	जल सेवा आंकलन - सेवा सुधार आयोजनाओं (एसआईपी) के साथ सभी हर घर जल गांवों के लिए जेएसए करना	• सभी हर घर जल जीपी ने जेएसए पूरा करना • सभी जिलों ने एसआईपी जमा करना • राज्य ने अपना एसआईपी जमा करना • एसआईपी का साक्ष्य आधारित मूल्यांकन करना	वार्षिक
2.7.6	प्रभाव आंकलन – हर घर जल	• प्रभाव मूल्यांकन साधन विकसित करना और हर घर जल जीपी में उपयोग करना • संबंधित विभागों के साथ मिलकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करना • चुने हुए जिलों/ ग्राम पंचायतों में प्रभाव का आंकलन करना • जिला प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एसडब्ल्यूएसएम को सौंपना • रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित करना	मार्च-27 (वार्षिक रूप से किया जाएगा)

तालिका 12: रिफोर्म्स मैट्रिक्स

क्र. सं.	रिफोर्म्स	साक्ष्य और संकेतक को मापना	एनजेजेएम द्वारा व्यापक समय-सीमा
2.7.7	राज्य प्रभाव आंकलन (आईए) रिपोर्ट	• राज्य प्रभाव आंकलन रिपोर्ट तैयार करना • रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित करना	जून-27 (वार्षिक रूप से किया जाएगा)
2.7.8	संवाद प्लेटफार्मों के माध्यम से दोतरफा संचार	• डीसी/ डीएम पेय जल संवाद के तहत शामिल किए गए जिलों की संख्या • सुजल ग्राम पेयजल संवाद के तहत शामिल की गई ग्राम पंचायतों की संख्या	मासिक
अध्याय 2.8: क्षमता निर्माण			
2.8.1	हर घर जल ग्राम क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	• हर घर जल ग्राम पंचायतों के सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण पूरा करना • ई-ग्राम स्वराज/ जीपी डैशबोर्ड पर प्रशिक्षण पूरा करने का रिकॉर्ड। • मार्च 2027 तक सभी हर घर जल ग्राम पंचायतों में न्यूनतम एक दौर का प्रशिक्षण पूरा किया जाएगा। • प्रशिक्षित क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए अंतर मूल्यांकन और 6 महीने के बाद या राज्यों/ जिला प्रशासनों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित करना।	मार्च-27
अध्याय 2.9: कौशल निर्माण और मानव संसाधन विकास			
2.9.1	जिलेवार ओ एंड एम मानव संसाधन (एचआर) अंतर मूल्यांकन और प्रशिक्षण योजनाएं	• स्वीकृत जिला गैप मैट्रिक्स और एएपी प्रस्तुत करना • आवश्यक कार्मिक बनाम मैप किए गए कार्मिक (टियर-वार)	अगस्त-26
2.9.2	प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अपनाना और शुरू करना	• सभी जिलों में प्रशिक्षण संस्थानों में एनएसक्यूएफ लेवल-4 जल संवितरण संचय पाठ्यक्रम और अन्य एनएसक्यूएफ संबद्ध पाठ्यक्रमों को अपनाने के लिए राज्य अधिसूचना। • प्रशिक्षण अवसंरचना और प्रशिक्षण संस्थान संबंधित अधिसूचना • सभी प्रशिक्षणों की आयोजना, समन्वय और वितरण के लिए राज्यों/ जिलों द्वारा 'कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए)' की नियुक्ति।	जून-26
2.9.3	मानव संसाधन नीति अधिसूचना और परिनियोजन	• राज्य ग्रामीण जल सेवा प्रदाय निकाय स्तरों पर मानव संसाधनों की भागीदारी के लिए उपयुक्त नीति और दिशानिर्देश तैयार और अधिसूचित करना • सभी हर घर जल जीपी में कम से कम 1 प्रशिक्षित और प्रमाणित एनजेएम की तैनाती	दिसंबर-27

तालिका 12: रिफोर्म्स मैट्रिक्स			
क्र. सं.	**रिफोर्म्स**	**साक्ष्य और संकेतक को मापना**	**एनजेजेएम द्वारा व्यापक समय-सीमा**
अध्याय 2.10: कार्यसंबंधी और वित्तीय सततता			
2.10.1	पेयजल आपूर्ति के संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय निगरानी उपकरण	• सभी हर घर जल ग्राम पंचायतों में वित्तीय निगरानी साधन के उपयोग के लिए राज्य अधिसूचना	अक्टूबर-26
2.10.2	वार्षिक ओ एंड एम के लिए वित्तीय प्रावधान	• ओ एंड एम के लिए वित्तपोषण के अंतरको राज्य के वित्तीय संसाधनों के माध्यम से सुनिश्चित करना। • राज्य के अलग-अलग बजट शीर्ष में वार्षिक ओ एंड एम निधि का प्रावधान।	दिसंबर-26
2.10.3	सभी हर घर जल गांवों के लिए निवारक रखरखाव (पीएम) सूची बनाना	• डीटीयू की सहायता से योजना-वार निवारक अनुरक्षण सूची प्रकाशित करना।	दिसंबर-26
2.10.4	कार्यसंबंधी दक्षता	• ऊर्जा उपयोग, जल उत्पादन, सेवा घंटे और ब्रेकडाउन के लिए एसओपी विकसित करना।	दिसंबर-26
अध्याय 2.11: अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान			
2.11.1	राज्य तकनीकी समिति (एसटीसी) - राष्ट्रीय तकनीकी समिति से समन्वित टीओआर के साथ अधिसूचना	• एसटीसी अधिसूचना आदेश; टीओआर दस्तावेज	सितम्बर-26
2.11.2	परिणाम आधारित वित्तपोषण (ओबीएफ) अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	• एनजेजेएम के अनुरूप राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ओबीएफ कार्य-ढांचा • राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकार की अधिसूचना और प्रस्ताव आमंत्रण-पत्र जारी करना • प्राप्त/ चयनित/ अनुमोदित प्रस्ताव • बजट जारी करना	मार्च-27

3.2.4. सीआईआरपी: कार्यान्वयन, वित्तपोषण और निगरानी ढांचा

i. **योजना ढांचा और समय-सीमा:** सीआईआरपी दिसंबर 2028 तक की पूरी मिशन अवधि को शामिल करेगा और वार्षिक कार्य योजना (एएपी) तैयार करने का आधार बनेगा। एएपी सीआईआरपी से सिस्टम-जनित होंगे और डीडीडब्ल्यूएस द्वारा अनुमोदन के अधीन राज्य-वार वित्तीय आवंटन निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाएंगे;

ii. **सीआईआरपी के साथ कार्यान्वयन का अनुकूलन:** सीआईआरपी का अनुपालन समग्र कार्यक्रम कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करेगा। राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का कार्य-निष्पादन, सुधार कार्य और महत्वपूर्ण उपलब्धियां सीआईआरपी में परिभाषित समय-सीमा और लक्ष्यों के अनुरूप रहें;

iii. **वित्तीय संयोजन और कार्य-निष्पादन-आधारित निर्गम :** निधियां निर्गत और उसके बाद के वित्तीय आवंटन को तय समय-सीमा/ माइलस्टोन, निधियों के समय पर उपयोग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रगति के नियमित अद्यतन के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, निधियों को चरणबद्ध रूप से जारी किया जा सकता है, जिसमें बाद की किस्तें प्रदर्शन योग्य सुधार प्रगति, भौतिक उपलब्धियों और सभी मॉड्यूलों में समय पर रिपोर्टिंग पर निर्भर होंगी;

iv. **गैर-अनुपालन और वित्तीय संबंधी परिणाम:** सीआईआरपी माइलस्टोन का अनुपालन न करने, रिपोर्टिंग में देरी या रिपोर्ट की गई और मान्य प्रगति के बीच विसंगतियों के मामले में, सुधारात्मक कार्रवाई पूरी और सत्यापित होने तक निधि जारी करने को रोका, / स्थगित या कम किया जा सकता है। लगातार गैर-अनुपालन से निधियों का पुन: प्राथमिकता निर्धारण/ पुन: आवंटन हो सकता है, साथ ही डीडीडब्ल्यूएस द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली निगरानी और सुधारात्मक कार्रवाई आवश्यकताओं में वृद्धि हो सकती है;

v. **डिजिटल एकीकरण और डेटा आर्किटेक्चर:** सीआईआरपी मॉड्यूल को वास्तविक समय निगरानी और डेटा-संचालित कार्यक्रम प्रबंधन को सक्षम करने के लिए प्रासंगिक डिजिटल सिस्टम के साथ एकीकृत किया जाएगा, जो ग्रामीण जल सेवा प्रदायगी के लिए एक इंटरऑपरेबल डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का हिस्सा होगा। सभी योजनाओं और बसावटों को इस एकीकृत संरचना के भीतर मानचित्रित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक बसावट को एक सुजल गांव आईडी सौंपी गई है और सभी संपत्तियों को सुजलाम भारत आईडी के साथ टैग किया गया है, जिससे एंड-टू-एंड ट्रैसेबिलिटी सुनिश्चित होती है;

vi. **निगरानी ढांचा और समीक्षा तंत्र:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सुधार प्रगति, योजना कार्यान्वयन की स्थिति और हर घर जल (एचजीजे) प्रमाणन को ट्रैक करने के लिए एक सुदृढ़ निगरानी ढांचा भी स्थापित करेंगे। ग्राम पंचायत और जिला डैशबोर्ड प्राथमिक निगरानी तंत्र के रूप में काम करेंगे, जो बसावट संतृप्ति, योजना-वार प्रगति और सुधार की उपलब्धियों पर वास्तविक समय आधार पर अद्यतन स्थिति प्रदान करेंगे;

vii. **मान्यकरण और सत्यापन तंत्र:** रिपोर्ट की गई प्रगति को परियोजना निगरानी मॉड्यूल पर डिजिटल सत्यापन, आवधिक क्षेत्र निरीक्षण, तृतीय पक्ष के आंकलन और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित समीक्षा बैठकों के माध्यम से मान्य किया जाएगा। पारदर्शिता, विश्वसनीयता और वास्तविक समय आधार पर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी निगरानी और सत्यापन गतिविधियों को एकीकृत डिजिटल आर्किटेक्चर के साथ जोड़ा जाएगा;

viii. **सुधारात्मक कार्रवाई और कार्यप्रणालीगत सुधार:** नियोजित समय-सीमा या कार्यान्वयन चुनौतियों से विचलन के मामले में, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश एनजेजेएम के परामर्श से माइलस्टोन में संशोधन और समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत करने सहित सुधारात्मक उपाय करेंगे। निगरानी या सत्यापन के माध्यम से चिह्नित किए गए किसी भी अंतराल, देरी या विसंगतियों को समय पर सुधारात्मक कार्रवाइयों के माध्यम से सीआईआरपी ढांचे के भीतर दूर किया जाएगा;

ix. **आंतरिक समीक्षा और जवाबदेही:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सुधार कार्यान्वयन मैट्रिक्स के सापेक्ष सावधिक रूप से प्रगति को ट्रैक करने के लिए आंतरिक समीक्षा तंत्र स्थापित करेंगे, समय पर हस्तक्षेप को सक्षम बनाएंगे और समग्र सीआईआरपी प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करेंगे।

3.2.5. हर घर जल प्रमाणन

क. हर घर जल प्रमाणन की प्रक्रिया

i. **योजना को पूरा करना:** सभी घरों के साथ-साथ स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, ग्राम पंचायत भवन/पंचायत घरों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के लिए एफएचटीसी का प्रावधान सुनिश्चित करने के बाद ही एक योजना को पूरा माना जाएगा;

ii. **ग्राम पंचायतों/ वीडब्ल्यूएससी की योजना और क्षमता निर्माण के कार्य-संचालन को शुरू करना:** निर्माण और संस्थापना के पूरा होने पर, योजना के कार्य-संचालन को शुरु किया जाएगा। प्रणाली के सभी घटकों का परीक्षण करने और विश्वसनीय और निरंतर सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम 15 दिनों का अनिवार्य ट्रायल रन किया जाएगा। इसके साथ ही, ग्राम पंचायत और/या उसके वीडब्ल्यूएससी को जल आपूर्ति योजनाओं के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से गुजरना होगा। ऐसे

मामलों में जहां ओ एंड एम को अन्य एजेंसियों को सौंपा जाना है, इस आशय का एक औपचारिक समझौता निष्पादित किया जाएगा और ग्राम पंचायत को सौंपे जाने से पहले ओ एंड एम के लिए जिम्मेदार ऐसी एजेंसियों का विवरण प्रदान किया जाएगा;

iii. **योजना का सौंपा जाना:** ट्रायल रन के सफल समापन के बाद, योजना को औपचारिक रूप से जल अर्पण समारोह के माध्यम से ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद, गांव के बुनियादी ढांचे के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत और/या इसकी स्थायी समिति, उदाहरणार्थ वीडब्ल्यूएससी की होगी;

iv. **ग्राम सभा संकल्प और प्रमाणन:** एक बार जब गांव में सभी योजनाएं पूरी हो जाती हैं, कार्य-संचालन शुरु हो जाता है और सौंप दी जाती हैं, तो ग्राम पंचायत डीडब्ल्यूएसएम प्रतिनिधि की उपस्थिति में ग्राम सभा बुलाई जाएगी और वह एक प्रस्ताव पारित करेगी जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि:

क. सभी परिवारों, सार्वजनिक संस्थानों और पीएम-जनमन/ डीए-जेजीयूए बसावटों को कार्यशील नल जल कनेक्शन के साथ कवर किया गया है;

ख. राजस्व गांव के अंतर्गत आने वाली सभी बसावटों, जिनमें बिखरी हुई आबादी वाली या 20 से कम ग्रामीण परिवार शामिल हैं, को सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कवर किया गया है; जहां भी पाइपगत जल आपूर्ति तकनीकी-व्यावसायिक या भौगोलिक रूप से संभव नहीं है, वहां पीने और खाना पकाने के उद्देश्यों (न्यूनतम 8-10 एलपीसीडी) के लिए उपयुक्त सामुदायिक समाधानों, स्थानीय नवाचारों या वैकल्पिक तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, साथ ही अन्य घरेलू उपयोगों के लिए उपयुक्त व्यवस्था भी की गई है।

ग. पाइपगत जल आपूर्ति के प्रावधान में कोई भी अपवाद केवल उन मामलों तक सीमित है, जहां तकनीकी-व्यावसायिक या भौगोलिक बाधाओं का विधिवत आंकलन किया गया है और मानदंडों के अनुसार उपयुक्त वैकल्पिक सेवा स्तर सुनिश्चित किए गए हैं;

घ. गांव/ ग्राम पंचायत हर घर जल प्रमाणित के रूप में अर्हता प्राप्त करती है।

ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति और ग्राम सभा की कार्यवाही को कैप्चर करने वाला एक संक्षिप्त वीडियो जेजेएम डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाएगा और गांव को जेजेएम-आईएमआईएस में प्रमाणित के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

v. **ग्राम पंचायत स्तर प्रमाणन:** अगर ग्राम पंचायत के सभी गांवों को हर घर जल के रूप में प्रमाणित कर दिया जाता है तो ग्राम पंचायत को हर घर जल प्रमाणित घोषित करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

vi. **प्रगति का मापन:** मिशन के तहत प्रगति और उपलब्धि का आंकलन हर घर जल प्रमाणन का दर्जा प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

3.2.6. निष्कर्ष

जेजेएम 2.0 के तहत सीआईआरपी सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और वित्तपोषण को जोड़ने वाले एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा, जो कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए एक सुसंगत और समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा। एसएनए-स्पर्श के माध्यम से निधियां जारी करना सुधार माइलस्टोन में मापने योग्य और सत्यापन योग्य प्रगति और सीआईआरपी में परिभाषित समय-सीमा के पालन पर निर्भर रहेगा।

सुधार से जुड़ा यह वित्तपोषण ढांचा, जवाबदेही को सुदृढ़ करेगा और समय पर प्रगति को बढ़ावा देगा, यह सुनिश्चित करेगा कि जेजेएम 2.0 टिकाऊ, अनुकूल और भविष्य के लिए तैयार ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणाली प्रदान करता है।

चित्र 19: हर घर जल प्रमाणन की प्रक्रिया

अध्याय 3.3
वित्तीय नियोजन और वित्तपोषण

जल जीवन मिशन 2.0 के परिकल्पित उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि मजबूत वित्तीय योजना, केंद्र और राज्य स्तर पर सुनिश्चित वित्तपोषण तथा पर्याप्त संसाधन संचयन उपलब्ध हो।इस संदर्भ में, एसडब्ल्यूएसएम सभी ग्राम पंचायतों में हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को समय पर पूरा करने, कार्यशीलता और सततता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कार्यान्वयन और सुधार नियोजन (सीआईआरपी) तैयार करेगा। सीआईआरपी में प्राथमिकता वाली योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य के निर्धारित समतुल्य हिस्से के अलावा समर्पित राज्य वित्तपोषण भी शामिल हो सकता है।

3.3.1. प्रस्तावित व्यय

मिशन के पूर्ववर्ती चरण के दौरान, यानी मार्च 2024 तक, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 8.07 लाख करोड़ रुपये (अस्वीकार्य घटकों को छोड़कर) की अनुमानित लागत के साथ नल जल कनेक्शन के प्रावधान के लिए अपनी संबंधित राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समितियों (एसएलएसएससी) के माध्यम से 6.83 लाख से अधिक ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को स्वीकृति देने की सूचना दी।

कवरेज के लिए वित्तीय आवश्यकताओं के साथ-साथ सहायक गतिविधियों और जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के माध्यम से संरचनात्मक सुधार करने के लिए, मिशन का समग्र वित्तीय परिव्यय 3.60 लाख करोड़ से बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 2.08 लाख करोड़ से बढ़कर 3.59 लाख करोड़ हो गया है। कुल स्वीकृत प्रस्तावित व्यय का विवरण इस प्रकार है:

राशि लाख करोड़ में

घटक	घटक
कवरेज	8.07
पीएम-जनमन, डीए-जेजीयूए	0.05
समर्थन और डब्ल्यूक्यूएम एंड एस उप योजनाएं	0.57
कुल	**8.69**

3.3.2. वित्तीय निर्गम कार्यनीति

1.51 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का उद्देश्य दिसंबर 2028 तक देश भर के सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल उपलब्ध कराकर सभी ग्राम पंचायतों को 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणन सुनिश्चित करना है।

यह मौजूदा वित्तपोषण पैटर्नके अनुसार, एक निर्धारित वित्तीय निर्गम कार्यनीति के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, जैसा कि नीचे बताया गया है:

i. **चालू और महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता:** केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए, चालू एकल ग्राम योजनाओं (एसवीएस), दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने वाली योजनाओं और मात्रा तथा गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों का समाधान करने वाली बहु-ग्राम योजनाओं (एमवीएस) को पूरा करने को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना-वार भुगतान एसएनए-स्पर्श के माध्यम से किया जाएगा;

ii. **प्रतिपूर्ति-आधारित सहायता:** भूजल-आधारित ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के संयोजन में चल रहे एमवीएस को प्रतिपूर्ति के आधार पर केंद्रीय सहायता दी जाएगी;

iii. **पीपीपी और वार्षिकी-आधारित मॉडल को बढ़ावा देना:** वैकल्पिक वित्तीय मॉडल पर विगत जेजेएम दिशानिर्देशों को जारी रखते हुए, राज्यों को अनुमोदित थोक जल हस्तांतरण योजनाओं के लिए वार्षिकी-आधारित पीपीपी मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया कोई भी अर्थक्षमता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) अनुमोदित केंद्र-राज्य वित्तपोषण पैटर्न और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय हिस्सेदारी के लिए पात्र होगा;

iv. **रेट्रोफिटिंग योजनाओं के लिए कोई केंद्रीय सहायता नहीं है:** रेट्रोफिटिंग योजनाओं के लिए कोई केंद्रीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी योजनाओं के तहत किसी भी लंबित देनदारियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

3.3.3. केंद्रीय सहायता के निर्गम हेतु वित्तीय संरक्षण उपाय

केंद्रीय सहायता का संवितरण निम्नलिखित शर्तों के पालन पर निर्भर करेगा:

i. **योजना मान्यकरण:** केंद्रीय सहायता के लिए प्रस्तावित सभी योजनाओं को सुजलाम भारत जीआईएस-लिंक्ड परिसंपत्ति रजिस्ट्री के आधार पर मान्य किया जाएगा ताकि सेवा क्षेत्रों की विशिष्टता सुनिश्चित की जा सके और ओवरलैप या दोहराव को रोका जा सके;

ii. **तकनीकी मानकों का अनुपालन:** राज्य सरकार द्वारा सीपीएच-ईईओ डिजाइन मानदंडों के अनुपालन और एनजेजेएम द्वारा जारी किसी भी तकनीकी परामर्शिका का प्रमाणन;

iii. **लक्ष्य-आधारित चरणबद्ध धनराशि निर्गम:** केंद्रीय सहायता को स्पष्ट रूप से परिभाषित संरचनात्मक सुधारों की उपलब्धियों से जोड़ा जाएगा, जिसे जेजेएम पोर्टल के माध्यम से विधिवत सत्यापित किया जाएगा;

iv. **लागत युक्तिकरण/ विभाजन:** 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं और शहरी/ क्षेत्रीय जल मांग या उच्च सेवा स्तरों को पूरा करने वाली योजनाओं की समीक्षा सीपीएचईईओ तथा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की संयुक्त तकनीकी समिति द्वारा किया जाएगा। संयुक्त तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर, एनजेजेएम, निधियां जारी करने से पहले सहमति हेतुराज्य स्तरीय शीर्ष समितियों के समक्ष लागत युक्तिकरण अथवा विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

3.3.4. निधि का आवंटन

क. आवंटन का आधार

राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय निधियों का आवंटन, संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध समग्र केंद्रीय परिव्यय के भीतर, अनुमोदित व्यापक कार्यान्वयन एवं सुधार योजना तथा वार्षिक कार्य योजना के आधार पर किया जाएगा, जिसे भारत सरकार के माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की स्वीकृति प्राप्त होगी।

ख. आवंटन के तौर-तरीके

राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के सीआईआरपी और एपी के आधार पर, वार्षिक आवंटन निम्नलिखित विशिष्ट तौर-तरीकों के तहत उचित रूप से निर्धारित किया जाएगा:

i. **अग्रिम निर्गम:** चालू और अनुमोदित गतिविधियां का वित्तपोषण मुख्य मंजूरी के माध्यम से आवश्यकता-आधारित, मांग-संचालित तरीके से किया जाएगा ;

ii. **प्रतिपूर्ति मोड:** अनुमोदित प्रावधानों के अनुसार, बहु-ग्राम योजनाओं (क्यूएंडक्यू ब्लॉकों के अलावा) और बल्क जल आपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए पात्र व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए;

iii. **केंद्रीय हिस्से का निपटान (मिशन के बाद की अवधि):** जेजेएम की समापन अवधि के उपरांत और 31 मार्च, 2026 तक केंद्रीय हिस्से के बदले राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए व्यय का निपटान, पात्रता और सत्यापन के अधीन होगा।

ग. अंतरिम आवंटन व्यवस्था

यह देखते हुए कि सीआईआरपी जेजेएम 2.0 के तहत पूरी मिशन अवधि को कवर करने वाला एक व्यापक और परामर्शी अभ्यास है और इसे अंतिम रूप देने और अनुमोदन के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता हो सकती है, प्रारंभिक अवधि के लिए आवंटन अंतरिम आधार पर किया जाएगा ताकि चालू कार्यों की निरंतरता और कार्यान्वयन की गति सुनिश्चित की जा सके। इस उद्देश्य के लिए, वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए आवंटन जेजेएम आईएमआईएस पर उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित होगा, जो सीआईआरपी को अंतिम रूप दिए जाने तक लंबित है।

घ. समीक्षा और पुनर्आवंटन

सीआईआरपी/ एपी लक्ष्यों के मुकाबले राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति के आधार पर वार्षिक आवंटन की द्विवार्षिक समीक्षा की जाएगी। इस तरह के प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर, उपयोग को अनुकूलित करने और मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति में तेजी लाने के लिए विभाग राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के बीच निधियों के पुनर्आवंटन का प्रस्ताव कर सकता है।

3.3.5. जेजेएम 2.0 के तहत भुगतान के तरीके

जेजेएम 2.0 के अंतर्गत केंद्रीय सहायता योजनानुसार विभिन्न वित्तपोषण तरीकों के माध्यम से, योजनाओं की प्रकृति और प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जाएगी। । इसका उद्देश्य कुशल निधि प्रवाह सुनिश्चित करना, जवाबदेही को बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता को भौतिकऔर सुधार संबंधी माइलस्टोनके साथ अनुकूलित करना है। सहायता के तरीके इस प्रकार हैं:

i. **अग्रिम भुगतान मोड (एसवीएस, एमवीएस- गुणवत्ता/मात्रा-प्रभावित क्षेत्रों में तथा गैर-पीडब्ल्यूएस योजनाओं जिसमे समर्थन और डब्ल्यूक्यूएम एंड एस घटकों सहित के लिए प्रस्तावित):** भुगतान अनुमोदित वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार संसाधित किए जाएंगे, जिसमें केंद्र और राज्य के शेयर एक साथ जारी किए जाते हैं। केंद्रीय सहायता राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाएगी। प्रत्येक मुख्य स्वीकृति से पहले, संबंधित सीआईआरपी के सापेक्ष राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के कार्य-निष्पादन का आंकलन किया जाएगा। विभाग द्वारा जारी की गई मुख्य मंजूरी मिशन के तहत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकृत आहरण सीमा के रूप में काम करेगी। लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (डीएनएच और डीडी) जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, भुगतान एसएनए-स्पर्श/प्राधिकरण पत्र (एलओए) के माध्यम से किया जाएगा;

ii. **प्रतिपूर्ति मोड (अन्य एमवीएस और बीडब्ल्यूएस के लिए प्रस्तावित):** एमवीएस/ बीडब्ल्यूएस योजनाओं के अनुमोदित

घटकों के अंतर्गत किए गए व्यय को प्रतिपूर्ति के आधार पर सख्ती से चरणबद्ध किस्तों में जारी किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय हिस्से का कोई अग्रिम निर्गम नहीं होगा। पात्र केंद्रीय हिस्सा वास्तविक वित्तीय व्यय और आनुपातिक भौतिक प्रगति के आधार पर जारी किया जाएगा, जैसा कि सुजलाम भारत पीएम गतिशक्ति ऐप पर कार्यक्रम निगरानी मॉड्यूल के माध्यम से सूचित और मान्य किया गया है। किस्तों की संख्या और आकार व्यक्तिगत परियोजनाओं के पैमाने, लागत और प्रगति के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। पीपीपी और वार्षिकी-आधारित मॉडल में केंद्रीय हिस्से के वित्तपोषण के मामले में भी इस मोड को अपनाया जाएगा।

3.3.6. कार्यक्रम निधि का उपयोग

क. कवरेज

i. उपलब्ध केंद्रीय सहायता का उपयोग केवल 31 मार्च 2024 को या उससे पहले एसएलएसएससी द्वारा स्वीकृत योजनाओं के लिए किया जा सकता है और जिन्हें जेजेएम-आईएमआईएस (JJM-IMIS) पर इस प्रकार दर्ज किया गया हो। । हालांकि , रेट्रोफिट स्कीमों अथवा एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत स्वीकृत स्कीमों के लिए कोई केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

ii. मिशन अवधि के दौरान एसएलएसएससी द्वारा अनुमोदित कार्य, जो 31 मार्च 2024 तक अवार्ड के लिए लंबित थे, की कोई भी केंद्रीय सहायता को देने से पहले एनजेजेएम स्तर पर फिर से जांच की जाएगी;

iii. मिशन की प्रथम अवधि (2019-2024) के दौरान योजनाओं के लिए स्वीकृत कोई भी निविदा प्रीमियम केवल प्रारंभिक अनुबंध अवधि तक ही स्वीकार्य होगा। यदि अनुबंध अवधि के विस्तार के कारण योजना की लागत में वृद्धि होती है, तो केंद्रीय सहायता मूल अनुमानित लागत तक सीमित होगी;

iv. यदि सामग्री की लागत में कमी, अनुमान में कम ज्ञात की गई, या अन्य अप्रत्याशित कारकों के कारण परियोजना लागत कम हो जाती है, तो एनजेजेएम को यथाशीघ्रसूचित किया जाएगा;

v. राज्य प्राकृतिक आपदाओं या आंतरिक अशांति से क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे को बहाल करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग करेंगे;

vi. नई योजनाओं पर केवल पीएम-जनमन और डीए-जेजीयूए क्षेत्रों में विचार किया जाएगा, जिन्हें पहले चरण के दौरान शामिल नहीं किया गया था, बशर्ते कि राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उन्हें बाहर किए जाने के कारणों की व्याख्या करते हुए उचित कारण प्रस्तुत किया जाए। इस उद्देश्य के लिए, सचिव, डीडीडब्ल्यूएस की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा;

vii. पीएमएवाई (जी) के अंतर्गत निर्मित आवासों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने हेतु JJM निधियों का उपयोग अभिसरण के माध्यम से किया हालांकि, ऐसे मामलों में, मौजूदा ग्राम वितरण नेटवर्क से नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे और इस उद्देश्य के लिए नए वितरण नेटवर्क के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ख. सहायता तथा जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएंडएस)

i. **निधि निर्गम के लिए पूर्व शर्तें:** सहायता और डब्ल्यूक्यूएम एंड एस के अंतर्गत निधियों का निर्गम चरण 1 के व्यय का गतिविधि-वार समन्वय पूर्ण होने, उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने और जेजेएम-आईएमआईएस पर भौतिक और वित्तीय प्रगति की रिपोर्टिंग के अध्यधीन होगा;

ii. **समन्वय और सत्यापन:** राज्य अनुमोदित और सुधार से जुड़ी गतिविधियों के सापेक्ष व्यय को सत्यापित करने, अव्ययितशेष राशि और देनदारियों की चिह्नित करने और वित्तीय रिपोर्टिंग और जेजेएम आईएमआईएस पर परिलक्षित भौतिक प्रगति के बीच अनुकूलन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत समन्वय करेंगे। आगामी निर्गम हेतु के लिए केवल सत्यापित व्यय पर विचार किया जाएगा;

iii. **निधियों का उपयोग और अव्ययित शेष राशि:** राज्य निगरानी, पर्यवेक्षण और प्रणाली को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण अंतराल को प्राथमिकता देते हुए सेक्शन 2 सुधारों और सीआईआरपी-से जुड़े परिणामों के साथ एक उपयोग योजना तैयार करेंगे। पारदर्शिता और प्रभावी निरीक्षण को सक्षम करने के लिए सभी प्रस्तावित गतिविधियों को जेजेएम आईएमआईएस पर मैप और ट्रैक किया जाएगा;

iv. **माइलस्टोन-आधारित और सुधार-संबद्ध संवितरण:** सहायता और डब्ल्यूक्यूएमएंडएस घटकों के अंतर्गत व्यय को निर्धारित माइलस्टोन की प्राप्ति, सेक्शन 2 में उल्लिखित संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन और जेजेएम आईएमआईएस पर सत्यापित प्रगति से जोड़ा जाएगा, जिससे परिणाम-उन्मुख निधि उपयोग सुनिश्चित होगा;

v. **सहायता निधि का उपयोग:** सहायता निधि का उपयोग सेक्शन 2 के अंतर्गत सुधार ढांचे के अनुरूप अनुकूलन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, जो सीआईआरपी के अंतर्गत परिभाषित गतिविधियों और परिणाम लिंकेज के साथ 11 प्रमुख संरचनात्मक सुधारों की कार्ययोजना तैयार करता है। राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि निधियों के उपयोग को सुधार-संबद्ध गतिविधियों के लिए मैप किया गया है, परिणाम-उन्मुखी है और जेजेएम आईएमआईएस पर अनिवार्य रूप से रिपोर्ट किया गया है। सांकेतिक क्षेत्रों में डिजिटल अभिशासन और निगरानी प्रणाली, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, क्षमता निर्माण, आईईसी/ बीसीसी और सामुदायिक सहभागिता,

अनुसंधान और नवाचार और जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण शामिल हैं;

vi. **वित्तीय प्रबंधन और अनुपालन:** राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुमोदित योजनाओं और सुधार प्राथमिकताओं के अनुरूप निधियों का उपयोग समय पर, कुशल और परिणामोन्मुखी तरीके से किया जाए। वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पीएफएमएस-अनुपालन प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यय की पारदर्शिता, जवाबदेही और एंड-टू-एंड ट्रैसेबिलिटी को सक्षम करेगी, जो जेजेएम आईएमआईएस पर रिपोर्ट किए गए डेटा के साथ विधिवत अनुकूलित होगी। सटीक और अपडेटेड रिपोर्टिंग उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए निगरानी, कार्य-निष्पादन आंकलन और सूचित निर्णय लेने में सहायता करेगी;

vii. **कार्य-निष्पादन से जुड़ी समीक्षा:** बाद में जारी की जाने वाली निधियां निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ववर्ती किश्तों के उपयोग, सुधार की उपलब्धियों और परिणामों की प्राप्ति और जेजेएम आईएमआईएस पर सत्यापित कार्य-निष्पादन डेटा पर आधारित होगी;

viii. **लेखा परीक्षा और जवाबदेही:** व्यय, डेटा के सापेक्ष परस्पर-सत्यापन के साथ तृतीय पक्ष के सत्यापन, लेखा परीक्षा और सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र के अध्यधीन होगा

3.3.7. राज्यों द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति

i. **कार्यों और व्यय रिपोर्टिंग के अनुमोदन की समय-सीमा:** जेजेएम के तहत कार्यों की मंजूरी मार्च 2024 तक पूरी हो गई थी। हालांकि, शेष केंद्रीय परिव्यय विभाग (डीओई) की मंजूरी से मार्च 2025 तक जारी किया गया था। इस संदर्भ में, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश मार्च 2025 तक जारी सभी केंद्रीय सहायता के लिए किए गए व्यय को अद्यतन करेंगे;

ii. **अतिरिक्त राज्य व्यय की रिकॉर्डिंग:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि मार्च 2026 तक किए गए वे सभी व्यय, जो उपलब्ध केंद्रीय अंश से अधिक हैं तथा अनुमन्य घटकों पर, स्वीकृत वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार संबंधित राज्य अंश सहित किए गए हैं, उन्हें वित्तीय समन्वय मॉड्यूल में "अतिरिक्त राज्य व्यय" के रूप में विधिवत दर्ज किया जाए। यह प्रतिपूर्ति आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व सटीकता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है;

iii. **प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करना और प्राथमिकता देना:** रिपोर्ट किए गए व्यय के लिए पात्र केंद्रीय हिस्से के उचित विभाजन के बाद, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकार्य राशि के लिए प्रतिपूर्ति अनुरोध प्रस्तुत करेंगे। प्रतिपूर्ति के लिए प्राथमिकता एकल ग्राम योजनाओं को दी जाएगी;

iv. **प्रतिपूर्ति के लिए डिजिटल निधि अनुरोध तंत्र:** राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय के समायोजन हेतु निधियां जारी करना प्रतिपूर्ति के लिए डिजिटल रूप से उत्पन्न निधियन अनुरोध फॉर्म पर आधारित होगा। यह फॉर्म केंद्रीय अंश की मांग के लिए मुख्य साधन के रूप में कार्य करेगा और इसे सुजलाम भारत डेटाबेस और वित्तीय समाधान मॉड्यूल के साथ एकीकृत किया जाएगा;ताकि स्वचालित सत्यापन हो सके;

v. **100 करोड़ रुपये से कम की योजनाओं के लिए तकनीकी अनुपालन:** 100 करोड़ रुपये से कम की योजनाओं से संबंधित निधियन अनुरोधों के लिए, डिजिटल निधि अनुरोध फॉर्म के भीतर एक तकनीकी अनुपालन प्रमाणपत्र शामिल किया जाएगा, जो निर्धारित तकनीकी मानकों और मानदंडों के पालन की पुष्टि करेगा;

vi. **100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए डीपीआर मूल्यांकन और अनुमोदन:** 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की जांच की जाएगी और ऐसे मामलों की सिफारिश एनजेजेएम द्वारा एसडब्ल्यूएसएम की शीर्ष समिति को की जाएगी ताकि, जहां भी लागू हो तकनीकी अनुपालन और बंटवारा सुनिश्चित किया जा सके;

vii. **निधियन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना:** इस एकीकृत ढांचे का उद्देश्य जेजेएम 2.0 के अंतर्गत प्रतिपूर्ति और निधियन प्रक्रिया में एंड-टू-एंड पारदर्शिता, सटीकता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

3.3.8. निधियों को साझा करने की पद्धति

जेजेएम 2.0 के अंतर्गत मौजूदा केंद्र-राज्य निधि साझा पद्धति निम्नानुसार रहेगी:

उप-घटक	निधियन पद्धति
कवरेज	• बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100:0 • पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 • अन्य राज्यों के लिए 50:50
सहायता डब्ल्यूक्यूएम एंड एस	• बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए100:0 • पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 • अन्य राज्यों के लिए 60:40

3.3.9. अन्य निधियन शर्तें

i. **अभिशासी (गवर्निंग) कार्य-ढांचा और वित्तीय अनुपालन:** निधियन की मंजूरी और उपयोग जेजेएम 2.0 के कार्य-संचालन दिशानिर्देशों, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के निर्देशों और सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जोकि समय-समय पर संशोधित किया गया है। केंद्रीय सहायता अनुदान के सभी दावे और जारी किए गए इन कार्य-ढांचे का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा;

ii. **एसएनए-स्पर्श के तहत चरणबद्ध रूप से धनराशि जारी:** अग्रिम भुगतान के लिए एसएनए-स्पर्श के तहत निर्धारित धनराशि 50 प्रतिशत प्रत्येक की दो किस्तों में स्वीकृत की जाएगी, प्रत्येक किस्त को दो समान ट्रान्च में जारी किया जाएगा। प्रत्येक ट्रान्च जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन और आईएफडी की सहमति प्राप्त की जाएगी;

iii. **प्रतिपूर्ति मोड के तहत निधियों को जारी करना:** प्रतिपूर्ति मोड के लिए निर्धारित धनराशि निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से विभाग द्वारा जारी की जाने वाली एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार जारी की जाएगी;

iv. **केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए दस्तावेज़ीकरण संबंधी आवश्यकताएँ:** जेजेएम के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगे:

क. चालू वित्त वर्ष के लिए अंतरिम उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी);

ख. पिछले वर्ष से पहले के वर्ष के लिए महालेखाकार (एजी) से लेखापरीक्षा रिपोर्ट, या पिछले वर्ष के लिए सीएजी-पैनल में शामिल चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) से लेखा परीक्षा विवरण (एएसए);

ग. पिछले वर्ष के लिए अंतिम केंद्रीय और राज्य उपयोगिता प्रमाण पत्र, पीएफएमएस के माध्यम से प्रस्तुत ई-यूसी के साथ।

3.3.10. एसएनए-स्पर्श फ्रेमवर्क और भुगतान प्रक्रिया

एसएनए-स्पर्श प्रणाली की परिकल्पना सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाले एक एकीकृत वित्तीय ढांचे के रूप में की गई है। एसएनए-स्पर्श भुगतान तंत्र एनजेजेएम को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है, जिससे अप्रयुक्त शेष राशि को समाप्त किया जा सकता है जिससे वित्तीय उपयोग संबंधी विवेक, दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि होती है। एसएनए-स्पर्श कार्यान्वयन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. **योजना-वार निगरानी के लिए जेजेएम-आईएमआईएस के साथ एकीकरण:** पीएफएमएस के एसएएनए-स्पर्श मॉड्यूल को जेजेएम-आईएमआईएस के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि योजना-वार भुगतान को सक्षम बनाया जा सके और वित्तीय प्रगति की वास्तविक समय की निगरानी तथा रिपोर्टिंग की सुविधा मिल सके;

ii. **वित्तपोषण पैटर्न के आधार पर संरचित बैंकिंग व्यवस्था:** कवरेज और समर्थन तथा डब्ल्यूक्यूएम एंड एस घटकों के लिए अलग-अलग वित्तपोषण पैटर्न वाले राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश अलग-अलग एसएलएस और आरबीआई खाते बनाए रखेंगे। एक समान वित्तपोषण पैटर्न वाले राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश दोनों घटकों के लिए एक एकल एसएलएस और आरबीआई खाते को बनाए रखेंगे। विभाग केंद्रीय हिस्से को जारी करने के लिए एक एकल आरबीआई खाता संचालित करेगा;

iii. **मूल स्वीकृति (मदर सेंक्शन) तथा किश्त-वार आहरण सीमा:** केंद्र पीएफएमएस के माध्यम से एक मूल स्वीकृति (किश्त-वार) जारी करेगा, जो प्रत्येक किश्त के लिए राज्य-वार आहरण सीमा के रूप में कार्य करेगा;

iv. **कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दावा प्रस्तुत करना:** कार्यान्वयन एजेंसियां (आईए) जेजेएम-आईएमआईएस और संबंधित राज्य आईएफएमआईएस प्लेटफार्मों के माध्यम से दावे प्रस्तुत करेंगी;

v. **अनिवार्य ऑनबोर्डिंग:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी योजनाओं को सीआईआरपी मॉड्यूल से एसएनए-स्पर्श मॉड्यूल में विधिवत परिवर्तित करके निर्धारित प्रारूपों के माध्यम से एसएनए-स्पर्श मॉड्यूल पर अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए;

vi. **कार्यान्वयन एजेंसी स्तर पर सत्यापन संबंधी जिम्मेदारी:** बिलों, दावों, चालानों और सहायक दस्तावेजों के सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की कार्यान्वयन एजेंसियों की होगी।

चित्र 20: एसएनए-स्पर्श फ्रेमवर्क और भुगतान तंत्र

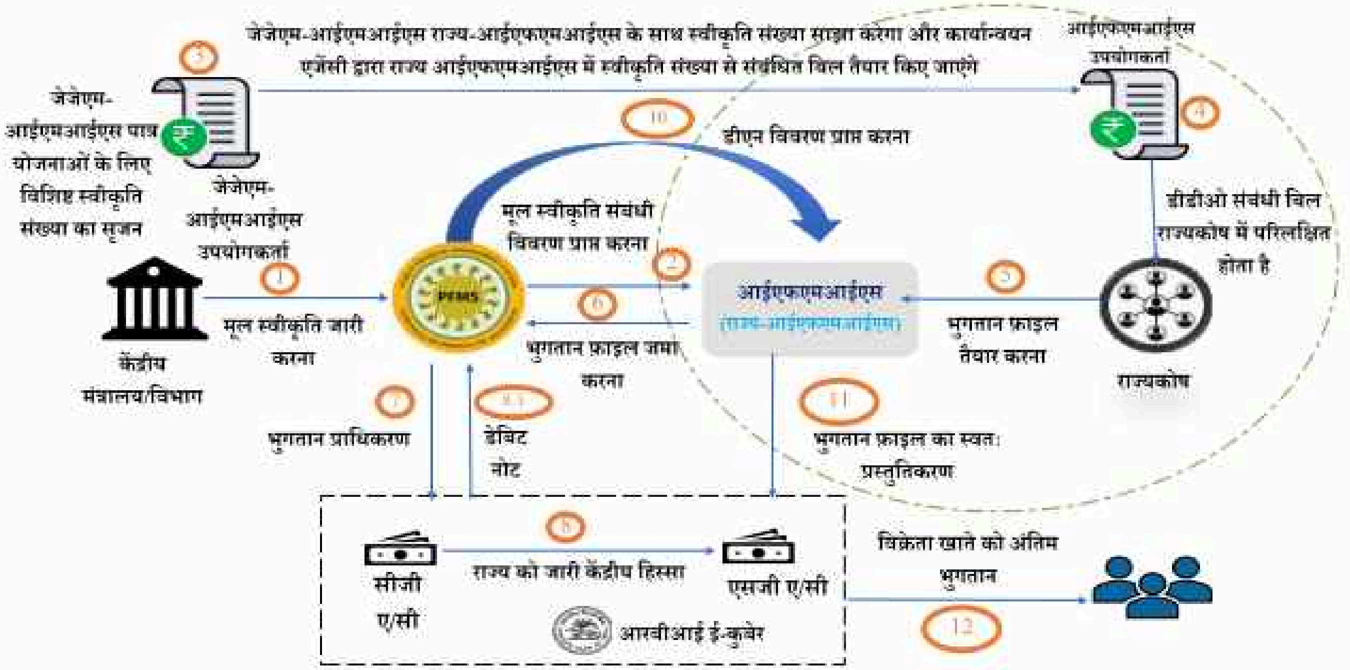

3.3.11. जेजेएम के तहत सामुदायिक योगदान और प्रोत्साहन

पहले के जेजेएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, ग्राम पंचायत और/ या वीडब्ल्यूएससी द्वारा कार्यान्वित गांव में ग्राम स्तरीय (आंतरिक) पाइप्ड पेयजल आपूर्ति अवसंरचना और संबंधित स्रोत विकास के लिए सामुदायिक योगदान पहाड़ी और वन क्षेत्रों, पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों और 50% से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले गांवों के लिए पूंजीगत लागत का 5% और अन्य सभी गांवों के लिए 10% पूंजीगत लागत (नकद, वस्तु या श्रम में) पर निर्धारित किया गया था।

जेजेएम-आईएमआईएस (फॉर्म 10-बी) में प्रमाणित प्रविष्टियों के आधार पर, यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में योजनाओं में सामुदायिक योगदान एकत्र नहीं किया गया है। इस संबंध में, यह सूचित किया गया है कि यदि कोई राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सामुदायिक अंशदान के संग्रहण को छूट देने का निर्णय लेता है तो संबंधित राशि संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से वहन की जाएगी।

सामुदायिक स्वामित्व को प्रोत्साहित करने और जल आपूर्ति प्रणालियों की दीर्घकालिक सततता सुनिश्चित करने के लिए, समुदाय को प्रोत्साहित करने के प्रावधान पर जोर दिया जाना जारी रहेगा। योजना के शुरू होने के बाद, समुदाय को चरणबद्ध तरीके से गांव में जलापूर्ति योजना के पूंजीगत व्यय के 10 प्रतिशत तक पुरस्कृत किया जाएगा। इस राशि को आपातकालीन मरम्मत और रखरखाव की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्राम स्तर पर एक रिवॉल्विंग फंड के रूप में रखा जाएगा और समय के साथ सेवा प्रदायगी शुल्क और स्थानीय समुदाय से योगदान के माध्यम से उसे फिर से भर दिया जाएगा। हालांकि, जिन मामलों में सामुदायिक अंशदान प्राप्त नहीं हुआ है, उन मामलों में प्रोत्साहन निधि का यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

3.3.12. राष्ट्रीय जल जीवन कोश (आरजेजेके)

भारत की सुरक्षित पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के तहत, विभिन्न व्यक्तियों, कॉर्पोरेट एवं औद्योगिक संस्थानों, साथ ही परोपकारी संगठनों द्वारा ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु योगदान किया जाता है। ऐसे योगदानों को प्रभावी रूप से सुगम बनाने एवं प्रबंधित करने के लिए, राष्ट्रीय जल जीवन कोष (RJJK) की स्थापना एनजेजेएम (NJJM) के अंतर्गत की गई है।

3.3.13. लेखा-परीक्षण

i. सोसायटी के मामले में, एसडब्ल्यूएसएम यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म द्वारा खातों का ऑडिट किया जाए। ऑडिट को कार्यान्वयन एजेंसी के खातों के साथ सुलह विवरण और इसकी सटीकता हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित किया जाएगा;

ii. ग्राम पंचायत और/ या इसकी स्थायी समिति, अर्थात वीडब्ल्यूएससी के खातों का संचालन और प्रबंधन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा;

iii. डीडब्ल्यूएसएम यह सुनिश्चित करेगा कि सामुदायिक अंशदान, प्रोत्साहन राशि आदि प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा बनाए जा

रहे प्रत्येक खाते/ बहीखाते का हर वित्त वर्ष में ऑडिट किया जाए;

iv. ग्राम पंचायतों या इसके स्थायी समिति के खातों की साथ-साथ लेखा परीक्षा सेवानिवृत्त स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारियों की मदद से नियमित रूप से की जानी चाहिए;

v. जेजेएम के संबंध में राज्यों से लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए एक प्रारूप **अनुबंध-VII** के रूप में संलग्न किया गया है। चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा ऑडिट के अलावा, इस मिशन के तहत किए गए कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) और जल शक्ति मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षा विंग (आईएडब्ल्यू) द्वारा ऑडिट के अध्यधीन होंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाने वाली लेखा परीक्षा में वित्तीय लेखा परीक्षा के अलावा किए गए कार्य की गुणवत्ता के पहलुओं को शामिल किया जा सकता है;

vi. यदि किसी अप्रत्याशित कारण से महालेखाकार/ सीए से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो धनराशि के रिलीज को रोका नहीं जाएगा, यदि राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश प्रअभिशासन विलंब के लिए विशिष्ट कारण प्रदान करने में सक्षम है और महालेखाकार/ सीए के कार्यालय से इसे प्रस्तुत करने के लिए वचनबद्ध होता है तथा तो धनराशि जारी होने में बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। यदि एजी/ सीए की रिपोर्ट में कुछ विसंगतियों/ कमियों की सूचना मिलती है, तो उन्हें बाद में जारी की जाने वाली धनराशि/ राज्य द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से समायोजित किया जाएगा।

3.3.14. विभाग स्तर की गतिविधियां

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) में विभाग स्तर की गतिविधियों में एसपीएम-निवास से संबंधित प्रशासनिक और पूंजीगत व्यय शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं है; इनमें राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाइयों और अन्य पेशेवर सेवाओं की नियुक्ति; निगरानी और मूल्यांकन, जिसमें तृतीय-पक्ष कार्यशीलता और प्रभाव आंकलन; सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और क्षमता निर्माण पहल; अनुसंधान और विकास (अनुसंधान एवं विकास); मानव संसाधन विकास (एचआरडी); कम्प्यूटरीकरण और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस); आईटी प्रणाली और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास; उत्कृष्टता केंद्रों और प्रोफेसर चेयर की स्थापना और समर्थन; जल सेवा अध्ययन और कौशल विकास पहल; जेजेएम के तहत जनभागीदारी का संचार और प्रचार; राष्ट्रीय सततता और जलवायु अनुकूलन ढांचे का विकास; जिला तकनीकी इकाई (डीटीयू) ढांचे के रोलआउट के लिए सहायता; लागत प्रभावी संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन, जीवनचक्र लागत और निवारक रखरखाव ढांचे को मजबूत करना; सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रदर्शनियों और नीति संवादों का आयोजन; और बहुपक्षीय और द्विपक्षीय भागीदारों और अन्य प्रशासनिक व्यय के साथ भारत के जेजेएम से संबंधित अनुभव को साझा करने सहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान का आदान-प्रदान भी शामिल हैं।

3.3.15. अस्वीकृत व्यय

अस्वीकृत व्ययों की सुझाव सूची में निम्न शामिल हैं:

i. जमीन, वाहन आदि की खरीद पर व्यय;

ii. प्रतिशत शुल्क का भुगतान;

iii. इमारतों, कार्यालयों, सम्मेलन कक्षों, गेस्ट हाउसों या आवासीय भवनों का निर्माण, नवीनीकरण, या मरम्मत;

iv. निविदा प्रीमियम;

v. जेजेएम निधियों का राज्य योजनाओं में परिवर्तन;

vi. योजनाओं की अनुमानित या अनुमोदित लागत से अधिक व्यय;

vii. स्थायी कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान;

viii. योजनाओं का संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम);

xi. 55 एलपीसीडी से अधिक सेवा स्तरों का प्रावधान;

x. शहरी/ अन्य क्षेत्रों से संबंधित जल मांग को पूरा करना

*****

अध्याय 3.4

समग्र शासन दृष्टिकोण

जेजेएम 2.0 के अंतर्गत, "समग्र-शासन" दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यनीतिक समन्वय की परिकल्पना की गई है। यह दृष्टिकोण केंद्रीय और राज्य विभागों द्वारा किए जा रहे आवश्यक कार्यों पर आधारित है। साथ ही, यह इस बात को स्वीकार करता है कि सतत और विश्वसनीय पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना एक सामूहिक राष्ट्रीय प्राथमिकता है, जिसके लिए सभी क्षेत्रों में समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। इसका उद्देश्य पेयजल हस्तक्षेप को सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय सततता आदि जैसे व्यापक विकासात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित करना है, जिससे नागरिकों के समग्र कल्याण में योगदान दिया जा सके।

3.4.1. राष्ट्रीय स्तर

राष्ट्रीय स्तर पर, जेजेएम के अंतर्गत प्रभावी पेयजल प्रबंधन में कई मंत्रालयों और विभागों के बीच निरंतर और निर्बाध समन्वय की परिकल्पना की गई है। प्रमुख हितधारकों में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक संस्थान स्रोत सततता और वाटरशेड प्रबंधन से लेकर वित्तपोषण, विकेंद्रीकृत अभिशासन और पर्यावरण विनियमन तक एक पूरक भूमिका निभाता है। इन संस्थाओं के बीच सामंजस्य यह सुनिश्चित करेगा कि नीतियों में सामंजस्य स्थापित किया जाए, वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाए और कार्यान्वयन तंत्र कुशल, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी हो।

इस सामंजस्य को संचालित करने के लिए, जेजेएम 2.0 में राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय, निगरानी और समीक्षा के लिए मजबूत संस्थागत तंत्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है। ये तंत्र नियमित रूप से सूचना साझा करने, संयुक्त योजना बनाने और प्रगति की वास्तविक समय पर नज़र रखने की सुविधा प्रदान करेंगे। समय-समय पर अंतर-मंत्रालयी समीक्षाएँ प्राथमिकताओं के संरेखण को सुनिश्चित करेंगी और जल आपूर्ति योजनाओं की नियोजन और निष्पादन में आवश्यक सुधार को सक्षम बनाएंगी।

जेजेएम 2.0 को रेखांकित करने वाले संरचनात्मक सुधार पहले से ही धारा 2 में विनिर्दिष्ट हैं और सुधार कार्यान्वयन मैट्रिक्स में उपलब्ध हैं, जो इस सामंजस्य ढांचे के लिए आधार प्रदान करते हैं। ये सुधार सेवा प्रदायगी, जल स्रोतों की सततता, मजबूत संचालन और रखरखाव प्रणालियों और सामुदायिक स्वामित्व पर जोर देते हैं। सामंजस्य के लिए प्रमुख क्षेत्रों को **अनुबंध-VIII** के रूप में संलग्न किया गया है, जिनकी समीक्षा करने और राज्य, जिला तथा ग्राम पंचायत स्तरों पर इन्हें कार्यान्वित भी किए जाने की आवश्यकता है।

3.4.2. राज्य स्तर

राज्य स्तर पर, राज्य जल और स्वच्छता मिशन के माध्यम से एक समान अभिसरण ढांचे को संस्थागत बनाया जाएगा। राज्य जल संसाधनों, ग्रामीण विकास, कृषि, पर्यावरण आदि से संबंधित योजनाओं का संरेखण सुनिश्चित करते हुए अंतर-विभागीय समन्वय के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल विकसित करेंगे। परिभाषित भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और समय-सीमा के साथ समर्पित अभिसरण योजनाएं, तैयार की जाएगी और समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी। राज्यों को जेजेएम योजना को राज्य-विशिष्ट प्राथमिकताओं और प्रमुख कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है ताकि प्रभाव को और अधिक गहन बनाया जा सके और प्रयासों के दोहराव से बचा जा सके।

3.4.3. जिला स्तर

जिला स्तर पर, जिला जल और स्वच्छता मिशन सामंजस्य के लिए नोडल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। डीडब्ल्यूएसएम यह सुनिश्चित करने के लिए लाइन विभागों के साथ समन्वय करेगा कि जल आपूर्ति योजनाओं को वाटरशेड विकास, भूजल पुनर्भरण और स्वच्छता उपायों जैसे पूरक हस्तक्षेपों के माध्यम से किया जाए। जिला-स्तरीय कार्यान्वयन योजनाओं में मापन योग्य परिणामों के साथ सामंजस्य घटकों को शामिल किया जाएगा और प्रगति की निगरानी करने और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों को हल करने के लिए डीडब्ल्यूएसएम की नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी।

3.4.4. ग्राम पंचायत स्तर

ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत तथा ग्राम जल और स्वच्छता समितियों और अन्य समितियों सहित इसकी स्थायी समितियों के माध्यम से सामंजस्य का संचालन किया जाएगा। ग्राम पंचायतें पेयजल आपूर्ति योजना को स्थानीय विकास योजनाओं के साथ एकीकृत करेंगी, जिसमें स्रोत स्थायी उपाय, ग्रेवाटर प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी पहल शामिल हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर एक विशिष्ट सुधार कार्यान्वयन कार्यक्रम विकसित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख गतिविधियों, समय-

सीमा और जिम्मेदारियों को रेखांकित किया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि सामंजस्य को जमीनी स्तर पर ठोस परिणामों में परिवर्तित किया जाए और समुदाय जल आपूर्ति प्रणालियों की आयोजना, कार्यान्वयन और ओ एंड एम में सक्रिय भूमिका निभाएं।

अंत में, जेजेएम 2.0 के तहत संपूर्ण सरकार का दृष्टिकोण पृथक कार्यक्रम कार्यान्वयन से एकीकृत और सहयोगी अभिशासन में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। प्रअभिशासन के सभी क्षेत्रों और स्तरों पर सामंजस्य को बढ़ावा देकर, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को विश्वसनीय, सुरक्षित और स्थायी पेयजल सेवाएं प्राप्त हों, साथ ही साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाया जा सके।

जेजेएम 2.0 के तहत, संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यनीतिक सामंजस्य की परिकल्पना की गई है। यह दृष्टिकोण इस तथ्य को स्वीकार करते हुए केंद्रीय या राज्य विभागों के आवश्यक कार्य पर आधारित है कि टिकाऊ और विश्वसनीय पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना एक सामूहिक राष्ट्रीय प्राथमिकता है जिसके लिए सभी क्षेत्रों में समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य पेयजल हस्तक्षेप को सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय सततता आदि जैसे व्यापक विकासात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित करना है, जिससे नागरिकों के समग्र कल्याण में योगदान दिया जा सके।

*****

अध्याय 3.5
कार्यक्रम की निगरानी

सुधार (रिफॉर्म) के उद्देश्य:

- अवसंरचना सृजन, कमीशनिंग, हैंडओवर और हर घर जल प्रमाणन सहित एफएचटीसी ट्रैकिंग से नियोजन कार्यान्वयन संबंधी प्रमुख लक्ष्यों की निगरानी में बदलाव;
- सुजलाम भारत डेटाबेस और सुजल गांव आईडी-आधारित परिसंपत्ति रजिस्ट्री के माध्यम से स्रोत से नल तक ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की संपूर्ण निगरानी;
- गुणवत्ता आश्वासन निगरानी: कार्यान्वयन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए टीपीआईए की प्रभावशीलता की डीडब्ल्यूएसएम द्वारा अनिवार्य निगरानी;
- एसएनए-स्पर्श के माध्यम से प्रगति से जुड़ी वित्तीय निगरानी, योजना-वार व्यय ट्रैकिंग और भुगतान संबंधी स्वचालित समाधान को सक्षम बनाना;
- निरंतर सेवा प्रदायगी संबंधी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए कार्यशीलता और सेवा सुधार नियोजन संबंधी ट्रांजेक्शन और लगभग वास्तविक समय का मूल्यांकन;
- जवाबदेही, परिसंपत्ति प्रबंधन और संचालन संबंधी दक्षता की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय राज्य तथा जिला कमांड और सहायता केंद्रों को संस्थागत बनाना।

3.5.1. परिचय

निगरानी संरचना की योजना सभी प्रशासनिक स्तरों को कार्यक्रम कार्यान्वयन की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा करने तथा योजना शुरू करने, ग्राम पंचायतों को सौंपने, सेवा प्रदायगी निगरानी और संस्थागत निगरानी सहित इंटरएक्टिव डैशबोर्ड, मेरी-पंचायत एप्लीकेशन, जल सेवा आंकलन और सुजलाम भारत पीएम गति-शक्ति परियोजना निगरानी मॉड्यूल ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की कार्यशीलता की समीक्षा करने में सक्षम बनाने की है। एक साथ उपयोग किए जाने पर, ये तंत्र कार्यान्वयन अंतराल की समय पर पहचान करने, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की जाने वाली साक्ष्य-आधारित सुधारात्मक कार्रवाइयों का समर्थन करने और सभी स्तरों पर जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने में सक्षम बनाते हैं।

यह दृष्टिकोण परिणाम-उन्मुख कार्यक्रम प्रबंधन को सुदृढ़ बनाता है जो यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा प्रदायगी बेंचमार्क सुनिश्चित किए गए हैं।

3.5.2. योजना कार्यान्वयन निगरानी

जेजेएम 2.0 के तहत निगरानी बुनियादी ढांचे की प्रगति, वित्तीय उपयोग, सेवा प्रदायगी परिणामों और संस्थागत कार्य-निष्पादन में समाहित पूरक तंत्र के एक एकीकृत सेट के माध्यम से की जाती है।

क. परियोजना निगरानी मॉड्यूल के माध्यम से निगरानी

योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी सुजलाम भारत पर परियोजना निगरानी मॉड्यूल के माध्यम से की जाती है, जो कि खंड 2 में उल्लिखित पीएम गतिशक्ति एप्लिकेशन बुनियादी ढांचे के निर्माण की घटक-वार प्रगति और प्रमुख उपलब्धि को दर्शाता है। यह योजना को पूरा करने, चालू करने और ग्राम पंचायतों या नामित सर्विस यूटिलिटीज़ को योजनाओं को सौंपने को भी रिकॉर्ड करता है । परियोजना निगरानी मॉड्यूल परिसंपत्ति रजिस्ट्री, माइलस्टोन आधारित प्रगति ट्रैकिंग और तृतीय पक्ष के निरीक्षण एजेंसी (टीपीआईए) के अवलोकनों की रिकॉर्डिंग को एकीकृत करेगा। डीडब्ल्यूएसएम मॉड्यूल पर दर्ज टीपीआईए निष्कर्षों की जांच और सुधारात्मक कार्रवाई की शुरुआत सहित प्रगति का सत्यापन, निरीक्षण और समीक्षा सुनिश्चित करेगा।

ख. क्षेत्रीय दौरे के माध्यम से निगरानी

क्षेत्र-स्तरीय सत्यापन तंत्र डिजिटल निगरानी के पूरक हैं और कार्यान्वयन संबंधी प्रगति का स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करते हैं। इसमे शामिल है:

i. राष्ट्रीय टीम द्वारा निरीक्षण, राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञ (एनडब्ल्यूई) का दौरा, केंद्रीय प्रभारी अधिकारी (सीपीओ) का दौरा;

ii. राज्य और जिला प्राधिकारियों द्वारा योजनाओं का संयुक्त निरीक्षण।

टीमें बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, कार्यान्वयन संबंधी प्रगति और तकनीकी मानकों के अनुपालन का आंकलन करती हैं। जेजेएम-आईएमआईएस प्लेटफॉर्म पर एनडब्ल्यूई दौरे, सीपीओ दौरों और योजनाओं के संयुक्त निरीक्षण के लिए समर्पित मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। इन क्षेत्रीय सत्यापन तंत्रों के माध्यम से दर्ज की गई टिप्पणियों को प्रशासनिक निरीक्षण और आवश्यक सुधारात्मक कार्यों के लिए जिला जल और स्वच्छता मिशन तथा राज्य जल और स्वच्छता मिशन को प्रदर्शित किया जाता है। इन टिप्पणियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को भी मॉड्यूल पर अपलोड किया जा सकता है, जिससे अनुपालन की व्यवस्थित ट्रैकिंग सक्षम हो सके। मॉड्यूल आगे निरीक्षण रिपोर्ट, अवलोकन और सहायक दस्तावेजों के डिजिटल भंडार के रूप में कार्य करता है।

ग. डीडब्ल्यूएसएम के माध्यम से कार्यान्वयन की गुणवत्ता की निगरानी

स्कीम कार्यान्वयन के दौरान गुणवत्ता आश्वासन को तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है, जो कार्यों की स्वतंत्र तकनीकी निगरानी करती हैं।

टीपीआईए निर्माण गतिविधियाँ, गुणवत्ता आश्वासन रिकॉर्ड की समीक्षा करना और अनुमोदित तकनीकी मानकों से विचलन की पहचान करने हेतु क्षेत्रीय सत्यापन करता है। सहायक दस्तावेजों और तस्वीरों के साथ उनकी टिप्पणियों को सुजलाम भारत पीएम गतिशक्ति एप्लिकेशन पर परियोजना निगरानी मॉड्यूल पर अपलोड किया गया है।

डीडब्ल्यूएसएम/डीटीयू इन टिप्पणियों की समीक्षा करने और योजना कार्यान्वयन स्तर पर किए गए सुधारात्मक कार्रवाइयों की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। की गई कार्रवाई रिपोर्टों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण गुणवत्ता अथवा तकनीकी अनुपालन में पहचान की गई कमियों को समयबद्ध तरीके से दूर किया जाए। यह टीपीआईए नियुक्ति की प्रभावशीलता का त्रैमासिक आंकलन करने के लिए डीडब्ल्यूएसएम को आधार भी प्रदान करेगा। यह गुणवत्ता आश्वासन प्रोटोकॉल बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण और जेजेएम के तहत बनाए गए बुनियादी ढांचे की सततता सुनिश्चित करता है।

घ. एसएनए-स्पर्श के माध्यम से वित्तीय निगरानी

जेजेएम 2.0 के तहत वित्तीय निगरानी एसएनए-स्पर्श के माध्यम से की जाती है, जो कार्यक्रम व्यय की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग को सक्षम बनाने के लिए जेजेएम-आईएमआईएस, राज्य आईएफएमआईएस, पीएफएमएस और आरबीआई ई-कुबेर प्लेटफॉर्म को एकीकृत करता है।

यह ढांचा भुगतानों की योजना-वार और गतिविधि-वार निगरानी को सक्षम बनाता है और निम्नलिखित सुरक्षा उपाय प्रदान करता है:

i. कार्यक्रम के सभी घटकों में व्यय की वास्तविक समय दृश्यता;

ii. विशेष रूप से एमवीएस और बीडब्ल्यूटी (पीपीपी) के लिए उपलब्धि आधारित भुगतान;

iii. स्वीकृत निधियों और किए गए भुगतानों के बीच स्वत: समाधान;

iv. निर्धारित वित्तीय पैटर्न के अनुपालन की निगरानी

v. व्यय के गलत वर्गीकरण की रोकथाम;

vi. बेहतर पारदर्शिता और लेखापरीक्षा संबंधी तत्परता।

यह प्रगति से जुड़ी वित्तीय निगरानी के माध्यम से वित्तीय अनुशासन को मजबूत करती है और साक्ष्य-आधारित कार्यक्रम प्रबंधन का समर्थन करती है।

3.5.3. सेवा प्रदायगी निगरानी

जेजेएम 2.0 के तहत निगरानी जल सेवा आंकलन (जेएसए), छात्रों (जल सेवा अध्ययन) आदि के माध्यम से समुदाय द्वारा स्वतंत्र ऑडिट के साथ-साथ सुजल गांव एप्लिकेशन के माध्यम से सेवा प्रदायगी परिणामों पर भी केंद्रित है। जल सेवा आंकलन के लिए डेटा जेजेएम आईएमआईएस के पंचायत डैशबोर्ड पर पंचायत सचिवों के माध्यम से या सुजल गांव एप्लिकेशन के माध्यम से डिजिटल रूप से एकत्र किया जाता है और सुजलाम भारत डेटाबेस में लगभग वास्तविक समय में प्रेषित किया जाता है, जिससे जिला और राज्य प्राधिकरण मूल्यांकन निष्कर्षों की तुरंत समीक्षा कर सकते हैं और लक्षित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। व्यापक डिजिटल निगरानी आर्किटेक्चर के साथ जेएसए का एकीकरण यह सुनिश्चित करता है कि सेवा प्रदायगी मूल्यांकन एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक निरंतर फीडबैक लूप है जो ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी स्तर पर जवाबदेही को मजबूत करता है।

3.5.4. संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) चरण के लिए निरंतर निगरानी संरचना की स्थापना

जेजेएम 2.0 ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की संचालन संबंधी निगरानी को मजबूत करने के लिए राज्य और जिला कमांड तथा सहायता केंद्रों की एक संरचित प्रणाली शुरू करता है।

सुजलाम भारत डेटाबेस, जल सेवा प्रदाय निकाय एप्लीकेशनों और अन्य निगरानी प्रणालियों जैसे डिजिटल प्रणालियों से संचालन डेटा जिला और राज्य कमांड तथा सहायता केंद्रों में एकीकृत किया गया है। ये केंद्र संचालन संबंधी मुद्दों की लगभग वास्तविक समय में निगरानी में सहायता करते हैं और सेवा प्रदायगी चुनौतियों के लिए समय पर प्रतिक्रिया की सुविधा प्रदान करते हैं।

क. जिला कमांड और सहायता केंद्र (डीसीएससी)

डीसीएससी डीडब्ल्यूएसएम के तहत जिला स्तर पर ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए संचालन निगरानी केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी से रिपोर्ट किए गए सेवा प्रदायगी मुद्दों के लिए प्रतिक्रिया के पहले बिंदु के रूप में कार्य करता है।

महत्वपूर्ण कार्य:

i. सुजलाम भारत डेटाबेस, सुजल गांव एप्लिकेशन और आईओटी प्रणाली जहां भी उपलब्ध है, का उपयोग करके योजना की कार्यशीलता की लगभग वास्तविक समय की निगरानी;

ii. शिकायतें प्राप्त करना और उन पर नज़र रखना और समय पर उनका समाधान सुनिश्चित करना;

iii. ब्रेकडाउन, लीकेज और अन्य संचालन मुद्दों का समाधान करने के लिए फील्ड इंजीनियरों और ग्राम पंचायत-स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय करना;

iv. जल गुणवत्ता परीक्षण के परिणामों की निगरानी और जहां आवश्यक हो वहां सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करना;

v. त्वरित प्रतिक्रिया के लिए स्पेयर पार्ट्स और ओ एंड एम संसाधनों की सूची तैयार रखना;

vi. राज्य सीएससी को आवधिक संचालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

ख. राज्य कमांड और सहायता केंद्र (एससीएससी)

एससीएससी राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) के तहत कार्य करता है और डीसीएससी से सूचना को समेकित करके राज्य स्तरीय संचालन संबंधी निरीक्षण प्रदान करता है। यह प्रणालीगत मुद्दों की शीघ्र पहचान और समाधान सुनिश्चित करता है तथा जिलों और राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।

महत्वपूर्ण कार्य:

i. राज्य भर में योजना की कार्यशीलता, जल आपूर्ति निरंतरता, जल गुणवत्ता अनुपालन और संचालन एवं रखरखाव संबंधी कार्य-निष्पादन की निगरानी के लिए जिला-स्तरीय डेटा एकत्र करना;

ii. जिला सीएससी की क्षमता से परे से संबंधित शिकायतों और सेवा विफलताओं को दूर करना और तकनीकी या प्रशासनिक सहायता की सुविधा प्रदान करना;

iii. जल गुणवत्ता अलर्ट, शिकायतों और मौसमी व्यवधानों के रुझानों की निगरानी करना और जिलों को अलर्ट जारी करना;

iv. खरीद, रखरखाव टीमों की तैनाती और सेवा प्रदाताओं की निगरानी सहित राज्य-स्तरीय संचालन एवं रखरखाव योजना की देखरेख करना;

v. सुजलाम भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्रीय मंत्रालय को राज्य-स्तरीय कार्य-निष्पादन की रिपोर्ट करना;

vi. राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेगा कि एससीएडीए प्रणालियों का प्रबंधन करने वाले संचालन और रखरखाव ठेकेदार, विशेष रूप से थोक जल अंतरण के लिए, एकीकृत निगरानी को सक्षम बनाने के लिए जिला और राज्य सहायता तथा कमांड केंद्रों के साथ वास्तविक समय कार्यशीलता डेटा साझा करें। इसके अलावा, व्यापक निगरानी की सुविधा और सर्विस यूटिलिटीज़ के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने के लिए फ्लो मीटर, सेंसर और अन्य फील्ड साधनों जैसे संबद्ध साधनों के डेटा को भी सिस्टम में एकीकृत किया जाएगा।

ग. राष्ट्रीय कमांड और सहायता केंद्र (एनसीएससी)

राष्ट्रीय स्तर पर, निगरानी कमांड एवं सहायता केंद्रों के दोनों स्तरों की प्रभावकारिता पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित संकेतक शामिल हैं:

i. तकनीकी सहायता अनुरोधों के लिए प्रतिक्रिया समय;

ii. ग्रामीण स्तर पर जल गुणवत्ता निगरानी, प्रतिक्रिया और उपचारात्मक कार्रवाई;

iii. परिसंपत्ति और इन्वेंट्री प्रबंधन व्यवस्थाएं।

ये संकेतक ग्रामीण जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के प्रबंधन में संस्थागत कार्य-निष्पादन के आंकलन को सक्षम बनाते हैं।

राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर विस्तृत सांकेतिक निगरानी पैरामीटर **अनुबंध -IX** के रूप में संलग्न किया गया है।

*****

अध्याय 3.6

मूल्यांकन और प्रभाव आंकलन

सुधार (रिफॉर्म) के उद्देश्य:

- सेवा संबंधी परिणाम मूल्यांकन में बदलाव: नियमितता, पर्याप्तता, पेयता और सततता;
- जल सेवा आंकलन के माध्यम से समुदाय के नेतृत्व वाला मूल्यांकन: ग्राम सभा में मान्य और सुधार आयोजन के लिए उपयोग;
- स्वतंत्र मूल्यांकन तंत्र: नीति आयोग, इंजीनियरिंग संस्थान (जल सेवा अध्ययन) और सीपीओ आंकलन;
- सीआईआरपी से जुड़ा विभागीय मूल्यांकन: राज्य सुधार संबंधी प्रतिबद्धताओं और योजना कार्य-निष्पादन संबंधी मूल्यांकन।

जेजेएम 2.0 के तहत, निगरानी बुनियादी ढांचे के निर्माण और सेवा प्रदायगी कार्य-निष्पादन की निरंतर निगरानी प्रदान करती है, मूल्यांकन एक संरचित, आवधिक मूल्यांकन प्रदान करता है कि क्या कार्यक्रम वांछित सेवा परिणाम प्रदान कर रहा है अर्थात् क्या ग्रामीण परिवारों को दीर्घकालिक और टिकाऊ आधार पर नियमित, पर्याप्त, पीने योग्य पेयजल प्राप्त हो रहा है। जेजेएम 2.0 के तहत मूल्यांकन ढांचा तीन पूरक स्तंभों में आयोजित किया गया है।

चित्र 21: तीन स्तंभ मूल्यांकन ढांचा जेजेएम 2.0

स्तंभ 1: हितधारक	स्तंभ 2: तृतीय-पक्ष	स्तंभ 3: विभागीय
जीपी/ वीडब्ल्यूएससी/ डीटीयू/ डीडब्ल्यूएसएम/ एसडब्ल्यूएसएम	नीति आयोग, एआईसीटीई, सीपीओ	एनजेजेएम द्वारा आयोजित
• जल सेवा आंकलन • समुदाय के नेतृत्व वाली ग्राम सभा मान्य • चार-स्तरीय सुधार आयोजना • जिला सुधार आयोजनाएं • राज्य सुधार आयोजनाएं	• नीति आयोग-परिणाम मूल्यांकन • जल सेवा अध्ययन - योजना का आंकलन • सीपीओ-आकांक्षी जिले/ ब्लॉक	• मध्यावधि सीआईआरपी मूल्यांकन • वार्षिक भौतिक और वित्तीय प्रगति मूल्यांकन • प्रभाव आंकलन

3.6.1. जल सेवा आंकलन

जल सेवा आंकलन जेजेएम 2.0 के तहत प्राथमिक समुदाय के नेतृत्व वाले मूल्यांकन तंत्र के रूप में कार्य करेगा। यह एक संरचित प्रक्रिया प्रदान करता है जिसके माध्यम से ग्राम पंचायतें और ग्राम जल तथा स्वच्छता समितियां ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की कार्यशीलता, पर्याप्तता, गुणवत्ता अनुपालन, संस्थागत तत्परता और वित्तीय सततता का आंकलन करती हैं। मूल्यांकन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा, ग्राम सभा के माध्यम से मान्य किया जाएगा और पंचायत सचिव द्वारा जेजेएम-आईएमआईएस पंचायत डैशबोर्ड के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद सेवा प्रदायगी अंतराल के तकनीकी समाधान के लिए जिला तकनीकी इकाई के माध्यम से जिला स्तर पर प्रस्तुतियों की समीक्षा की जाएगी। डीटीयू समीक्षा के आधार पर, जिला जल और स्वच्छता मिशन जिला-स्तरीय विश्लेषण करेगा और जिला सुधार नियोजन तैयार करेगा, जबकि राज्य जिले के निष्कर्षों की समीक्षा करेगा और पहचानी गई कमियों और प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाइयों के आधार पर राज्य सुधार नियोजन तैयार करेगा।

मेरी पंचायत मंच के माध्यम से नागरिकों की प्रतिक्रिया को अतिरिक्त रूप से सक्षम किया गया है।

जेएसए शुरू में समय-समय पर या एनजेजेएम द्वारा किए गए घोषणा के आधार पर आयोजित किया जाएगा। अपने प्रारंभिक चरण में, जेएसए को हर घर जल की सूचना प्राप्त ग्राम पंचायतों में संचालित किया जा रहा है। राज्य उत्तरोत्तर सभी ग्राम पंचायतों के लिए कवरेज का विस्तार करेंगे। राज्य एकत्रित जेएसए डेटा के आधार पर वार्षिक कार्यशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे, जो जेजेएम 2.0 के तहत निधि जारी करने के लिए

चित्र 22 : जल सेवा आंकलन: चार-स्तरीय मूल्यांकन और सुधार प्रवाह

टियर 1: जीपी/ गांव	टियर 2: डीटीयू	टियर 3: डीडब्ल्यूएसएम	टियर 4: एसडब्ल्यूएसएम
ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी	जिला तकनीकी इकाई	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन	राज्य जल और स्वच्छता मिशन
• जल आपूर्ति, पर्याप्तता, गुणवत्ता, संचालन और रखरखाव और स्थिरता को कवर करने वाली सेवा का समय-समय पर मूल्यांकन करना • ग्राम सभा में मान्य करना • जेजेएम-आईएमआईएस पर डिजिटल रूप से प्रस्तुत करना	• गांव की प्रस्तुतियों की समीक्षा करना • सेवा व्यवधान के लिए तकनीकी कारणों का समाधान करना • डीडब्ल्यूएसएम विचार के लिए समाधान योग्य टिप्पणियों को रिकॉर्ड करना	• डीटीयू निष्कर्षों की समीक्षा करना • व्यवस्थित मुद्दों पर विचार-विमर्श करना • परिभाषित जिम्मेदारियों के साथ जिला सुधार आयोजना (डीआईपी) तैयार करना	• जिले के निष्कर्षों की समीक्षा करना और उन्हें एकत्रित करना • राज्य सुधार आयोजना (एसआईपी) तैयार करना • नीतिगत दिशा और संसाधन समन्वय प्रदान करना

एक प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतक होगा।

जैसे-जैसे डिजिटल सेवा प्रदायगी प्रणाली मजबूत होगी, जेएसए साक्ष्य-आधारित सामुदायिक सत्यापन को मजबूत करने के लिए आपूर्ति घंटे, जल गुणवत्ता रिकॉर्ड, शिकायत डेटा और सेवा प्रदायगी शुल्क संग्रहण सहित सुजल गांव ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैप्चर किए गए संचालन डेटा का उत्तरोत्तर उपयोग कर सकता है।

3.6.2. तृतीय-पक्ष मूल्यांकन तंत्र

कार्यक्रम के परिणामों का स्वतंत्र मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित तृतीय-पक्ष मूल्यांकन तंत्रों को संस्थागत रूप दिया गया है:

क. नीति आयोग-परिणाम मूल्यांकन

नीति आयोग, अपने विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) के माध्यम से, आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के साथ संरेखित जेजेएम का स्वतंत्र परिणाम मूल्यांकन करेगा।

सेवा प्रदायगी, सततता और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर ध्यान देने के साथ बुनियादी ढांचे के निर्माण से परे कार्यक्रम के परिणामों का आंकलन करने के लिए नीति आयोग के सहयोग से एक व्यापक मूल्यांकन ढांचा विकसित किया जाएगा। इस ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

i. **स्वास्थ्य परिणाम:** जल जनित रोगों में कमी और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार;

ii. **शिक्षा परिणाम:** स्कूल में बेहतर उपस्थिति सुनिश्चित करना और जल संग्रहण का बोझ कम करना;

iii. **महिलाओं की भागीदारी:** वीडब्ल्यूएससी, ओ एंड एम संबंधी भूमिकाओं और जल गुणवत्ता निगरानी में महिलाओं की भागीदारी;

iv. **सेवा प्रदायगी संबंधी नवाचार:** कुशल और कम लागत वाली ओ एंड एम प्रणालियों को अपनाना;

v. **स्थानीय आर्थिक प्रभाव:** स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास, विनिर्माण और आजीविका के अवसर।

ख. इंजीनियरिंग छात्रों द्वारा जल सेवा अध्ययन-योजना का मूल्यांकन

जल सेवा अध्ययन के तहत, इंजीनियरिंग छात्र एआईसीटीई और भाग लेने वाले तकनीकी संस्थानों के सहयोग से फैकल्टी मेंटरशिप के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं का संरचित क्षेत्र मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, संचालन संबंधी कार्य-निष्पादन, जल गुणवत्ता अनुपालन और पारिवारिक स्तर पर सेवा प्रदायगी शामिल होगा। छात्र एक मानक डिजिटल मूल्यांकन प्रारूप का उपयोग करके क्षेत्र का दौरा करेंगे और जिला तथा राज्य अधिकारियों द्वारा समीक्षा के लिए जेजेएम-आईएमआईएस के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

ग. केंद्रीय प्रभारी अधिकारी-आकांक्षी जिलों/ ब्लॉकों में मूल्यांकन

आकांक्षी जिलों/ब्लॉक कार्यक्रम के तहत सौंपे गए केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों (सीपीओ) के रूप में नामित भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र के दौरे के दौरान जेजेएम कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। सेवा प्रदायगी, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और नागरिक संतुष्टि पर टिप्पणियों को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल रिपोर्टिंग मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा।

सीपीओ जेजेएम-आईएमआईएस पर एक डिजिटल मॉड्यूल के माध्यम से प्रस्तुत टिप्पणियों के साथ आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में जेजेएम कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। आगे बढ़ते हुए, सीपीओ रिपोर्टिंग प्रारूप योजना-स्तरीय निगरानी प्रपत्रों से संरचित मूल्यांकन प्रपत्रों में उत्तरोत्तर परिवर्तित होंगे, जो पारिवारिक स्तर पर जल पहुंच, स्वास्थ्य परिणामों और

सामुदायिक सेवा संतुष्टि को कवर करने वाले आकांक्षी जिलों पर जेजेएम के समग्र प्रभाव का आंकलन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। निष्कर्षों को विभागीय मध्यावधि मूल्यांकन में समेकित किया जाएगा।

3.6.3. जल जीवन मिशन का प्रभाव आंकलन

i. जेजेएम 2.0 के तहत प्रभाव मूल्यांकन सुनिश्चित पेयजल आपूर्ति से उत्पन्न होने वाले व्यापक सामाजिक-आर्थिक और विकासात्मक परिणामों को प्राप्त करने के लिए योजना-स्तरीय आउटपुट से भी परे कार्य करेगी। इसे एक आउटपुट-आउटकम-इम्पैक्ट फ्रेमवर्क के रूप में उपयोग किया जाएगा, जो बुनियादी ढांचे के निर्माण को सेवा प्रदायगी, जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास संकेतकों में सुधार से जोड़ेगा। जबकि निगरानी निरंतर निगरानी को सुलभ बनाती है, प्रभाव मूल्यांकन समय-समय पर इस बात का मूल्यांकन करने में सक्षम होगा कि क्या मिशन ग्रामीण परिवारों के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, शिक्षा और आजीविका के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से लाभप्रद हो रहा है। जिला-स्तरीय प्रभाव मूल्यांकन मैट्रिक्स (संकेतक) को **अनुबंध-X** के रूप में संलग्न किया गया है;

ii. जिला जल और स्वच्छता मिशन की समग्र देखरेख में जिला स्तर पर प्रभाव का आंकलन किया जाएगा। प्रत्येक जिला विभागों में डेटा संग्रहण के समन्वय, निष्कर्षों के सत्यापन और जिला प्रभाव आंकलन रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार एक नोडल अधिकारी को नामित करेगा। इन रिपोर्टों को राज्य जल और स्वच्छता मिशन द्वारा राज्य-स्तरीय आंकलन में समेकित किया जाएगा, जिसे डीडीडब्ल्यूएस/ एनजेजेएम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संकलित किया जाएगा। मध्यावधि मूल्यांकन के लिए समय पर समेकन को सक्षम बनाने के लिए राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सितंबर 2027 तक राज्य प्रभाव आंकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। इन आंकलनों के निष्कर्ष जेजेएम 2.0 के मध्यावधि मूल्यांकन में एक महत्वपूर्ण इनपुट बनाएंगे और साक्ष्य-आधारित नीति शोधन और कार्यक्रम को मजबूत करने में सहायता करेंगे;

iii. संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ सामंजस्य के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन किया जाएगा ताकि बेहतर जल पहुंच के क्रॉस-सेक्टोरल परिणामों को प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में, विश्लेषण एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) और स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) जैसी प्रणालियों से संबंधित डेटा पर आधारित हो सकता है ताकि जल जनित बीमारियों, बाल रुग्णता और बेहतर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों के रुझानों की जांच की जा सके। इसी तरह, महिलाओं और बाल विकास के संबंध में, पोषण संकेतकों, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण तथा स्वच्छता के लिए सुरक्षित पानी तक पहुंच में बदलाव को समझने के लिए पोषण ट्रैकर और आंगनवाड़ी रिकॉर्ड जैसे प्लेटफार्मों से अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है;

iv. शिक्षा क्षेत्र में, प्रभाव मूल्यांकन स्कूल में विशेष रूप से लड़कियों की उपस्थिति और स्कूलों में कार्यशील पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार का आंकलन करने के लिए यूडीआईएसई+ और स्कूल-स्तरीय रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध सूचना पर विचार कर सकता है, ग्रामीण विकास क्षेत्र में, वीबी-जी राम जी और एनआरएलएम/ आजीविका जैसे प्लेटफार्मों के डेटा का उपयोग जल तक पहुंच, समय की बचत, आजीविका भागीदारी और जल संरक्षण तथा स्रोत सततता कार्यों के साथ सामंजस्य के माध्यम से कार्यों की जांच करने के लिए किया जा सकता है। इसी तरह, जल शक्ति पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर उपलब्ध डेटा, जिसमें जेजेएम-आईएमआईएस, सुजलाम भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली और केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) जैसी एजेंसियों के डेटाबेस शामिल हैं, का उपयोग प्रणालियों की कार्यशीलता, जल गुणवत्ता अनुपालन और जल स्रोतों की निरंतरता संबंधी क्षमता का आंकलन करने के लिए किया जा सकता है;

v. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और संबंधित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के तहत उपलब्ध डेटासेट, नागरिकों की अवधारणा पर प्राथमिक प्रश्नावली और जमीनी स्तर पर सूचना संग्रहण और रिपोर्टों का लाभ उठाकर सुनिश्चित पेयजल आपूर्ति के प्रावधान के कारण मूल्यांकन के लिए आजीविका सृजन कार्यकलापों पर विचार किया जा सकता है। एनआरएलएम/एसआरएलएम पारिवारिक प्रोफाइलिंग, एसएचजी-स्तरीय आजीविका ट्रैकिंग और संस्थागत डेटा का उपयोग करते हुए, डीडब्ल्यूएसएम विशेष रूप से महिलाओं द्वारा जल संग्रहण में लगने वाले समय में कमी, आजीविका और स्वरोजगार गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि, एसएचजी बैठकों और कौशल विकास कार्यक्रमों में बेहतर उपस्थिति और बेहतर जल पहुंच और कम कठिन परिश्रम के कारण पारिवारिक आय स्रोतों के विविधीकरण जैसे परिणामों की जांच करेगा।

यह मूल्यांकन सामुदायिक स्तर के जल अभिशासन और स्रोत सततता को मजबूत करने में एनआरएलएम/एसआरएलएम रिकॉर्ड में परिलक्षित महिलाओं के समूहों और एसएचजी संस्थानों की भूमिका का मूल्यांकन कर सकता है, जिसमें ग्राम जल और स्वच्छता समितियों में एसएचजी सदस्यों की भागीदारी, संचालन और रखरखाव गतिविधियों में भागीदारी, सेवा प्रदायगी शुल्क संग्रहण, जल गुणवत्ता निगरानी और शिकायत-निवारण तंत्र शामिल हैं। डीडब्ल्यूएसएम द्वारा विश्लेषण किए गए ये संकेतक ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की संस्थागत तत्परता, वित्तीय सततता और सामुदायिक स्वामित्व के आंकलन को सूचित करेंगे;

vi. प्रशासनिक डेटासेट के अलावा, प्रभाव मूल्यांकन में नागरिक-केंद्रित

साक्ष्य, मेरी पंचायत एप्लिकेशन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और अन्य स्थानीय सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया शामिल होगी। इस तरह के इनपुट का उपयोग आपूर्ति की नियमितता और पर्याप्तता, उपयोगकर्ता संतुष्टि, जल संग्रहण में लगने वाले समय में कमी, पानी पर पारिवारिक व्यय में बदलाव और शिकायत निवारण प्रणालियों की प्रभावशीलता जैसे मापदंडों का आंकलन करने के लिए किया जा सकता है। स्थानीय प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, जिले नमूना सर्वेक्षण या केंद्रित अध्ययन के साथ इन्हें समर्थित कर सकते हैं;

vii. समग्र दृष्टिकोण कई डेटा स्रोतों के त्रिकोणीकरण, प्रशासनिक रिकॉर्ड, समुदाय-आधारित आंकलन और क्षेत्रीय डेटा सेट के संयोजन पर आधारित होगा। जिले यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों के डेटा का उचित रूप से सामंजस्य और व्याख्या की जाए। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रभाव मूल्यांकन के निष्कर्षों को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा और इसका उपयोग सेवा सुधार नियोजन तैयार करने, सीआईआरपी के तहत हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देने और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक नीतिगत निर्णय लेने के लिए किया जाएगा।

3.6.4. निष्कर्ष

मिशन के तहत ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति प्रणालियों की कार्यशीलता में सुधार लाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों तथा जीवन की गुणवत्ता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई है। चूंकि कार्यक्रम बुनियादी ढांचे के निर्माण से निरंतर सेवा प्रदायगी में परिवर्तित हो रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि आगे बढ़ने वाले मूल्यांकन वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित तरीके से किए जाएं, साथ ही सार्थक सामुदायिक भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। यह दृष्टिकोण आंकलन की विश्वसनीयता को मजबूत करेगा, जवाबदेही बढ़ाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यक्रम के परिणाम ग्रामीण परिवारों की जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुरूप हो।

*****

विस्तृत सततता मैट्रिक्स

पेयजल सततता मैट्रिक्स:

i. **संस्थागत और सेवा प्रदायगी सततता:** संस्थागत ढांचा और अभिशासन तंत्र जो जल आपूर्ति प्रणालियों को सभी परिवारों में सुनिश्चित सेवा मानक प्रदान करते हुए पेशेवर, जवाबदेह और स्थायी रूप से संचालित करने में सक्षम बनाता है:

क) सभी स्तरों पर जवाबदेही को संस्थागत बनाना: राज्य, जिला, पीआरआई, वीडब्ल्यूएससी/ जीपी और ऑपरेटर;

ख) सेवा प्रदायगी और मानकों का आश्वासन देना।

ii. **स्रोत सततता:** भूजल पुनर्भरण, स्रोत संरक्षण और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के माध्यम से जल स्रोतों की दीर्घकालिक सुरक्षा वर्ष भर पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करती है:

क) जल भूविज्ञान-आधारित योजना, पुनर्भरण संरचनाओं, जल गुणवत्ता निगरानी और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा तंत्र के माध्यम से जल स्रोतों को सुरक्षित करना।

iii. **वित्तीय सततता:** सतत सब्सिडी निर्भरता के बिना, संचालन लागत और रखरखाव को कवर करने के लिए सेवा प्रदायगी शुल्क के माध्यम से पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए जल आपूर्ति योजनाओं की क्षमता:

क) पारदर्शी टैरिफ संरचनाओं की स्थापना करके और राजस्व संग्रहण तंत्र को मजबूत करके वित्तीय सततता सुनिश्चित करना, जबकि अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए जल सेवाओं के आंतरिक मूल्य को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना।

iv. **बुनियादी ढांचे की सततता:** डिजिटल रजिस्ट्रियों के माध्यम से जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे की परिसंपत्तियों का व्यवस्थित प्रबंधन, निवारक रखरखाव अनुसूची, जीवनचक्र लागत और कार्य-निष्पादन ट्रैकिंग दीर्घकालिक परिसंपत्ति में जीवन और संचालन दक्षता सुनिश्चित करता है:

क) परिसंपत्ति और इन्वेंट्री प्रबंधन रजिस्ट्री, ओ एंड एम, निवारक रखरखाव और जीवनचक्र लागत के माध्यम से दीर्घकालिक परिसंपत्ति प्रबंधन को मजबूत करना।

सततता मैट्रिक्स के पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करना:

i. **डिजिटल सिस्टम:** ग्रामीण जल सेवाओं की आयोजना, निगरानी और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए राज्यों को एकीकृत डिजिटल प्रणालियों को उत्तरोत्तर अपनाना होगा। जीआईएस आधारित परिसंपत्ति रजिस्ट्रियों, सेवा क्षेत्र पहचानकर्ताओं, डैशबोर्ड और निर्णय समर्थन साधनों का विकास परिसंपत्ति दृश्यता को बढ़ा सकता है, सूचित निर्णय लेने में सहायता कर सकता है, जल गुणवत्ता निगरानी में सुधार ला सकता है और सभी स्तरों पर पारदर्शी सेवा प्रदायगी को सक्षम बना सकता है;

ii. **अभिशासन:** राज्यों को संस्थागत भूमिकाओं को स्पष्ट करके, विभागों के बीच समन्वय बढ़ाकर तथा जल नीतियों को सततता सिद्धांतों के साथ संरेखित करके अभिशासन संरचनाओं को मजबूत करना होगा। स्थानीय संस्थानों का सशक्तिकरण, स्रोत संरक्षण के लिए नियामक तंत्र को बढ़ावा देना और परिसंपत्ति प्रबंधन और ओ एंड एम व्यवस्थाओं के मानकीकरण से लचीली सेवा प्रदायगी और दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा का समर्थन किया जा सकता है;

iii. **सामुदायिक स्वामित्व:** राज्य ग्राम पंचायतों, ग्राम संस्थानों और स्थानीय युवाओं को ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों के प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाकर अधिक सामुदायिक स्वामित्व को प्रोत्साहित करेंगे। संरचित क्षमता निर्माण कार्यक्रम, स्पष्ट संचालन प्रक्रियाएं, जल स्रोतों का स्थानीय प्रबंधन और सामुदायिक सहभागिता पहल परिसंपत्ति के स्वामित्व और टिकाऊ संचालन को बढ़ावा दे सकती हैं;

iv. **नागरिकों की प्रतिक्रिया:** राज्यों को फीडबैक और शिकायत निवारण तंत्र को संस्थागत बनाकर नागरिक केंद्रित सेवा आश्वासन को मजबूत करना होगा। नियमित कार्यशीलता मूल्यांकन, पारदर्शी टैरिफ संचार, सेवा कार्य-निष्पादन रेटिंग, आपूर्ति सूचना प्रणाली और संरचित कमीशनिंग और हैंडओवर प्रक्रियाएं जवाबदेही में सुधार ला सकती हैं, विश्वास को बढ़ा सकती हैं और निरंतर सेवा सुधार का समर्थन कर सकती हैं।

अनुबंध-II

ग्रामीण जल आपूर्ति योजना को चालू करने के लिए जांच सूची

क्र. सं.	गतिविधि/ बिंदु	विवरण/ सत्यापन बिंदु	स्थिति (✓/✗/ टिप्पणियां)
क. दस्तावेज़ीकरण और कमीशनिंग से पहले की तैयारी			
1.	ऐज बिल्ट ड्राइंग	सभी घटकों (सेवन, पंपिंग स्टेशन, पाइपलाइन, भंडारण टैंक, शोधन इकाइयों, संवितरण नेटवर्क, विद्युत लेआउट) के लिए निर्मित चित्रों की सत्यापित उपलब्धता और सटीकता।	
2.	डिजाइन अनुपालन निरीक्षण	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित डिजाइन विनिर्देशों, तकनीकी मानकों और गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप सभी अवसंरचना घटकों का निरीक्षण किया गया।	
3.	घटक-वार निरीक्षण	पाइपलाइन, पंप, वाल्व, भंडारण टैंक, शोधन इकाइयों, मीटर, विद्युत पैनल और नियंत्रण प्रणाली (सभी सिविल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन कार्य) का स्थापना संबंधी पूर्णता और कारीगरी के लिए सत्यापन किया गया।	
4.	दृश्य दोष की जांच	दोषों, लीक, अधूरे कार्यों, जंग लगने, क्षति या गलत संरेखण के लिए दृश्य निरीक्षण।	
ख. तकनीकी सत्यापन परीक्षण			
1.	हाइड्रोस्टेटिक दबाव परीक्षण	डिजाइन दबाव में पाइपलाइन की मजबूती की पुष्टि करने के लिए मानक प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित किया जाता है। परिणाम दर्ज किए जाते हैं।	
2.	नल कनेक्शन का परीक्षण रिसाव	सभी पारिवारिक नल कनेक्शनों की रिसाव या अनुचित फिटिंग के लिए जाँच की गई।	
3.	फ्लशिंग और कीटाणुशोधन	सभी पाइपलाइनों, भंडारण टैंकों और शोधन इकाइयों को अनुमोदित प्रक्रियाओं (जैसे, क्लोरीनीकरण) का उपयोग करके फ्लश और कीटाणुरहित किया गया।	
4.	प्रवाह और क्षमता परीक्षण	हाइड्रोलिक कार्य-निष्पादन, प्रवाह दर और डिजाइन मूल्यों के विरूद्ध पूरे नेटवर्क में दबाव को सत्यापित करने के लिए आयोजित किया जाता है।	
5.	जल गुणवत्ता परीक्षण	स्रोत, शोधन संयंत्र आउटलेट, संवितरण बिंदुओं और पारिवारिक नलों पर रासायनिक और बैक्टीरियोलॉजिकल विश्लेषण किया जाता है।	
6.	अवशिष्ट क्लोरीन परीक्षण (आरसीएल)	अवशिष्ट क्लोरीन का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर स्तर (0.2-0.5 मिलीग्राम/लीटर) कई बिंदुओं पर मापा जाता है।	
ग. इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ऑटोमेशन सिस्टम			
1.	पंप और मोटर परीक्षण	सभी पंपों और मोटरों का कार्याशीलता संबंधी परीक्षण; वोल्टेज, करंट, कंपन, संरेखण और शोर के स्तर की जाँच करना।	
2.	वाल्व और नियंत्रण उपकरण परीक्षण	लोड स्थितियों के तहत वाल्व ऑपरेशन (आइसोलेशन, एयर रिलीज, स्काउर) और नियंत्रण प्रणालियों का सत्यापन।	
3.	स्वचालन/ स्काडा परीक्षण	स्वचालन प्रणाली, सेंसर और दूरस्थ निगरानी (जहां लागू हो) का कार्याशीलता संबंधी सत्यापन।	
4.	मीटर और सेंसर का अंशांकन	फ्लो मीटर, दबाव गेज, क्लोरीन विश्लेषक और सेंसर कैलिब्रेटेड और प्रमाणित।	
5.	कंट्रोल सिस्टम सेटिंग	संचालन पैरामीटर (समय, प्रवाह दर, अलार्म, प्रक्रिया संबंधी कार्य) डिजाइन आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं।	

क्र. सं.	गतिविधि/बिंदु	विवरण/सत्यापन बिंदु	स्थिति (✓/✗/ टिप्पणियाँ)
घ. संचालन सत्यापन			
1.	ट्रायल रन	सततता और कार्य-निष्पादन को मान्य करने के लिए पूरी प्रणाली कम से कम 15 दिनों तक लगातार संचालित होती है।	
2.	ट्रायल रन के दौरान निगरानी	जल प्रवाह, दबाव सततता, पंप कार्य-निष्पादन और जल गुणवत्ता का निरंतर अवलोकन।	
3.	समस्या की पहचान और सुधार	किसी भी संचालन संबंधी समस्याओं (दबाव में गिरावट, विफलताएं, जल गुणवत्ता के मुद्दे) को प्रलेखित और सुधारा गया।	
ङ. हैंडओवर और सामुदायिक तैयारी			
1.	संयुक्त निरीक्षण	इंजीनियरों, ठेकेदार, जीपी/वीडब्ल्यूएससी प्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्यों के साथ आयोजित; संयुक्त निरीक्षण नोट पर हस्ताक्षर किए गए।	
2.	आईईसी और जागरूकता गतिविधियां	जल सुरक्षा, आरसीएल महत्व और प्रणाली के उपयोग पर समुदाय को शिक्षित करने के लिए आईईसी गतिविधियां आयोजित की गईं।	
च. दस्तावेज़ीकरण और ज्ञान साझाकरण			
1.	कमीशनिंग रिपोर्ट	परीक्षण के परिणामों, टिप्पणियों और सिफारिशों सहित व्यापक रिपोर्ट तैयार की गई है।	
2	ओ एंड एम मैनुअल और प्रशिक्षण	ऑपरेशन मैनुअल, समस्या निवारण संबंधी मार्गदर्शन और रखरखाव कार्यक्रम सौंप दिए गए; जीपी/वीडब्ल्यूएससी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।	

सुजलाम शक्ति समूह

सुरक्षित, विश्वसनीय और टिकाऊ ग्रामीण जल सेवाओं का समर्थन करने के लिए ग्राम स्तरीय स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी, पीएसीएस, आदि) सहित वीडब्ल्यूएससी द्वारा सहबद्ध किए गए समुदाय-आधारित संगठनों को सुजलाम शक्ति समूह के रूप में संदर्भित किया जाएगा। इससे इन समूहों को जल जीवन मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सहायता मिलेगी तथा उन्हें मिशन के क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। राज्य इन समूहों के लिए संचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी कर सकते हैं। ये ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की दीर्घकालिक कार्यशीलता और स्थिरता के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक सहायता प्रणाली होगी। इस अभिसरण ढांचे के तहत, चिन्हित समूहों को ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी के साथ समन्वय में संरचित भूमिकाएं निभाने के लिए उन्मुख और प्रशिक्षित किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:

i. **ग्रामीण जल आपूर्ति की बुनियादी अवधारणाओं को लागू करना;**

ii. **ग्राम/ ग्राम पंचायत स्तर पर प्रासंगिक डब्ल्यूक्यूएम एंड एस गतिविधियों को शुरू करना, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके पेयजल गुणवत्ता परीक्षण करना और क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर आदि का उपयोग करके बुनियादी जल कीटाणुशोधन करना शामिल है:**

क. **जल गुणवत्ता परीक्षण और रिपोर्टिंग:** एफटीके का उपयोग करके पेयजल स्रोतों और पारिवारिक जल आपूर्ति का समय-समय पर परीक्षण करना और समय पर कार्रवाई के लिए निर्दिष्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर परिणामों की रिपोर्ट करना;

ख. **उपचारात्मक कार्रवाई सहायता:** संदूषण या सेवा व्यवधान के मामले में त्वरित उपचारात्मक उपायों के लिए वीडब्ल्यूएससी, ग्राम पंचायतों और तकनीकी पदाधिकारियों के साथ समन्वय करना;

ग. **सामुदायिक निगरानी:** पेयजल स्रोतों और बुनियादी ढांचे को संदूषण, दुरुपयोग या क्षति से बचाने के लिए ग्राम स्तर की सतर्कता का समर्थन करना और सुरक्षित जल प्रबंधन व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना।

iii. **जल सेवा शुल्क संग्रहण एवं सामुदायिक सहभागिता में सहयोग प्रदान करना।:**

क. **सेवा प्रदायगी शुल्क के लिए जागरूकता और सुविधा:** सेवा प्रदायगी शुल्क के समय पर भुगतान और स्थायी संचालन एवं ओ एंड एम, आईईसी और बीसीसी गतिविधियों आदि के लिए जिम्मेदारपूर्ण जल उपयोग के लिए जागरूकता और लामबंदी;

ख. **सेवा प्रदायगी शुल्क का संग्रहण:** जहां ग्राम पंचायत/ वीडब्ल्यूएससी द्वारा अधिकृत किया जाता है, एसएचजी डिजिटल या रसीद-आधारित प्रणालियों के माध्यम से पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से सेवा प्रदायगी शुल्क और रखरखाव योगदान के संग्रहण का समर्थन कर सकते हैं.

iv. **कार्यस्थल पर शिकायत निवारण सहित डिजिटल, वित्तीय, संचार कौशल और ग्राहक सेवा का उपयोग करना;**

v. **स्रोत संदूषण की रोकथाम को कार्यान्वित करना और क्षेत्रीय जल सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करना:**

क. **स्रोत स्थिरता:** वीबी-जी राम जी तथा अन्य स्थानीय कार्यक्रमों के साथ अभिसरण के माध्यम से जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण एवं स्रोत संरक्षण हेतु सामुदायिक सहभागिता और जन-संगठन को प्रोत्साहित करना।।

कौशल विकास और स्थानीय संचालन एवं रखरखाव सहायता

इस घटक में ग्राम स्तर पर मामूली संचालन और रखरखाव गतिविधियों का समर्थन करने के लिए सुजलाम शक्ति समूहों का सुनियोजित कौशल विकास शामिल हो सकता है। उपयुक्त प्रशिक्षण और संसाधन सहायता प्रणालियों के माध्यम से, चयनित एसएचजी सदस्यों को निम्नलिखित में प्रशिक्षित किया जा सकता है :

i. जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे जैसे ओवरहेड टैंक, पंप हाउस और आसपास की सफाई और रखरखाव;

ii. वीडब्ल्यूएससी/ डीटीयू की देखरेख में मामूली मरम्मत और निवारक रखरखाव गतिविधियों के लिए सहायता;

iii. कार्यशीलता संबंधी समस्याओं का रिकॉर्ड रखना और उसकी रिपोर्टिंग करना;

iv. ग्राम स्तर की जल प्रणाली प्रबंधन के लिए सहायता सेवाएं।

क्लस्टर-आधारित प्रशिक्षण प्लेटफार्मों और संसाधन वृद्धि तंत्र आदि का उपयोग समय-समय पर क्षमता निर्माण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण (रिफ्रेशर प्रशिक्षण) और प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के एक समूह (पूल) के निर्माण के लिए किया जा सकता है। यह न केवल जल आपूर्ति प्रणालियों की सततता को मजबूत करेगा बल्कि एसएचजी सदस्यों के लिए स्थानीय आजीविका के अवसर भी पैदा करेगा।

वित्तीय प्रोत्साहन ढांचा

निरंतर सहभागिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश एक उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र तैयार कर सकते हैं। इसमें जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए सेवा-आधारित प्रोत्साहन, सेवा प्रदायगी शुल्क संग्रहण की सुविधा, छोटी ओ एंड एम गतिविधियों के लिए समर्थन और कार्यशीलता, जल गुणवत्ता अनुपालन और सामुदायिक भागीदारी संकेतक के आधार पर कार्य-निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन शामिल हो सकते हैं।

यह अभिसरण एक प्रशिक्षित, समुदाय आधारित सशक्त महिलाओं के नेतृत्व वाले स्थानीय संस्थानों के निर्माण को सक्षम करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और विश्वसनीय पेयजल सेवाओं का सतत संवितरण सुनिश्चित करेगा।

*****

उन योजनाओं की सांकेतिक सूची जिनके तहत गांवों की सततता में सुधार लाने के लिए गतिविधि/ निधि अभिसरण को प्राथमिकता दी जा सकती है

क्र. सं.	योजना/ अनुदान	केंद्र/ राज्य सरकार	घटक जिन्हें परिवर्तित किया जा सकता है
1.	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी)	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय	ग्रेवाटर प्रबंधन सोख्ता गड्ढे (व्यक्तिगत/ सामुदायिक), व्यक्तिगत किचन गार्डन, अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब आदि।
2.	वित्त आयोग अनुदान (15वें और 16वें वित्त आयोग अनुदान)	पंचायती राज	ग्रेवाटर प्रबंधन, जल निकासी प्रणाली आदि।
3.	विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (वीबी-जी राम जी)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	अभिचिन्हित ब्लॉकों में पुनर्भरण संरचनाओं, चेक डैम, परकोलेशन टैंकों का निर्माण, जल निकायों की डेसिल्टिंग, जल संरक्षण कार्य करना।
4.	एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/ आरडब्ल्यूएच/ कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का सृजन/ संवर्धन आदि।
5.	अटल भूजल योजना (चुनिंदा राज्यों में)	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग	प्रोत्साहन घटक से भूजल संरक्षण कार्य-सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से विशेष रूप से चुनिंदा उत्तर-पश्चिमी राज्यों में स्थायी भूजल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना।
6.	जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल निकायों की बहाली।
7.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय	वाटरशेड से संबंधित कार्य।
8.	जल शक्ति अभियान: कैच द रेन एंड अमृत सरोवर मिशन	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग	वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल संकट वाले 256 जिलों में हस्तक्षेप करने का लक्ष्य रखा गया है। पानी की उपलब्धता और पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक जिले में जल निकायों का कायाकल्प करना।
9.	डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0, भूमि संसाधन विभाग	ग्रामीण विकास मंत्रालय	नीति आयोग 2018 की सिफारिशों के अनुसार, स्प्रिंग शेड के कायाकल्प को एक नई गतिविधि के रूप में शामिल किया गया है।

दक्षता और क्षमता निर्माण क्षेत्र-समुदाय स्तर

कार्यात्मक भूमिका	प्रमुख हितधारक	अपेक्षित योग्यता	क्षमता निर्माण क्षेत्र	अपेक्षित परिणाम
बुनियादी ढांचा ओ एंड एम और परिसंपत्ति प्रबंधन	• जीपी/वीडब्ल्यूएससी • जीपी कार्यकर्ता • ऑपरेटर्स • एसएचजी/पैक्स • ग्राम पंचायत सचिव • सरपंच	• योजना के घटकों, नियमित संचालन एवं अनुरक्षण, निवारक रखरखाव, परिसंपत्ति ट्रैकिंग और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की समझ।	• निवारक रखरखाव प्रोटोकॉल। • परिचालन ऊर्जा दक्षता परिपाटियां। • मामूली मरम्मत ओ एंड एम रजिस्टरों का रखरखाव। • परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव • डिजिटल एसेट मैपिंग • बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के उपाय।	• ग्रामीण जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे की बेहतर विश्वसनीयता, दक्षता और संरक्षण।
जल गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वास्थ्य	• जीपी/वीडब्ल्यूएससी • एसएचजी • एडब्ल्यूडब्ल्यू • आशा	• जल गुणवत्ता मानकों, परीक्षण प्रक्रियाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधों की समझ।	• एफटीके उपयोग और रिपोर्टिंग। • स्वच्छता निरीक्षण। • रोग जल संबंधों के बारे में जागरूकता। • सुरक्षित जल भंडारण परिपाटियां। • हाथ धोने का बढ़ावा देना। • डायरिया की रोकथाम के लिए जागरूकता। • स्कूल और आंगनवाड़ी जल सुरक्षा।	• सुरक्षित पेयजल, बेहतर स्वच्छता व्यवहार और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई।
वित्तीय अभिशासन और जवाबदेही	• जीपी/वीडब्ल्यूएससी • जीपी • सरपंच • जीपी सदस्य • एसएचजी	• सेवा प्रदायगी प्रभार प्रणालियों, वित्तीय रिकॉर्ड का प्रबंधन करने और संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने की योग्यता।	• सेवा प्रदायगी शुल्क सेटिंग • संग्रह तंत्र • ओ एंड एम लागत अनुमान • बहीखाता और वित्तीय रिकॉर्ड ग्राम पंचायत वित्तीय प्रणालियों/वित्त आयोग निधियों के साथ एकीकरण ग्राम सभा रिपोर्टिंग। • जल सेवा आकलन/कार्यशीलता मूल्यांकन। • सेवा स्तर बेंचमार्क। • निधि उपयोग की निगरानी।	• पारदर्शी अभिशासन और जवाबदेही के साथ वित्तीय रूप से सुदृढ़ योजनाएं

कार्यात्मक भूमिका	प्रमुख हितधारक	अपेक्षित योग्यता	क्षमता निर्माण क्षेत्र	अपेक्षित परिणाम
सामुदायिक नेतृत्व, सहभागिता और शिकायत निवारण	• सरपंच • एसएचजी • जीपी/वीडब्ल्यूएससी • जीपी	• समुदायों की सहभागिता, भागीदारी को बढ़ावा देने और नागरिकों की प्रतिक्रिया का समाधान करने की योग्यता।	• नेतृत्व और सुविधा कौशल। • ग्राम सभा की सहभागिता। • सहभागी उपकरण (पीआरए/ जनभागीदारी)। • लैंगिक समावेशी अभिशासन। • मांग प्रबंधन। • संघर्ष का समाधान। • प्रतिक्रिया तंत्र। • शिकायत ट्रैकिंग। • उच्च स्तर पर संज्ञान में लाने संबंधी प्रोटोकॉल। • नागरिक इंटरफ़ेस सिस्टम।	• अधिक सामुदायिक स्वामित्व और उत्तरदायी सेवा प्रदायगी।
डिजिटल उपकरण और स्रोत सततता	• ग्राम पंचायत सचिव • जीपी/वीडब्ल्यूएससी • सरपंच • एसएचजी समुदाय के नेता	• डिजिटल निगरानी प्रणालियों का उपयोग करने और स्थायी जल संसाधन प्रबंधन की योजना बनाने की योग्यता।	• सुजलाम भारत प्लेटफॉर्म का उपयोग। • जल सेवा आंकलन। • आईएमआईएस और डैशबोर्ड। • निर्णय लेने के लिए डेटा की व्याख्या। • उपज और मांग का आंकलन। • मौसमी जल जोखिम योजना। • पुनर्भरण के उपाय • ग्रेवाटर प्रबंधन।	• डेटा-संचालित अभिशासन और दीर्घकालिक जल सुरक्षा।

दक्षता और क्षमता निर्माण क्षेत्र-जिला स्तर

कार्यात्मक भूमिका	प्रमुख हितधारक	अपेक्षित योग्यता	क्षमता निर्माण क्षेत्र	अपेक्षित परिणाम
ओ एंड एम प्रणाली को मजबूत करना	• कार्यकारी अभियंता, • डीटीयू • डीडब्ल्यूएसएम	• जिला-व्यापी ओ एंड एम प्रणाली को डिजाइन, मॉनिटर और अनुकूलित करने की योग्यता	• सेवा सुधार की तैयारी • जल सेवा आंकलन डेटा से बनाई गई योजना • निवारक ओ एंड एम प्रोटोकॉल • परिसंपत्ति जीवनचक्र प्रबंधन • ऊर्जा दक्षता	• ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों का कुशल और विश्वसनीय संचालन
जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण	• लैब कार्मिक • डीटीयू • कार्यकारी अभियंता	• जोखिम-आधारित जल गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने की योग्यता	• डब्ल्यूक्यूएमएंडएस प्रणाली • प्रयोगशाला गुणवत्ता आश्वासन और मान्यता • जल सुरक्षा योजना (डब्ल्यूएसपी) कार्यान्वयन • फ्लोराइड/ आर्सेनिक हॉटस्पॉट प्रबंधन • जल गुणवत्ता निगरानी प्रोटोकॉल	• जल गुणवत्ता मानकों का अनुपालन
वित्तीय और अनुबंध प्रबंधन	• डीडब्ल्यूएसएम अधिकारी • कार्यकारी अभियंता	• ओ एंड एम वित्त और पेशेवर अनुबंधों का प्रबंधन करने की योग्यता	• निविदा और एएमसी अनुबंध डिजाइन • कार्य-निष्पादन-आधारित अनुबंध • तृतीय-पक्ष निगरानी तंत्र • वित्तीय जोखिम मूल्यांकन	• बेहतर वित्तीय अनुशासन और सुव्यवस्थित अनुबंध प्रबंधन
डेटा और कार्य-निष्पादन की निगरानी	• डीडब्ल्यूएसएम • डीटीयू • एमआईएस कार्मिक	• योजना की निगरानी और सुधार के लिए डेटा विश्लेषण का उपयोग करने की योग्यता	• केपीआई-आधारित योजना की निगरानी • आईएमआईएस के माध्यम से डिजिटल रिपोर्टिंग • ऊर्जा और जल लेखा परीक्षा • योजनाओं में कार्य-निष्पादन बेंचमार्किंग • डेटा सत्यापन प्रोटोकॉल	• बढ़ी हुई डेटा सटीकता और सूचित कार्य-निष्पादन-संचालित निर्णय लेना

कार्यात्मक भूमिका	प्रमुख हितधारक	अपेक्षित योग्यता	क्षमता निर्माण क्षेत्र	अपेक्षित परिणाम
जलवायु और अवसंरचना अनुकूलता	• डीडब्ल्यूएसएम • डीटीयू	• अवसंरचना की योजना में जलवायु अनुकूलता को एकीकृत करने की योग्यता।	• स्रोत सततता और पुनर्भरण के उपाय। • ग्रेवाटर प्रणाली एकीकरण। • सूखा और बाढ़ अनुकूलता योजना। • भेद्यता मानचित्रण।	• बेहतर जलवायु अनुकूल योजना बनाना और अवसंरचना की तैयारी।
सामुदायिक इंटरफेस और शिकायत निवारण	• डीडब्ल्यूएसएम • डीटीयू	• जिला स्तरीय सेवा जवाबदेही और निरीक्षण सुनिश्चित करने की योग्यता	• सेवा स्तरीय संचार रूपरेखा • नागरिक शिकायत को उच्च स्तर पर संज्ञान में लाने की प्रणाली • सहभागी निरीक्षण तंत्र	• अधिक सेवा जवाबदेही और बेहतर नागरिक सहभागिता
संरचनात्मक सुधार और उपयोगिता-आधारित सेवा प्रदायगी	• डीडब्ल्यूएसएम • डीटीयू	• स्थायी और जवाबदेह ग्रामीण जल सेवा प्रदायगी के लिए संरचनात्मक सुधारों को संचालित करने की योग्यता।	• सुजलाम भारत डिजिटल आर्किटेक्चर और यूनिक स्कीम आईडी का कार्यान्वयन। • सेवा मूल्यांकन और सुधार नियोजन के लिए जल सेवा आकलन। • ग्राम पंचायतों/ वीडब्ल्यूएससी के लिए जल सेवा प्रदाय निकाय आधारित सेवा प्रदायगी ढांचा। • लघु जल सेवा प्रदाय निकायों के रूप में वीडब्ल्यूएससी/ ग्राम पंचायतों का संस्थागत सुदृढ़ीकरण। • डिजिटल परिसंपत्ति रजिस्ट्री और सेवा बेंचमार्किंग।	• बेहतर पारदर्शिता, कार्य-निष्पादन निगरानी और सततता के साथ संस्थागत और जवाबदेही ग्रामीण जल सेवा प्रदायगी प्रणाली।

लेखा परीक्षक का अवलोकन

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ____________________

अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन का नाम: ____________________

क्र. सं.	मुद्दे	लेखा परीक्षक का अवलोकन
1.	प्राप्तियों और भुगतान खातों का अथ शेष और अंतिम शेष कैश बुक के साथ मिलान करता है।	
2.	अथ शेष पिछले वर्ष के अंतिम शेष के साथ मिलान के अनुरूप है।	
3.	क्या अनुदानग्राही या अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों ने मौजूदा दिशानिर्देशों के उल्लंघन में इस अवधि के दौरान निधियों को एक योजना से दूसरी केन्द्रीय योजना अथवा राज्य द्वारा वित्तपोषित योजना में अंतरित/ अंतर-स्थानांतरित किया है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।	
4.	क्या वर्ष के दौरान अनुदानग्राही या अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों का कोई दुरुपयोग/ असंबंधित व्यय और दुर्विनियोजन किया गया है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।	
5.	इस योजना के लिए केवल निर्धारित संख्या में बैंक खाते हैं।	
6.	वर्ष के दौरान किसी भी स्तर पर कोई ऋण शेष नहीं होता है।	
7.	मंत्रालय द्वारा निधि जारी करते समय स्वीकृति आदेश में निर्धारित की गई शर्तों का पालन किया गया है अथवा नहीं।	
8.	योजना निधि केवल बचत खाते में रखी जा रही है।	
9.	अर्जित ब्याज को योजना निधि में जोड़ दिया गया है।	
10.	क्या ब्याज राशि का उपयोग कार्यक्रम के प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है, जैसा कि मौजूदा दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है।	
11.	कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार देय राज्यांश वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ है अथवा नहीं।	
12.	सभी रसीदों/ रिफंड का सही हिसाब रखा गया है और योजना के बैंक खाते में भेज दिया गया है।	
13.	योजना निधियां राज्य के कोषागार में नहीं रखी जा रही हैं।	
14.	बैंकों से नियमित रूप से परामर्श लिया जा रहा है।	
15.	पिछले लेखा परीक्षक का नाम और पता।	

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर)

पूरा नाम ____________________

कार्यालय की मुहर ____________________

सदस्यता सं. ____________________

संपर्क नंबर. ____________________

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पैनल में शामिल संख्या और वर्ष ____________________

अभिशरण के प्रमुख क्षेत्र

मंत्रालय/ विभाग/ संगठन	अभिशरण का प्रमुख क्षेत्र	अभिशरण के तहत गतिविधियां
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प	स्रोत सततता	• झरनों और भूजल स्रोतों का मानचित्रण, संरक्षण और कायाकल्प • स्रोत योजना और प्राथमिकता के लिए जीआईएस और निर्णय समर्थन/ सहायता प्रणाली (डीएसएस) का उपयोग • सीजीडब्ल्यूबी के माध्यम से भूजल मूल्यांकन, निगरानी, जलभृत मानचित्रण और तनाव न्यूनीकरण के लिए तकनीकी सहायता • सीडब्ल्यूसी के माध्यम से सतही जल संसाधनों के सतत विकास और कुशल प्रबंधन के लिए सहायता
ग्रामीण विकास	क्षमता निर्माण, रोजगार सृजन, परिसंपत्ति सृजन और संरक्षण कार्य	• पेयजल सुरक्षा, स्रोत सततता, भूजल पुनर्भरण, जल संरक्षण और ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यों के लिए वीबी-जी राम जी फंड का अभिसरण; इसमें ग्रेवाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और ओ एंड एम रोजगार शामिल हैं। • दिशा समिति की बैठकों के माध्यम से निगरानी और मूल्यांकन। • आरएसईटीआई बुनियादी ढांचे का उपयोग करके जल संवितरण संचालक प्रमाणन के माध्यम से नल जल मित्र कार्यक्रम के तहत ओ एंड एम के लिए प्रशिक्षण और कौशल। • ओ एंड एम सहायता, जल परीक्षण, सेवा प्रदायगी शुल्क संग्रह, मामूली मरम्मत और जागरूकता के लिए एसएचजी और सामुदायिक कैडर (एसआरएलएम के माध्यम से) की सहभागिता। • पुनर्भरण, संरक्षण और वाटरशेड कार्यों के माध्यम से स्थानीय जल स्रोतों के संवर्धन के लिए आईडब्ल्यूएमपी का उपयोग। • विशेष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों में वाटरशेड और स्रोत सततता हस्तक्षेपों के लिए वित्त आयोग के सशर्त अनुदान और डीएमएफ संसाधनों का उपयोग। • राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एसआईआरडी) के माध्यम से क्षमता निर्माण।
ग्रामीण विकास कौशल विकास और उद्यमिता	कौशल और स्थानीय रोजगार	• पीएमकेवीवाई के तहत गांव अवस्थित ओ एंड एम, गांव से बाहर अवस्थित ओ एंड एम जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए कार्मिकों कौशल विकास

मंत्रालय/ विभाग/ संगठन	अभिसरण का प्रमुख क्षेत्र	अभिसरण के तहत गतिविधियां
पंचायती राज	स्थानीय अभिशासन और संचालन एवं रखरखाव सततता	• जीपीडीपी में पेयजल संचालन और रखरखाव, स्रोत संरक्षण और जल सुरक्षा का संस्थागतकरण। • उपयुक्त कानूनी और संस्थागत प्रावधानों के माध्यम से ग्राम पंचायत/वीडब्ल्यूएससी का सशक्तिकरण। • पारदर्शिता, फीडबैक और ग्राम पंचायत को मजबूत करने के लिए मेरी पंचायत ऐप और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का उपयोग। • जल आपूर्ति योजनाओं के लिए प्रमाणित ऑपरेटरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • ऑपरेटरों के प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए समर्थन। • पेयजल आपूर्ति के संचालन और रखरखाव के लिए वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग।
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन	पर्यावरण सुरक्षा उपाय और जलवायु अनुकूलन	• पेयजल परियोजनाओं के लिए समय पर वन, वन्यजीव और पर्यावरण मंजूरी की सुविधा। • वनीकरण और संरक्षण उपायों के माध्यम से पेयजल स्रोतों के आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण और कायाकल्प।
सहकारिता	सामूहिक कार्रवाई	• संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस), एलएएमपीएस (बड़े क्षेत्र की बहुउद्देशीय सहकारी समितियां) सहकारी समितियों की भागीदारी।
शिक्षा	जागरूकता और व्यवहार में बदलाव	• स्कूली पाठ्यक्रम में वॉश को शामिल करना; छात्रों को राजदूत के रूप में शामिल करना। • इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए जल आपूर्ति प्रणालियों पर वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत। • डेटा सामंजस्य।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	जन स्वास्थ्य निगरानी	• जल जनित रोगों की निगरानी के लिए ब्लॉक स्तर पर आईडीएसपी डेटा का एकीकरण। • जेजेएम के तहत जल गुणवत्ता हस्तक्षेप के साथ रोग निगरानी को जोड़ने वाला फीडबैक तंत्र। • अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य की स्थिति और WASH (वाश) सेवाओं पर डेटा साझा करना।
महिला एवं बाल विकास	लैंगिक भागीदारी और व्यवहारवादी परिवर्तन	• व्यवहारवादी परिवर्तन को बढ़ावा देने और महिलाओं और बच्चों के लिए परिणामों में सुधार के लिए पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ सामंजस्य। • आंगनवाड़ी केंद्र (आंगनवाड़ी केंद्रों) में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था। • अभिसरण के लिए जेजेएम आईएमआईएस और सुजलाम भारत डेटाबेस में आंगनवाड़ी केंद्रों के आंकड़ों का एकीकरण।
जनजातीय मामले	जनजातीय क्षेत्रों में सततता	• पीएम-जनमन और डीए-जेजीयूए के तहत कवर न की गई आबादी सहित क्षेत्रों में जल आपूर्ति का प्राथमिकता प्रावधान।

मंत्रालय/ विभाग/ संगठन	अभिसरण का प्रमुख क्षेत्र	अभिसरण के तहत गतिविधियां
कृषि	स्रोत सततता	• जल स्रोत सततता की बेहतर योजना और "जल संचय-जन भागीदारी" को बढ़ावा देने के लिए एपीआई के माध्यम से एडब्ल्यूएस और एआरजी डेटा का उपयोग।
जानकारी	व्यवहारवादी परिवर्तन संचार	• जेजेएम के तहत जागरूकता पैदा करने और आउटरीच के लिए आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) से संबंधित गतिविधियां।
आवासन और शहरी कार्य	शहरी-ग्रामीण इंटरफ़ेस	• अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन।
सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन	नियोजन और निगरानी	• ग्रामीण पेयजल योजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन में सहायता के लिए एमपीएलएडी निधियों का लाभ उठाना। • हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देने और प्रगति को ट्रैक करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र स्तर के आंकड़ों का उपयोग। • जेजेएम आईएमआईएस के साथ एमपीएलएडी रिपोर्टिंग का एकीकरण।
कोयला	संसाधन उपयोग और सीएसआर	• कोयला वाले क्षेत्रों में स्रोत सततता और जल गुणवत्ता हस्तक्षेप के लिए समर्थन।
खान	संसाधन अभिसरण	• खनन प्रभावित जिलों में पेयजल आपूर्ति, स्रोत सुदृढ़ीकरण और संचालन एवं रखरखाव के लिए डीएमएफ निधि का उपयोग • डीएमएफ-अधिसूचित क्षेत्रों में जल गुणवत्ता उपशमन और बुनियादी ढांचे में वृद्धि।
पृथ्वी विज्ञान (आईएमडी)	जलवायु और आपदा अनुकूलन/ वर्षा डेटा	• जल स्रोत योजना और पुनर्भरण कार्यनीतियों के लिए वर्षा डेटा (एडब्ल्यूएस के माध्यम से) का प्रावधान और सत्यापन। • जेजेएम योजना और निगरानी प्लेटफार्मों के साथ आईएमडी डेटा का एकीकरण। • जल शक्ति अभियान के साथ संरेखण - पानी की कमी वाले जिलों में जल सुरक्षा के लिए कैच द रेन। • राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा बाढ़-अनुकूल जेजेएम बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देना।
सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	वैधानिक मंजूरी	• राजमार्गों के साथ पानी की पाइपलाइन बिछाने और संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए समय पर मंजूरी की सुविधा।
रेलवे	वैधानिक मंजूरी	• परियोजना के निष्पादन में देरी से बचने के लिए रेलवे की भूमि और पटरियों को पार करने वाली पेयजल पाइपलाइनों के लिए समय पर मंजूरी की सुविधा।
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी)	स्वच्छता एवं ग्रेवाटर प्रबंधन	• सुरक्षित अपशिष्ट जल शोधन सुनिश्चित करने के लिए ग्रेवाटर और मलीय गाद प्रबंधन के लिए एसबीएम-जी चरण II के साथ अभिसरण • तरल कचरे के सुरक्षित संग्रह, शोधन और निपटान, संदूषण को रोकने और नल जल कवरेज को पूरा करने के लिए ओडीएफ प्लस हस्तक्षेपों का एकीकरण

निगरानी फ्रेमवर्क

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/ वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
		खंड 1: संस्थागत अभिशासन और नीतिगत सुधार			
1.1	ओ एंड एम नीति अधिसूचना और सेवा मानक	• राज्यों ने व्यापक संचालन एवं रखरखाव नीति को अधिसूचित किया। • ओ एंड एम नीति की तुलना में मॉडल ओ एंड एम नीति के 19 अभिन्न बिंदु। • सेवा मानक जेजेएम मानकों के अनुरूप हैं।	• संचालन एवं रखरखाव नीति की राजपत्र अधिसूचना जारी की गई • नीतिगत तत्वों जैसे शिकायत निवारण समाधान समय, सेवा मानक ओ एंड एम व्यवस्था, गुणवत्ता मानक, एनआरडब्ल्यू सीमा, ऊर्जा केपीआई आदि की समीक्षा।	• अधिसूचित ओ एंड एम नीति के साथ जिला संचालन का अनुपालन। • सेवा मानकों के साथ जीपी/ वीडब्ल्यूएससी की आवधिक अनुपालन समीक्षा। • ओ एंड एम नीति का पालन करने के लिए ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी की सहायता	• वीडब्ल्यूएससी सदस्यों के बीच ओ एंड एम नीति के बारे में जागरूकता। • न्यूनतम सेवा मानकों (मात्रा, गुणवत्ता, नियमितता) का अनुपालन। • ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड पर सेवा मानकों का प्रदर्शन।
1.2	सतही जल आधारित योजनाओं के लिए पेयजल आवंटन	• सतही जल आधारित स्कीमों के लिए पेयजल आवंटन के लिए नीति रखने वाले राज्यों की संख्या 1000 है। • जेजेएम पोर्टल पर आवंटन आदेशों की ट्रैकिंग।	• राज्य सरकार राज्य नीति के तहत पेयजल आवंटन के लिए आदेश देती है।	• जिला सतह आधारित योजनाओं में जल आवंटन आदेशों का कार्यान्वयन। • आवंटन बनाम वास्तविक उपयोग की निगरानी।	• ग्राम स्तर पर जल आवंटन मानदंडों के बारे में जागरूकता।
1.3	लोक सेवा गारंटी अधिनियम/नागरिक चार्टर में पेयजल सेवाओं को शामिल करना	• पेयजल सेवाओं को शामिल करते हुए संशोधित लोक सेवा गारंटी अधिनियम (पीएसजीए)/ नागरिक चार्टर वाले राज्यों की संख्या को कवर किया गया है। • जेजेएम डैशबोर्ड पर अपलोड की गई राजपत्र अधिसूचनाओं की समीक्षा	• पीएसजीए/सिटीजन चार्टर में पेयजल सेवाओं को शामिल करने के लिए राज्य सरकार की राजपत्र अधिसूचना। • पेयजल सेवा मानकों के लिए नागरिक पात्रता सुनिश्चित करने वाले संशोधित प्रावधान।	• जिले की सभी ग्राम पंचायतों में पीएसजीए/ नागरिक चार्टर प्रावधानों का प्रसार। • सेवा बहाली के लिए समय-सीमा की निगरानी। • शिकायत को उच्च स्तर पर संज्ञान में लाना पीएसजीए प्रावधानों से जुड़ा हुआ है।	• ग्राम पंचायत कार्यालय में नागरिक चार्टर/ पीएसजीए प्रावधानों का प्रदर्शन। • नागरिकों को पात्रता और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूक होना चाहिए।

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/ वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
			• दस्तावेज को जेजेएम पोर्टल/ राज्य पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।		• अधिनियम के तहत शिकायतों का पता लगाया जाना चाहिए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनका समाधान किया जाना चाहिए।
1.4	जिला तकनीकी इकाइयों (डीटीयू) की स्थापना	• जेजेएम पोर्टल पर परिचालनात्मक डीटीयू वाले जिलों की सूचना दी गई। • राज्यों में डीटीयू प्रभावशीलता की समीक्षा।	• कर्मचारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ सभी जिलों के लिए डीटीयू स्थापना आदेश। • स्टाफिंग स्थिति: नामित नोडल अधिकारी, इंजीनियर। • डीटीयू डीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड से जुड़ी हुई है	• डीटीयू ने पूर्ण स्टाफ के साथ उनकी भूमिकाओं/जिम्मेदारियों के अनुसार काम करना शुरू कर दिया गया है। • डीटीयू जीपीएस/ वीडब्ल्यूएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। • परिसंपत्ति रजिस्टर डीटीयू द्वारा बनाए और अद्यतन किए जाते हैं।	• ओ एंड एम मुद्दों के लिए डीटीयू तकनीकी सहायता तक पहुंच। • डीडब्ल्यूएसएम के माध्यम से तकनीकी शिकायतें डीटीयू तक पहुंच गई। • डीटीयू निरीक्षण रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई।
1.5	ग्राम पंचायत की वैधानिक स्थायी समिति के रूप में वीडब्ल्यूएससी	• वीडब्ल्यूएससी को ग्राम पंचायतों की सांविधिक स्थायी समिति के रूप में मान्यता देने अधिसूचित करने वाले राज्यों की संख्या। • जेजेएम पोर्टल पर राजपत्र अधिसूचनाओं की ट्रैकिंग। • गांवों में गठित वीडब्ल्यूएससी की संख्या।	• राज्य सरकार राजपत्र अधिसूचना और संशोधित पीआर अधिनियम के प्रावधान। • जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार वीडब्ल्यूएससी की संरचना सुनिश्चित करें। • गांवों में गठित वीडब्ल्यूएससी की संख्या।	• जिले में गठित वीडब्ल्यूएससी/जीपी डब्ल्यूएससी के साथ ग्राम पंचायत का %। • वीडब्ल्यूएससी के गठन के प्रस्तावों को जेजेएम पोर्टल पर अपलोड किया गया। • संरचना सत्यापित (महिलाएं >50%, एडब्ल्यूडब्ल्यू, एएनएम/आशा, एसएचजी)। • गांवों में गठित वीडब्ल्यूएससी की संख्या।	• वीडब्ल्यूएससी का गठन किया गया और यह निर्धारित संरचना के साथ कार्यशील है। • वीडब्ल्यूएससी प्रस्ताव पारित और अपलोड किया गया। • वीडब्ल्यूएससी नियमित बैठकें आयोजित कर रही है और जेजेएम डैशबोर्ड पर कार्यवृत्त अपलोड कर रही है।

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
खंड 2: सेवा जल सेवा प्रदाय निकाय ढांचा (लघु और वृहद जल सेवा प्रदाय निकाय)					
2.1	राज्य/ क्षेत्रीय वृहद जल सेवा प्रदाय निकाय (पैरास्टेटल बॉडी) का गठन	• अधिसूचित राज्य/ क्षेत्रीय वृहद जल सेवा प्रदाय निकायों वाले राज्यों की संख्या में वृद्धि की गई है। • एससीएससी से वृहद जल सेवा प्रदाय निकायों एंड एम कार्य-निष्पादन डेटा की समीक्षा।	• राज्य राजपत्र अधिसूचना जिसमें गांव के बाहर के बुनियादी ढांचे के लिए पैरास्टेटल वृहद जल सेवा प्रदाय निकाय बनाने की घोषणा की गई है। • नियोजित बीडब्ल्यूएस और उच्च एमबीएस वाले राज्यों के लिए लागू। • जेजेएम पोर्टल पर वृहद जल सेवा प्रदाय निकाय निर्माण का आदेश अपलोड किया गया है। • क्या पर्याप्त अभिशासन संरचना, वित्तपोषण और क्षमता समर्थन प्रदान किया गया है। • कार्यों और परिसंपत्ति अंतरण का स्पष्ट चित्रण। • लागत वसूली, टैरिफ नीति, सब्सिडी को परिभाषित किया गया है।	• जिला स्तरीय संचालन और रखरखाव सहायता के लिए वृहद जल सेवा प्रदाय निकाय के साथ समन्वय। • गांवों में बल्क जल आपूर्ति की निरंतरता का ट्रैकिंग और मूल्यांकन।	• व्यवस्थित निगरानी और डीडब्ल्यूएसएम/ डीसीएससी को खराब बल्क जल आपूर्ति की रिपोर्टिंग।
2.2	वृहद जल सेवा प्रदाय निकाय (पैरास्टेटल निकाय) की कार्य-निष्पादन संबंधी बेंचमार्किंग	• राज्यों की संख्या ने वृहद जल सेवा प्रदाय निकाय निष्पादन के लिए बेंचमार्क दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं। • वृहद जल सेवा प्रदाय निकाय ओ एंड एम दक्षता के लिए राष्ट्रीय बेंचमार्क राज्यों को सूचित किए गए।	• वृहद जल सेवा प्रदाय निकाय के लिए कार्य-निष्पादन बेंचमार्क दिशा निर्देशों की राज्य अधिसूचना • दिशानिर्देश राज्य/एसडब्ल्यूएसए-म डैशबोर्ड पर अपलोड किए गए हैं। • केपीआई परिभाषित: एनआरडब्ल्यू, ऊर्जा दक्षता,सेवा निरंतरता,	• अधिसूचित बेंचमार्कों के आधार पर वृहद जल सेवा प्रदाय इकाई कार्य-निष्पादन की जिला निगरानी। • एसडब्ल्यूएसएम के लिए बेंचमार्क गैर-अनुपालन को उच्च स्तर पर संज्ञान में लाना। • गांव के बाहर योजना के कार्य-निष्पादन की	• बल्क आपूर्ति सेवा-स्तरीय विचलन (प्रवाह, दबाव, घंटे) की रिपोर्टिंग और मैक्रो पर डीडब्ल्यूएसएम को प्रतिक्रिया का स्थापित चैनल। जल सेवा प्रदाय निकाय जवाबदेही • अंतर-ग्राम वितरण प्रदर्शन डेटा रिकॉर्ड

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
			वित्तीय दक्षता, थोक आपूर्ति विश्वसनीयता, थोक आपूर्ति के लिए शिकायत से निपटना, यदि कोई हो। • समय-समय पर एनजेजेएम को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। • गैर-अनुपालन में सुधार के लिए एसओपी • दोषी जल सेवा प्रदाय निकायों के लिए कार्यनीतिक सुधार आयोजना।	समीक्षा के लिए वृहद जल सेवा प्रदाय निकाय के साथ समन्वय। • नियोजित रुकावट और/ या कार्यक्रम में व्यवधान के लिए लघु जल सेवा प्रदाय निकाय के संबंध में अग्रिम सूचना को रिकॉर्ड किया गया। • आपातकालीन शटडाउन/ सेवा बंद करने के लिए लघु जल सेवा प्रदाय निकाय के संबंध में सूचना को रिकॉर्ड किया गया।	
2.3	इन-विलेज ओ एंड एम के लिए लघु जल सेवा प्रदाय निकाय (वीडब्ल्यूएससी) का संस्थागतकरण	• अधिसूचित लघु जल सेवा प्रदाय निकायों के साथ हर घर जल गांव का %। • राज्य/जिला अधिसूचनाओं और ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों की समीक्षा।	• लघु जल सेवा प्रदाय निकाय के रूप में वीडब्ल्यूएससी/ जीपीडब्ल्यूएससी की राज्य/ जिला अधिसूचना। • गांव में डीडब्ल्यू आपूर्ति सेवाओं के लिए रूपरेखा अपनाई गई।	• लघु जल सेवा प्रदाय निकाय के लिए जिला अधिसूचना; लघु जल सेवा प्रदाय निकाय स्थिति के साथ जीपी का %। • प्रस्ताव पास करने और लघु जल सेवा प्रदाय निकाय के लिए जीपी को समर्थन।	• लघु जल सेवा प्रदाय निकाय रूपरेखा को अपनाते हुए ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित किया गया। • वीडब्ल्यूएससी को परिभाषित भूमिका के साथ लघु जल सेवा प्रदाय निकाय के रूप में नामित किया गया है।
2.4	लघु जल सेवा प्रदाय निकायों की कार्य-निष्पादन बेंचमार्किंग और ओ एंड एम अनुबंधों के लिए त्रिपक्षीय समझौते	• लघु जल सेवा प्रदाय निकाय कार्य-निष्पादन के लिए डीटीयू के अधिसूचित बेंचमार्क दिशानिर्देशों की संख्या है। • राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में बैंचमार्क की गई लघु जल सेवा प्रदाय निकायों का %। • राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बेंचमार्किंग रूपरेखा को अपनाना।	• लघु जल सेवा प्रदाय निकायों के लिए बेंचमार्क दिशानिर्देशों के लिए डीटीयू को राज्य अधिसूचना/ मार्गदर्शन। • त्रिपक्षीय समझौते के अनुपालन की राज्य-स्तरीय निगरानी जहां ओ एंड एम को आउटसोर्स किया जाता है।	• वीडब्ल्यूएससी के लिए कार्य-निष्पादन बेंचमार्क दिशानिर्देशों की डीटीयू अधिसूचना। • यदि ओ एंड एम को गांव के लिए अनुबंध किया जाता है, तो त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं: जिला + एजेंसी/ पैरास्टेटल + जीपी। • बेंचमार्क के मुकाबले गांव के संचालन और रखरखाव के कार्य-	• वीडब्ल्यूएससी कार्य-निष्पादन बेंचमार्क के बारे में जागरूक है। • त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और ओ एंड एम को आउटसोर्स करने पर ग्राम पंचायत में उपलब्ध है। • सुजल पर गांव के ओ एंड एम कार्य-निष्पादन डेटा की नियमित रिपोर्टिंग। • गोवा जल सेवा प्रदाय अनुप्रयोग।

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
				निष्पादन की निगरानी। • हस्ताक्षरी त्रिपक्षीय समझौतों वाली ग्राम पंचायतों का % जहां ओ एंड एम को आउटसोर्स किया गया है।	• शिकायत निवारण दक्षता-निवारण की गई शिकायतों का % और इसके लिए प्रतिबद्ध समय-सीमा के पालन का %।
खंड 3: योजना कार्यान्वयन, तकनीकी अनुपालन और गुणवत्ता					
3.1	प्रोटोकॉल को चालू करना और सौंपना (जल अर्पण)	• प्रमाणित 15-दिवसीय ट्रायल रन के साथ राज्यों में चालू की गई योजनाओं की संख्या। • राज्यों में औपचारिक रूप से जीपीएस/वीडब्ल्यूएससी (जल अर्पण) को सौंपी गई स्कीमों की संख्या 100 है। • राज्य कार्य- प्रणाली संचालन अनुपालना रिपोर्टों की समीक्षा।	• अपनाए गए प्रोटोकॉल को चालू करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजपत्र अधिसूचना। • कार्य चालू करने संबंधी रिपोर्ट (4-चरण समाचन) जेजेएम पोर्टल पर अपलोड की गई। • सेवा सुधार नियोजन (एसआईपी) तैयार की गई है जहां कमियों की पहचान की गई है।	• परीक्षण अनुपालन के साथ शुरू की गई जिलों में प्रतिशत योजनाएं। • डीसी/डीएम और तकनीकी अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। • दस्तावेज़ सौंपने की पुष्टि की गई और अपलोड किया गया।	• 15-दिवसीय ट्रायल रन में जीपी/वीडब्ल्यूएससी की भागीदारी प्रमाणित है। • जल अर्पण के दौरान औपचारिक रूप से सौंपने संबंधी स्वीकृति • ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड किए गए बने हुए चित्र • जल बंधन/जल संकल्प प्रतिज्ञा आयोजित की गई।
3.2	डीडब्ल्यूएसएम द्वारा त्रैमासिक टीपीआईए प्रभावशीलता समीक्षा	• राज्यों में टीपीआईए की तैनाती प्रभावशीलता की राष्ट्रीय समीक्षा। • संशोधित टीओआर लागू करने वाले राज्यों की संख्या।	• टीपीआई की प्रभावशीलता की राज्य-स्तरीय समीक्षा; प्रणालीगत मुद्दों का समाधान किया गया। • टीपीआईए टिप्पणियों के खिलाफ एटीआर ट्रैक किए गए। • संशोधित टीपीआईए टीओआर (अनिवार्य तकनीकी परीक्षण + डीसी/डीएम निरीक्षण)।	• त्रैमासिक टीपीआईए प्रभावशीलता समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। • तकनीकी विचलन के लिए एटीआर समाधान दर। • टीपीआईए अवलोकन सहायक फ़ोटो और दस्तावेजीकरण के साथ अपलोड किए गए।	• ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए टीपीआईए के दौरे की सुविधा। • ग्रामीण स्तर पर टीपीआईए टिप्पणियों का अनुपालन। • योजना निरीक्षण के बाद डीडब्ल्यूएसएम को रिपोर्ट करना।

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
3.3	एनजेजेएम एडवाइजरी पर सुधारात्मक कार्रवाई: एनडब्ल्यूई अवलोकन	• जेजेएम पोर्टल पर प्रति माह प्रस्तुत एनडब्ल्यूई रिपोर्टों की संख्या। • राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण (एनडब्ल्यूई) की टिप्पणियों के आधार पर जिलों से प्राप्त एटीआरएस की संख्या। • एनडब्ल्यूई क्षेत्र अवलोकनों से एनजेजेएम द्वारा जारी एडवाइजरी को ट्रैक किया गया।	• एनडब्ल्यूई रिपोर्टों से एनजेजेएम सलाह के आधार पर राज्य/एसडब्ल्यूएसएम द्वारा एडवाइजरी जारी की गई। • एडवाइजरी और एटीआर को डीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड पर अपलोड किया गया है। • एनडब्ल्यूई रिपोर्टों से प्रणालीगत मुद्दों का राज्य स्तर पर समाधान किया गया।	• एनजेजेएम/एसडब्ल्यूएसएम से प्राप्त एडवाइजरी पर समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की गई। • एटीआर को सभी एनडब्ल्यूई अवलोकनों के लिए डीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड पर अपलोड किया गया है। • मासिक: उन एटीआरए की संख्या जो एनडब्ल्यूई टिप्पणियों के विरुद्ध हल की गई है।	• एनडब्ल्यूई टिप्पणियों और एटीआर कार्यों के साथ क्षेत्र-स्तरीय अनुपालन। • एनडब्ल्यूई के दौरों की सुविधा और बुनियादी ढांचे तक पहुंच। • डीडब्ल्यूएसएम द्वारा निर्देशित ग्राम स्तर पर सुधारात्मक उपाय।
3.4	एनजेजेएम एडवाइजरी पर सुधारात्मक कार्रवाई: सीपीओ (नीति आयोग) की टिप्पणियाँ	• जेजेएम पोर्टल पर) प्रस्तुत सीपीओ दौरा रिपोर्टों (त्रैमासिक की संख्या। • सीपीओ टिप्पणियों के आधार पर जिलों से प्राप्त एटीआर की संख्या। • सीपीओ निगरानी प्रभाव-मूल्यांकन रूपों में स्थानांतरित हो रही है और उन्हें ट्रैक किया गया।	• सीपीओ रिपोर्टों से प्राप्त एनजेजेएम एडवाइजरी के आधार पर राज्य/एसडब्ल्यूएसएम द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। • एडवाइजरी और एटीआर को डीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड पर अपलोड किया गया है। • आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों में प्रणालीगत मुद्दों का राज्य-स्तरीय समाधान।	• सीपीओ के दौरे की सुविधा के अनुसार एटीआर प्रस्तुत किया गया। • सभी सीपीओ अवलोकनों का समाधान; हल किए गए एटीआर का %। • सीपीओ दौरे के लिए जेजेएम पोर्टल मॉड्यूल बनाए रखा और अद्यतन किया गया।	• ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए सीपीओ के दौरे की सुविधा। • सीपीओ टिप्पणियों के साथ क्षेत्र-स्तरीय अनुपालन। • डीडब्ल्यूएसएम/एसडब्ल्यूएसएम द्वारा निर्देशित सुधारात्मक उपाय।
3.5	एनजेजेएम एडवाइजरी पर सुधारात्मक कार्रवाई: जल सेवा अध्ययन	• जल जीवन मिशन पोर्टल (द्वि-वार्षिक) पर संकाय के नेतृत्व वाली टीमों द्वारा जल सेवा अध्ययन की रिपोर्ट। • जल सेवा अध्ययन टिप्पणियों के आधार पर जिलों से प्राप्त एटीआर की संख्या में वृद्धि हुई है।	• जल सेवा अध्ययन की एनजेजेएम एडवायजरी के आधार पर राज्य/एसडब्ल्यूएसएम द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। • डीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड पर अपलोड की गई टिप्पणियों के खिलाफ एटीआर। • प्रणालीगत इंजीनियरिंग मूल्यांकन निष्कर्षों पर राज्य स्तर पर कार्रवाई की गई।	• एनजेजेएम/एसडब्ल्यूएसएम की एडवाइजरी पर कार्रवाई की गई; एटीआर अपलोड किए गए (द्वि-वार्षिक)। • योजना मूल्यांकन के लिए एआईसीटीई द्वारा पैनल में शामिल संस्थानों के साथ समन्वय। • जल सेवा अध्ययन टिप्पणियों के आधार पर उन एटीआर का % जिनका समाधान किया गया।	• योजना मूल्यांकन के लिए छात्र टीम के दौरे की सुविधा। • डीडब्ल्यूएसएम द्वारा निर्देशित ग्राम स्तरीय सुधारात्मक उपाय। • जल सेवा अध्ययन डेटा संग्रह में भागीदारी।

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
खंड 4: जल गुणवत्ता अभिशासन और निगरानी					
4.1	समुदाय आधारित डब्ल्यूक्यू परीक्षण और डिजिटल रिपोर्टिंग	• सुजल गांव ऐप के माध्यम से डिजिटल डब्ल्यूक्यू रिपोर्टिंग वाले राज्यों/ग्राम पंचायतों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यूक्यू निगरानी का कवरेज • संदूषण के मामलों और जलजनित बीमारी में रुझान।	• संक्षिप्त हैंडबुक के अनुसार अधिसूचित राज्य डब्ल्यूक्यूएम एंड एस एसओपी • डब्ल्यूक्यू परीक्षण प्रोटोकॉल को अपनाने वाले गांवों का %। • राज्य डैशबोर्ड और सिटीजन कॉर्नर के साथ डब्ल्यूक्यू डेटा का एकीकरण।	• सुजल गांव ऐप के माध्यम से डब्ल्यूक्यू डेटा की पूर्णता और समयबद्धता। • निर्धारित परीक्षण आवृत्ति (संक्षिप्त पुस्तिका के अनुसार) का अनुपालन। • संदूषण का पता लगाने के बाद तकनीकी हस्तक्षेप में लगने वाला समय। • डीटीयू/ डीडब्ल्यूएसएम द्वारा ग्राम पंचायतों को तकनीकी एडवायजरी जारी की गई।	• प्रत्येक गांव, स्कूल और आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रति माह मैलापन और मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन (एफआरसी) के लिए ही जांच किए गए नमूनों की संख्या (अनुपालन संक्षिप्त पुस्तिका के अनुसार किया जाना चाहिए)। • समय पर संसूचित और संवर्धित डब्ल्यूक्यू अलर्ट की संख्या। • स्वच्छता निरीक्षण किया गया; सुधारात्मक कार्रवाई की गई।
4.2	सुजलाम शक्ति समूहों (एसएचजी) का प्रशिक्षण-एफटीके उपयोग के लिए एनएसक्यूएफ एल1 प्रमाणन	• हर घर जल ग्राम पंचायतों/ गांवों में प्रशिक्षित सुजलाम शक्ति समूहों वाले राज्यों की संख्या। • एनएसक्यूएफ एल1 प्रशिक्षण रोलआउट और प्रमाणन रिकॉर्ड की समीक्षा।	• सभी सुजलाम शक्ति समूह (एसएचजी के माध्यम से) हर घर जल ग्राम पंचायतों/ गांवों में प्रशिक्षित। • ई-ग्राम स्वराज/ जीपी डैशबोर्ड पर प्रशिक्षण पूरा करने का रिकॉर्ड। • सुजलाम शक्ति के हिस्से के रूप में एनएसक्यूएफ एल1 स्तर पर प्रति गांव 1-2 महिलाएं प्रमाणित हैं।	• प्रशिक्षित सुजलाम शक्ति समूहों के साथ जिले में प्रतिशत हर घर जल ग्राम पंचायत/ गांव, ई-ग्राम स्वराज पर प्रमाणन रिकॉर्ड का सत्यापन। • राज्य/ जिला अनुसूची के अनुसार पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण की योजना बनाई गई	• ग्राम स्तर पर सुजलाम शक्ति समूह का गठन और प्रशिक्षण। • नियमित परीक्षण के लिए एफटीके का उपयोग करके एनएसक्यूएफ एल1 प्रमाणन वाली 1-1 महिलाएं। • ग्राम सभा में नियमित आधार पर एफटीके का उपयोग का प्रदर्शन किया गया।

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
4.3	आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार सभी प्रयोगशालाओं की जल गुणवत्ता निगरानी और प्रत्यायन/ मान्यता	• राज्यों में प्रत्यायित/ मान्यता-प्राप्त डब्ल्यूक्यू प्रयोगशालाएं (आईएसओ/ आईईसी 17025)। • संक्षिप्त पुस्तिका, प्रयोगशाला कार्य-निष्पादन, उपचार और रोग के प्रकोप में प्रतिक्रिया समय के अनुसार विभिन्न आपूर्ति घटकों पर परीक्षण के अनुपालन के संबंध में राज्य के कार्य-निष्पादन की निगरानी करना।	• बुनियादी ढांचे के परीक्षण की तत्परता और कार्य-निष्पादन की निगरानी की जाएगी, संक्षिप्त पुस्तिका में निर्दिष्ट परीक्षण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। • यह सुनिश्चित करें कि सभी डब्ल्यूक्यू प्रयोगशालाएं प्रत्यायित/ मान्यता प्राप्त हैं; डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर प्रत्यायन प्रमाणपत्र अपलोड करें • प्रत्यायन मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षित प्रयोगशाला कार्मिक। • टीएटी अनुपालन: टी + 1 रासायनिक, टी + 2 जीवाणुविज्ञान। • समग्र जल गुणवत्ता अनुपालन, प्रयोगशाला कार्य-निष्पादन और समय पर उपचारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन की राज्य स्तरीय निगरानी।	• निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी निर्धारित परीक्षणों को पूरा करने को सक्षम बनाने के लिए नमूने समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। • प्रयोगशाला प्रक्रिया अवधि की निगरानी की गई। • जिला क्षेत्राधिकार के तहत सभी प्रयोगशालाओं की निगरानी और गैर-अनुपालन के मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करना। • डब्ल्यूक्यू अलर्ट, बीमारी के प्रकोप की निगरानी करना, की गई उपचारात्मक कार्रवाइयों की निगरानी करना और राज्य में उच्च स्तर पर संज्ञान में लाना।	• स्रोतों, डब्ल्यूटीपीएस, भंडारण संरचनाओं और प्रदायगी बिंदुओं पर जल गुणवत्ता परीक्षण आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करें, जैसा कि संक्षिप्त पुस्तिका में निर्धारित किया गया है। • सेवा प्रदायगी बिंदुओं पर आपूर्ति किए गए जल के ग्राम स्तर के परीक्षण परिणामों को जीपी बोर्ड, सुजलाम भारत पीएम गतिशक्ति ऐप और एसएमएस के माध्यम से सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाएगा। • संदूषण का पता लगाने के बाद तत्काल राहत उपाय किए गए हैं।

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
खंड 5: स्रोत सततता और जल सुरक्षा					
5.1	सभी स्तरों पर स्रोत सततता समितियां (एसएससी)	• जेजेएम आईएमआईएस के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर राज्य, जिला, ग्राम पंचायत स्तर पर गठित एसएससी की संख्या। • राज्य एसएससी टीओआरएस और बैठक कार्यक्रम की समीक्षा।	• परिभाषित टीओआर के साथ एसडब्ल्यूएसएम के तहत गठित राज्य स्तरीय एसएससी। • तीनों स्तरों पर एसएससी के गठन की अधिसूचना। • जिला एसएससी टीओआर और बैठक कार्यक्रमों की समीक्षा।	• परिभाषित टीओआर के साथ डीडब्ल्यूएसएम/ डीटीयू के तहत जिला स्तरीय डीएसएससी का गठन किया गया है। • जिले में गठित ग्राम पंचायत स्तर के वीएसएससीएस की अधिसूचना। • वीएसएससी टीओआर और बैठक कार्यक्रम की समीक्षा	• जीपी/ वीडब्ल्यूएससी-स्तरीय वीएसएससी का गठन टीओआर के साथ किया गया। • स्रोत सुरक्षा गतिविधियां शुरू की गईं। • स्थानीय पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण/ अनुरक्षण।
5.2	स्रोत सततता कार्य योजनाएं (एसएसएपी)	• जेजेएम आईएमआईएस के माध्यम से एसडब्ल्यूएसएम द्वारा अनुमोदित एसएसएपी वाले राज्यों की संख्या कितनी है।	• जिलों में डीएसएसएपी की राज्य स्तरीय समीक्षा। • डीएसएसएपी और डीएसएस डेटा उपयोग की समीक्षा। • एसडब्ल्यूएसएम द्वारा अनुमोदित एसएसएपी प्रस्तुत करना। • डीएसएस उपयोग पर जिलों को मार्गदर्शन (सीजीडब्ल्यूबी, एनआरसी, आईएमडी एनडब्ल्यूआईसी डेटा)।	• जीपी स्तर के एसएसएपी की समीक्षा और जीपीडीपी के साथ एकीकरण। • डीडब्ल्यूएसएम द्वारा अनुमोदित डीएसएसएपी दस्तावेज प्रस्तुत करना। • संवेदनशील स्रोतों और मौसमी जोखिमों की पहचान। • डीएसएसएपी को डीएसएस प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया है। • स्रोत सुरक्षा के लिए वीबी-जी राम-जी, वाटरशेड, एफसी अनुदानों के साथ सामंजस्य।	• जीपी/ वीडब्ल्यूएससी स्तरीय एसएसएपी प्रस्तुत करना और जीपीडीपी के साथ एकीकरण। • स्थानीय स्रोत संरक्षण उपायों का कार्यान्वयन। • डीडब्ल्यूएसएम को स्रोत की कमी/ मौसमी विविधताओं की रिपोर्टिंग।

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
5.3	डीएसएस प्रशिक्षण	• जेजेएम आईएमआईएस के माध्यम से डीएसएस अपनाने के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण योजना। • डीएसएस के उपयोग पर प्रशिक्षित एसडब्ल्यूएसएमएस अधिकारियों की संख्या। • सीजीडब्ल्यूबी, एनआरएससी, आईएमडी, एनडब्ल्यूआईसी और कृषि मंत्रालय के साथ समन्वय।	• डीएसएस अपनाने लेने के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण योजना प्रस्तुत करना। • क्षेत्रीय सीजीडब्ल्यूबी, एनआरएससी, आईएमडी और एसडब्ल्यूआईसी के साथ समन्वय। • डीएसएस के उपयोग पर प्रशिक्षित डीडब्ल्यूएसएम/डीटीयू अधिकारियों की संख्या।	• डीएसएस अपनाने लेने के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण योजना प्रस्तुत करना। • जिले की सभी हर घर जल ग्राम पंचायतों को डीएसएस डैशबोर्ड का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। • जल सुरक्षा योजना के लिए डीएसएस तक सक्रिय रूप से पहुंच बनाने वाले डीटीयू और हर घर जल ग्राम पंचायतों की संख्या। • डीएसएस अग्रिम चेतावनी अलर्ट की समीक्षा की गई और उन पर कार्रवाई की गई। • डीएसएस उपयोग पर प्रशिक्षित जीपीएस/वीडब्ल्यूएससीएस सदस्यों की संख्या।	• डीएसएस के उपयोग पर ग्राम पंचायत/वीडब्ल्यूएससी स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रस्तुत करना। • डीएसएस डेटा का उपयोग गांव के जल बजट और स्रोत योजना के लिए किया जाता है। • डीएसएस आउटपुट का उपयोग करके ग्राम जल सुरक्षा योजनाएं तैयार की गई।
5.4	ग्राम जल बजट: डीएसएस डेटा का उपयोग करने वाली जीपी-स्तरीय योजना	• राज्य स्तरीय जल बजट और जल सुरक्षा योजना। • जल बजट और जीपीडीपी एकीकरण की समीक्षा।	• राज्य स्तरीय जल बजट और जल सुरक्षा योजना। • जिला स्तरीय जल बजट अभ्यास (डीएसएस डेटा का उपयोग करके) और जल सुरक्षा योजना की राज्य-स्तरीय निगरानी। • राज्य डैशबोर्ड के साथ डीएसएस एकीकरण।	• जिला स्तरीय जल बजट और जल सुरक्षा योजना। • ग्राम पंचायत स्तर के जल बजट अभ्यास (डीएसएस डेटा का उपयोग करके) और जल सुरक्षा योजना की जिला स्तरीय निगरानी। • जल सुरक्षा घटकों के लिए जीपीडीपी एकीकरण का सत्यापन। • जीपी डैशबोर्ड पर अपलोड किए गए डब्ल्यूएसपी के साथ ग्राम पंचायतों की संख्या।	• डीएसएस का उपयोग करके ग्राम जल बजट तैयार करना। • जीपीडीपी के साथ वीडब्ल्यूएसपी का एकीकरण • जल बजट दस्तावेज जीपी डैशबोर्ड पर अपलोड किए गए हैं। • ग्रेवाटर प्रबंधन उपायों को अपनाना।

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
			खंड 6: डिजिटल गवर्नेंस – सुजलाम भारत		
6.1	सुजल गांव आईडी और सोर्स-टू-टैप डिजिटल मैपिंग	• सुजलाम भारत प्लेटफॉर्म पर सभी ग्राम पंचायतों के लिए बनाई गई सुजल गांव आईडी की संख्या। • पूर्ण एंड-टू-एंड डिजिटल मैपिंग के साथ सेवा क्षेत्रों का %।	• सुजल गांव आईडी के साथ % योजनाएं निर्दिष्ट की गई और परिसंपत्तियों को जियो-टैग किया गया।	• योजना आईडी लिंकेज सत्यापित किया गया है। • जिला डैशबोर्ड योजना जीवनचक्र निगरानी के साथ सक्रिय।	• सुजल गांव आईडी सौंपी गई और वीडब्ल्यूएससीएस को संवेदनशील बनाया गया। • सुजल गांव आईडी से जुड़ी संचालन एवं रखरखाव गतिविधियों की स्थानीय डेटा प्रविष्टि।
6.2	जीआईएस-आधारित एसेट मैपिंग: सुजलाम भारत प्लेटफॉर्म पर मैप की गई सभी संपत्तियों को सुजलाम भारत पीएम गति शक्ति मोबाइल ऐप पर जियोटैग किया जाएगा।	• सुजलाम भारत प्लेटफॉर्म पर परिसंपत्तियों का % जिसको जियो-टैग और अनुमोदित किया गया है। • पाइपलाइन और परिसंपत्ति मैपिंग के लिए सुजलाम भारत पीएम गतिशक्ति ऐप के साथ जेजेएम-आईएमआईएस के एकीकरण की समीक्षा की गई।	• सुजलाम भारत पर मैप की गई परिसंपत्तियों का % जिसकी राज्य में सुजलाम भारत पीएम गतिशक्ति ऐप पर जियोटैग की गई।	• सुजलाम भारत पर मैप की गई परिसंपत्तियों का प्रतिशत जिन्हें जिले में सुजलाम भारत पीएम गतिशक्ति ऐप पर जियोटैग किया गया है।	• सुजलाम भारत पीएम गतिशक्ति मोबाइल ऐप पर गांव की सभी संपत्तियों को जियो-टैग किया गया। • सुजल गांव आईडी से जुड़े परिसंपत्ति रिकॉर्ड।
6.3	सुजल गांव यूटिलिटी ऐप: ओ एंड एम के लिए मानक कार्यात्मक मंच	• सुजल गांव ऐप के साथ % हर घर जल ग्राम पंचायतों को अपनाया और सक्रिय किया गया। • राष्ट्रीय स्तर पर दैनिक ओ एंड एम कार्यात्मक डेटा की समीक्षा की गई।	• सुजल गांव ऐप को मानक ओ एंड एम प्लेटफॉर्म के रूप में नामित करने वाली राज्य अधिसूचना • दैनिक डेटा प्रविष्टियों के लिए एसओपी; जेजेएम-जेजेएम पोर्टल के साथ एपीआई एकीकरण की पुष्टि की गई है। • सक्रिय दैनिक ओ एंड एम प्रविष्टियों के साथ % वृहद और लघु जल सेवा प्रदाय निकाय	• सुजल गांव ऐप पर दैनिक ओ एंड एम प्रविष्टियों के साथ जिले में ग्राम पंचायत का %। • ऐप पर वीडब्ल्यूएससी सदस्यों की ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण के लिए समर्थन। • कार्यात्मक पूर्णता और नियमितता की समीक्षा।	• सुजल गांव ऐप (आपूर्ति घंटे, शिकायतें, डब्ल्यूक्यू परीक्षण) पर दर्ज किया गया दैनिक ओ एंड एम डेटा • ऐप-आधारित शिकायत लॉगिंग और ट्रैकिंग। • ऐप पर रिकॉर्ड किए गए सेवा प्रदायगी शुल्क संग्रह डेटा।

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
6.4	परियोजना निगरानी मॉड्यूल: सुजलाम भारत पर भौतिक प्रगति	• सुजलाम भारत पीएमएम पर नियमित प्रगति अपडेट के साथ योजनाओं की संख्या।	• योजना-वार प्रगति डेटा को सत्यापित किया गया और जेजेएम पोर्टल पर अपलोड किया गया। • कमीशनिंग और हैंडओवर उपलब्धियों को राज्यव्यापी ट्रैक किया गया।	• घटक-वार अवसंरचना के निर्माण की प्रगति की निगरानी की गई। • उपलब्धि अंतर-निर्भरता को ट्रैक किया गया (कार्य पूरा होना → कमीशनिंग → हैंडओवर)।	• योजना के सत्यापन में भागीदारी। • जल अर्पण से पहले उपलब्धि सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया।
6.5	डीडब्ल्यूएसएम के तहत जिला कमांड और सहायता केंद्र (डीसीएससी)	• स्थापित और परिचालन रूप से सक्रिय डीएससीसीएस की संख्या। • तकनीकी सहायता अनुरोधों के लिए प्रतिक्रिया समय बेंचमार्क किया गया।	• एससीएससी द्वारा डीसीएससी डेटा का समेकन; एसडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड के साथ एपीआई एकीकरण। • एससीएससी के माध्यम से उच्च स्तर पर प्रस्तुत की गई शिकायतों और सेवा विफलताओं का समाधान।	• डीसीएससी स्थापना आदेश; परिचालन स्थिति की पुष्टि की गई। • सुजलाम भारत/सुजल गांव ऐप/आईएलओटी के माध्यम से योजना की कार्यशीलता की वास्तविक समय निगरानी। • नागरिक शिकायतों के लिए शिकायत प्रतिक्रिया तंत्र कार्यरत। • कल-पुर्जों की सूची का अनुरक्षण; एससीएससी को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत।	• मेरी पंचायत ऐप/ई-ग्राम स्वराज के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतें/सवाल। • डीसीएससी को रिपोर्ट की गई ब्रेकडाउन और सेवा बहाली घटनाएं।

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
6.6	एसडब्ल्यूएसएम के तहत राज्य कमांड और सहायता केंद्र (एससीएससी): एनजेजेएम के लिए एपीआई	• एससीएससी से एनजेजेएम में एपीआई-आधारित डेटा ट्रांसफर की पुष्टि की गई।	• एससीएससी स्थापना आदेश; एसडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड के साथ एपीआई एकीकरण। • एससीएससी में एकीकृत शिकायत प्रतिक्रिया तंत्र • राज्य स्तरीय कार्य-निष्पादन की सूचना सुजलाम भारत के माध्यम से मंत्रालय को दी गई है।	• एससीएससी को समय-समय पर परिचालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। • एससीएससी को दिए गए जिला-स्तरीय डेटा का विधिमान्यकरण।	• शिकायत हेतु उच्च स्तरीय तंत्र (जीपी→डीसीएससी →एससीएससी) को समझा और उपयोग किया गया। • एससीएससी से प्रतिक्रिया समय पर फीडबैक।
6.7	नागरिक शिकायत इंटरफ़ेस: मेरी पंचायत ऐप और ई-ग्राम स्वराज को सुजल गांव आईडी से जोड़ा गया	• नागरिक शिकायत निगरानी के लिए राष्ट्रीय ढांचे की समीक्षा की गई। • जेएसए डेटा के माध्यम से नागरिक संतुष्टि का रुझान।	• सुजल गांव आईडी के साथ मेरी पंचायत ऐप के एकीकरण की पुष्टि की गई • राज्य स्तरीय शिकायत संबंधी उच्च स्तरीय तंत्र परिचालन।	• सुजल गांव आईडी से जुड़े सक्रिय नागरिक फीडबैक इंटरफेस के साथ जुड़ी ग्राम पंचायतों का %। • डीसीएससी पर मासिक रूप से प्राप्त और हल की गई शिकायतों की संख्या। • नागरिकों के निवारण के लिए जन सुनवाई/जल चौपाल का आयोजन।	• ग्राम पंचायत में शिकायत रजिस्टर रखा जाता है। • सुजल गांव आईडी से जुड़ी मेरी पंचायत ऐप के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतें। • निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान की गई शिकायतों का %
खण्ड 7: सहभागी अभिशासन, सामुदायिक जुड़ाव और मूल्यांकन					
7.1	सार्वजनिक प्रकटीकरण और सामुदायिक जागरूकता	• कार्यशीलता, जल गुणवत्ता की स्थिति, ओ एंड एम निधि संग्रहण और उपयोग, स्रोत सततता कार्यों और शिकायत तंत्र संबंधी सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणाली (त्रैमासिक) के लिए	• प्रमुख सेवा क्षेत्रों पर सार्वजनिक प्रमुख सेवा क्षेत्रों संबंधी प्रकटीकरण प्रणाली (त्रैमासिक) के लिए तंत्र/प्रणाली कार्यान्वित करने वाले जिलों की संख्या।	• (प्रकटीकरण प्रणाली) प्रमुख सेवा पैरामीटरों प्रमुख सेवा मापदंडों (त्रैमासिक) को प्रदर्शित करने के लिए (प्रकटीकरण प्रणाली) तंत्र/प्रणाली को कार्यान्वित करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या।	• त्रैमासिक स्तर पर निम्नलिखित तिमाही स्तर पर निम्नलिखित सेवाओं हेतु सार्वजनिक प्रकटीकरण तंत्र के लिए तंत्र का निर्माण करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या: • जल गुणवत्ता परीक्षण

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
		तंत्र/प्रणाली संख्या का निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या।			स्थिति। • कार्यशीलता की स्थिति। • शिकायत निवारण डेटा। • ओ एंड एम निधि संग्रहण और उपयोग। • स्रोत सततता कार्य। • सार्वजनिक प्रकटीकरण और इसके महत्व पर आयोजित सामुदायिक मार्गनिदेशनों की संख्या।
7.2	जल उत्सव के माध्यम से नियमित सामुदायिक जुड़ाव को लागू करने वाले राज्यों की संख्या • जल महोत्सव • राज्य जल उत्सव/नदी उत्सव • लोक जल उत्सव	• क्या प्रोटोकॉल (एसओपी) के अनुसार जल महोत्सव के कैलेंडर और विषय तैयार/योजनाबद्ध और आयोजित किए गए हैं। • राज्य जल उत्सव/नदी उत्सव कैलेंडर तैयार करने और कैलेंडर तथा प्रोटोकॉल (एसओपी) के अनुसार आयोजन करने वाले राज्यों की संख्या। • लोक जल उत्सव का कैलेंडर तैयार करने और प्रोटोकॉल (एसओपी) के अनुसार लोक जल उत्सव का आयोजन करने वाले जिलों की संख्या। • जल उत्सव के दौरान आवधिक संचालन और रख-रखाव को	• राज्य जल उत्सव/नदी उत्सव के प्रोटोकॉल (एसओपी) के अनुसार तैयार/योजनाबद्ध तथा आयोजित किए राज्य स्तरीय कैलेंडर और उनके विषय • लोक जल उत्सव का कैलेंडर तैयार करने और प्रोटोकॉल (एसओपी) के अनुसार लोक जल उत्सव का आयोजन करने वाले जिलों की संख्या। • जल उत्सव के दौरान आवधिक संचालन और रखरखाव को संस्थागत रूप देने वाले जिलों की संख्या। • अन्य विभागों के साथ मिलकर आयोजित किए गए राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की संख्या।	• ऐसी ग्राम पंचायतों/गांवों की संख्या जिन्होंने लोक जल उत्सव का कैलेंडर तैयार किया और प्रोटोकॉल (एसओपी) के अनुसार लोक जल उत्सव का आयोजन किया। • जल उत्सव के दौरान हर घर जल घोषित ग्राम पंचायतों की संख्या। • जल उत्सव के दौरान संचालन और रखरखाव की समीक्षा करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या। • जिला स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से जल आंकलन डेटा और सेवा सुधार नियोजन को साझा करना। • अन्य विभागों के साथ	• जल उत्सव के दौरान नियोजित और आयोजित जल अर्पण की संख्या। • भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर आयोजित वीडब्ल्यूएससी के मार्गनिदेशन। • ग्राम पंचायत/वीडब्ल्यूएस सी द्वारा ट्रांसेक्ट वॉक और ग्राम सभा/जल चौपाल के माध्यम से आयोजित प्रगतिशील योजना आंकलन/समीक्षा। • जेजेएम अनुमोदित लोगो और आईईसी संदेशों के साथ सभी संपत्तियों का सौंदर्यीकरण और पेंटिंग। • जल बंधन, जल शपथ के संबंध में आयोजित की गई गतिविधियां।

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
		संस्थागत रूप देने वाले राज्यों की संख्या। • जल उत्सव पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों की संख्या।		किए गए राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की संख्या।	• जल/जल संरक्षण के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए आयोजित जागरूकता सृजन (डिजिटल सहित) सत्रों की संख्या। • अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित किए गए व्यक्तियों की संख्या। • तैयार किए गए लोक जल उत्सव कैलेंडर।
7.3	जल अर्पण (समुदाय के नेतृत्व में कार्यभार सौंपना)	• जल अर्पण का वार्षिक कैलेंडर तैयार और योजनाबद्ध करने तथा प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजन करने वाले राज्यों की संख्या।	• पात्र गांवों/ग्राम पंचायतों के लिए तैयार किए गए जिला स्तरीय कैलेंडर/नियोजन की संख्या और प्रोटोकॉल के साथ कार्यभार सौंपने के लिए पात्रता के आधार पर आयोजनों की संख्या। • जल अर्पण पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों की संख्या।	• पात्र गांवों/ग्राम पंचायतों के लिए तैयार किए गए जल अर्पण कैलेंडर/नियोजन की संख्या और प्रोटोकॉल के साथ कार्यभार सौंपने के लिए पात्रता के आधार पर आयोजनों की संख्या।	• भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के संबंध में वीडब्ल्यूएससी का मार्गनिर्देशन। • 15-30 दिनों का ट्रायल रन की पूर्ति। • वीडब्ल्यूएससी/पीआरआई सदस्यों ने अपने पीडब्ल्यूएस (स्वास्थ्य लेखापरीक्षा) की समीक्षा/ जांच/ मूल्यांकन करने के लिए ट्रांसेक्ट वॉक किया। • ग्राम पंचायत ने यथानिर्मित आरेख और अन्य हस्तांतरण दस्तावेज प्राप्त किए। • स्रोतों और संवितरण स्थल का स्वच्छता निरीक्षण किया गया। • हैंड-ओवर के लिए ग्राम सभा/जल चौपाल के माध्यम से वैधीकरण। • जल बंधन, जल शपथ संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए। • आईईसी के माध्यम से सभी परिसंपत्तियों और

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
					नियोजन से संबंधित विवरणों का सार्वजनिक प्रकटीकरण। • जेजेएम अनुमोदित लोगो और आईईसी संदेशों के साथ सभी संपत्तियों का सौंदर्यीकरण और साफ-सफाई।
7.4	स्कूलों में वॉश पाठ्यक्रम को शामिल करना	• वॉश पाठ्यक्रम के लिए एससीईआरटी परिपत्र जारी करने वाले राज्यों की संख्या। • राष्ट्रीय स्तर पर वॉश पाठ्यक्रम एकीकरण प्रगति की समीक्षा।	• स्कूलों में वॉश पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एससीईआरटी का परिपत्र जारी किया गया। • एसडब्ल्यूएसएम और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच राज्य स्तरीय समन्वय। • जल उत्सव कार्यक्रमों से जुड़ी स्कूल वॉश गतिविधियों का वार्षिक कैलेंडर।	• जिले के सभी स्कूलों में एससीईआरटी परिपत्र का प्रसार। • वॉश पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत स्कूलों की संख्या। • सभी प्रखंडों में जल परीक्षण पर स्कूल जल सभाएं अनिवार्य	• स्कूल प्रबंधन समिति वॉश पाठ्यक्रम कार्यान्वयन के बारे में जागरूक है। • स्कूलों में जल गुणवत्ता जागरूकता गतिविधियां (एफटीके नमूना-प्रदर्शन) • छात्र 'जल और स्वास्थ्य' पर चर्चा गतिविधियों में भाग लेते हैं।
7.5	जल सेवा आंकलन (जेएसए): एसआईपी के साथ कार्यशीलता मूल्यांकन	• जेएसए मूल्यांकन मापदंडों के लिए राष्ट्रीय स्तर के बेंचमार्क की समीक्षा की गई और उन्हें अद्यतन किया गया। • जेजेएम 2.0 के तहत निधि जारी करने के लिए केपीआई: जेएसए डेटा के आधार पर वार्षिक कार्यशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की गई। • एनजेजेएम द्वारा जेएसए आवधिकता	• जेएसए को सभी हर घर जल ग्राम पंचायतों में संस्थागत किया गया; राज्य-स्तरीय कैलेंडर में योजनाबद्ध सभी ग्राम पंचायतों में प्रगतिशील विस्तार। • जेएसए को अनिवार्य वार्षिक/आवधिक कार्य के रूप में नामित करने वाली राज्य अधिसूचना। • जेएसए की पूर्ति और राज्य सुधार	• जिले में लक्ष्य के विरुद्ध जेएसए पूरा करने वाली ग्राम पंचायतों का %. • डीटीयू तकनीकी निदान जिसमें प्रत्येक जीपी अंतर के लिए विशिष्ट हस्तक्षेप की सिफारिशें की गई हों। • परिभाषित जिम्मेदारियों, समय-सीमा और संसाधन आवंटन के साथ जेएसए के निष्कर्षों के आधार पर तैयार की	• पंचायत सचिव द्वारा जेजेएम-आईएमआईएस पंचायत डैशबोर्ड के माध्यम से जेएसए को डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया गया। • जेएसए के निष्कर्षों पर ग्राम सभा में चर्चा की गई और उन्हें स्वीकार किया गया; प्रस्ताव पारित हो गया। • मूल्यांकन प्रक्रिया में महिलाओं, आंगनबाड़ी

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
		की घोषणा; हर घर जल ग्राम पंचायतों से सभी ग्राम पंचायतों तक प्रगतिशील विस्तार को ट्रैक किया गया। • तृतीय-पक्ष मूल्यांकन निष्कर्ष (नीति आयोग डीएमईओ) जेएसए परिणामों के साथ परस्पर-संदर्भित। • जेएसए के निष्कर्षों के आधार पर राज्य सुधार आयोजनाओं (एसआईपी) को प्रस्तुत करने वाले राज्यों का %. • निर्धारित निधि जारी करने हेतु केपीआई के रूप में जेएसए-आधारित कार्यशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट का उपयोग।	योजना (एसआईपी) प्रस्तुत करने वाले जिलों का %. • राज्य स्तर पर एकत्रित जेएसए डेटा से संकलित वार्षिक कार्यशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट। • जिलों में जेएसए कवरेज, डेटा गुणवत्ता और अनुपालन रुझानों की समीक्षा। • राज्य सुधार योजना (एसआईपी) समग्र जिला जेएसए निष्कर्षों और प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाइयों के आधार पर तैयार की गई।	गई जिला सुधार नियोजन (डीआईपी)। • डीआईपी लक्ष्यों के विरूद्ध पूर्ण की गई सुधारात्मक कार्रवाई का %; लंबित मदों को एसडब्ल्यूएसएम स्तर पर प्रस्तुत किया गया।	कार्यकर्ताओं, आशा की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। • मेरी पंचायत ऐप के माध्यम से नागरिकों की प्रतिक्रिया जेएसए सुधार नियोजन के साथ जोड़ी गई।
7.6	संवाद प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोतरफा संचार	• डीसी/डीएम पेयजल संवाद के लिए कवर किए गए राज्यों की संख्या। • सुजल ग्राम संवाद के लिए शामिल राज्यों की संख्या।	• डीसी/डीएम पेय जल संवाद के लिए कवर किए गए जिलों की संख्या। • सुजल ग्राम संवाद के लिए कवर किए गए जिलों की संख्या।	• डीसी/डीएमएस पेय जल संवाद के लिए कवर किए गए ग्राम पंचायतों/गांवों की संख्या। • सुजल ग्राम संवाद के लिए कवर किए गए ग्राम पंचायतों/गांवों की संख्या।	• डीसी/ डीएम पेय जल संवाद के दौरान प्रस्तुत ग्राम पंचायत स्तर के अच्छे मामला अध्ययनों की संख्या। • सुजल ग्राम पेयजल संवाद के दौरान प्रस्तुत ग्राम पंचायत स्तर के अच्छे मामला अध्ययनों की संख्या। • मेरी पंचायत ऐप के माध्यम से नागरिकों की प्रतिक्रिया जेएसए सुधार नियोजन के साथ जोड़ी गई।

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (ज़िला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
7.7	राज्य प्रभाव आंकलन (आईए) रिपोर्ट	• अंतर-मंत्रालयी प्रभाव डेटा के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के सामंजस्य में प्रभाव आंकलन करने वाले राज्यों की संख्या। • मुद्दों पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रमों की संख्या। • अन्य संबंधित मंत्रालयों के सामंजस्य में प्रभाव आंकलन के लिए विकसित किए गए साधन।	• अंतर-मंत्रालयी प्रभाव डेटा के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के सामंजस्य में प्रभाव आंकलन करने वाले जिलों की संख्या। • तालमेल के साथ आयोजित राज्य कार्यक्रमों की संख्या।	• स्कूलों में वॉश पाठ्यक्रम को शामिल करना।	• आईईसी के माध्यम से सभी परिसंपत्तियों और योजना से संबंधित विवरणों का सार्वजनिक प्रकटीकरण। • जेजेएम अनुमोदित लोगो और आईईसी संदेशों के साथ सभी संपत्तियों का सौंदर्यीकरण और साफ-सफाई।
			खण्ड 8: क्षमता निर्माण ढांचा		
8.1	हर घर जल ग्राम क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	• विभिन्न हितधारकों के लिए राज्य स्तर पर नोडल प्रशिक्षण संस्थान की पहचान करने और उसे अंतिम रूप देने वाले राज्यों की संख्या। • कैलेंडर के साथ एएपी तैयार और प्रस्तुत करने वाले राज्यों की संख्या। • विभिन्न हितधारकों के लिए मानकीकृत सामग्री तैयार की गई। • एएपी के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा और प्रशिक्षण डैशबोर्ड/आईएमआई एस/ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड करने वाले राज्यों की संख्या।	• नोडल प्रशिक्षण संस्थानों की पहचान करना और उन्हें अंतिम रूप देना। • विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की पहचान और अंतिम रूप देने वाले जिलों की संख्या। • विभिन्न भागीदारों/संबंधित मंत्रालयों/विभाग के साथ सहयोग। • जिला कार्य योजना के आधार पर एएपी और कैलेंडर तैयार किया गया।	• विभिन्न हितधारकों के लिए जिला स्तर पर पहचाने गए संस्थानों की संख्या। • डीटीयू/ पीआरआई/ सुजलाम शक्ति समूहों आदि सहित विभिन्न हितधारकों के लिए जिला कार्य योजना तैयार करना। • कैलेंडर के अनुसार पूरे किए गए प्रशिक्षणों की संख्या और कवर किए गए लक्षित प्रतिभागियों का विवरण। • सीआईआरपी के अनुसार सभी फील्ड संस्थाओं के प्रशिक्षण वाली हर घर जल ग्राम पंचायतों की	• जिला कार्य योजना के लिए प्रशिक्षण की विभिन्न श्रेणियों हेतु ग्राम पंचायत द्वारा नामित प्रतिभागियों की संख्या। • प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने वाले ग्राम पंचायत स्तर के क्षेत्र पदाधिकारियों (श्रेणीवार) की संख्या। • जल सेवा आंकलन और अन्य उपयुक्त मूल्यांकन (यदि किया गया हो) के माध्यम से पहचान किया गया अंतराल। • अंतराल मूल्यांकन के आधार पर पहचाने, नामांकित किए गए और पुनश्चर्या प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रतिभागियों की संख्या।

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
		• सर्विस गैप (प्रशिक्षण के बाद) आयोजित करने वाले राज्यों की संख्या। • पुनश्चर्या प्रशिक्षण आयोजित करने वाले राज्यों की संख्या। • सभी फील्ड संस्थाओं के प्रशिक्षण पूरा होने के साथ-साथ हर घर जल ग्राम पंचायतों की निगरानी।	• स्थानीय संदर्भ और भाषा को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण सामग्री का अनुकूलन और सृजन। • एएपी/ कैलेंडर के अनुसार पूरे और प्रशिक्षण डैशबोर्ड/ आईएमआईएस/ ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड किए गए टीओटी की संख्या। • एएपी/ कैलेंडर के अनुसार पूरे किए गए और प्रशिक्षण डैशबोर्ड/ आईएमआईएस पर अपलोड किए गए प्रशिक्षणों की संख्या। • सभी जिलों द्वारा आयोजित अंतराल मूल्यांकन (प्रशिक्षण के बाद)। • मास्टर प्रशिक्षकों के माध्यम से पुनश्चर्या (रिफ्रेशर)प्रशिक्षण पूरा करने वाले जिलों की संख्या। • प्रशिक्षित राज्य स्तरीय अधिकारियों/ संस्थाओं की संख्या। • प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक प्रशिक्षित और प्रमाणित नल जल मित्र के साथ सभी हर घर जल गांवों में फील्ड कार्यकर्ता प्रशिक्षण की निगरानी करना	• प्रशिक्षित हितधारकों का अंतर आंकलन किया गया। • अंतराल आंकलन के आधार पर पहचाने गए हितधारकों के लिए आयोजित पुनश्चर्या प्रशिक्षण की संख्या। • प्रशिक्षित जिला स्तरीय अधिकारियों/ संस्थाओं की संख्या। • जीपी/ ग्राम स्तरीय प्रशिक्षित फील्ड संस्थाओं (श्रेणी-वार) की संख्या और का ब्यौरा। • सभी फील्ड संस्थाओं के प्रशिक्षण पूर्ण करने के साथ-साथ जिले में हर घर जल ग्राम पंचायतों की निगरानी करना। • निगरानी प्रशिक्षण में ओ एंड एम, जल गुणवत्ता, वित्तीय अभिशासन और डिजिटल साधन शामिल हैं	• सभी वीडब्ल्यूएससी सदस्यों और फील्ड पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। • सभी प्रशिक्षणों का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत स्तर पर रखा जाए और ई-ग्राम स्वराज/जीपी डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाए

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
			खण्ड 9: कौशल और मानव संसाधन विकास		
9.1	जिलेवार ओ एंड एम मानव संसाधन (एचआर) अंतर मूल्यांकन और प्रशिक्षण आयोजनाएं	• पीडब्ल्यूएस के संचालन और रखरखाव के लिए कुशल मानव संसाधन की राज्य-वार आयोजना, प्रगति, नामांकन, प्रशिक्षण और प्रमाणन की निगरानी करना।	• योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए सभी स्तरों पर मानव संसाधन आवश्यकताओं का आंकलन करना और जिले-वार प्रशिक्षण अंतराल की गणना करना। • गांव के भीतर और गांव के बाहर संचालन तथा रखरखाव के लिए एनजेएम, तकनीशियन (आउट-विलेज), ऑपरेटर, सुजलाम शक्ति समूहों के नामांकन, प्रशिक्षण और प्रमाणन के संबंध में जिले-वार प्रगति। • मूल्यांकन पास दर, ड्रॉपआउट दर और प्रमाणित कर्मियों तथा ग्राम पंचायतों से फीडबैक के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने की गुणवत्ता की निगरानी करना।	• गांव के भीतर और गांव के बाहर दोनों के लिए एनजेएम, तकनीशियन, ऑपरेटर, सुजलाम शक्ति समूह के लिए जिले-वार ओ एंड एम एचआर अंतराल आंकलन पूर्ण और कार्य योजना में प्रस्तुत किया गया।	• गांव-अवस्थित संचालन और रखरखाव जरूरतों के लिए प्रशिक्षण हेतु मानव संसाधन की ग्राम पंचायत-स्तर की आवश्यकता की पहचान करने तथा कार्य योजना में प्रस्तुत करने की निगरानी करना।
9.2	प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अपनाना और शुरू करना	• एनएसक्यूएफ के साथ सहबद्धता में नए कौशल पाठ्यक्रमों (सुजलाम शक्ति आदि) के विकास के लिए समन्वय करना	• जिले में अभिचिह्नित प्रशिक्षण संस्थाओं में अपनाने और शुरू करने की निगरानी करना	• यदि आवश्यक हो तो सभी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव तैयार करने	• कौशल प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों को जुटाना और उनकी संस्तुति करना

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
		• एनएसओएफ लेवल-4 जल संवितरण संचालक पाठ्यक्रम और अन्य एनएसक्यूएफ सहबद्ध पाठ्यक्रमों को अपनाने की समीक्षा करना। • अंतराल मूल्यांकन (प्रशिक्षण के बाद) आयोजित करने वाले राज्यों की संख्या। • पुनश्चर्या प्रशिक्षण आयोजित करने वाले राज्यों की संख्या। • सभी फील्ड संस्थाओं के प्रशिक्षण पूरा करने के साथ-साथ हर घर जल ग्राम पंचायतों की निगरानी करना।	• एनएसओएफ लेवल-4 जल संवितरण संचालक पाठ्यक्रम और एनएसओएफ से जुड़े अन्य पाठ्यक्रमों को अपनाने की निगरानी करना। • सभी प्रशिक्षणों की आयोजना, समन्वय और प्रशिक्षिण प्रदान करने के लिए 'कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए)' की नियुक्ति की निगरानी करना। • मान्यता प्राप्त संस्थाओं, चल रहे बैचों और ब्लॉकों तथा जिलों में भौगोलिक कवरेज सहित प्रशिक्षण अवसंरचना की पर्याप्तता सुनिश्चित करना।	और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिला एसएसडीएमएस, आईटीआईएस, पॉलिटेक्निक, आरएसईटीआईएस तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय करना।	
9.3	मानव संसाधन नीति अधिसूचना और नियोजन	• मानव संसाधन नीति अधिसूचना की राज्य-वार स्थिति की निगरानी करना। • प्रमाणित कुशल मानव संसाधन की ओ एंड एम आवश्यकताओं हेतु नियोजन की स्थिति की निगरानी करना।	• ग्रामीण जल सेवा जल सेवा प्रदाय निकाय स्तरों पर मानव संसाधनों को शामिल करने के लिए उपयुक्त नीति और दिशा निर्देश तैयार करना तथा अधिसूचित करना। • प्रत्येक जिले के लिए योजना-वार ओ एंड एम आवश्यकताओं	• कुशल मानव संसाधन नियोजन की डीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड ट्रैकिंग। • योजना-वार आवश्यकताओं के लिए प्रमाणित नल जल मित्रों और बहु-कौशल तकनीशियनों के नियोजन की स्थिति की निगरानी करना।	• गांव-अवस्थित जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए प्रमाणित एनजेएम का नियोजन।

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
			जल मित्रों और बहु-कौशल तकनीशियनों के नियोजन की स्थिति की निगरानी करना।		
खण्ड 10: परिचालन और वित्तीय सततता					
10.1	ओ एंड एम के लिए वित्तीय निगरानी साधन	• सुजल गांव आईडी से जुड़े संरचित वित्तीय निगरानी साधनों को अपनाने की स्थिति की समीक्षा करना।	• सुजल गांव आईडी तथा सुजलाम भारत प्लेटफॉर्म से जुड़े राज्य-स्तरीय वित्तीय योजना और निगरानी साधन विकसित या अनुकूलित करना। • प्रमुख वित्तीय संकेतकों (ओ एंड एम लागत पुनर्प्राप्ति, संग्रहण दक्षता, एनआरडब्ल्यू, उपयोग) की निगरानी करना। • राज्य द्वारा ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति अवसंरचना के स्थायी संचालन और रखरखाव के लिए निधि, कार्य और संस्थाओं का प्रावधान करने के साथ-साथ संरचनात्मक सुधारों को अपनाना। • बल्क जल अंतरण के लिए सेवा प्रदायगी शुल्क संग्रहण और सेवा प्रदायगी शुल्क की निगरानी करना।	• प्रत्येक पंचायत के लिए ओ एंड एम बजट उपयोग की निगरानी (वास्तविक + अनुमोदित बजट)। • राज्य को वित्तीय रिपोर्टिंग की समयबद्धता; निधि सामंजस्यता को ट्रैक किया गया। • प्रमुख वित्तीय संकेतकों (ओ एंड एम लागत पुनर्प्राप्ति, संग्रहण दक्षता, एनआरडब्ल्यू, बजट उपयोग, ऊर्जा दक्षता) की निगरानी करना। • बल्क जल अंतरण के लिए सेवा प्रदायगी शुल्क संग्रहण और सेवा प्रदायगी शुल्क की निगरानी करना।	• लघु जल सेवा प्रदाय निकाय (बिलिंग, संग्रहण, व्यय) के वित्तीय डेटा को सही और समय पर बनाए रखना। • प्राप्तियों और भुगतानों का पारदर्शी रिकॉर्ड बनाए रखना। • डिजिटल बिलिंग, संग्रहण और व्यय ट्रैकिंग में सहायता करना। • वीडब्ल्यूएससी द्वारा बनाए गए ओ एंड एम खाते। • ओ एंड एम लागत पुनर्प्राप्ति अनुपात (सेवा प्रदायगी शुल्क + ओ एंड एम व्यय) की सूचना देना। • संग्रहण दक्षता (एकत्र की गई राशि + बिल की गई राशि) की सूचना देना। • बिजली की लागत की सूचना देना।

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
10.2	वार्षिक ओ एंड एम वित्तीय प्रावधान	• राज्य स्तरीय ओ एंड एम वित्तपोषण नीति की समीक्षा। • राज्य स्तरीय ओ एंड एम बजट प्रावधान की समीक्षा	• निधि की उपलब्धता (सेवा प्रदायगी शुल्क, एफसी अनुदान, राज्य निधि, सीएसआर, डीएमएफ) का आंकलन करना। • यह सुनिश्चित करना कि राज्य के वित्तीय संसाधनों के माध्यम से वित्तपोषण की कमी को दूर किया जाए। • राज्य के अलग-अलग बजट शीर्ष में वार्षिक ओ एंड एम निधि का प्रावधान	• गांव के ओ एंड एम बजट और थोक प्रणाली ओ एंड एम जरूरतों को संकलित करना। • अनुमानों को विधिमान्य करना और राज्य को समेकित जिला मांग प्रस्तुत करना। • आवंटित ओ एंड एम निधि को ट्रैक करना और उसका उपयोग करना। • जिला स्तर पर एनआरडब्ल्यू की निगरानी; उच्च-एनआरडब्ल्यू योजनाओं के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करना	• एसडब्ल्यूएसएम प्रारूपों का उपयोग करके वार्षिक योजना-वार ओ एंड एम बजट अनुमान तैयार करना। • सेवा प्रदायगी शुल्क संग्रहण और आवश्यक ओ एंड एम लागत के बीच अंतर की पहचान करना। • अनुमोदन और निगरानी के लिए ग्राम पंचायत/ वीडब्ल्यूएससी बैठकों में ओ एंड एम बजट प्रस्तुत करना। • गैर-राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) डेटा डीडब्ल्यूएसएम को प्रस्तुत करना
10.3	सभी योजनाओं के लिए निवारक रखरखाव (पीएम) अनुसूची	• राज्यों में पूर्वानुमानित रखरखाव अपनाने की समीक्षा	• निवारक रखरखाव अनुसूची की योजना और अपनाने की निगरानी करना। • सभी योजनाओं के लिए निवारक अनुरक्षण कार्यक्रम वाले जिलों की संख्या	• डीटीयू की मदद से योजना-वार निवारक रखरखाव अनुसूची तैयार करना। • यह सुनिश्चित करना कि अनुसूची ऑपरेटरों और वीडब्ल्यूएससी के साथ साझा की गई। • परिसंपत्ति रजिस्टर में स्थिति डेटा, मरम्मत इतिहास, जीवनचक्र आयोजना अद्यतित। • कल-पुर्जों के लिए वस्तु-सूची प्रबंधन सुनिश्चित किया गया, • व्यवधानों की शीघ्र पहचान करने के लिए नियमित निगरानी और सतर्कता में समुदाय को शामिल करना	• जमीनी स्तर पर निवारक रखरखाव कार्यक्रम का अनुपालन करना

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
10.4	परिचालन दक्षता	• परिचालन दक्षता के लिए एसओपी के सृजन और उन्हें अपनाने की निगरानी करना	• पंप संचालन, क्लोरीनीकरण, वाल्व नियंत्रण, जल गुणवत्ता परीक्षण और ग्राहक शिकायत से निपटने के लिए एसओपी तैयार करना। प्रवाह मीटर, प्रेशर सेंसर, ऑनलाइन जल गुणवत्ता साधन और एससीएडीए जैसे वास्तविक समय निगरानी साधन ताकि समस्याओं का शीघ्र पता लगाने तथा निर्णय लेने में सुधार लाने में मदद मिल सके	• एसओपी के अनुसार ऊर्जा उपयोग, जल उत्पादन, सेवा घंटे और ब्रेकडाउन की निगरानी करना। • सुजल गांव ऐप पर परिचालन गतिविधियों की दैनिक डेटा प्रविष्टि	• नियमित प्रणाली जांच; निर्धारित समय-सीमा के भीतर लीकेज की मरम्मत। • एसओपी के अनुसार ऊर्जा उपयोग, जल उत्पादन, सेवा घंटे और ब्रेकडाउन आदि की सूचना देना
खण्ड 11: अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान					
11.1	राज्य तकनीकी समिति (एसटीसी): टीओआर के साथ अधिसूचित	• एसडब्ल्यूएसएम/एसटीसी के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों का एनटीसी मूल्यांकन। • एसटीसी का गठन और एनटीसी टीओआर के साथ सहबद्धता	• प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, पायलट अनुमोदन, स्केल-अप के लिए एसटीसी का गठन और टीओआर के साथ अधिसूचित। • एसटीसी द्वारा एसडब्ल्यूएसएम को सूचित करना। • एनटीसी ढांचे से टीओआर की सहबद्धता। • जिला/ क्षेत्रीय प्रौद्योगिकीय जरूरतों के लिए एनटीसी द्वारा अनुशंसित प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करना/ अपनाने के लिए एसडब्ल्यूएसएम/एसटीसी। • जिले में प्रौद्योगिकियों का प्रायोगिक कार्यान्वयन	• एसटीसी के माध्यम से जिला विशिष्ट प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन और प्रस्तुतीकरण। • जिले में अभिचिह्नित प्रायोगिक कार्यान्वयन स्थल	• ओ एंड एम और डब्ल्यूक्यू के लिए नई प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता। • ग्रामीण स्तर पर प्रायोगिक प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन में भागीदारी

खण्ड संख्या	निगरानी पैरामीटर	एनजेजेएम (राष्ट्रीय स्तर)	एसडब्ल्यूएसएम (राज्य स्तर)	डीडब्ल्यूएसएम (जिला स्तर)	जीपी/वीडब्ल्यूएससी (ग्राम स्तर)
11.2	अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का परिणाम-आधारित वित्तपोषण (ओबीएफ)	• एनटीसी/एनजेजेएम द्वारा वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा/अनुमोदन के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास हेतु एसटीसी/एसडब्ल्यूएसएम प्रस्ताव • एनजेजेएम के अनुरूप राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ओबीएफ फ्रेमवर्क	• राज्य के नेतृत्व वाले अनुसंधान एवं विकास और ओबीएफ ढांचे को अधिसूचित करना। • शॉर्टलिस्टिंग/अनुमोदन के लिए प्रस्ताव मांगना। • अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की निगरानी	• जिले में प्रायोगिक स्थलों को जियो-टैगिंग और निगरानी करना। • प्रगति रिपोर्ट प्रायोगिक प्रस्तुत करना	• पायलट प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र सत्यापन में भागीदारी। • प्रौद्योगिकी कार्य-निष्पादन पर डीटीयू/एसटीसी को प्रतिक्रिया देना

जिला स्तरीय प्रभाव मूल्यांकन मैट्रिक्स (सांकेतिक)

जिला प्रभाव संकेतकों का उपयोग जेजेएम डेटा, सामुदायिक आंकलन और अन्य क्षेत्रों के डेटा को मिलाकर बेहतर पेयजल सेवाओं से जुड़े व्यापक परिवर्तनों तथा रुझानों को समझने के लिए किया जाता है। ये संकेतक समग्र योगदान और प्रगति को दर्शाते हैं तथा जिला स्तर पर प्रत्यक्ष कारण-और-प्रभाव निष्कर्षों को सिद्ध करने के लिए नहीं हैं।

प्रभाव क्षेत्र 1: स्वास्थ्य प्रभाव

स्तर	संकेतक	डेटा स्रोत
परिणाम	• हर घर जल स्थिति के साथ योजना का विवरण। • योजनाओं की कार्यशीलता स्थिति। • नागरिक शिकायत से जुड़ी घटनाएं और उल्लिखित मुद्दों का स्वरूप। • नियमित पेयजल आपूर्ति प्राप्त करने वाला हर घर जल प्रतिशत। • प्रत्येक बसावट के तहत कवरेज वाले परिवारों का प्रतिशत। • पाइपगत जल आपूर्ति में उपयोग की जाने वाली शोधन/कीटाणुशोधन प्रौद्योगिकी के प्रकार। • बसावट स्तर पर निरंतरता और क्लोरीनीकरण की स्थिति को विधिमान्य करते डिजिटल सेवा लॉग	• प्रभाव और जमीनी स्तर की सूचना संग्रहण के बारे में नागरिक अवधारणा पर प्राथमिक प्रश्नावली। • योजना डेटा डीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड और जेजेएम आईएमआईएस। • जल सेवा आंकलन से कार्यशीलता। • मेरी पंचायत ऐप और जीपी डैशबोर्ड के माध्यम से नागरिक शिकायत
निष्कर्ष	• पाइपगत जलापूर्ति कवरेज में वृद्धि के कारण 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अतिसार/जल जनित घटनाओं में कमी। • यह स्थापित करना कि क्या पाइपगत जलापूर्ति प्रावधान का दस्त/जल जनित घटनाओं पर प्रभाव पड़ता है। • सुजल गांव की समग्र कार्यशीलता के साथ स्वास्थ्य परिणामों का मिलान	• प्रभाव और जमीनी स्तर की सूचना संग्रहण के बारे में नागरिक अवधारणा पर प्राथमिक प्रश्नावली। • ऑन-ग्राउंड प्राथमिक प्रश्नावली डेटा, आंगनबाड़ी केंद्रों, आशा और एएनएम से डेटा रिकॉर्ड। • भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय के पोषण ट्रैकर स्वास्थ्य डेटा, एनएचपी, एनएफएचएस, आईडीएसपी, एसआरएस (नमूना पंजीकरण प्रणाली) के डिजिटल रिकॉर्ड, अन्य प्रासंगिक स्वास्थ्य डेटा
प्रभाव	• चिकित्सा में जेब पर पड़ने वाले खर्च में बचत • पाइपगत जलापूर्ति कवरेज में वृद्धि के कारण जल जनित बीमारियों से जुड़ी 5 से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी। • डीएएलवाई (विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष) से जुड़ी ग्रामीण आबादी की समग्र जीवन प्रत्याशा पर प्रभाव। • स्वास्थ्य परिणामों पर विश्वसनीय पेयजल सेवा रिकॉर्ड के प्रभाव का संभावित परिमाण	• प्रभाव का आंकलन करने के लिए उपर्युक्त सभी आंकड़ों का समय श्रृंखला विश्लेषण किया जा सकता है

प्रभाव क्षेत्र 2: पोषण और बाल विकास

स्तर	संकेतक	डेटा स्रोत
परिणाम	• हर घर की स्थिति के साथ योजना का विवरण। • योजनाओं की कार्यशीलता स्थिति। • नागरिक शिकायत से जुड़ी घटनाएं और उल्लिखित मुद्दों का स्वरूप। • नियमित पेयजल आपूर्ति प्राप्त करने वाले हर घर जल का प्रतिशत। • प्रत्येक बसावट के तहत कवरेज वाले परिवारों का प्रतिशत। • पाइपगत जल आपूर्ति में उपयोग की जाने वाली शोधन/कीटाणुशोधन तकनीक के प्रकार। • बसावट स्तर पर निरंतरता और क्लोरीनीकरण की स्थिति को विधिमान्य करते डिजिटल सेवा लॉग	• प्रभाव और जमीनी स्तर की सूचना संग्रहण के बारे में नागरिक अवधारणा पर प्राथमिक प्रश्नावली • योजना डेटा, डीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड और जेजेएम आईएमआईएस। • जल सेवा आंकलन की कार्यशीलता। • मेरी पंचायत ऐप और जीपी डैशबोर्ड के माध्यम से नागरिक शिकायत
निष्कर्ष	• कुपोषण के स्तर में कमी (स्टंटिंग, वेस्टिंग, कम वजन)। • हर घर जल स्थिति वाले गांवों और गैर-हर घर जल स्थिति वाले गांवों के बीच जिले-वार तुलना करने में सक्षम बनाता है	• प्रभाव और जमीनी स्तर की सूचना संग्रहण के बारे में नागरिक अवधारणा पर प्राथमिक प्रश्नावली। • एनएफएचएस, पोषण ट्रैकर आदि से डिजिटल रिकॉर्ड
प्रभाव	• कुल मिलाकर पोषण स्तर में सुधार हुआ। • पोषण स्तर पर पेयजल आपूर्ति प्रदायगी कवरेज के संभावित प्रभाव को स्थापित करना। • दीर्घकालिक सुधार और प्रभाव मूल्यांकन के लिए समय श्रृंखला सेवा निरंतरता डेटा	• प्रभाव का आंकलन करने के लिए उपर्युक्त सभी आंकड़ों का समय श्रृंखला विश्लेषण किया जा सकता है

प्रभाव क्षेत्र 3: शिक्षा और स्कूल में उपस्थिति

स्तर	संकेतक	डेटा स्रोत
परिणाम	• कार्यशील जल आपूर्ति वाले विद्यालयों का प्रतिशत। • कार्यशील जल आपूर्ति के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों का प्रतिशत	• प्रभाव और जमीनी स्तर की सूचना संग्रहण के बारे में नागरिक अवधारणा पर प्राथमिक प्रश्नावली। • योजना डेटा, डीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड और जेजेएम आईएमआईएस • जल सेवा आंकलन की कार्यशीलता। • मेरी पंचायत ऐप और जीपी डैशबोर्ड के माध्यम से नागरिक शिकायत
निष्कर्ष	• स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि। • लड़कियों की उपस्थिति और उपस्थित रहने में वृद्धि	• प्रभाव और जमीनी स्तर की सूचना संग्रहण के बारे में नागरिक अवधारणा पर प्राथमिक प्रश्नावली। • जमीनी स्तर पर प्राथमिक प्रश्नावली डेटा, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूल उपस्थिति, शिक्षा रिपोर्ट (ग्रामीण) की वार्षिक स्थिति से डेटा अभिलेख। • यूडीआईएसई+ डेटा, पोषण ट्रैकर, एनएफएचएस से डिजिटल रिकॉर्ड
प्रभाव	• पाइपगत जलापूर्ति प्रावधान के कारण छात्रों के समग्र शिक्षा स्तर में वृद्धि। • विशेष रूप से बालिकाओं के लिए स्कूली शिक्षा के वर्षों में वृद्धि और जीवन भर की संभावित पूंजी। • पाइपगत जल आपूर्ति सेवा क्षेत्र प्रदायगी से संबंधित समय श्रृंखला डेटा रिकॉर्ड	• प्रभाव का आंकलन करने के लिए उपर्युक्त सभी आंकड़ों का समय श्रृंखला विश्लेषण किया जा सकता है

प्रभाव क्षेत्र 4: घर से दूर (ऑफ-प्रिमाइसेस) जल संग्रहण से जुड़े कठिन श्रम में कमी

स्तर	संकेतक	डेटा स्रोत
परिणाम	• हर घर की स्थिति के साथ योजना का विवरण • नियमितता और कार्यशीलता। • नागरिक शिकायत से जुड़ी घटनाएं और उल्लिखित मुद्दों का स्वरूप। • हर घर जल को नियमित पेयजल आपूर्ति प्राप्त करने का प्रतिशत। • प्रत्येक बसावट के तहत कवरेज वाले परिवारों का प्रतिशत।	• प्रभाव और जमीनी स्तर की सूचना संग्रहण के बारे में नागरिक अवधारणा पर प्राथमिक प्रश्नावली। • योजना डेटा डीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड और जेजेएम आईएमआईएस • जल सेवा आंकलन की कार्यशीलता। • मेरी पंचायत ऐप और जीपी डैशबोर्ड के माध्यम से नागरिक शिकायत।
निष्कर्ष	• पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए पानी भरकर लाने में लगने वाले समय में कमी।	• प्रभाव और जमीनी स्तर की सूचना संग्रहण के बारे में नागरिक अवधारणा पर प्राथमिक प्रश्नावली। • जमीनी स्तर पर प्राथमिक प्रश्नावली डेटा, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूल में उपस्थिति, आशा और एएनएम से डेटा रिकॉर्ड, आजीविका गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी पर एसआरएलएम डेटा और जिलों में चल रहे आजीविका कार्यक्रमों के अन्य डेटा। • जिले (जिला लीड बैंक) के सूक्ष्म-ऋण जुटाने संबंधी वार्षिक आंकड़े। • यूडीआईएसई+ डेटा, पोषण ट्रैकर, एनएफएचएस से डिजिटल रिकॉर्ड।
प्रभाव	• शिक्षा, आजीविका और अन्य आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि। • श्रम बल भागीदारी दरों पर प्रभाव।	• प्रभाव का आंकलन करने के लिए उपर्युक्त सभी आंकड़ों का समय श्रृंखला विश्लेषण किया जा सकता है।

प्रभाव क्षेत्र 5: आर्थिक विकास और आजीविका

स्तर	संकेतक	डेटा स्रोत
परिणाम	• योजनाओं के संचालन और रखरखाव के कारण स्थानीय नौकरियों का सृजन हुआ। • स्थानीय रूप से प्रशिक्षित श्रमिकों (प्लंबर, पंप ऑपरेटर, एफटीके परीक्षक) की संख्या। • जल स्रोत सततता कार्यों में लगे स्वयं सहायता समूह (सोख गड्ढे, पुनर्भरण, ग्रेवाटर का पुन: उपयोग) • एसएचजी सदस्यों को ओ एंड एम/जल गुणवत्ता परीक्षण में प्रशिक्षित। • हर घर जल की स्थिति के साथ योजना का विवरण। • नागरिक शिकायत से जुड़ी घटनाएं और उल्लिखित मुद्दों का स्वरूप। • हर घर जल को नियमित पेयजल आपूर्ति प्राप्त करने का प्रतिशत। • ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पाइपगत जलापूर्ति स्कीमों के उचित प्रावधान के लिए आवासीय/ वाणिज्यिक/ संस्थागत/ औद्योगिक विकास	• प्रभाव और जमीनी स्तर की सूचना संग्रह के बारे में नागरिक धारणा पर प्राथमिक प्रश्नावली। • योजना डेटा, डीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड और जेजेएमआईएमआईएस। • जल सेवा अंक की कार्यशीलता। • मेरी पंचायत ऐप और जीपी डैशबोर्ड के माध्यम से नागरिक शिकायत
निष्कर्ष और प्रभाव	• ग्रामीण जल आपूर्ति की अवसंरचना के कारण स्थानीय ग्रामीण उद्यमिता में वृद्धि संबंधी संकेतक। • स्थानीय ओ एंड एम और बाजार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के कारण आजीविका में वृद्धि। • समय की बचत के कारण आय सृजन गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि। • पाइपगत जलापूर्ति प्रावधान के कारण ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के भूमि मूल्य में वृद्धि। • समग्र जीवन सुगमता पर प्रभाव। • कृषि और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में संवर्धित योगदान	• प्रभाव और जमीनी स्तर की सूचना संग्रहण के बारे में नागरिक अवधारणा पर प्राथमिक प्रश्नावली। • ओ एंड एम गतिविधियों में कुशल और नियोजित व्यक्तियों की संख्या पर जेजेएम डेटा। • अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए जिला नगर नियोजन रिकार्ड (बेसलाइन), पीआरआई प्रतिक्रिया (फीडबैक), जिला रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा के जल अवसंरचना के कारण भूमि मूल्य में वृद्धि दर्ज करना • एनआरएलएम और एसआरएलएम आंकड़े, महिलाओं के ग्रामीण रोजगार पर जिला रोजगार आंकड़े, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी संबंधी आंकड़े - कृषि डेटा। • पीएलएफएस (जिला रुझान), गुणवत्ता संबंधी जिला मूल्यांकन

प्रभाव क्षेत्र 6: ग्रामीण पर्यटन सक्षमता

स्तर	संकेतक	डेटा स्रोत
परिणाम	• प्रत्येक गांव के तहत कवरेज वाले परिवारों का प्रतिशत। • गांव में पर्यटन गतिविधियों में शामिल ग्रामीण आबादी का प्रतिशत। • 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) के तहत किसी उत्पाद के रूप में पर्यटन वाले जिलों में गांवों की संख्या। • सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के तहत अद्यतन और वर्गीकृत गांवों की संख्या। • सार्वजनिक सुविधाओं (स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, होमस्टे, सामुदायिक स्थानों) में जल की उपलब्धता।	• प्रभाव और जमीनी स्तर की सूचना संग्रहण के बारे में नागरिक अवधारणा पर प्राथमिक प्रश्नावली। • जेजेएम आईएमआईएस डेटा। • राज्य पर्यटन विभाग की रिपोर्ट, जिला सत्यापन रिपोर्ट, जिला पर्यटन रिपोर्ट।
निष्कर्ष	• गांवों में ग्रामीण आजीविका गतिविधियों (होमस्टे और स्थानीय सेवाओं) में वृद्धि। • गांवों में पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों में वृद्धि। • सुजला गांव की समग्र कार्यशीलता को पर्यटन योजनाओं की सामंजस्यता से जोड़ना।	• प्रभाव और जमीनी स्तर की सूचना संग्रह के बारे में नागरिक अवधारणा पर प्राथमिक प्रश्नावली। • जिला पर्यटन विभाग, ओडीओपी डेटा, पर्यटन मंत्रालय।
प्रभाव	• पर्यटन गतिविधियों में शामिल ग्रामीण आबादी का प्रतिशत। • गांवों में पाइपगत जल आपूर्ति के प्रावधान के कारण पर्यटन में दीर्घकालिक मूल्य प्राप्ति। • पाइपगत जलापूर्ति कवरेज में वृद्धि से जुड़ी पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि के कारण आय में प्रति व्यक्ति वृद्धि। • गांवों में स्वच्छता और आगंतुकों अनुकूल परिस्थितियों में सुधार।	• हर घर जल की स्थिति पर ध्यान देने के साथ प्रभाव का आंकलन करने के लिए उपर्युक्त सभी आंकड़ों का समय श्रृंखला विश्लेषण किया जा सकता है।

नोट:

नोट:

नोट:

नोट:

हर घर जल
जल जीवन मिशन

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन

नई दिल्ली – 110003

ई -मेल: njjm-ddws@gov.in | www.jaljeevanmission.gov.in

Jal Jeevan Mission, India | @jaljeevan_ | Jal Jeevan Mission
@jaljeevanmission | jjm.gov.in | Jal Jeevan Mission